राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का सत्रहवां दिवस [संख्या : 10

शुक्रवार,

13 मार्च, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। जय माताजी की। प्रश्न काल। श्री मोहन लाल गुप्ता।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित गारण्टी अवधि की क्षतिग्रस्त सड़कें

165. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत पांच वर्षों में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा सड़क निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्राधिकरण द्वारा सड़क निर्माण में गारंटी अवधि भी निर्धारित की जाती है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितनी सड़कें गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त हुई तथा इसके लिए संवेदकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्राधिकरण द्वारा बनवाई गई सड़कों के घटिया निर्माण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सड़कों की गुणवत्ता की जांच किस प्रकार की जाती है और गत पांच वर्षों में बनाई गई सड़कों की गुणवत्ता की क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): (1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विगत पांच वर्षों में राशि रुपये 1,39,272.14 लाख का व्यय किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। विगत पांच वर्षों में प्राधिकरण द्वारा बनवाई गई 105

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

सड़कें गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त हुई हैं। क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत सामान्यतया सम्बन्धित संवेदक के माध्यम से ही कराई गई है तथा कुछ प्रकरणों, जिनमें सम्बन्धित संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में मरम्मत नहीं की गई है, में मरम्मत का कार्य अन्य संवेदक से मूल संवेदक के खर्चे पर करवाया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्राधिकरण द्वारा बनवाई गई सड़कों के सम्बन्ध में कुछ स्थानों पर शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। सड़क की गुणवत्ता की जांच एक निरन्तर प्रक्रिया है जो सड़क निर्माण के दौरान मौके पर व प्लांट पर सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा एवं प्राधिकरण के गुणवत्ता प्रकोष्ठ तथा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मोनिटर (सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता) के द्वारा की जाती है। विगत पांच वर्षों में बनाई गई सड़कों के निर्माण में प्रयुक्त हुई सामग्री के 42,366 टैस्ट कराये गये हैं, जिनमें से 42,349 टैस्टों की रिपोर्ट मापदण्डानुसार पाई गई हैं एवं 17 रिपोर्ट मापदण्डानुसार नहीं पाई गई हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर वन।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें सड़क पर खड्डे एवं खड्डों पर सड़क...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): दोनों हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): दोनों में ही मामला गड़बड़ है। कांग्रेस राज में जिस प्रकार से चुनावों में जीतने के लिए सैंक्शंस जारी की गईं, सड़कें बनाई गईं जयपुर शहर में, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के लोग चुनाव जीतने के लिए यह ए. एण्ड एफ. जारी कर रहे हैं। यह तो प्रश्न में आ गया कि 1,39,272 लाख रुपये का व्यय किया गया और जाते-जाते सड़कें ऐसी बनाईं, डिफेक्ट लाइबिलिटी के तहत भी कि उनमें खड्डे, सीवर लाइन की टूटत और घटिया सामग्री, यह सब उसमें आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी वे चुनाव नहीं जीत सके। सारे जयपुर शहर में हार गये और आज हमारे जे डी ए की स्थिति यह है कि...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, यह भाषण नहीं। प्रश्न काल है, आप प्रश्न पूछें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप डिस्टर्ब मत कीजिये। आप बैठिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ...पहले कर्ज छोड़कर गये थे। जब हमें जे डी ए विरासत में मिला तो पहले कर्ज छोड़कर गये थे। आज 450 करोड़ रुपये से ज्यादा का जे डी ए में बैलेंस है। पृथ्वीराज नगर के पट्टे बंटने चालू हो गये और रिंग रोड का काम भी चालू हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस राज में बनी हुई सड़कों की जांच की जाये। इनमें खड्डे हुए हैं। मेरा यह कहना है कि यह डिफेक्ट लाइबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविजन है...

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिये। सवाल कीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मेरा यह प्रश्न है माननीय नगरीय व स्वायत शासन मंत्री महोदय से, नगरीय मंत्री महोदय से, नगरीय विकास मंत्री महोदय से, विद्वान मंत्री हैं हमारे, क्या जे डी ए कालोनियों में सड़क बनाने से पहले उस एरिये का सर्वे करके नक्शे बनाता है?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दुबारा बोलो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ऊपर से निकल गई क्या आपके भी शिक्षा मंत्रीजी की जैसे?

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अब आया है जोश में।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। इस सवाल का जवाब आने दीजिये। सवाल का जवाब आने दीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): मेरे से विशेष मोहब्बत है। यह चक्कर है।

एक माननीय सदस्य: आपकी मोहब्बत सदन में ही क्यों झलकती है?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, बाहर भी झलकती है।

क्या जे डी ए कालोनियों में सड़क बनाने से पहले उस एरिये का सर्वे करके नक्शे बनाता है? जिस जगह पर सड़क बनानी है, वहां पर कहां-कहां पर सीवर लाइन है, कहां-कहां पर पानी की लाइन है, कहां-कहां पर बिजली की लाइन है पानी के स्लोप की स्थिति क्या है। और क्या नक्शों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है? रोड कट भी होते हैं, बरसात भी आती है और सीवर लाइन भी जाम हो जाती है और लोकल फ्लड भी आ जाता है।

श्री अध्यक्ष: बिराजिये। इनका जवाब आ जाये पहले। जवाब ले लो आप पहले। फिर दूसरा सवाल।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या जे डी ए नक्शे रखता है? क्या इन डिपार्टमेंट में आपस में समन्वय करके पी डब्ल्यू डी, नगर निगम, जे डी ए, हाउसिंग बोर्ड, इन सब डिपार्टमेंटों में समन्वय करके इन सड़कों को बनाया जाता है? प्रश्न संख्या एक।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): दुबारा फिर पूछूंगा और।

श्री अध्यक्ष: हां, एक चांस और है आपका।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इसमें एक और है, क्या जन प्रतिनिधियों की राय ली जाती है सड़क बनाते समय? यह इसी में है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ मौलिक सवाल उठाये हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अब समझ में आ गई।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार से आपने चर्चा की कि हमारी सरकार के आने से पहले जिस प्रकार का जे डी ए में निर्माण कार्य चल रहा था और जिस प्रकार से सैंक्शंस की गईं, 6-7 हजार करोड़ रुपये की ए. एण्ड एफ. सैंक्शंस इस जे डी ए में जारी की गई; संसाधन नहीं थे, परन्तु एक के ऊपर एक ए. एण्ड एफ. सैंक्शंस जारी करते गये। अब जब आंख मींचकर जिस प्रकार से जिसके राज के अन्दर सैंक्शंस जारी हों और वहां, जैसे किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य पूछ रहे हों कि उस कालोनी की प्लानिंग की क्या, यह हो ही नहीं सकता। यह सम्भव ही नहीं। आपाधापी में जब निर्माण कार्य होता है, आपाधापी में जब विकास का काम होता है; विकास का काम आपाधापी में नहीं हो सकता, माननीय अध्यक्ष महोदय। जब हम विकास की बात करते हैं और खास तौर से हम जे डी ए की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि नगर नियोजन हमारी परम्परा है, नगर नियोजन रातोंरात नहीं हुआ करता। नगर नियोजन के बिना जिस प्रकार से गये चार-पांच साल में जनता के संसाधनों का अपव्यय हुआ है, यह निश्चित रूप से सोचनीय है, चिंता का विषय है और इसके बारे में वृहद् जानकारी लेकर इसमें क्या किया जा सकता है, इसकी हम कोशिश करेंगे। लेकिन जिस प्रकार की ए. एण्ड एफ. जारी की गई हैं, उन ए. एण्ड एफ. को हमने कैंसिल किया है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आपने कहा, सड़कें बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखा जाता है, उस जगह पर सड़क बनाने की जरूरत है या नहीं।

आपने कहा कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग है या नहीं? दुर्भाग्य से कई चीजें हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनकी चर्चा हम कई सालों से कर रहे हैं लेकिन वह चर्चा ही हुई, उनका कभी भी क्रियान्वयन नहीं हुआ। हम माइक्रो लेवल प्लानिंग की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग की बात करते हैं। 30-40 साल में पहली बार, पहले बजट में दिखाया गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग हुई, माइक्रो लेवल प्लानिंग हुई। ऐसे ही शहरों के विभाग में इंटीग्रेटेड प्लानिंग की बात तो बहुत सालों से चल रही है, बिजली वालों के साथ में, पानी वालों के साथ में, टेलीफोन वालों के साथ में और जे डी ए के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी मिलकर काम करें, काम्प्रीहेंसिव डवलपमेंट प्लान बनें, इंटीग्रेटेड डवलपमेंट प्लान बनें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में मुझे कहते हुए कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार का प्लान जयपुर शहर के लिए कभी नहीं बना, लेकिन आपकी चिंता वाजिब है। इसीलिए यह सरकार बनने के बाद, गये तीन-चार महीने से हम इस दिशा में सोच रहे हैं कि किस प्रकार से सिटी के डवलपमेंट का इंटीग्रेटेड प्लान बने, किस प्रकार से हम इंटीग्रेशन करें। इसी चिंता के कारण पृथ्वीराज नगर के इलाके के अन्दर, जिसकी चर्चा आपने भी की है, पृथ्वीराज नगर इलाके में हम जो विकास करना चाहते हैं, उस विकास में हम सर्विस सैक्टर का निर्माण करना चाहते हैं। उसी में से सारी प्रकार की सर्विसेज की लाइन जायेंगी। यह नया अध्याय हम लिखना चाहते हैं राजस्थान और जयपुर के विकास के सन्दर्भ में।

आपने मुझसे यह पूछा कि क्या जन-प्रतिनिधियों की राय ली जाती है? यह बात सही है कि जन-प्रतिनिधियों की राय की अहमियत जे डी ए में नहीं है। आटोनोमी में और अनएकाउंटेबिलिटी में फर्क है। जे डी ए के अन्दर अभी तक, हमारा राज आने से पहले आटोनोमी के नाम पर एकाउंटेबिलिटी खतम हो गई। इसीलिए जब हमने देखा कि 6-7 हजार करोड़ रुपये की ए. एण्ड एफ. जारी की गई थीं, उसमें कितने विधायकों की अनुशंसा थीं, तो मालूम पड़ा कि लगभग नहीं थीं; कितने पार्षदों की अनुशंसा थीं तो लगा कि वहां उनकी कोई अनुशंसा नहीं थीं। बिना पार्षदों की अनुशंसा के, बिना किसी एम एल ए की अनुशंसा के, जिस आपाधापी में सैंक्शंस पहले हुई हैं, उसकी अब पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

समय में जितने भी विकास के कार्यक्रम हाथ में लें, उनमें जन-प्रतिनिधि की राय ली जाये, एम एल ए की राय ली जाये; जिस वार्ड में काम हो, उसके पार्षद की राय ली जाये। इन सबकी राय के साथ में इंटीग्रेटेड डवलपमेंट प्लान बनाकर किस प्रकार से उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नगरीय विकास मंत्री पहले प्लानिंग मिनिस्टर रह चुके हैं और प्लानिंग मिनिस्टर होने के नाते प्लानिंग भी बहुत बनाई। अब आप नगरीय विकास मंत्री महोदय हैं। इसलिए इस बात का जवाब स्पेसिफिक दीजिये कि जो भी सड़क बनेगी, वह पहले कोओर्डिनेटेड एफर्टस, नक्शे के आधार पर बनेगी और नक्शे भविष्य में सुरक्षित रखते हुए बनेगी। जब तक आप यह नहीं करेंगे, प्लानिंग तो आप कर देंगे, भाषण तो अच्छा दे देंगे लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सड़कों पर लग रहा है। सड़कें टूट रही हैं, वापस रिपेयर होती नहीं हैं। सीवर लाइन के जो ढक्कन हैं, उनको भी गायब कर देते हैं और फिर ढूंढते रहते हैं। सड़क खराब हो जाती है।

इसलिए, आप प्लानिंग मिनिस्टर होने के बाद अब आप क्रियान्वयन मिनिस्टर हैं, क्रियान्वयन करने वाले, इसलिए क्रियान्विति कराइये। आप जे डी ए में गये थे और जे.डी.ए. में आपने दस बिन्दु दिये हैं। कोई जवाब आया है क्या आपके पास में? नहीं आया। आप क्रियान्वयन करवाइये और करवाकर के जनता को बताइये कि हमारे राज में क्या फर्क है। जे.डी.सी. अच्छे हैं, उनको डायरेक्शन दीजिए; आपके पास टीम भी अच्छी है, उनसे काम करवाइए।

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है, क्या इन सड़कों के निर्माण के दौरान आप वीडियोग्राफी कराएंगे?

दूसरी बात यह है कि आपने 42 हजार से ज्यादा टैस्ट कराये, जे.डी.ए. में 42 हजार से ज्यादा टैस्ट हुए हैं, इन 42 हजार से ज्यादा टैस्टों में सारी रिपोर्ट सही पाई गई। केवल 17 रिपोर्ट गलत पाई गईं। is it possible? सड़क पर खड्डे और खड्डे पर सड़क, और 17 रिपोर्ट गलत पाई गई हैं। इसके लिए क्या आप स्वतंत्र निर्माण एजेंसी के गठन की घोषणा करते हैं कि स्वतंत्र

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

निर्माण एजेंसी से इन सड़कों की जांच कराएंगे? उसके साथ-साथ, जो डिफेक्ट लायबिलिटी की सड़कें हैं और जो सैम्पल लिये गये, उनकी भी जांच कराएंगे?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। अब जवाब आ रहा है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर के प्रथम महापौर को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्लानिंग मिनिस्टर बताया। मैं जब प्लानिंग मिनिस्टर था, तब मैंने राजस्थान सरकार की पंचवर्षीय योजना उस वक्त की सबसे बड़ी बनाई, जिसका मजा कांग्रेस राज ने लिया।

आपने यहीं मेरी भी बड़ाई की और जे.डी.सी. साहब की भी बड़ाई की। आप मुझे जानते हैं, मैं कोई चीज मांगू और वह नहीं दें, ऐसा अभी इस दुनिया में कोई हुआ नहीं। यह बात सही है कि 42 हजार से ज्यादा सैम्पल लें और केवल 17 सैम्पल टैस्टिंग में फेल हों...

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप। माननीय मंत्रीजी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सवाल का जवाब मुझे देने दीजिए। आपका पहला सवाल है, पूरा घण्टा पड़ा है, चिंता मत कीजिए, यहीं हूं मैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही बात है, यह बड़ी गम्भीर बात है कि 42 हजार से ज्यादा सैम्पल लिये गये हैं और केवल 17 सैम्पल टैस्ट में फेल हुए। उसका एक कारण तो समझ में आता है कि जे.डी.ए. क्वालिटी कंट्रोल की चिंता वहीं से शुरू करती है जहां से वह काम शुरू करने के लिए मैटेरियल बनना शुरू होता है, लेकिन उससे भी एक्सप्लेन नहीं होता। यह बात बिलकुल सही है कि पहले हम पी.डब्ल्यू.डी. से जांच करते थे; जे.डी.ए. की अपनी लेबोरेटरी हुआ करती थी, उससे जांच करते थे। जे.डी.ए. ही काम कराये और जे.डी.ए. ही जांच करे, उस जांच के ऊपर लोगों को संदेह हो सकता है। इसीलिए एक टेण्डर कराया गया 2010 के अन्दर और एन.ए.बी.एल., माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड आफ लेबोरेटरीज एक मानक संस्थान है, उस मानक संस्थान से एक्रिडिटेड जितनी भी लेबोरेटरीज हैं उन लेबोरेटरीज से टैस्ट कराया जाए, इसके लिए एक निविदा जारी की। निविदा जारी करने के बाद एन के टैस्टिंग टेक्नोलोजी लिमिटेड को दो साल

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

का टेण्डर मिला और एक साल का उसका एक्सटेंशन हुआ, लेकिन उसने जे.डी.ए. के अन्दर ही अपनी लेबोरेटरी स्थापित की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जे.डी.ए. में जब लेबोरेटरी उन्होंने स्थापित की, वह जे.डी.ए. के अन्दर स्थापित लेबोरेटरी एन.ए.बी.एल. मानकों पर खरी नहीं उतरी।

इसीलिए डी एल बी सेक्रेटरी साहब ने, अपना राज आने के बाद में, कहा कि एन.ए.बी.एल. एक्रिडिटेड लेबोरेटरी हो, जे.डी.ए. के कैम्पस में नहीं हो और लगभग थर्ड पार्टी की लेबोरेटरी हो। इसके लिए टेण्डर जारी कर दिये गये हैं। टेण्डर आ गये हैं और इस महीने के अन्दर एक ऐसी स्वतंत्र संस्था, एन.ए.बी.एल. एक्रिडिटेड, उसके माध्यम से हम क्वालिटी कंट्रोल को चैक कराएंगे; चिंता करने की जरूरत नहीं है।

आप कल कई सड़कों पर गये हैं, कई सड़कों का आपने निरीक्षण किया है और उन सड़कों का निरीक्षण किया है जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अन्दर हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अन्दर जो सड़कें हैं उन सड़कों की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अन्दर लोगों ने काम भी किया है, उनको अकाउंटेबल भी बनाया गया है और जहां संवेदकों ने काम नहीं किया, उन पर पेनल्टी इम्पोज की गई है, पैसा काटा गया है।

अब हम यह कह रहे हैं कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड केवल तीन साल का है; माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस बात की चिंता कर रहे हैं, क्यों नहीं कुछ सड़कें जयपुर की, जहां पांच साल की डिफेक्ट लायबिलिटी तय की जा सकती है वहां पर पांच साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड तय करेंगे और कुछ सड़कों पर तीन साल का डिफेक्ट लायबिलिटी तय करेंगे। साथ ही, क्वालिटी कंट्रोल के लिए एन.ए.बी.एल. इनेबल्ड लैबोरेटरी के माध्यम से, जो जे डी ए के कैम्पस में नहीं होगी, क्वालिटी कंट्रोल हम चैक करेंगे। निश्चित रूप से यह करने के बाद जयपुर के अन्दर इन सब विकास कामों की क्वालिटी में सुधार आएगा। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक परनामी। पूरक प्रश्न।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वीडियोग्राफी के लिए?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस वीडियोग्राफी की आपने चर्चा की है और जिस मेरी जे.डी.ए. की बैठक की इन्होंने चर्चा की है, उस जे डी ए की बैठक में भी मैंने कहा है कि जहां पर आप विकास का काम कराना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आप जवाब देकर बैठे, तब मैंने नाम पुकारा है अशोक परनामी का। वे पूरक प्रश्न पूछेंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं उन्हीं के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, कर दिया आपने सवाल?

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, मुझे जो प्रश्न करना था, उसका जवाब मंत्री महोदय ने दे दिया अभी।

श्री अध्यक्ष: श्री नरपत सिंह।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मैं जवाब दे दूं इनका। अब वे नहीं मानेंगे, मैं तो मान जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप कर चुके हैं, माननीय विधायक, आप विराजें। श्री नरपत सिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना पूछे ही समझ में आ गया, कौनसा सवाल करेंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मेरे प्रश्न का पूरा जवाब ही नहीं आया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने पूरक प्रश्न पूछा था।

श्री अध्यक्ष: आ जाएगा, बैठिये आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, आपका आशीर्वाद चाहिए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, कृपा करके बैठिये आप। हां, नरपत सिंहजी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, डिफेक्ट लायबिलिटी वाले क्लाज की तो बात बिलकुल सही है? लेकिन जिन एम एल एज ने डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में लिखित में शिकायत की कि सड़क एक साल में ही टूट गई, उनकी तो जांच हो गई क्या? जानकारी कर लें। प्राब्लम्स हैं।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

सबसे बड़ा अच्छा काम किया है कि प्री-मिक्स कांक्रीट्स से अब सी सी रोड ले करना शुरू किया है और उससे, वास्तव में, आपकी गुणवत्ता का फर्क पड़ेगा। गुणवत्ता पर फर्क पड़ेगा। उसकी अगर थिकनेस सही है तो निश्चित तौर पर उसमें वोइड्स भी भरेंगे और वह जल्दी टूटेगी भी नहीं।

डामर सड़क का जहां तक सवाल है, सीवर लाइन, नियमन शुदा कालोनियां हैं, 1982, 1983 की कालोनियां हैं, उनमें भी सड़कें नहीं हैं। उन्होंने पैसे दे दिये। क्या अधिकार नहीं है? प्रक्रिया में काम अभी चल रहा है लेकिन, अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सवाल क्या, वही बात है, कुछ समझ में आ जाए तो यह भी कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप समझा दीजिए, पास बैठे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): समझा रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, धीरे-धीरे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल हमारे किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि क्या वीडियोग्राफी कर रहे हैं। मैंने उस मीटिंग में भी कहा था, जहां हम डवलपमेंट का काम शुरू करना चाहते हैं, सड़क के रूप में शुरू करना चाहते हैं या नाली के रूप में करना चाहते हैं या सीवरेज के रूप में करना चाहते हैं या जिस भी रूप में करना चाहते हैं, तो एक तो वहां पर जब डवलपमेंट का रिक्वायरमेंट आपको नजर आया उस वक्त की वीडियोग्राफी, विकास काम होने से पहले और एक उसके बाद में, विकास काम करने के बाद में, उसकी फोटोग्राफी; ये दोनों हैं। हम धीरे-धीरे इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जहां भी जे.डी.ए. विकास का काम करेगी, वह विकास का काम शुरू करने से पहले की वहां की फिजिकल पोजिशन, उसको फोटोग्राफ करके उसको हम आनलाइन कर देंगे, और विकास का काम पूरा होने के बाद का फोटोग्राफ। अब करते टाइम पर तो वीडियोग्राफी कर नहीं सकते चार-चार, पांच-पांच महीने तक।

दूसरा आपने कहा है कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अन्दर भी एम.एल.एज के द्वारा कुछ सड़कों की तरफ ध्यान आकर्षित करने पर उन समस्याओं का निराकरण हुआ या नहीं हुआ। मैं इस बात को निश्चित रूप से दिखवाउंगा कि किसी एम.एल.ए. साहब ने अगर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

में किसी सड़क के डिफेक्ट के बारे में जे.डी.ए. को अवगत कराया है और उसे अवगत कराने के बाद भी उस समस्या का अगर निदान नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से इस दिशा में कार्यवाही की जाएगी।

लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि जे.डी.ए. में एक काल सेंटर है जिस काल सेंटर में आप टेलीफोन करके, जिस गड्ढे की बात आप करते हैं कि गड्ढा हो गया है, कहीं सड़क टूट गई है, तो उस काल सेंटर के अन्दर आप टेलीफोन करके, और टेलीफोन करने के बाद में उसका रिड्रेसल हो जाएगा। अभी मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं कि 7.8.2013 को यह काल सेंटर शुरू हुआ और अब तक इसके अन्दर 5,390 शिकायतें आईं, जिसमें से 4,304 शिकायतों का निवारण कर दिया गया, 1,086 शिकायतें पेंडिंग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कॉल सेंटर आपस में कोआर्डिनेटेड काल सेंटर है रीको का, जे.डी.ए का, नगर निगम का और हाउसिंग बोर्ड का और 1,086 शिकायतें जिनकी हम बात कर रहे हैं पेंडेंसी की, उस पेंडेंसी में मेजर पेंडेंसी जयपुर नगर निगम, आर.एच.बी., रीको, इत्यादि की हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस प्रकार का इंतजाम भी किया है कि अगर डिफेक्ट लायेबिलिटी पीरियड में या इसके अलावा किसी सड़क पर गड्ढा पड़ गया है या कोई और हो गया है तो आप काल सेंटर के माध्यम से अगर शिकायत दर्ज कराएंगे, वह शिकायत एन्टर हो जाएगी, एन्टर होने के बाद उसका रिड्रेसल हो जाएगा और अगर पेंडिंग है तो पेंडेंसी उसकी निश्चित रूप से दिखती रहेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक नई तीन रोड एम्बुलेंस जयपुर में और काम कर रही हैं। जब हम कहते हैं, पैचवर्क के बाद गड्ढा पड़ जाता है, गड्ढे को हम भरते हैं तो बम्प पड़ जाता है। आप सड़क से निकलते हैं तो पता लग जाता है कि यहां कोई जमाने में पैचवर्क हुआ है। यह पैचवर्क किस प्रकार इम्पलीकेबल हो, इसके लिए हमारी सरकार आने के बाद में हमने तीन रोड एम्बुलेंसेज लगाई हैं। वे हैं तो वाहन लेकिन वाहन के अन्दर मैकेनाइज्ड हैं। उसमें एक हाट प्लेट लगी होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस जगह पर गढ्डा होता है खड्डे के ऊपर वह हाट प्लेट जाती है, उस इलाके को खोदती है और 150 डिग्री सैंटिग्रेड तक उस सरफेस को टेम्परेचर दे सकती है और उस टेम्परेचर को उस लेवल पर ले जाएगी जिस लेवल पर सड़क का निर्माण हुआ था। वहां का मैटेरियल लेकर, कुछ मैटेरियल को एड करके, जिस

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

टेम्परेचर पर सड़क का निर्माण हुआ था, उस सरफेस को उसी टेम्परेचर पर, मैटेरियल को उसी टेम्परेचर पर ले जाकर, उस पैच को भरते हैं और पैच को भरने के बाद प्रेसिंग मशीन से उसको प्रेस करते हैं। तो इस प्रकार की टेक्नोलोजी से सड़क पर जो पैच रिपेयर होता है, वह इवन होता है, मजबूत होता है और मोहनलालजी गुप्ता उस पर से गुजरेंगे तो धचका नहीं लगेगा। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। इस प्रकार की नयी तकनीक से हमने काम करने की कोशिश की है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा लग गया।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। तीसरा पूरक प्रश्न। श्री राम लाल। इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं होंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा लग गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, आधा घंटा लग गया। तभी तो जल्दी कर रहा हूं मैं। आपका आ जाएगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमारी सरकार आने के बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण ने बहुत अच्छे काम किये हैं। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि अक्टूबर, 2013 में जयपुर विकास प्राधिकरण में पर्याप्त बजट कितना था और उस तत्कालीन सरकार ने पी डब्ल्यू सी की मीटिंग में कितनी राशि की सड़कें या विकास कार्य स्वीकृत किये?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। इसका जवाब दीजिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल आज डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड की सड़कों के बारे में था। कितना बजट था, वह फिगर मैं आज लेकर नहीं आया हूं। माननीय सदस्य फिगर मालूम करना चाहते हैं तो मेरे चैम्बर में पधारें, मैं आपको फिगर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: बस आ गया जवाब। विराजिये आप। अगला सवाल। श्री रामहेत सिंह यादव।

मेवात आवासीय विद्यालयों में रिक्त पद

166. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा मेवात आवासीय विद्यालयों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के पैटर्न पर संचालित करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो उक्त निर्णय कब तक लागू कर दिया जायेगा?

(2) उक्त मेवात आवासीय विद्यालयों में कौन-कौन से पद सृजित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सभी सृजित पद भरे हुए हैं? यदि नहीं, तो उक्त सृजित पद कब तक भर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय विद्यालयों में पानी, सुरक्षा दीवार व सुरक्षा प्रहरी भवन बनकर तैयार हो चुके हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। मेवात आवासीय विद्यालय को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (के.जी.बी.वी.) के पैटर्न पर संचालित किया जा रहा है। यह निर्णय 2 जुलाई, 2014 से लागू है।

(2) उक्त मेवात आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक आवासीय विद्यालय हेतु कम्प्यूटर आपरेटर-कम-लिपिक, कुक, हेल्पर, सहायिका एवं चौकीदार, प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर एवं शिक्षाकाएं व्यवस्थार्थ नियोजित हैं।

(3) पूर्णकालिक रूप से 40 शिक्षिकाओं के पदों को सक्षम स्तर से स्वीकृत करा कर भरे जाने की प्रक्रिया जारी है।

(4) अलवर जिले में संचालित उक्त मेवात बालिका आवासीय विद्यालय भवनों हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिला परिषद, अलवर को राशि जारी की जा चुकी है। जिला परिषद, अलवर द्वारा कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कार्य करवाये जा रहे हैं, जो शीघ्र पूर्ण करा लिये जाएंगे।

उक्त आवासीय विद्यालयों में पानी, सुरक्षा दीवार व सुरक्षा प्रहरी भवनों की उपलब्धता का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर-1 ।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, आपने बताया कि पूर्णकालिक रूप से चालीस शिक्षिकाओं के पद सक्षम स्तर पर स्वीकृत करा कर भरने की प्रक्रिया जारी है, तो यह तो प्रक्रिया जारी है। आज तक आपने कब-कब, किस-किस विद्यालय में कितनी-कितनी शिक्षिकाएं लगाईं? क्या वे कार्यरत हैं? नंबर-1 । दूसरा, मेरी जानकारी में है कि एक भी विद्यालय में कोई शिक्षिका नहीं है।

आवासीय विद्यालय का जो कंसेप्ट था, माननीया वसुन्धरा राजे जी ने मेवात में बालिका शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय खोले थे 25-25 लाख के, ये 11 बनाये थे। आपने मुझे जवाब में 10 ही बताये हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 11वां आवासीय विद्यालय कौन सा है जिसकी आपने चर्चा नहीं की जवाब में?

दूसरा ये जो आपने कम्प्यूटर के बारे में कहा है...

श्री अध्यक्ष: इनका जवाब आ जाने दीजिये, फिर दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): मैं एक साथ ही पूछ लेता हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: उसके बाद नहीं पूछेंगे?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आवश्यकता होगी तो पूछ लूंगा, साहब।

श्री अध्यक्ष: तो फिर पहले जवाब आने दीजिये न।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेवात क्षेत्र के अनामांकित और जो ड्राप-आउट्स होते हैं, जो कभी स्कूल नहीं गईं, इन बच्चियों के लिए मेवात विकास बोर्ड और रूरल डवलपमेंट विभाग द्वारा 2011-12 में 4 और 2012-13 में 6 आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय हुआ, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इन आवासीय विद्यालयों को एन जी ओ के माध्यम से चलाने का निर्णय किया। अब ये क्यों हुआ, इसकी गहराई में मैं नहीं जाता, लेकिन एन जी ओज, जिन्होंने चलाया, उनकी लगातार शिकायतें आने के कारण यह निर्णय जुलाई, 2014 में लिया गया कि अब इसका संचालन सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा किया जाएगा। उसके तहत एस एस ए में 40 पद थे।

इन्होंने पूछा कि 11वां कौनसा संचालित है। एक वहां पी पी पी मोड

(श्री वासुदेव देवनानी)

पर वालदा में प्रोक्टर एंड गैम्बल नाम से संचालित है। बाकी दस हमारे विभाग द्वारा संचालित हैं और उनमें से भी हमने एन जी ओज की शिकायत आने के बाद लगभग उनका एम ओ यू समाप्त कर दिया। केवल एक छात्रावास की जो एन जी ओ है, वह कोर्ट में गयी है, उसका स्टे है। वह भी जल्दी वैकेट करा दिया जाएगा। उसके बाद इन दस छात्रावासों का जो संचालन है वह हम के जी बी वी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर करेंगे। उसके अन्तर्गत इस समय जैसे के जी बी वी के लगभग दो सौ छात्रावास विद्यालय चल रहे हैं, जिनमें 186 तो पिछड़े ब्लाक में हैं और 14 माइनोरिटीज बहुल में हैं, उसी तर्ज पर इनको चलायेंगे।

उस तर्ज पर जो व्यवस्थाएं हैं, उसके अन्दर जो चालीस अध्यापिकाएं व्यवस्थार्थ लगाने का जो उस समय तय हुआ, उसमें जो व्यावहारिक कठिनाई आई, उसमें यह कंडिशन है कि अध्यापिकाएं वहीं पर निवास करेंगी, वहीं पर रहेंगी। इसके कारण से वहां पर जो व्यवस्थार्थ लगाने वाली बात है, कई बार आर्डर्स हुए, आज मैं इनको नाम बता सकता हूं, उमरेन में 5, रामगढ़ में 5, रामगढ़ का दूसरा जो वजीर का है, उसमें 5, हरेक में पांच-पांच के आर्डर्स हुए, उनमें से कुछ ने ज्वाइन किया, कुछ ने नहीं किया। यह सत्य है, डी ई ओ ने ऑर्डर किये लेकिन कई जगह वे नहीं गयीं तो उनके लिए हालांकि हमने यह तय किया कि तीन हजार रुपये उनको हम एक्स्ट्रा भी देंगे, वहां पर रहने के, लेकिन फिर भी नहीं गईं।

यह तय किया गया कि सर्व शिक्षा अभियान की तरह इन चालीस पदों को विज्ञापित करेंगे और विज्ञापित करेंगे, जो एप्लिकेशंस आएंगी, उसमें पहले से ही कंडिशन होगी। उसके आधार पर इनका चयन करेंगे और चयन करके वहां पर हम अध्यापिकाएं लगायेंगे। यह मैं इनको आश्वस्त करता हूं। उसमें भी यदि संशोधन करना पडा तो हम केवल वार्डन को रात्रि को वहां रहने के लिए कहेंगे; बाकी अध्यापिकाएं केवल विद्यालय समय में आएंगी। तो मुझे लगता है कि अध्यापिकाएं हमको मिल जाएंगी।

मेवात क्षेत्र की बच्चियों के लिए, निश्चित रूप से उनकी शिक्षा के लिए सरकार चिंतित है और सरकार इसकी व्यवस्था निश्चित रूप से आगामी दिनों में आगामी नये सत्र से पहले कर देगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दूसरा।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि एक भी अध्यापिका ने, जो डेपुटेशन पर उन्होंने लगाई, आदेश किये लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। जुलाई से अब तक आपने चौकीदार पर, कम्प्यूटर आपरेटर पर, जबकि एक भी आवासीय विद्यालय में कम्प्यूटर है नहीं, तो आपरेटर को किस बात की तनख्वाह दी? जब वहां अध्यापिकाएं नहीं हैं तो वह स्कूल कैसे चलेगा? तो सरकारी स्कूल में ही उनको पढ़ा सकते थे। जब आवासीय विद्यालय हैं, वहां बालिकाएं रहती नहीं हैं, रात को भी रहना आवश्यक है। पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने इन सारे आवासीय विद्यालयों को एनजीओ और प्लेसमेंट एजेंसीज के हवाले कर दिया। एक बालिका पर हर महीने लगभग 1,800 रुपये के हिसाब से एक छात्रावास पर 90 हजार रुपये का पेमेंट करते हैं आप। इस तरह से 9-10 लाख रुपये आप उस विद्यालय पर खर्च भी कर रहे हैं, चौकीदार भी है, बाकी सबकी तनख्वाह आप दे रहे हैं, तो किसके लिए दे रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है, इसमें पहले एन जी ओ लगे हुए थे, अब प्लेसमेंट एजेंसी और एस एस ए वाले मिल करके इसमें घोटाला कर रहे हैं। जहां तक आपने इनमें संख्या की बात की है, मैंने अभी एक दिन इसकी जांच करायी, मात्र 57 बालिकाएं उन सारे दस आवासीय विद्यालयों में हैं, जिनकी मैंने फोटो खिंचवा कर मंगवाई है, और आपके पैसे सबके उठाये जा रहे हैं।

इसलिए क्या आप इस एन जी ओ, प्लेसमेंट एजेंसी और जो अधिकारी हैं जो इसमें मानिटरिंग करते हैं उसने जो घोटाले किये हैं, आर्थिक रूप से जो पैसे उठाये हैं, उसकी जांच करायेंगे? जो भुगतान किया जाता है, क्या वह चैक के माध्यम से किया जाता है? जब रात को वहां बालिकाएं नहीं रहतीं, सरकारी स्कूल की तरह से आती हैं; आती हैं या नहीं आती हैं, तो उसमें गलत हाजिरी भरी जा रही है। तो क्या सारे प्रकरण की जांच करायेंगे? और कब तक व्यवस्थित कस्तूरबा पैटर्न-2 पर आप चालू कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सप्लीमेंटरी है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मैं आपका पूरक प्रश्न लूंगा। आपको अवसर दूंगा पूरक प्रश्न का। माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने जो मुद्दा उठाया, मेरे पास जो नामांकन की

(श्री वासुदेव देवनानी)

संख्या है, वह मुंडावर में 34, रामगढ़ उमारन में 50, महाखुर्द में 42, कठूमर में 34, लक्ष्मणगढ़ में 26, उमरेठ में 48, किशनगढ़ बास में 45, किशनवाड़ में 35 और रामगढ़ सहजपुर में 10 यह कुल मिलाकर 324 बालिकाओं का वहां पर नामांकन है। आप जो कह रहे हैं, अगर आप दे दें, उसकी मैं जांच करवाऊंगा और यदि किसी ने गलत नामांकन दिये हैं, उस अधिकारी के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करूंगा। यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

साथ में, आपने जो दूसरा मुद्दा उठाया, वहां पर छात्राएं रह रही हैं। इसीलिए वहां पर कुलदीप कुमार जैन, कांट्रेक्टर, अलवर को यह काम दे रखा है। उसका मानदेय फिक्स है। पांच लोगों को मानदेय दे रहे हैं।

जहां तक खर्चे की बात है, एस एस ए में 207 लाख रुपये 2014-15 के लिए स्वीकृत किया गया है लेकिन एक्चुअल में केवल 58 लाख रुपये का खर्चा हुआ है। बाकी रुपया आज भी सरकारी कोष में है। इसलिए उसमें जहां तक हो सकता था, अपव्यय रोका गया है। फिर भी आप कोई लिखित में, या प्रमाण देंगे, तो निश्चित रूप से मैं उसकी जांच कराऊंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मपाल सिंह चौधरी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जवाब आ गया। आप बाद में मिल लीजिए। पूरक प्रश्न। धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इन आवासीय विद्यालयों में क्या कोई धार्मिक शिक्षा दी जाती है क्या? क्या समय-समय पर कभी चैक भी करवाया है कि वहां पर जो बालिकाएं पढ़ रही हैं उनको कौनसी शिक्षा दी जा रही है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था, उसका जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: आ जायेगा, आप मिल लेना।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आपने कम्प्यूटर आपरेटर लगा रखा है, उसकी तनख्वाह का पेमेंट करें, वहां कम्प्यूटर हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: आप इनको अलग से जवाब दे दीजिए। आ जायेगा।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ...(व्यवधान) अगर नहीं होंगे तो कम्प्यूटर आपरेटर से वसूली की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) धर्मपालजी के बाद आपका पूरक प्रश्न।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): जहां तक माननीय विधायक महोदय ने प्रश्न पूछा, निश्चित रूप से वहां पर 6, 7 व 8वीं की कक्षाएं चलती हैं और राज्य सरकार के पाठ्यक्रम के अनुसार ही वहां पर पढ़ाया जाता है। केवल जिन छात्राओं ने उर्दू विषय लेना चाहा है, वहां पर चार में से एक उर्दू की अध्यापिका लगाने की व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। श्री जयराम जाटव। (व्यवधान) यह नहीं, जवाब आ गया।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, जो उन विद्यालयों के लिए गलत है। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप जांच करवाकर कार्यवाही करना चाहते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, आप पूछ चुके।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): इसका जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: उनका उत्तर दे दीजिए, फिर आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): जहां तक इन्होंने धार्मिक शिक्षा की बात कही, मेरी जानकारी के अनुसार, या मुझे जो अधिकारियों ने जानकारी दी है, उसके अनुसार किसी प्रकार की वहां ऐसी पढ़ाई नहीं हो रही है। फिर भी आप शिकायत करेंगे तो मैं इसकी जांच कराऊंगा और यदि नियमानुसार कोई भी काम नहीं हो रहा है तो उसकी निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री जयराम जाटव। पूरक प्रश्न।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर और भरतपुर जिले में मेवात विकास बोर्ड का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, इनको सवाल करने दीजिए। इसके बाद आपको मौका दूंगा।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): मेवात विकास बोर्ड के लिए काफी फंड आता है। मेवात में पिछड़ेपन के माध्यम से बालिका आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था कराई गई थी। मेरा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि क्या मेवात विकास बोर्ड से बालिकाओं के लिए जो आवासीय विद्यालय बनाये गये हैं, क्या उनमें मेव जाति के अलावा अन्य जातियों की बच्चियों का एडमिशन हो सकता है? दूसरा मेरा यह निवेदन है कि मेवात विकास बोर्ड का जो शिक्षा में पैसा खर्चा हो रहा है, तो जो अन्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं, उनमें भी यह मेवात विकास बोर्ड का पैसा खर्च हो सकता है क्या?

तीसरा यह है कि अभी पिछली बार माननीय रामहेतजी ने यह जांच का मुद्दा उठाया था और यहां सदन में आश्वासन दिया था कि इसकी जांच करायेंगे। जिन एन जी ओ ने आज तक काम नहीं किया, वहां कोई जाते नहीं हैं, वहां उसका सुपरिंटेंडेंट रुकता नहीं है। वहां आज तक जांच नहीं हुई। माननीय मंत्रीजी जांच की बात कह दें कि जांच करायेंगे या नहीं करायेंगे?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय। इसके बाद आप पूरक प्रश्न करेंगे। उसके बाद कोई पूरक प्रश्न नहीं होगा। तीन पूरक प्रश्न हो गये।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन छात्रावासों में 50 परसेंट तो मेव परिवारों के होंगे और 50 परसेंट अन्य छात्राएं उसमें प्रवेश ले सकती हैं। उसकी हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, एस सी, एस टी, ओ बी सी, उसके बाद जनरल, उस प्राथमिकता के आधार पर वहां पर प्रवेश ले सकती हैं।

जहां तक हमारे सर्व शिक्षा अभियान की बात है, उसकी राशि तो केवल 8वीं तक की कक्षाओं पर, या छात्रावास पर, या विद्यालयों पर ही खर्च की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष: हां, आप कर लीजिए। जाटव साहब, आप बैठिए।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि तिजारा में तीन आवासीय विद्यालय हैं, मुसारी, ग्वालगा और जैरोली। ग्वालगा का तो अभी मंत्री महोदय ने बताया कि वह बंद है, बंद का कारण इनको ही मालूम है, लेकिन जैरोली में भी बंद है जिसकी अभी तक सूचना नहीं दी गई है। जैरोली में पुराना आवासीय विद्यालय किस कारण से बंद है? उसको चालू करवाया जाये। वहां बिल्डिंग है। सब कुछ है।

(मास्टर मामन सिंह यादव)

तीन दिन पहले मैं मंत्री महोदय को एक दरख्वास्त दे चुका हूं, उसकी जांच के लिए। वहां पर पूरा घोटाला चल रहा हैं, वहां टकराव होता है। एक मुस्लिम अध्यापिका है और तीन हिन्दू अध्यापिकाएं हैं। वहां हिन्दू मुस्लिम बात चलती है। मुस्लिम अध्यापिका उनको वहां प्रताड़ित करती है, चार-पांच की बजाय आठ-आठ बार नवाज के नाम पर धार्मिक पढ़ाई कराती है; और कुछ नहीं करती है, और जो भी वहां कर्मचारी है उनको प्रताड़ित करती है; उसकी जांच के लिए मैंने मंत्री महोदय को निवेदन भी किया है, घोटाला करती है। जूनियर होते हुए भी, अभी एक उर्मिला यादव को लगाया गया है। उसको चार्ज नहीं दिया जा रहा है। वह जबरदस्ती वहां पर चार्ज रखती है और पूरा घोटाला कर रही है। पूरा खा रहे हैं। उसकी तुरन्त जांच कराई जाये, और जांच करा कर जैरोली को चालू किया जाये। मंत्री महोदय यह बतायें कि जैरोली क्यों चालू नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदय ।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): जैरोली का कोर्ट से एन जी ओ ने स्टे ले रखा है। वह स्टे वैकेट कराने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही वह समाप्त होगा, हम उसको चालू कर देंगे।

जहां तक शिकायत की बात है, उन चार शिक्षिकाओं में, इसमें कंडिशन है, चार शिक्षिकाओं में से एक शिक्षिका अल्पसंख्यक समुदाय की होगी। यदि किसी अध्यापिका के साथ किसी प्रकार कोई व्यवहार हो रहा है, कोई शिकायत आयेगी, तो हम नियमानुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़। अगला प्रश्न। (व्यवधान) उन्होंने कह दिया वे जांच करायेंगे। श्री मदन राठौड़। (व्यवधान) तीन प्रश्न हो चुके हैं; अनीताजी, हो चुके हैं।

श्रीमती अनीता (नगर): बहुत इम्पोर्टेंट है।

श्री अध्यक्ष: सब इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, आप कर लीजिए।

श्रीमती अनीता (नगर): मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि मेवात विकास बोर्ड में भरतपुर, नगर और कामां में 5 आवासीय विद्यालय बने, जिनकी बिल्डिंग आज तक स्कूल के, और किसी काम नहीं आई। वे वेस्ट हो रही हैं। क्या आप उन स्कूलों को जो किसी काम नहीं आ रहे, उनको अन्य डिपार्टमेंट, जिनके वह काम आ सकती है, उनको स्थानांतरित करेंगे?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सारी स्थितियों की चर्चा हो रही है, यह हमको विरासत में मिली हैं और पिछले तीन साल में जो कुछ हुआ उसको सुधारने में कुछ समय तो लगेगा। लेकिन हमारी नीयत साफ है, हम चीजों को व्यवस्थित करना चाहते हैं, हम लोग करेंगे। चूंकि यह प्रश्न केवल अलवर से सम्बन्धित है ...(व्यवधान) जब भरतपुर का प्रश्न आयेगा तो इसका भी हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अनीताजी, जवाब सुन लीजिए, पूरा जवाब दे रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मेवात क्षेत्र का जो आपने आज मुद्दा उठाया है, यह ध्यान में लाया है, इसका निश्चित रूप से मैं परीक्षण कराऊंगा और कहां क्या कमी रही है, उसको हम ठीक करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन। (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या-167

(कृपया आगे देखें)

श्री मदन राठौड। आप बैठिए। श्री मदन राठौड।

जवाई बांध पुनर्भरण के लिए गठित समिति की रिपोर्ट

168. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पाली जिले के जवाई बांध पुनर्भरण के लिए बनी समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (डा. रामप्रताप): माननीय अध्यक्ष महोदय, जी नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, जिसका जवाब मंत्रीजी ने दिया है, 'जी नहीं'...

श्री अध्यक्ष: बहुत छोटा जवाब है, आप भी छोटा पूरक प्रश्न कीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं छोटा-सा ही प्रश्न कर रहा हूं। इस समिति की रिपोर्ट मंत्रीजी को मिल चुकी है और पता नहीं, क्यों मंत्रीजी ने या अधिकारियों ने इनको गलत जवाब दिया है। यह समिति की रिपोर्ट मेरे हाथ में है।

(श्री मदन राठौड़)

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि साबरमती बेसिन, लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल से सेई नदी, साबरमती नदी और वाकल नदी का पानी लगभग 18 हजार एम सी एफ टी गुजरात में बह कर जाता है और इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार हम केवल 9,500 एम सी एफटी पानी मांग रहे हैं। इसके लिए क्या सरकार गम्भीर है? मंत्रीजी जवाब दें।

दूसरा, क्या यह सही है कि जवाई बांध के नहीं भरने पर पूरे जिले की पेयजल योजना ठप हो जायेगी? इसके प्रति सरकार क्यों नहीं गम्भीर है? जब समिति की रिपोर्ट मिल चुकी है तो मंत्रीजी इसकी डी पी आर के लिए राशि कब तक जारी करेंगे? यह जवाब दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य फरमा रहे हैं, वे भी सही हैं और मैं भी सही हूं।

श्री अध्यक्ष: दोनों ही सही हों। Very good.

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): मैंने प्रश्न का जवाब 'जी नहीं' में इसलिए दिया है कि जब यह जवाब दिया गया, उस वक्त में रिपोर्ट नहीं आई थी।

श्री अध्यक्ष: अच्छा-अच्छा।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): परसों शाम को मुझे रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, निश्चित तौर पर वाजिब है और यह जवाई बांध के पुनर्भरण का मामला है, पिछले सत्र में भी आया था। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस वक्त के जो सिंचाई मंत्रीजी थे, उन्होंने जो आश्वासन दिया था, उसमें दो लाइनें आपकी इजाजत से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने यह भी आश्वासन दिया था कि सरकार की तरफ से जल्दी से जल्दी, तीन-चार महीने के अन्दर हम यह रिपोर्ट प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस दिशा में माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करके आपका कार्य करवाएंगे। निश्चित रूप से करवाएंगे। यह आश्वस्त किया था तत्कालीन जल संसाधन मंत्रीजी ने।

(डा. रामप्रताप)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी कड़ी में हमने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी सदस्य हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो चिंता जाहिर की है, वह निश्चित तौर पर बिलकुल सही है। चूंकि पेयजल हमारी पहली प्राथमिकता है, इसके लिए जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है, इसके साथ-साथ माननीय सदस्य ने एक पत्र भी भेजा है। मैं कमेटी को निर्देशित करूंगा कि इन्होंने जो सुझाव दिये हैं, इनको भी इन्कारपोरेट करके, इस आधार पर इसकी पूरी जांच कराएं।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट आई है, उसको मैं आई डी आर से दिखवाकर, पिछले 30 साल के इसके सारे आंकड़े लेकर, हाइड्रोलोजिकल सर्वे करवाकर, जो भी रिपोर्ट हमें मिलेगी, मैं माननीय सदस्य को साथ लेकर, जैसे तत्कालीन जल संसाधन मंत्रीजी ने आश्वस्त किया था, निश्चित तौर पर मुख्य मंत्रीजी के सामने लेकर जाएंगे और इसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे आप ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां। अध्यक्ष महोदय, यह समिति 2008-09 में बनी थी और उस समय इसके जो सदस्य थे, उन्होंने भी कोई रिपोर्ट सदन के सामने रखी थी। हमारी सरकार का गठन हुआ, उसके बाद दुबारा समिति बनी। इसकी रिपोर्ट में भी जब यह बात आ गई है तो इसकी डी पी आर के लिए कब तक राशि स्वीकृत करा देंगे? पहली बात। दूसरा, यह कि समिति को सर्वे के लिए आज तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है? यह भी मंत्री महोदय बता दें। तीसरा यह कि जब पाली जिले की पेयजल व्यवस्था के लिए ट्रेनों से पानी पहुंचाना पड़ रहा है तो यदि जंवाई बांध में पानी नहीं आया तो कितनी भयावह स्थिति हो जाएगी। उससे बचाव के लिए, जनता की सुरक्षा करने के लिए, जनता को पेयजल पिलाने के लिए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार के पास है क्या? यह मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास, जो कमेटी बनाई गई, 15.9.2014 को तत्कालीन जल संसाधन मंत्रीजी के आश्वासन पर बनाई गई थी। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम एक-एक बूंद का सदुपयोग करेंगे और एक बूंद पानी भी गुजरात में नहीं जाने देंगे, किसी भी कीमत पर।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा, यह बहुत समय से चल रहा है, जवाई बांध पाली जिले में है, जंवाई नदी पूरे जालौर जिले में बहती है; जिस नदी पर यह बांध बना है, मतलब यह है कि सिर्फ 35 किलोमीटर जवाई नदी पाली जिले में है, 300 किलोमीटर जंवाई नदी जालौर जिले में है। तो यह जालौर जिले की भी बहुत विकट समस्या है। इसलिए, मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवदेन है कि आपकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, एक निर्णय कर लें कि यह पाली, जालौर और सिरोही, तीनों जिलों का विषय मानकर, तीनों जिलों के सेंटर पाइंट में एक एस.ई. आफिस खोल दें, जिससे यह काम प्रारम्भ हो जाएगा। इतना ही निवेदन है। तीनों जिलों की ओर से बहुत विनम्र निवेदन है, एक एस.ई. आफिस की आप घोषणा कर देंगे तो यह काम आगे चल जाएगा; नहीं तो यह घोषणाओं में ही रह जाता है, बातों में ही रह जाता है। काम को आगे बढ़ाने के लिए आप एक अधिकारी लगायें, एस ई आफिस खोल दीजिए, हमारा आधे से ज्यादा काम हो जाएगा।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर यह तीन जिलों के पेयजल का मामला है। विषय गम्भीर है। माननीय सदस्य का सुझाव है, इसकी भी मैं जांच करवाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो वहां पर एस ई का आफिस खुलवाया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यही जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि देवास नदी का पानी, जो राजस्थान का है, वह गुजरात जा रहा है? यदि सही है तो सरकार यह पानी जंवाई बांध में लाने हेतु कब तक योजना बना देगी और योजना को कब तक स्वीकृत कर देगी? इसका जवाब माननीय मंत्री महोदय दे देवें।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जंवाई बांध से सम्बन्धित नहीं है, फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि देवास का पानी खड़ाना बांध से निश्चित तौर से गुजरात में जाता है और यह एक इन्टर-स्टेट मैटर है। इस पर हम प्रयासरत हैं कि हमें हमारा निश्चित तौर पर मिले। अभी इसी संदर्भ में एक अगली 19 तारीख को, फिर एक 20 तारीख को, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में बैठकें हैं, उसमें हम इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्रीमती संजना आगरी। आ गया, आपका पर्याप्त जवाब आ गया।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह पाली जिले से सम्बन्धित मामला है, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि पाली जिले का जंवाई बांध, जो पश्चिमी राजस्थान का, जिले का मात्र एक पेयजल स्रोत है, जहां से पूरे जिलेवासियों को पेयजल उपलब्ध होता है। पाली जिले के सभी नागरिकों की वर्षों से चली आ रही यह मांग है। पूरे पाली जिलेवासियों को जवाई बांध का जो पानी मिलता है, उसमें हर वर्ष 15 से 20 फीट पानी उस जवाई बांध के अन्दर आता है। वह भी उसकी दरारों के अन्दर रिसाव हो जाने की वजह से पाली जिले में हर वर्ष गर्मी का समय आते ही पानी की सबसे बड़ी पेयजल की किल्लत हो जाती है।

मेरा माननीय मंत्रीजी से यही निवेदन है कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां पर हर तीन वर्ष के अन्दर एक बार अकाल की स्थिति पैदा होती है। हमारा जवाई डैम है, इस जवाई डैम के पुनर्भरण के लिए हम लोगों ने विधान सभा में कई बार प्रश्न रखे हैं। हमारी सरकार से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से, जलदाय मंत्रीजी से यही मांग है कि पाली जिले के इस जवाई बांध के पुनर्भरण के लिए अतिशीघ्र जो प्लान आप लोगों ने बनाया है, इसकी योजना तैयार करके इसके लिए बजट स्वीकृत कराएंगे तो हमारे जिले की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सोजत से आने वाली माननीय सदस्या ने जो चिंता जाहिर की है कि डैम के अन्दर क्रैक्स हैं, यह मुझे पहली बार सूचना मिली है। मैं इसकी जांच करवा लूंगा। अगर ऐसा है तो उसको निश्चित तौर पर रिपेयर करवाया जाएगा।

दूसरे सदस्यों ने भी जो चिंता जाहिर की है, आपकी चिंता भी वाजिब है, लम्बे समय से, आपने जैसा बताया, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और धीरे-धीरे, जैसा, माननीय सदस्य आपको पता ही है कि पीने के पानी की मांग है, बढ़ती जा रही है, तो सिंचाई का सेकण्ड पार्ट हो गया, आज की तारीख में पूरा पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करवा रहा। जिस स्रोत से भी मिलेगा, उसको जोड़कर जवाई बांध है इसका ज्यादा से ज्यादा भरण हो, ऐसी कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल । श्री निर्मल कुमावत।

किशनगढ़-रेनवाल (जयपुर) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

169. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने राजकीय महाविद्यालय कहां-कहां पर कब से संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी 2009 से दिसम्बर 2014 तक प्रदेश में कहां-कहां पर नये राजकीय महाविद्यालय खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ) : (1) राज्य में संचालित राजकीय महाविद्यालय की सम्भागवार सूची उनके स्थापना वर्ष सहित परिशिष्ट -1 पर संलग्न है।

(2) जनवरी 2009 से दिसम्बर 2014 तक राज्य में स्थापित नये राजकीय महाविद्यालयों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल कस्बे में निजी क्षेत्र में 4 महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने के विषय में निर्धारित मानदण्ड पूरे होने और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि यह जो आपने खण्ड-तीन में जवाब दिया है कि चार निजी महाविद्यालय वहां उपलब्ध हैं, तो क्या सरकार की ओर से कोई ऐसे मापदण्ड हैं कि जहां निजी महाविद्यालय हैं, वहां सरकारी महाविद्यालय नहीं खोले जाएंगे? इसी के तहत अगर कोई मापदण्ड हैं तो जो सूची आपने मुझे उपलब्ध कराई है, जनवरी 2009 से दिसम्बर 2014 तक जितने भी कालेज खुले हैं, क्या उसी मापदण्ड के अनुसार खुले हैं?

दूसरा, मेरा पूरक प्रश्न यह है कि किशनगढ़-रेनवाल में जो यह क्षेत्र

(श्री निर्मल कुमावत)

है, उसमें दांतारामगढ़, सीकर जिला, नावां विधान सभा क्षेत्र, नागौर जिला और फुलेरा विधान सभा क्षेत्र का बहुत बड़ा भू-भाग उससे लगता हुआ है। इन सभी लोगों ने माननीया मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना की थी तो उन्होंने उचित आश्वासन दिया था कि निकट भविष्य में जल्दी ही यहां महाविद्यालय खोलेंगे। उनकी भावनाओं के अनुसार आप इसमें कब तक खोलने का विचार रखते हैं।

दोनों स्पेसिफिक क्वेशचन हैं, उनका जवाब देवें।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि सरकार की मंशा यह है और हमने सुराज संकल्प पत्र में भी इस बात की घोषणा की है कि सबसे पहले हर उप-खण्ड स्तर पर हम महाविद्यालय खोलेंगे। उसमें प्राथमिकता के आधार पर ऐसे उपखण्डों में पहले खोलेंगे जहां राजकीय महाविद्यालय भी नहीं हैं और प्राइवेट कालेजेज भी नहीं हैं। 178 इस प्रकार के उपखण्ड हैं, जहां अभी तक, राजकीय महाविद्यालय तो हैं कइयों में, पर राजकीय महाविद्यालय नहीं हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): निजी, प्राइवेट।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा, मंत्री): हां, सारी। और 46 उपखण्ड ऐसे हैं, जहां न राजकीय महाविद्यालय हैं और न निजी महाविद्यालय हैं। सबसे पहले तो उन 46 में खोलेंगे। उसमें आपका रेनवाल नहीं आता। जो 178 उपखण्ड हैं, उसमें भी आपका रेनवाल नहीं आता है। फिर भी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, तो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है तो मुख्य मंत्रीजी की घोषणा का हम निश्चित रूप से पालन करेंगे और आगामी वर्षों में किस प्रकार से आपके यहां महाविद्यालय खोला जा सकता है, इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। करेंगे?

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना सा जानना चाह रहा था कि जो चार महाविद्यालय का आपने मुझे बताया है कि वहां आलरैडी संचालित हैं, तो ऐसे क्या कोई मापदण्ड हैं, नियम हैं कि जहां निजी हैं, वहां नहीं खोलेंगे और अगर हैं, तो यह जो पांच साल में खुले हैं, वे नियमानुसार खुले या नहीं खुले? दूसरा, आपने आश्वासन दिया कि आने वाले ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): निजी महाविद्यालयों को खोले जाने के कुछ मापदण्ड बने हुए हैं। उन मापदण्डों को जो पूरा करता है, उसको ही हम एन.ओ.सी. देते हैं। उसमें मान लीजिये, एक-आध कोई कमी रह जाती है तो उसको तो टेम्परेरी एन.ओ.सी. देते हैं और पूरे जितने जो मापदण्ड हैं, वह पूरे कर लेता है, उसको परमानेंट एन.ओ.सी. दे देते हैं। इसलिए ये जो जितने महाविद्यालय खुले हैं, वे मापदण्ड के हिसाब से ही खुले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश धाकड़। (व्यवधान) श्री सुरेश धाकड़।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): रेनवाल में कब तक खोल देंगे? इतना सा आश्वासन दे दें मुझे।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): वह बताया ना आपको, रेनवाल में न तो उपखण्ड स्तर का ...(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): तहसील कार्यालय है वहां पर।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): मैंने बताया ना। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है तो निश्चित रूप से उनकी घोषणा के अनुरूप, सारे मापदण्ड इस प्रकार से आपने पूरे किये हैं कि नहीं किये हैं, सब बातें देख करके उसमें विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश धाकड़। (व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): मापदण्ड क्या हो गये? उसमें मुख्य मंत्रीजी की बात तो रखनी पड़ेगी आपको।

श्री अध्यक्ष: विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): सारी बात तो बता दी।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन पंचायत समितियां और दो नगरपालिकाएं हैं। पहले भी यह प्रश्न पूछ चुका हूं, उसमें मंत्री महोदय का जवाब भी आया था कि अगले सत्र में आपके महाविद्यालय को नियमित कर देंगे, लेकिन न अभी घोषणा हुई है। दूसरा है, दो नियम बता रहे हैं मंत्री महोदय, मैं तो कहता हूं, आपके नियम से ही चलें, तो मेरी तीन पंचायत समितियों में दो जगह अगर सरकारी हैं, उसको आपने गैर-सरकारी कर दिया, या वापस उसकी मान्यता रद्द कर दी, लेकिन जो गंगरार तहसील है, वहां की नई घोषणा कर दो। कम से कम दोनों नियमों में आप किसी भी नियम में, आपके जिस नियम में आता है, उस नियम में करो लेकिन मेरे वहां कालेज खुलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): देखिये, जैसा मैंने पहले कहा कि पहले उप-खण्ड स्तर पर खोलेंगे और जहां निजी और ...(व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): तो गंगरार है ना, गंगरार में रख दो। (व्यवधान) तीनों उपखण्ड हैं।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): जहां निजी और राजकीय नहीं हैं, वहां खोलेंगे। उसके साथ तीसरा जो मापदण्ड है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोलेंगे। इसलिये मैं अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मंत्री महोदय, गंगरार में कीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री संजीव कुमार। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): पहले आपने कहा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये, आपका जवाब आ गया। बैठिये। जो जवाब है, वह आ गया। (व्यवधान) नहीं, यह नहीं। इस तरह नहीं। यह तरीका नहीं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): देखिये, पिछली सरकार ने बिना बजटीय प्रावधान के इलेक्शन के समय झूठी वाह-वाही लेने के लिए कई महाविद्यालयों की घोषणा कर दी। हमने, ...(व्यवधान) सुनिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): पिछली सरकार ने नहीं, इसी सरकार का है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): सुनिये। बीच में मत बोलो। बैठो तो सही। (व्यवधान) बैठिये। बैठिये। (व्यवधान) इसलिए जिनकी बिना बजटीय प्रावधान के घोषणा की, ऐसे 11 महाविद्यालय हमने रोके थे। (व्यवधान) इसलिये उनकी समीक्षा करके, उसमें जिस प्रकार से भी उपयुक्त होगा, वह हम करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। (व्यवधान) सुरेश धाकड़ जी, बैठिये। श्री संजीव कुमार। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय ने जैसा फरमाया कि प्रत्येक उप खण्ड मुख्यालय पर हम राजकीय महाविद्यालय खोलेंगे और इन्होंने

(श्री संजीव कुमार)

यह भी फरमाया कि जहां निजी महाविद्यालय हैं, वहां नहीं खोले जाएंगे; तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जहां पहले से ही राजकीय महाविद्यालय चल रहे हैं, क्या आप वहां निजी महाविद्यालय को परमिशन नहीं देते? मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि यदि राजकीय महाविद्यालय नहीं खोलते हैं तो बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मेरे भादरा में उप खण्ड मुख्यालय भी है, तो भादरा में आप राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): देखिये, मैंने पहले जैसे कहा कि राज्य सरकार की यह मंशा है कि पूरे राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का बढ़ावा हो, पर उसके साथ-साथ वित्तीय संसाधन उपलब्धता, यह बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने प्रायोरिटी बनाई है कि पहले उप खण्ड स्तर पर, जहां सरकारी भी नहीं, निजी भी नहीं, वहां पहले खोलेंगे; उसके बाद, जहां सरकारी नहीं है, वहां खोलेंगे। जब यह सब पूरे हो जाएंगे तो जहां बालिका महाविद्यालय नहीं हैं, वहां पर भी खोलने का विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा। (व्यवधान) बस, तीसरा पूरक प्रश्न। अब नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आर.एल. सहरिया, कालाडेरा महाविद्यालय में जिनकी मूल पोस्टिंग है, वे लेक्चरर्स वर्षों से जयपुर के कालेज निदेशालय के अन्दर काम कर रहे हैं। क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए कालेज निदेशालय में प्रतिनियुक्ति के ऊपर जो लेक्चरर्स हैं, उनको वापस महाविद्यालय में भेजने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): यदि कहीं पर आवश्यक होगा तो निश्चित रूप से भेजा जाएगा। आप मेरे को लिस्ट दे देना।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। सुश्री कीर्ति कुमारी।

प्रदेश में बजरी की कीमतों को कम करने की योजना

170. सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

(1) प्रदेश में बजरी के दोहन पर कितनी राशि रायल्टी के रूप में वसूली जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बजरी की कीमतों में कमी करने हेतु वसूल की जाने वाली रायल्टी राशि को तर्कसंगत बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, खान (श्री राज कुमार रिणवां): (1) जिला भरतपुर, झुंझनूं, धौलपुर, टोंक व सीकर में रायल्टी 35/- रुपये प्रति टन ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माइक ऊपर कीजिये। ...(व्यवधान)... सुला रखा है माइक को, जरा इसको खड़ा कर दीजिये। (व्यवधान)

राज्य मंत्री, खान (श्री राज कुमार रिणवां) : (1) जिला भरतपुर, झुंझनूं, धौलपुर, टोंक व सीकर में रायल्टी 35/- रुपये प्रति टन ...(व्यवधान)

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, माइक भी लम्बा किया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये सही कह रहे हैं, यह माइक लम्बा किया जाए। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह माइक लम्बे कराओ हमारे, या हमारा कद छोटा कराओ। (व्यवधान) हमारा कद छोटा कराओ, या माइक लम्बे कराओ। (व्यवधान)

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): अजी, हम बड़ी आवाज में बोलेंगे, माइक के बिना ही। कोई चिंता की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्रीजी को, ...(व्यवधान)... मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी को निर्देश देता हूं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, जो संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा कि या तो हमारा कद छोटा करो...(व्यवधान) या आप माइक को बड़ा करो...

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी तो कद की कोई शिकायत नहीं है। मुझे तो प्रसन्नता है अपने कद पर। मेरी अपने कद से कोई शिकायत नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्रीजी, मैं आपको निर्देशित करता हूं कि आप इस व्यवस्था को ठीक करें।

श्री हीरालाल (निवाई): माइक की हाइट बढ़ा दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप उनके माइक को बड़ा करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इनका मैं करूं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दीजिये।

राज्य मंत्री, खान (श्री राज कुमार रिणवां): (1) जिला भरतपुर, झुंझनूं, धौलपुर, टोंक व सीकर में रायल्टी 35/- रुपये प्रति टन एवं शेष प्रदेश में रायल्टी 30/- रुपये प्रति टन राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के शिड्यूल-1 में निर्धारित दर के अनुसार वसूली जा रही है।

(2) जी नहीं। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के शिड्यूल-1 में निर्धारित रायल्टी की दरें तर्कसंगत एवं उचित होने से इसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन किया जाना विचारणीय नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न। सुश्री कीर्ति कुमारी।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि आपने ये जो दरें तय कीं, ये बहुत महंगी हैं। इससे बड़े बिल्डर्स तो, निर्माण कार्य उनके होते रहते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को बजरी बहुत महंगी होती जा रही है। साथ ही, मेरा निवेदन है कि ओवर-लोडिंग जो होती है, उसमें आप किस तरीके से ये मापदण्ड तय करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): अध्यक्ष महोदय, 27.2.2012 से पहले बजरी का सीधा सिस्टम था, जो कोई भी अपना ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक, डम्पर लेकर जाए, वह भरकर ले आये, नाके पर अधिशुल्क दे दिया जाए और उससे अपना परमिट ले ले। 27.2.2012 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए; पुरानी पद्धति को और नई पद्धति से, जो भी तीन मीटर से नीचे की खुदाई या जल स्तर की जो है, उससे ऊपर अगर करना चाहे तो उसको पर्यावरण का लाइसेंस लेना पड़ेगा।

(श्री राज कुमार रिणवां)

(12.00 बजे)

तो उसके बाद में राजस्थान सरकार ने 128 ब्लाक्स में तहसीलवार इसके टुकड़े किये और उसमें 103 एल.ओ.आई. जारी हुईं और उसके हिसाब से 22 लोगों के टेंडर पारित हुए। (व्यवधान)...

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): साहब, इसकी अलग से चर्चा करा लीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): हां, अलग से चर्चा करवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अलग से लाइये। (व्यवधान)

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): अलग से चर्चा करवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है। आपने जो एक मांग की है कि इसको अलग से किया जाए तो किसी भी प्रक्रिया, जो हमारी है कार्य संचालन की, उसके अन्तर्गत आप किसी भी प्रक्रिया के अन्तर्गत लाइए। मैं आपको इस पर इजाजत दे दूंगा। (व्यवधान)

प्रश्नकाल समाप्त।

अनुपस्थिति अनुमति

जोगाराम पटेल, श्री, को 12 मार्च से 23 मार्च, 2015 तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री जोगाराम पटेल, सदस्य, विधान सभा ने अपने नजदीकी रिश्तेदार का निधन हो जाने के कारण दिनांक 12 मार्च, 2015 से 23 मार्च, 2015 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है:-

श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से राज्य के गुर्दे एवं लिवर की बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को उपचार हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी विषय की गम्भीरता को देखते हुए माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार को अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई में ट्रौमा हास्पिटल खोलने के सम्बन्ध में।

(2) श्री भँवर सिंह, सदस्य की ओर से बीकानेर के उपनिवेशन विभाग में अधिकारियों का पदस्थापन कर अवाप्ति प्रकरण, दोहरा आबंटन, खातेदारी, भूमि आबंटन सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री दलीचन्द डांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री शुभकरण चौधरी, सदस्य की ओर से बेरोजगार पशु चिकित्सकों को रोजगार देने एवं समेकित पारिश्रमिक वेतनभोगी 472 पशु चिकित्सा अधिकारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से नीमराना औद्योगिक क्षेत्र स्थित औद्योगिक इकाइयों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण एवं गंदगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री जगदीश नारायण, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जमवारामगढ़ को रेफरल अस्पताल बनाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमंडी की वन क्षेत्र स्थित शहरी कालोनियों का भूमि रूपांतरण कर पट्टे देने एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु नये पुलिस थाने एवं चौकियां खोले जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(9) श्री शंकर लाल शर्मा, सदस्य की ओर से दौसा के श्री रामकरण जोशी राजकीय चिकित्सालय में ट्रौमा यूनिट, गहन चिकित्सा इकाई में आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(10) डा. किरोड़ी लाल, सदस्या की ओर से राज्य की विषम भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुए विशेष दर्जा दिये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती गोलमा, सदस्या की ओर से सहायक अभियंता उपखण्ड महवा में हो रही अनियमितताओं की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री रतनलाल जलधारी, सदस्य की ओर से जिला सीकर में आने वाले गर्मी के मौसम को देखते हुए जनता को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 13 मार्च, 2015 को शून्य काल में बोलने हेतु 47 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्री छोटूसिंह – जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में आने के बावजूद राजस्व ग्रामों का ग्राम सर्वे नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हीरालाल नागर - कोटा जिले में बेमौसम बरसात, अंधड़ व ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री जगसीराम - विधान सभा क्षेत्र रेवदर में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती अमृता मेघवाल - विधान सभा क्षेत्र जालौर के ग्राम केशवाना में कृषि महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

श्री मनोज कुमार।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राज्य में गुर्दा व लिवर प्रत्यारोपण की सुविधा का क्रियान्वयन

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत, आज राजस्थान का एक बहुत गम्भीर मुद्दा है कि राजस्थान में ह्यूमन ओर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, 1994 के तहत एक कानून बन गया; कानून बन गया और कानून बनने के बाद राजस्थान में ओर्गन ट्रांसप्लांट प्रारंभ करने के लिए अगस्त, 2014 में बैठक आयोजित की गयी और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने बार-बार राजस्थान की जनता को कहने का काम किया कि हम 90 दिन में इसको पूर्णतया लागू कर देंगे।

इस ओर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट की पालना, इस राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिल सके, यह एक गम्भीर मामला है। क्योंकि अंग प्रत्यारोपण के मेडिकल क्षेत्र में एक नई क्रांति आयी है। अनेक मरणासन्न अथवा गम्भीर विकलांग लोगों को प्रत्यारोपण का लाभ मिल सके। राजस्थान में जब मंत्री महोदय घोषणाएं करते हैं तो पता नहीं, उनको अख़बार में या टी.वी. में बड़ा-बड़ा दिखने का आनन्द आ रहा है। वह 90 दिन की घोषणा, अगर सरकार के पास इसके लिए बजट नहीं है, सरकार अगर 90 दिन में पूरा नहीं कर सकती, तो आपकी सरकार और चिकित्सा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान को थोथी घोषणाओं से आप भ्रमित नहीं कर सकते। क्योंकि आपके घोषणा करते वक्त आपको सोचने की जरूरत है कि आप उसकी अनुपालना कर सकते हैं या नहीं कर सकते।

राजस्थान में आपके पास एक सलाहकार विदेशी डाक्टर की, मेरी जानकारी में है कि एक विदेशी डाक्टर सलाहकार के रूप में इन्होंने रखा है लेकिन वह सलाहकार डाक्टर, राजस्थान की सरकार और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय अगर इस राजस्थान में जल्द से जल्द इस कार्यवाही को करना

(श्री मनोज कुमार)

चाह रहे हैं लेकिन वह सलाहकार हमारी सरकार की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे सलाहकार जो हमारे राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते, तो ऐसे सलाहकार राज्य सरकार क्यों रखती है?

मेरी जानकारी में यह विशेष रूप से है कि यहां आपरेशन थियेटर तक की भी व्यवस्था नहीं; आपके पास बजट की कहीं घोषणा नहीं। आप कब तक पूर्णतया राजस्थान को इसका लाभ दे पाएंगे? राजस्थान की जनता आपके इस एक्ट को लागू करने में सक्षम नहीं होने के कारण दूसरे प्रदेशों में अपना इलाज करवाने के लिए जा रही है।

विशेषकर मैं इसमें बताना चाहता हूं, विदेशों से अगर आकलन करें तो ह्यूमन ओर्गन ट्रांसप्लांट के लिए डोनेशन रेट प्रति एक लाख व्यक्तियों में भारत की मात्र 0.5 है और स्पेन की इसमें 350 है। यह भारत की, राजस्थान की, अब राजस्थान का आकलन बताऊं तो गुर्दा रोग के शिकार, राजस्थान में एक हजार से लेकर 1,500 तक, डाइलिसिस के लिए लगभग 400 और गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए लगभग 100 हैं, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में 20 हजार लिवर की जरूरत है परन्तु 500 ही प्रत्यारोपित हो पाते हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपकी यह व्यवस्था, आप जो यह 90 दिन की घोषणा कर रहे थे, मैं सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को, आप इस गम्भीर मामले को, जीवित व्यक्ति ट्रांसप्लांट में सिर्फ दो-तीन अंग ही दान कर सकता है लेकिन ब्रेन डैड व्यक्ति इसके लिए, मृत व्यक्ति, मतलब, दो आंख, हृदय, दो फेफड़े पैनक्रीयाज, लिवर, दो किडनी, आंतें, स्किन, बोन, आदि अंगों का प्रत्यारोपण सम्भव है लेकिन ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: वे जवाब दे रहे हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि यह बहुत गम्भीर मुद्दा है राजस्थान की जनता के लिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इस ह्यूमन ओर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट की पालना पूर्णत: राज्य सरकार करे, जल्द से जल्द आपरेशन थियेटर की व्यवस्था करे, इसके बजट की व्यवस्था करे और जो विदेशी डाक्टर आपकी सलाह मानने

(श्री मनोज कुमार)

के लिए तैयार नहीं, राजस्थान की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं, ऐसे सलाहकार डाक्टर को आप क्यों रख रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी हो सकती है, यह हम नहीं जानते, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि न तो आपकी कमेटी गठित हुई है और न आपके एन.जी.ओ. को, किसी को भी उसमें शामिल नहीं किया गया है। बहुत गम्भीर प्रचार की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, अब स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक मिनट में और कह देता हूं।

श्री अध्यक्ष: चार मिनट हो गये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक मिनट। यह बहुत गम्भीर मामला है, साहब, थोड़ा-सा।

श्री अध्यक्ष: हां, गम्भीर है, इसीलिए तो जवाब दे रहे हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): यह ओर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, कोई एक्ट बनने से लागू नहीं हो जाएगा। इसमें लोगों का मन जीतने की जरूरत पड़ेगी। अपना अंग का ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आपको घर-घर उसका प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। माननीय मंत्री महोदय, आपकी उन थोथी घोषणाओं को कम से कम आप लागू करके बता दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए-विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक गम्भीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। इसी बार बजट के अन्दर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में सेंटर फोर ओर्गन ट्रांसप्लांट खोलने की घोषणा की है।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि वर्ष 1994 में इस देश के अन्दर ह्यूमन ओर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट बना था और यह बात भी सही है, अध्यक्ष महोदय, आज पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर हर घंटे में सड़क दुर्घटनाओं में 14 लोगों की मृत्यु हो रही है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल एक लाख 30 हजार से ज्यादा लोग काल-कवलित होते हैं। राजस्थान के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष का आंकड़ा देखें तो 10 हजार से ज्यादा लोग, इनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई, और इनमें से 60 परसेंट लोग वे हैं जो दुपहिया पर सवार थे। यानी, अधिकांश वे लोग जो नौजवान हैं, सड़क

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दुर्घटना से ग्रसित होकर उनकी मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु से पहले, आंकड़े यह बताते हैं कि लगभग 40 फीसदी लोग वे थे, जिनकी ब्रेन डैथ पहले हुई।

अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि ज्यों-ज्यों विज्ञान तरक्की करता गया, चिकित्सा विज्ञान में भी सोपान चढ़े और आज ब्रेन डैड व्यक्ति का लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, हार्ट के वाल्व, हाथ-पैर, चेहरा, ये सभी ट्रांसप्लांट होने सम्भव हैं।

माननीय सदस्य ने यह कहा कि बहुत बड़ी संख्या के अन्दर लिवर से ग्रसित रोगी आते हैं। निश्चित तौर पर उसके लिए राजस्थान की सरकार ने आवश्यक प्रबन्ध कर रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास इसकी फैकल्टी भी है। आज मेडिकल कालेज में गेस्ट्रोएंट्रोलाजी के 24 विशेषज्ञ चिकित्सक काम कर रहे हैं, यूरोलाजी के 22 विशेषज्ञ चिकित्सक काम कर रहे हैं और नेफ्रोलाजी के 15 विशेषज्ञ चिकित्सक काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि ओर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर हमारे देश में जन-चेतना नहीं है। सिर्फ एक लाख पर 0.5 फीसदी लोग, उनके परिजन ओर्गन ट्रांसप्लांट में ब्रेन डैथ के बाद देना शुरू करते हैं। पर, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर पहली बार इसी 25 फरवरी को सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अन्दर कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस राधा रानी के परिजन को, जिन्होंने अंग दान देने की सहमति व्यक्त की और मैं उन चिकित्सकों को भी बधाई देना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी अपने बजट भाषण में जिक्र किया, जिन्होंने लगातार एक-दो घंटे नहीं, अध्यक्ष महोदय, साढ़े 10 घंटे लगातार आपरेशन करके मृतक के शरीर से किडनी निकाली और दो जरूरतमंदों के लगाई और मुझे सदन को कहते हुए प्रसन्नता है कि दोनों मरीज डिस्चार्ज हो गये। एक साल के अन्दर 200-200 बार जिनकी डायलिसिस होती थी, अब स्वस्थ हो गये। जो लिवर राधा रानी का निकला था, वह सेना का विशेष हवाई जहाज आया, वह लेकर दिल्ली गया, दिल्ली में एक ब्रिगेडियर की वाइफ को वह लगा। वह भी बिलकुल ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, मेरे मन में था कि मैं 90 दिन के अन्दर इस बात को करूं, पर मैं नहीं कर पाया, परन्तु बड़े कैनवास पर बड़ा सपना देखते हैं तभी कुछ होता है। यह कैडेवर, जो ट्रांसप्लांट किडनी का हुआ है, अध्यक्ष महोदय, यह एक बार हमारे महात्मा गांधी चिकित्सालय में हुआ।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अलवर के एक छोटे बालक मोहित की डैथ हुई, उसके परिजन ने अंग दान दिया, और अब हमारे पास हुआ है। हमने 17 चिकित्सक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय में और 15 नर्सिंग, जो टेक्निशियन हैं, उनको अपोलो हास्पिटल में जाकर, जहां आज देश में सर्वाधिक आर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, वहां उनको ट्रेनिंग दिला दी। ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कुछ चीजों की हमें पूर्ति करनी है। हमारा माड्यूलर आपरेशन थियेटर तैयार है। डेढ़ करोड़ रुपये के हमें लिवर ट्रांसप्लांट के लिये नये इक्विपमेंट खरीदने थे, उनकी टेक्निकल बिड खुल गयी है। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, अगस्त 2014 में इस राजस्थान के अन्दर पहली बार ओर्गन ट्रांसप्लांट की बात प्रारम्भ हुई और फरवरी, 2015 तक हमने कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया। अब वह दिन दूर नहीं, जब लिवर ट्रांसप्लांट भी हो जायेगा।

इसमें जिस विदेशी सलाहकार की आपने बात की, अमेरिका के सर्जन है क्रिस्टोफर बैरी, अध्यक्ष महोदय, हमसे कुछ नहीं ले रहे। सिर्फ रहने के लिए हमने इन्तजाम कर रखा है, और बिलकुल फ्री, वे मुफ्त में हमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

आपने कहा कि हमने एन.जी.ओ. का चयन नहीं किया है; मोहन फाउंडेशन और जयपुर सिटिजन फोरम, इन दोनों को एन.जी.ओ. के रूप में हम काम ले रहे हैं। हमने ब्रेन डैथ कमेटी पहली बार बनाई; हमने डोनर मैनेजमेंट गाइडलाइंस कमेटी पहली बार बनाई; हमने ओर्गन ट्रांसप्लांट की एडवाइजरी काउंसिल पहली बार बनाई। यह सारा काम इस राजस्थान में पहली बार हुआ है।

मैं समझता हूं, माननीय सदस्य, आप इस बात के लिए बधाई देते, धन्यवाद देते, क्योंकि राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई छलांग लगाई है, एक नया इतिहास रचा है। फिर भी मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि मैंने 90 दिन के अन्दर लिवर ट्रांसप्लांट की बात कही थी, 90 दिन में नहीं कर पाये, पर, अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त कर रहा हूं अब हम सब बिलकुल वैल-इक्विप्ड हैं, हमारे डाक्टरों ने ट्रेनिंग ले ली और वह क्षण दूर नहीं, जिस दिन हम लिवर ट्रांसप्लांट भी एस.एम.एस. में करके इसी सदन को सूचित करेंगे कि हमने लिवर ट्रांसप्लांट के काम को भी पूरा कर लिया है।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। श्री हीरालाल। (व्यवधान) नहीं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): तारीख, समय, आप कितने दिन में कर देंगे? महीने, दो महीने, छह महीने; बता दें समय। अब निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आगामी 60 दिन के अन्दर निश्चित तौर पर दिन और रात लगकर इसी राजस्थान में पहला कैडेवर लिवर ट्रांसप्लांट हम करेंगे। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीन अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) हीरालाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ दिनों पहले एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

श्री हीरालाल (निवाई): मेरा नाम पुकार लिया है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बीच में कोई प्रश्न नहीं।

श्री हीरालाल (निवाई): मेरा नाम बोल दिया 295 में।

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप। मैं कह रहा हूं, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सरकार के संसदीय मंत्रीजी ने आश्वस्त किया था कि सरकार 'डर्टी पालिटिक्स' फिल्म का चित्र दिखायेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, इस तरह नहीं। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): और यदि उसमें इस विधान सभा के सदन का, माननीय अध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह तरीका सही नहीं है। यह तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): मेरा नाम बोल दिया 295 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने।

श्री अध्यक्ष: जब चाहो तब बोल जाओ, ऐसे नहीं। माननीय हीरालालजी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

निवाई शहर में ट्रोमा हास्पिटल की स्थापना

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का मेरा प्रस्ताव है। महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव कर मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के निवाई शहर में ट्रौमा हास्पिटल खोलने का अनुरोध करता हूं।

(श्री हीरालाल)

निवाई क्षेत्र में ओवरलोड बजरी परिवहन के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें अनेकों जानें चली जाती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई के बनास पुलिया एवं जेबाडिया, मूण्डिया एवं ककराज कलां, जो पीपलू उप खण्ड के अन्तर्गत आते हैं, वहां ट्रक ओवरलोड बजरी भरकर राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर जयपुर परिवहन करते हैं। इसी कारण से विगत तीन वर्षों में निवाई, बरोनी, पीपलू एवं दतवास क्षेत्र में दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। इस क्षेत्र में वर्ष 2012 से 2014 तक कुल 481 दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 228 लोग मारे गये और 714 लोग घायल हुए। इन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को कितनी मानसिक पीड़ा हुई है।

मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि निवाई में दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने हेतु ट्रौमा हास्पिटल खोला जाये। निवाई से जयपुर की दूरी 75 किलोमीटर है और दुर्घटना घटित होने पर इतनी दूरी तक मरीज को लाने में जान की जोखिम बनी रहती है। यदि निवाई में ही ट्रौमा हास्पिटल खुल जाये तो हम सैकड़ों लोगों की जान बचाने में सफल हो सकेंगे।

अत: अनमोल मानव जीवन को बचाने हेतु निवाई शहर में इसी वर्ष ट्रौमा हास्पिटल खोलने की स्वीकृति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दलीचन्द डांगी।

मावली की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली की कई सड़कें, नालियां एवं सीमेंट सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। पावर हाउस से रीको इंडस्ट्रियल एरिया गुडली-खेमली-पलाना-मावली सड़क (एम डी आर-36), इस मार्ग पर भारी यातायात का दबाव रात-दिन बना रहता है। ग्राम बीलोता से धोलीमगरी-घासा-नुरडा-मानमथारा (एस. एच. 09), नाहरमगरा से नामरी-वल्लभनगर सड़क (बी टी रोड), ढूंढिया से इंटाली-बड़गांव-खेमपुर-लदानी सड़क (एस. एच. 09) की स्वीकृति शीघ्र जारी कराई जावे ताकि आम

(श्री दलीचन्द डांगी)

जनता को खस्ता हाल सड़कों से निजात मिल सके। पूर्व सरकार द्वारा जो ग्राम पंचायत स्तर पर सी.सी. रोडें बनवाई गई थीं, वे घटिया क्वालिटी की वजह से नहीं चल पाईं।

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 250 से 500 की आबादी से वंचित सड़कें पूर्ण करवाई जावें। कई मिसिंग लिंक रोडें अधूरी पड़ी हैं, उन्हें पूर्ण करवाया जावे।

मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उक्त समस्या का निराकरण शीघ्र करवाने का श्रम करावें जिससे कि आम जनता को उक्त समस्याओं से हो रही असुविधा से निजात मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी।

बेरोजगार पशु चिकित्सकों को रोजगार एवं समेकित वेतनभोगी पशु चिकित्सा अधिकारियों का नियमितीकरण

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत पशु चिकित्सकों के नियमितीकरण के मामले में मैं अपना प्रतिवेदन रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपसी बातचीत नहीं।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पशु चिकित्सक पिछले 15 दिन से हड़ताल पर चल रहे हैं। प्रदेश में पशुओं की देखभाल नहीं हो पा रही है। पशुपालन विभाग राजस्थान द्वारा 472 पशु चिकित्सकों को 19 सितम्बर, 2013 को राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 (26) के तहत नियुक्ति दी गई। इनमें से 288 समेकित पारिश्रमिक तहसील स्तरीय मोबाइल यूनिट तथा 34 संविदाकर्मी जिला स्तरीय मोबाइल यूनिट में कार्यरत हैं, जो आज बंद पड़े हैं।

मैं निम्न बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:-

1. विभाग के अनुसार राजस्थान में लगभग 6 करोड़ पशुधन हैं एवं विभाग के अनुसार राजस्थान में 10,742 पशुओं पर एक संस्था है जबकि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 5,000 पशुओं पर एक संस्था होनी चाहिए। (पेज नम्बर 13, प्रशासनिक प्रतिवेदन 2013-14, पशुपालन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर)

(श्री शुभकरण चौधरी)

2. पशुधन संख्या को देखते हुए प्रदेश में 12,000 पशु चिकित्सकों की आवश्यकता है, जबकि विभाग के अनुसार 3,091 (एस.वी.ओ./वी.ओ.) पशु चिकित्सा के पद स्वीकृत हैं, जो अत्यन्त कम हैं। (पेज नम्बर 11, प्रशासनिक प्रतिवेदन 2013-14, पशुपालन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।)

3. उक्त 3,091 पदों में से लगभग 1,200 से अधिक पद अभी भी रिक्त हैं। (आर.टी.आई., एफ.बी., 5 (सू.अ.) स्था./अ/4469 पशुपालन निदेशालय, जयपुर।)

4. प्रदेश में बहुत-सी पशु चिकित्सा संस्थाएं पशु चिकित्सकों के अभाव में चल रही हैं तथा बहुत-सी संस्थाएं बंद पड़ी हैं।

5. भारत सरकार द्वारा एफ.एम.डी.-सी.पी. के तहत पशुधन के लिए एफ.एम.डी. उन्मूलन प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो पशु चिकित्सकों के अभाव में बाधित हो रहा है, जबकि चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर स्वाइन फ्लू के उपचार व रोकथाम के लिए तुरन्त 1,600 के लगभग चिकित्सकों की नियुक्ति दे रहा है। (राज.चि.अ./वि.भ./प. 41/245/30)

6. तहसील स्तरीय मोबाइल यूनिटों ने सत्र 2013-14 के मात्र 6 महीनों में जिला स्तरीय मोबाइल यूनिट (अक्टूबर, 2013 से मार्च, 2014 तक) 54,594 कैम्पों का आयोजन किया जिसमें 62,20,953 पशुधन संख्या तथा 5,98,960 पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। (पेज नम्बर 39, प्रशासनिक प्रतिवेदन 2013-14, पशुपालन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।)

7. इतना कार्य करने के बावजूद भी पशु चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इनका आर्थिक एवं मानसिक शोषण हो रहा है और पशु चिकित्सकों के मान-सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

8. पिछले सात वर्षों में मात्र 150 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति दी गई है।

9. पशु चिकित्सकों के अभाव में पशुपालक अप्रशिक्षित, झोलाछाप व्यक्तियों से उपचार कराने को मजबूर होता है जिससे पशुपालकों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है।

10. पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों 1,200 की तुलना में बेरोजगार पशु चिकित्सकों की संख्या काफी कम है।

(श्री शुभकरण चौधरी)

11. कार्य व्यवस्था के नाम पर विभाग अनट्रेंड लोगों से पशुओं का इलाज करवा रहा है जो कि नियम 30 (बी) के तहत गलत है।

12. एफ.एम.डी.-सी.डी. जैसे बड़े राष्ट्रीय मिशन को बिना पशु चिकित्सकों के कैसे पूर्ण करेंगे?

अत:, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पशुधन, पशुपालक व पशु चिकित्सकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमित करने का मार्ग प्रशस्त कर सभी बेरोजगार पशु चिकित्सकों को रोजगार दिया जाएं तथा सभी समेकित पारिश्रमिक वेतनभोगी 472 पशु चिकित्सा अधिकारियों को नियमित करने का उचित रास्ता निकालकर इनके साथ न्याय किया जाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मपाल चौधरी।

नीमराना औद्योगिक क्षेत्र स्थित औद्योगिक इकाइयों द्वारा कारित प्रदूषण

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नीमराना, शाहजहांपुर, घीलोढ़ औद्योगिक क्षेत्र हैं। नीमराना में अवैध निर्माण कर रखे हैं। प्रधान मंत्रीजी के 'स्वच्छ भारत' के सपने को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमणों को हटाया गया था। जब राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी नीमराना में हीरो उद्योग की नई इकाई का उद्‌घाटन करने गयीं, तब सभी अतिक्रमणों को हटा दिया गया था लेकिन अब पुन: लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया और पूरे नीमराना कस्बे में गंदगी फैल रही है।

रीको द्वारा अनुमत औद्योगिक इकाइयों को ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए थे। वे नहीं लगने के कारण गंदा पानी पार्कों में भरा रहता है जिससे बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। प्रदूषण विभाग द्वारा भी इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अवैध निर्माण, अतिक्रमण और बिना नक्शे के यहां पर बने होटलों का निर्माण और उसके बाद अभी कुछ दिनों पूर्व ही एक होटल में तीन मौतें हो गयी थीं। तीनों व्यक्ति जिंदा जल गये। अभी तक इन होटलों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और ना ही अन्य बिना नक्शे के बने होटलों पर कोई कार्यवाही की गई है।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

अत:, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 'स्वच्छ भारत' के अभियान को पूरा करने का सपना पूरा नहीं हो रहा है और ना ही ऐसे होटलों के खिलाफ कोई कार्यवाही हो रही है। ऐसे लागों के खिलाफ उद्योग विभाग द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही करने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण।

जमवारामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत नहीं करने, विद्यमान चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों को नहीं भरने के कारण आम जनता को पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जमवारामगढ़ बड़ा कस्बा है और जमवारामगढ़ में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जो जमवारामगढ व आसपास के गांवों की जनसंख्या को देखते हुए अपर्याप्त है। इसी क्षेत्र के जमवारामगढ़, आंधी, भानपुरकलां, आदि गांवों की जनसंख्या को देखते हुए यहां पर एक सैटेलाइट अस्पताल स्वीकृत होना चाहिए। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इन सभी कस्बों/गांवों की जनसंख्या को देखते हुए जमवारामगढ़ में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को एक सैटेलाइट अस्पताल में कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा?

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी द्वारा उक्त सामुदायिक केन्द्र को 50 बैड का अस्पताल करने की घोषणा इस पवित्र सदन में की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी आज दिन तक उक्त घोषणा पर अमल नहीं हुआ है।

इसके साथ ही मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में चिकित्सा संस्थानों में वर्तमान रिक्त पदों की ओर भी दिलाना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के जमवारामगढ़ में काफी लम्बे

(श्री जगदीश नारायण)

समय से अनेक पद रिक्त चल रहे हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि इन पदों को अब तक क्यों नहीं भरा गया व अब कब तक इन रिक्त पदों को भर दिया जायेगा? इन सभी पदों के कार्यरत नहीं होने से आम जनता को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है।

अत: मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जन हित में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ़ को रेफरल अस्पताल बनाने की शीघ्र घोषणा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

रामगंजमण्डी की वन क्षेत्र स्थित कालोनियों का नियमितीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं का उपलब्ध कराया जाना

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत निवेदन करना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के काफी गांव व शहर वन क्षेत्र में आते हैं। शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद भी उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। दस वर्षों से बिजली और पानी के लिए भी वे लोग तरस रहे हैं। 80 वर्ष पुराना गांव आंवली, रोझड़ी, कोटा शहर में होने के बावजूद भी अगर एक ट्रांसफार्मर भी जल जाए तो उसे बदलवाने के लिए मुझे दो दिन तक अधिकारियों से बात करनी पड़ती है। तब जाकर एक ट्रांसफार्मर चेंज किया जाता है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उक्त कालोनियों का भू-रूपान्तरण कर पट्टे दिये जाएं ताकि वर्षों पुराने गांव, जो नगर निगम में आ चुके हैं, उन्हें अपना मालिकाना हक मिल सके और न्याय मिल सके।

इसी प्रकार, रामगंजमण्डी क्षेत्र के कई गांव, जैसे सहरावदा, पाचनकुई, गिरधरपुरा, कोलीपुरा, मन्दरगढ़, आदि कई गांवों में सरकार द्वारा चलायी जाने वाली आवासीय योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा। उनसे मकान के पट्टे मांगे जाते हैं लेकिन वन में गांव बसा होने के कारण उनके नाम से पास हुआ पैसा वापस चला जाता है। सहरावदा स्टेट टाइम का गांव है, वहां हर वर्ष बारिश में बाढ़ आ जाती है। आठ-आठ दिन तक मकानों में पानी भरा रहता

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

है। लोग खाना नहीं बना पाते। प्रशासन द्वारा खाने की व्यवस्था की जाती है। अगर वहां पर नाले का निर्माण हो जाता है तो उक्त परेशानी से निजात मिल सकती है। वन विभाग द्वारा रोके हुए नाले के निर्माण को वन विभाग की आपत्ति की वजह से रोक रखा है। वन विभाग की स्टेट कमेटी में इसका निर्णय लेकर निर्माण कराया जावे।

वन विभाग द्वारा गांव के चारों ओर चारदीवारी व खाई खोदने का कार्य लगातार चल रहा है, जो गांवों व पशुओं को कैद करने वाली बात है। अत: ऐसे गांवों में कम से कम 10 किलोमीटर तक पशु चराई के लिए जगह छोड़ने का भी प्रावधान सरकार को करना चाहिए, जैसे घाटोली, बोराबास, डोलिया, मानपुरा, गिरधरपुरा, दामोदरपुरा, आदि।

वन विभाग में विगत आठ वर्षों से स्वीकृत सड़कों की गिट्टी व डामर अधूरे कार्य सहित पड़े हुए हैं। गांव आज भी पूरी तरह से बारिश में टापू बन जाते हैं।

अत: पूरे राजस्थान में वन विभाग की स्टेट कमेटी में निर्णय लेकर राजस्थान की रुकी हुई सड़कों का कार्य शुरू करना चाहिए ताकि गर्भवती महिलाएं गांव में ही सड़कों के अभाव में दम न तोड़ें।

मेरी विधान सभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा (मुकुन्दरा हिल्स) टाइगर रिजर्व घोषित किया हुआ है। गांव वालों को कोई नोटिस नहीं, कोई मुआवजा नहीं और रास्ते बंद कर दिये गये, एवं चारदीवारी का कार्य शुरू होने वाला है। यह गलत है। मेरा सरकार से निवेदन है कि दरा गांव, दामोदरपुरा, लक्ष्मीपुरा, खरली बावड़ी, गिरधरपुरा, किशनपुरा, आदि गांवों के बारे में विचार कर उन्हें न्याय दिलाया जावे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

(अनुपस्थित**)**

श्री शंकर लाल शर्मा।

दौसा के श्री रामकरण जोशी राजकीय चिकित्सालय में ट्रोमा यूनिट व गहन चिकित्सा इकाई में आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदय**,** राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है

(श्री शंकर लाल शर्मा)

कि दौसा जिला जयपुर के नजदीक होने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 11 ए पर स्थित है, जहां पर आए दिन रोड एक्सीडेंट एवं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दौसा जिला मुख्यालय पर जिला चिकित्सालय श्री रामकरण जोशी राजकीय सामान्य चिकित्सालय है जिसमें वर्तमान में 150 शैयाएं हैं। जिला चिकित्सालय में वर्ष 2014 में भर्ती मरीजों की संख्या 32069 (औसत प्रति दिन 88) जिनका औसत ठहराव 4 से 5 दिन भी रहता है तो 150 रोगी शैयाओं की संख्या बहुत कम रहती है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं रोगी शैयाओं की संख्या 150 से बढ़ाकर 300 करने के साथ-साथ चिकित्साधिकारियों के नवीन पद सृजित कर पदस्थापन किया जाना अत्यावश्यक है। दौसा जिला मुख्यालय पर जिला चिकित्सालय श्री रामकरण जोशी राजकीय सामान्य चिकित्सालय है, जिसमें ट्रोमा यूनिट, गहन चिकित्सा इकाई स्वीकृत है। परन्तु आवश्यक उपकरणों (यथा सी.आर्म. मशीन, सी.टी. स्कैन आदि) का एवं गायनाकोलोजी थियेटर का अभाव है। दौसा जिला जयपुर के नजदीक होने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 11 ए पर स्थित है, जहां पर आए दिन रोड एक्सीडेंट एवं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जिला चिकित्सालय में वर्ष 2014 में सीजेरियन हेतु रैफर की गई महिला प्रसूताओं की संख्या 1095 (औसत प्रति दिन 3) है। सरकार से अनुरोध करता हूं कि ट्रोमा यूनिट, गहन चिकित्सा इकाई में आवश्यक उपकरणों की यथाशीघ्र व्यवस्था कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: डा किरोड़ी लाल। 295 है, इसके बाद गोलमाजी का भी है, तो वह भी आप ही बोल देंगे तो ठीक रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां गोलमाजी माननीय सदस्य के रूप में विराजी हैं। डाक्टर साहब की धर्म पत्नी के रूप में बाद में हैं, पहले यहां माननीय सदस्य हैं। यह अधिकार इनको नहीं है कि उनके अधिकारों पर अतिक्रमण करें। आप उनके अधिकारों की रक्षा करें इस बात के लिए।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, मैं अपना सुझाव वापस लेता हूं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): राठौड़ साहब, वह धर्म पत्नी पहले हैं, माननीय सदस्य तो बाद में हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है। इन नियमों और प्रक्रियाओं में सदन के अन्दर जाते हैं तो सिर्फ माननीय सदस्य के रूप में आते हैं। कहीं यह नहीं लिखा है कि यह इसका भाई है, यह इसकी पत्नी है या यह इसका यह है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि धर्म पत्नी पहले हैं फिर माननीय सदस्य हैं इसको संशोधित किया जाए और पहले माननीय सदस्य हैं और उसके बाद धर्म पत्नी हैं इसको लिया जाए और मैं चाहूंगा कि इसमें विशेषज्ञ आदरणीय सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य अगर इस पर प्रकाश डालें तो बड़ा उचित होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर तो मैं ज्यादा लम्बी व्याख्या नहीं करुंगा। लेकिन आज राजेन्द्रजी ने जो बात कही वह बहुत महत्वपूर्ण है और वह सिफारिश आप अगर कर देंगे तो सदन का बहुत हित होगा। राजेन्द्रजी ने कहा कि मेरा कद जरा छोटा करो। अध्यक्ष महोदय, वह भगवान के हाथ में है, अपने हाथ में नहीं है। लेकिन यहां विधान सभा में उनका कद छोटा करना आपके हाथ में है।

श्री अध्यक्ष: आपका क्या सुझाव है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपका क्या सुझाव है वह आप दे दीजिए कि कद कैसे छोटा किया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं वह दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप यही चाहते हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, मैं नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अगर आपकी अंतरात्मा इससे संतुष्ट होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं क्षत्रिय भी हूं, हम क्षत्रियों ने कई बार ब्राह्मणों के आदेश पर अपनी गर्दनें कटाई हैं। अगर इससे ही आप खुश होते हो तो मैं मेरा कद, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरे कद की सर्जरी कैसे होगी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो अपना कद बढ़ाकर के आए हैं ब्राह्मण की गर्दन काटकर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं सिर्फ छोटी सी बात है कि इनका नाम है राजेन्द्र और इसका अगर संधि विच्छेद करो तो राजे इन्द्र तो जब तक राजे की कृपा है तब तक इनका कद छोटा नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष: डा. किरोड़ी लाल जी।

एक माननीय सदस्य: तब तक इनका कद छोटा नहीं हो सकता।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): राजे की कृपा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक क्षत्रिय और बीच में आ गया।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): राजे की कृपा है तो इस पर पक्षपात क्यों है, यहां और भी तो हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी वही हैं। आप भी राजे हैं और आप इन्द्र भी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इसलिए भोग रहे हैं कि यह शेखावाटी के एक नम्बर के ठिकानेदार हमारे मालिक माने जाते हैं और उसमें मैं भी रहता हूं। इसलिए यह राजेन्द्र राज करने वाले इन्द्र हैं और वह राजे के इन्द्र हैं।

विषम भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों के मद्देनजर राज्य को विशेष दर्जा दिये जाने की आवश्यकता

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि राजस्थान की विषम भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुए विशेष दर्जा दिये जाने की मांग लम्बे समय से उठ रही है। भू-भाग की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। 12 जिले मरुस्थलीय (60 प्रतिशत रेगिस्तान) है, 12.6 प्रतिशत आदिवासी आबादी है। विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संचार सेवाएं पहुंचाना बहुत महंगा पड़ता है।

पिछले 60 वर्ष में 55 वर्ष अकाल पड़ा है। 70 प्रतिशत किसान मानसून की अनिश्चितता का दंश झेलते रहते हैं। राज्य का भू-भाग देश के

(डा. किरोडी लाल)

कुल भू-भाग का 10.41 प्रतिशत है। जबकि पानी की उपलब्धता 1 प्रतिशत है। राज्य के 237 ब्लाक्स में से 207 ब्लाक्स का पानी रसातल को चला गया है। राज्य में देश का सर्वाधिक 137 प्रतिशत पानी का दोहन हो रहा है। जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। संचार साधन बहुत कम हैं। पाकिस्तान से लगी 1040 किलोमीटर लम्बी सीमा पर भारी खर्चा होता है। उसके कारण कृषि, खनन, उद्योग एवं व्यापारिक गतिविधियां प्राय: नगण्य सी हैं। आवासहीन घुमक्कड़ गाड़िया लुहारों की भारी तादाद है। श्रमिकों की संख्या बहुत है लेकिन रोजगार नहीं है। इस कारण विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं बुनियादी सुविधाओं की अधिक लागत के मद्देनजर राजस्थान राज्य को विशेष दर्जा दिलवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्रीमती गोलमा। पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

(माननीय सदस्या श्रीमती गोलमा की नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

हां बोलें।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पढ़ा हुआ मान लेना। मेरे क्षेत्र में कोई रोड की, पानी की, लाइट की समस्या है। ये मंत्री +++ कोई काम नहीं करते हैं। गौर करके सुन लेना, मंत्रीजी, रोड की, पानी की, लाइट की, सब चीज की बहुत समस्या है। ध्यान लगा करके सुन लेना, बहुत समस्या है मेरे क्षेत्र में। मैं जाती हूं तो टोकते हैं। कोई विकास नहीं हो रहा है। मंत्री बनकर के बैठ जाते हैं। कोई विकास तो करवाओ, तभी तो पार पड़ेगी। सरकार अपनी है, काम होना चाहिए, और होना चाहिए। कोई पक्षपात मत करना।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हारने वालों से डिजायर ले रहे हैं।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): यह देखो, मंत्रीजी, आप सुन रहो हो? कान खोलकर सुन लो आप।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): भाई की मत मानो, भाभीजी।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): 'भाभी जी' तो गरज के लिए बोलते हैं, नहीं तो भाभीजी से बात तो नहीं करते आप। मैं पढ़ी-लिखी होती तो आपके कानों को कतर लेती, लेकिन पढ़ी-लिखी नहीं हूं, इस वजह से। सबको बहुत-बहुत राम राम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने +++ शब्द का इस्तेमाल किया है। उसको तो रिकार्ड से निकलवाओ। मंत्री तो ठीक है, उसके साथ +++ और कह दिया। वह तो रिकार्ड से निकलवाओ।

श्री अध्यक्ष: श्री रतनलाल जलधारी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): गोलमाजी ने जो 'कान कतरने' वाली बात कही है, उसको भी निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह असंसदीय नहीं है। यह असंसदीय नहीं है। (व्यवधान) 'कान कतरना' असंसदीय नहीं है। (व्यवधान)

सीकर जिले में आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि सीकर जिले में भूजल के अत्यधिक दोहन से सभी ब्लाक्स के डार्क जोन में आने तथा भूजल की गुणवत्ता में निरन्तर आ रही गिरावट के कारण शुद्ध पेयजल की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। आगामी कुछ दिनों में भीषण गर्मी शुरू होने वाली है जिसके चलते सीकर जिले में सीकर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होने वाली है। जिले में प्रति वर्ष गांव व ढाणियों में पानी के टैंकरों द्वारा पेयजल आपूर्ति करनी पड़ती है।

गर्मी में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जलदाय विभाग ने 6 करोड़ 7 लाख रुपये का अतिरिक्त प्लान बनाया है मगर इस प्रोजेक्ट की अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। अत: निवेदन है कि इस प्रोजेक्ट को इसी सप्ताह में मंजूरी दिलावें ताकि गर्मी आने से पहले ही पानी की किल्लत दूर हो सके। सीकर डिविजन के लिए यह प्रोजेक्ट मंजूर हो जाता है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के 9 गांव जो इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, उनकी पानी की समस्या का निराकरण हो जाएगा।

जिले के अन्दर करीब 250 से ज्यादा सिंगल फेज एवं थ्री फेज ट्यूबवेल करीब 10 करोड़ की लागत लगाकर जलदाय विभाग द्वारा खुदवाये हुए हैं मगर बिजली कनेक्शन के अभाव में बन्द पड़े हैं, जिससे जिले के करीब 220 गांव व ढाणियां पेयजल की किल्लत झेल रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही करीब 23 सिंगल फेज ट्यूबवेलों का निर्माण किया हुआ है मगर विद्युत कनेक्शन के अभाव में इनको शुरू नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में

(श्री रतन लाल जलधारी)

माननीय जलदाय मंत्री महोदया को सीकर बैठक के दौरान भी अवगत करवाया जा चुका है। उन्होंने इस समस्या के समाधान हेतु कहा भी था, मगर अभी तक इन ट्यूबवेलों के बिजली कनेक्शन नहीं हुए हैं। अत: शीघ्र ही इन ट्यूबवेलों के बिजली कनेक्शन करवाए जाएं ताकि लोगों को गर्मी के समय में पानी की किल्लत से राहत मिल सके।

जिले के अन्दर पहले से चालू करीब 150 से अधिक ऐसे सिंगल फेज के ट्यूबवेल हैं जिनके बिल जमा नहीं होने के कारण बिजली के कनेक्शन कटे हुए हैं। जलदाय विभाग का तर्क है कि ग्राम पंचायत को ट्यूबवेल सौंप दिये गये हैं तो बिल भी वही जमा करवाएं, जबकि ग्राम पंचायतों के सरपंचों से बात की तो उन्होंने बताया कि बिल जमा करवाने के लिए हमारे को अलग से बजट दिया जाए। पंचायत राज व जलदाय विभाग के आपसी झगड़े के कारण खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

अत: सदन के माध्यम से मैं माननीय जलदाय मंत्री महोदया एवं पंचायत राज मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि शीघ्र ही समस्या का समाधान कराएं ताकि सीकर जिले में आने वाले गर्मी के मौसम में आम जनता को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सके।

श्री अध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री छोटू सिंह।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र के सर्वे से वंचित गांव

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले में उपनिवेशन विभाग में 7 तहसीलें और 212 गांव आते हैं। उन तहसीलों में कई राजस्व गांव आये हुए हैं और उन गांवों को उपनिवेशन में स्थानान्तरित किये हुए कई साल बीत गये हैं। उनमें से कई गांवों का आज तक सर्वे नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन गांवों में नहर के पक्के खाले भी बन गये, माइनर्स बन गये, कई की आबंटन की प्रक्रिया आज भी बाकी है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 212 गांवों में से 60-70 गांव ऐसे हैं जो आलरैडी उसमें सृजन हुए हुए हैं लेकिन वे गांव कमाण्ड में होते हुए भी सामान्य आबंटन से वंचित हैं। पूर्ववर्ती सरकार का

(श्री छोटू सिंह)

नियम था कि जितने भी मुरब्बे होंगे, उसमें से पचास प्रतिशत विशेष के और पचास प्रतिशत सामान्य के होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन पचास परसेंट सामान्य में कमाण्ड, वहां के लोकल गांव, जो कई पीढ़ियों से वहां रहते हैं, वे आज भी वंचित हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पूर्वजी गांव और जो भूमिहीन हैं, उनके लिए जो पचास परसेंट आरक्षित के विशेष मुरब्बे लिये हुए हैं, उनको दस परसेंट कम करके, लोकल जो लोग रह रहे हैं, वे कमाण्ड में आये हुए हैं, उनके पास रहने को भी नहीं है, न खेत जोतने को है, न मवेशी विचरण के लिए जगह है। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि या तो डिनोटिफाइड करके स्पेशल जमीन को उनको दिया जाए, या फिर जो अनकमाण्ड लैण्ड है वह ऐसे ही पड़ी है, तो खरीफ की फसल के लिए उन भूमिहीनों को, जो नियम बने उस नियम के तहत, अनकमाण्ड भूमि ही दी जाए ताकि वे खरीफ, बरसात ऋतु में अपनी खेती कर सकें।

इसके अतिरिक्त, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ और हैं, कुछ गांव सर्वे से रहे हुए हैं, जैसे लुणार है, गुंजनगढ़ है, उकराला पार है, दबड़ी है, लाम्बा पार है, उन सबके खालें, नहरें बनी हुई हैं, लेकिन वहां सर्वे न होने के कारण वे गांव आज तक सामान्य आबंटन से वंचित हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जितना हो सके, जल्दी करके सर्वे करवाया जाए, जिससे कि उनको सामान्य अलाटमेंट हो सके।

इसके साथ में निवेदन और है कि 2010 में विशेष आबंटन के कई लोगों ने आवेदन किये लेकिन कुछेक लोगों को आबंटन विशेष के हुए, कुछ को नहीं हुए, जैसे बाहला है, भारेवाला है, कुछेक उपनिवेशन के और गांव भी हैं। उन गांवों में विशेष के आवेदन किये हुए लोगों ने, पता नहीं, कौनसे न्यायालय में जाकर स्टे ले लिया, न तो उनको अभी जमीन मिली हुई है और जमीन न मिलने के कारण, स्टे के हिसाब से, उन्होंने नहरों से अपनी-अपनी बारी बंधवा ली है। तीन-तीन, चार-चार साल से भू-माफिया के लोग उस नहर में नाजायज, केवल आवेदन के 500 रुपए की आवेदन की रसीद पर, अपनी खेती की बारियां नहर से बंधवा कर खेती कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार भू-माफिया, जो केवल आवेदन के तौर पर, 500 रुपए की रसीद पर अपनी बारियां बंधवाई हुई हैं, उन बारियों को निरस्त किया जाए और जो लोकल लोग हैं उनको कमाण्ड जमीन हो, तो कमाण्ड, नहीं तो अनकमाण्ड जमीन के

(श्री छोटू सिंह)

आबंटन की प्रक्रिया चालू की जाए। इन्हीं आशाओं के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस प्रकरण में मुझे जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से, श्री हीरालाल नागर।

हाड़ौती सम्भाग में बेमौसम अंधड़ व ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाड़ौती सम्भाग में कल शाम का दिन बड़ा भयानक रहा और पूरे हाड़ौती क्षेत्र में एक मातम छा गया। वहां पर अन्धड़, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के रूप में आसमान से आफत बरसी और किसानों की खड़ी फसल, चाहे वह गेहूं हो, धनिया हों, या सरसों हों, सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो गई और खेत में कट कर पड़ी हुई फसलें भी नष्ट हो गईं। किसान ने बड़ी तैयारी के साथ, बड़े अरमानों से अपने खेतों को तैयार करके जैसे-तैसे बीज का इन्तजाम किया, फसल बोई और फिर उसके लिए खाद का प्रयास करने में किसान को एड़ी से चोटी का जोर लगाना पडा। कई जगह उन्होंने महीनों तक डण्डे खाये। उसके बाद जब उसने उसकी फसल में खाद दिया, पानी दिया और आज वह फसल पककर तैयार होने की स्थिति में आई तो किसान की स्थिति ऐसी है कि यहां बयान नहीं कर सकता। आज हाड़ौती की, चाहे वह पूरा कोटा हो, झालावाड़ हो, बारां हो या बून्दी हो या हाड़ौती से लगा हुआ चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र हो, सभी तहसीलों में इतना नुकसान हुआ है कि किसान के लिए मेरे ख्याल से आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है।

हम सब यहां पर किसानों का वोट लेकर आते हैं और आज 65 साल बाद भी किसान किस स्थिति में है, निश्चित रूप से इस पर हमें गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज स्थिति इतनी भयानक है, किसान ने जो अपनी मूल पूंजी लगायी और बैंकों से ऋण लिया, सहकारी ऋण लिया, आज स्थिति यह है कि सहकारी वाले कह रहे हैं कि मार्च से पहले ऋण जमा नहीं किया तो ब्याज लगेगा। आज किसान इस स्थिति में नहीं है कि वह किसी भी तरह का ऋण मार्च तक जमा कर दे। उसको पुन: उस ऋण का ब्याज भी देना पड़ेगा। आज बिजली के बिल भी ऐसी स्थिति में आये हैं कि किसान के पास जमा कराने की कोई स्थिति नहीं बच रही है। निश्चित रूप से इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

(श्री हीरालाल नागर)

हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह ऐसी है कि हम कृषि प्रधान देश हैं और इस कृषि प्रधान देश में आज 65 साल बाद भी हम किसान को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। हम वहां जाते हैं तो कहते हैं, चिन्ता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जब जाएंगे तो लोग-बाग़, कपड़े फाड़ेंगे! हमें इस पर गम्भीरता से विचार करके, माननीय आपदा मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि इसको हमने केन्द्र को भेजा है, इस आपदा में 25 प्रतिशत तक जो प्रस्ताव दिया है राज्य सरकार का, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उसे लागू कराने की आवश्यकता है। हम राज्य में भी सरकार में हैं, केन्द्र में भी सरकार में बैठे हुए हैं। ऐसी आपदा के समय इन प्रावधानों में तुरन्त सुधार करवाएं और वह लागू करें।

इसकी गिरदावरी तुरन्त हो। मैं आपदा प्रबंधन मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि कितने दिन में हम गिरदावरी करेंगे? कई मौकों पर खराबे हुए हैं लेकिन हमारा जो रेवेन्यू विभाग है, वहां के पटवारी हैं, वे सही आकलन नहीं करते, सही गिरदावरी नहीं करते। कई-कई गांव पिछली बार भी ओलावृष्टि में खराब हुए, लेकिन पटवारियों ने वहां जाकर सही सर्वे करने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने बैठे-बैठे ही गलत आंकड़े प्रस्तुत कर दिये। उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। कई जगह हम गये, किसानों को फेस नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति किसानों ने की है। इस पर निश्चित रूप से उनको पाबंद किया जाय कि वहां हर खेत पर जाकर पटवारी गिरदावरी करे। इसकी सही स्पष्ट स्थिति आज भी गांवों में नहीं है। हम एस डी ओ या तहसीलदार से पूछते हैं, वे बताते हैं, 50 परसेंट पूरे गांव में खराबा होगा तभी किसान को लाभ मिलेगा। वहां, वास्तव में, मैंने आपदा के नियम देखे हैं, यदि एक भी किसान को, अपनी इस जमीन में से 50 परसेंट से अधिक पूरे गांव में एक किसान को भी खराबा हुआ है, उसको भी लाभ देने का प्रावधान है। लेकिन इन सब चीजों को पटवारी इसलिए लागू नहीं करते क्योंकि उन्हें कागज लिखने पड़ेंगे। वे सोचते हैं कि हमें इसमें क्या मिलेगा।

किसान के साथ यह अन्याय अब नहीं होना चाहिए। हमें इसके लिए पूरे प्रावधान करके किसानों को तुरन्त राहत देने के लिए आज घोषणा करनी चाहिए कि किस तरह से किसान को बचाया जा सकता है। आज हम बीमा काटते हैं, बीमे की राशि कई बार किसानों की कटी, लेकिन बीमे में क्या प्रावधान है, किसानों को आज तक नहीं पता। उसको कवर नोट नहीं मिलता।

(श्री हीरालाल नागर)

बीमे में कितनी राशि काटी जाती है, उसकी जानकारी बैंक नहीं देते। नतीजा यह होता है कि किसान का बीमा काटने के बाद भी, फसल खराब होने के बाद भी, कोई मौसम का लाभ उसको नहीं मिलता। आज इस मौसम में जिस तरह की खराब हुई है, बीमे का भी लाभ मिलना चाहिए, आपदा प्रबंधन का भी लाभ मिले।

जैसी स्थिति आज किसान की हुई है, किसान ने बड़े अरमान से सोचा था कि मेरे घर में फसल आएगी और मैं मेरी बेटी के हाथ पीले करूंगा। किसी ने क्या अरमान सोचे थे। उसके सब अरमानों पर पानी फिर गया है। इस पर निश्चित रूप से तुरन्त कार्यवाही करके किसान को बचाने की आवश्यकता है।

मैं माननीय आपदा मंत्री और कृषि मंत्रीजी से आश्वासन चाहूंगा कि आप इस पर क्या कार्यवाही करना चाहते हैं? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पोंड कर रहे हैं? माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने गम्भीरतम विषय उठाया है। यह बात सच है कि 12 तारीख की वर्षा के कारण से किसानों को उस क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। विशेषकर लाडपुरा में 42 एम एम बारिश हुई है, दीगोद में 12, पीपल्दा में नहीं हुई, सांगोद में 2, रामगंजमण्डी में 6, भडाना में 3, कनवास में 4 और चेचट में 3; रेन गेज से जो आया है, वह इस प्रकार है।

बारिश के सारे आंकड़ों के आधार पर नुकसान तो हुआ है, लेकिन नुकसान का अनुमान करने के लिए मैंने, जो 28 तारीख से लेकर 3 तारीख तक जहां-जहां नुकसान हुआ, उसके लिए तो मैंने 4 तारीख को ही आदेश जारी कर दिया और 15 दिन में उनकी गिरदावरी होकर दो दिन में हमारे यहां पहुंच जाएगी और उसके बाद जो भी हमें उसका मुआवजा देना है, 50 प्रतिशत से अधिक इंडिविजुअल किसान को भी नुकसान हुआ, तो इसमें कवर होता है। इसमें कोई गांव नहीं है, इसमें तहसील नहीं है, व्यक्तिगत नुकसान भी 50 परसेंट से अधिक है तो आपदा राहत के तहत उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं, वे निश्चित रूप से मिलेंगी। लेकिन चूंकि यहां की गिरदावरी, आज 12 तारीख हो गयी, मैं उसी 15 दिन को मानूं तो 18 को समाप्त हो जाएगा; इस 12 तारीख के एपिसोड के कारण से जो किसान को नुकसान हुआ है, इसमें मुझे गिरदावरी का थोड़ा समय और चाहिए। बाकी सारे राजस्थान का जो 28 व 3

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

के बीच में नुकसान हुआ, उसकी पूर्ति करने के लिए मेरे पास 18 तारीख को सूचना आ जाएगी और 20 तारीख के बाद मैं उनको जो भी राहत दे सकता हूं, वह दे दूंगा। लेकिन इसमें मैं चाहता हूं कि मुझे 15 दिन का गैप जरूर मिले ताकि मैं सही गिरदावरी करा सकूं और सही जानकारी लेकर, जो भी किसान को नुकसान हुआ है और आपदा प्रबंधन की तरफ से उनको जो सहायता हो सकती है, निश्चित होगी।

रहा सवाल जहां 25 परसेंट का खराबा हुआ, उसके लिए हमने प्रस्ताव केन्द्र को सरकार की तरफ से भेजा हुआ है, लेकिन जब तक उस पर उनकी कंसेंट नहीं मिलेगी, इस आपदा प्रबंधन के इस पैसे का उपयोग, पैसा हमारे पास होते हुए भी, हम किसान को नहीं दे सकते। यह कब आएगा और कब इसमें सुधार होगा; हम फिर प्रयास करेंगे कि कम से कम 25 परसेंट और उससे अधिक नुकसान इंडिविजुअल किसान को, जो भी कम से कम लाभ दिया जा सकता है, उसको देने के प्रयत्न के लिए केन्द्र सरकार से प्रयास कर रहे हैं।

बाकी किसानों को, निश्चित रूप से आज 12 से 27 तारीख को आ जाएगा और इसी महीने की 31 तारीख से पहले-पहले उनका पेमेंट हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री जगसीराम।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय कृषि मंत्रीजी, इस पर जो बीमा का प्रावधान है, उसमें कृषि मंत्रीजी बताएं। बीमा राशि देने के बाद किसान को कोई लाभ नहीं मिलता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृषि मंत्रीजी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, जो हमारे वर्षा मापक यंत्र हैं वे खराब पड़े हैं। चेचट में, जैसे माननीय मंत्रीजी के पास रिपोर्ट आयी, 3 एम एम बारिश हुई। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इन यंत्रों का भी हम लोग एक बार सर्वे कराएं कि कितने खराब हैं, कितने सही हैं। तो मुझे लगता है, किसान को फायदा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय कृषि मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं। माननीय कृषि मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बारां, झालावाड़ में पहले भी ओलावृष्टि हुई थी और कल भी हुई है। अभी तक वहां

(श्री रामपाल)

पटवारियों ने जाकर सर्वे ही नहीं किया। वहां पहुंचे ही नहीं अभी तक। (व्यवधान)

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, 27 व 28 फरवरी को जो बारिश हुई थी, उसमें कई गांव ऐसे बच रहे हैं जिनमें अभी पटवारी ने जाकर टीप नहीं की है। वहां कोई रिपोर्ट आयी हो तो मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि वे बताएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इंडिविजुअल नहीं। मंत्रीजी ने पूरा आश्वासन दे दिया है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): पूरे राजस्थान का सर्वे करवाकर रिपोर्ट मंगायी जाय ताकि सब किसानों को फायदा मिल सके। मेरे राजगढ़ तहसील में भी हुआ है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): 4 तारीख को हमारा आदेश हुआ, 15 दिन का हमने समय दिया, 18 तारीख तक उनको सूचना भेजनी है। 18 दिन के बाद 2 दिन का समय, यहां तक आएगा। 20 के बाद हम कार्रवाई शुरू करेंगे, मेरे हिसाब से। अगर आपको कहीं कोई लगता है कि यहां कोई कमी रह गयी तो आप लिखकर दें, मैं तुरन्त कन्वे करके उस स्थान की सूचना भी मंगवा लूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप। अब बैठिए। नहीं, जनरल डिबेट नहीं हो सकती। माननीय कृषि मंत्रीजी। (व्यवधान) आप बैठिए। कटारा साहब, बैठिए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने, खास तौर से कोटा सम्भाग के माननीय सदस्यों ने ... (व्यवधान) राजस्थान से आये सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, 12 मार्च को, 28 फरवरी को, 1 मार्च को, तीन दिन राजस्थान में बेमौसम बारिश हुई है और कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है। जैसा आपदा मंत्रीजी ने अभी आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही हम लोग गश्त गिरदावरी के माध्यम से 50 प्रतिशत से अधिक जो खराबा होगा, निश्चित रूप से उन किसानों को उनके हुए नुकसान का मुआवजा आपदा प्रबंधन से दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में अभी हाल ही में दो प्रकार के लाभ किसानों को बेमौसम बारिश के लिए दिये जाते हैं। पहला, आपदा प्रबंधन से। आपदा प्रबंधन का पैसा 50 प्रतिशत से अधिक खराबा होने पर आपदा प्रबंधन से

(श्री प्रभू लाल सैनी)

दिया जाता है। इसके साथ ही, चाहे खराबा हुआ हो, चाहे नहीं हो, लेकिन यदि राजस्थान में बेमौसम बारिश हुई है तो मौसम-आधारित-फसल-बीमा राजस्थान के 21 जिलों में अभी संचालित की जा रही है और 12 जिले ऐसे हैं जहां पर मोडिफाइड फसल बीमा योजना लागू है। इस प्रकार 33 के 33 जिलों को बीमा योजना से कवर किया हुआ है।

(13.00 बजे)

जैसा कि रामगंजमण्डी से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि मौसम सन्दर्भ केन्द्र खराब हो रखे हैं, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में 1,735 मौसम सन्दर्भ केन्द्र लगे हुए हैं और प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर इसकी व्यवस्था की गई है, बीमा क्षेत्र में। मेरा आपसे निवेदन है कि तीन कम्पनियों से, थर्ड पार्टी के हिसाब से हम लोग बीमा कम्पनियों के माध्यम से किसी भी मौसम सन्दर्भ केन्द्र का आकलन नहीं करवाते हैं। थर्ड पार्टी के रूप में राजस्थान में अभी तीन कम्पनियां हैं जो इस काम को देख रही हैं। उनमें नेशनल कोलेस्ट्रोल मैनेजमेंट लिमिटेड, स्काईमेट वेदर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एक इंजन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड हैं। इन कम्पनियों के माध्यम से मौसम का मीटीयोरोलोजी डिपार्टमेंट के आधार पर जो बरसात के या तापमान के आंकड़े आते हैं, अधिक बरसात व मौसम के तापमान में उतार-चढ़ाव के आंकड़े आते हैं, उसके आधार पर मौसम-आधारित-फसल-बीमा-योजना में मुआवजा देने का प्रावधान है, चाहे नुकसान हो, या नहीं हो।

यदि मौसम के फ्लेक्चुएशन या बारिश होती है, जैसे मैं कोटा सम्भाग की बात करूं तो धनिये की फसल का बार-बार जिक्र आता है, उसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि 1 फरवरी से 31 मार्च तक 8 एम एम से लेकर 23 एम एम तक बारिश होती है तो किसानों को यदि 8 एम एम बारिश हुई है तो 533 रुपये प्रति हैक्टर उनको देंगे और यदि 23 एम एम बारिश हुई है तो वहां पर 8 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उन किसानों को मौसम-आधारित-फसल-बीमा-योजना में लाभ दिया जाएगा।

इसी प्रकार सरसों के क्षेत्र की बात करूं तो 1 फरवरी से 28 फरवरी तक यदि 12 एम एम से लेकर 20 एम एम तक बारिश होती है तो इसके फर्स्ट फेज का जो हमारा टार्गेट तय किया गया है उसमें 1,500 रुपये प्रति

(श्री प्रभू लाल सैनी)

हेक्टेयर और यदि 1 मार्च से 18 एम एम तक बारिश होती है तो 1,850 रुपये और हम देंगे। इस प्रकार, 3 हजार 350 रुपये प्रति हैक्टेयर तीनों तारीखों पर यदि बारिश अधिक हुई है तो हम देंगे।

गेहूं के क्षेत्र में प्रथम फेज में 1 मार्च से 20 मार्च के बीच में 13 एम एम से 18 एम एम बारिश हुई है तो हम 2,100 रुपये उनको देंगे और सेकण्ड फेज में 21 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक यदि 10 एम एम से लेकर 20 एम एम बारिश हुई तो 3 हजार; यानी, 5 हजार 100 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा देय होगा, जिन्होंने मौसम-आधारित-फसल-बीमा-योजना में बीमा कराया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मोडिफाइड फसल बीमा योजना का गिरदावर सर्किल पर क्रोप-कटिंग के माध्यम से जितना खराबा होगा, उसी के आधार पर आपदा प्रबन्धन के अतिरिक्त किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब नहीं होगा। विराजिये। बिलकुल नहीं होगा। श्री जगसी राम का नोट होगा, और किसी का नोट नहीं होगा। श्री जगसी राम। बिलकुल नहीं। बहस नहीं अब। आ गया, जवाब आ गया। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र (डग): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। श्री जगसी राम। (व्यवधान) नहीं, आप बैठिये। आप पहले पूछ चुके थे। बैठिये। जवाब आ चुका है। (व्यवधान) श्री जगसी राम कोली।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

रेवदर में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरा जाना

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेवदर विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों की स्थिति को माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहूंगा। रेवदर विधान सभा क्षेत्र और आबू रोड गुजरात सीमा से लगते हुए हैं। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि रेवदर में चिकित्सा के क्षेत्र में उप खण्ड स्तर पर चिकित्सकों के पांच पद स्वीकृत हैं पर वहां पर मात्र एक ही लगा हुआ है। आस-पास के कई गांव हैं, और वहां पर कभी भी कोई दुर्घटना होती है तो एक डाक्टर भी वहां पर हाजिर नहीं मिलता है, जिससे क्षेत्रवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(श्री जगसी राम)

इसी तरह से, रेवदर तहसील के अन्दर आने वाले बड़े जो गांव हैं जैसे दातरई है, मण्डार है, सिरोड़ी है, अनादरा है, भटाणा है, उनके लिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मात्र एक-एक ही डाक्टर हैं। वहां पर न तो ए.एन.एम. है और न अन्य कोई कर्मचारी है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे यहां पर ब्लाक सी एम एच ओ, रेवदर का पद रिक्त पड़ा है और उसके लिए जो वासुदेव और एक भीमारामजी, दो डाक्टर लगाये गये थे। वे लम्बे समय से, यहां पर आने के बाद में, कभी भी उप खण्ड स्तर पर एक दिन भी हाजिरी नहीं दी है और नहीं रहे हैं। वे रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि या तो उनको पाबन्द करें, या उनको अन्यत्र भिजवायें।

इसी तरह से, मण्डार में 108 एम्बुलेंस जब से आई है, तब से ही कोई वाहन चालक वहां पर नहीं है, जिससे जब कभी भी कोई दुर्घटना होती है तो वहां के क्षेत्रवासियों को, जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

इसी तरह से, आबू रोड पूरा तहसील है, नगरपालिका क्षेत्र है, उसमें भी सर्जन के जो दो पद स्वीकृत हैं दोनों ही खाली हैं। इसमें एल एच वी के पद सारे खाली हैं; शिशु विशेषज्ञ का पद भी खाली है; लैब टेक्निशियन नहीं है; वार्ड ब्वॉय के 6 पद हैं और सारे खाली हैं; तथा सेकण्ड ग्रेड नर्स के चार पद हैं और चारों पद खाली पड़े हैं।

मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरा आबू रोड है, वह ग्रामीण क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है और आदिवासी भाई वहां इलाज के लिए आते हैं तो उनको खाली जाना पड़ता है। आबू रोड और रेवदर की जनता को गुजरात जाना पड़ता है। जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात पर आप गौर फरमाएं और जो खाली पद हैं, उनको भरवाने की कृपा करावें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप रेस्पोंड करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रेवदर और सिरोही जिले में चिकित्सकों के पद रिक्त होने की बात कही है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि लगभग 30 प्रतिशत चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से स्थायी नियुक्ति की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विज्ञप्ति जारी की थी, 1,261 चिकित्सकों का सलेक्शन हुआ और उसमें से मात्र 600 ने ही जोइन किया है। इसी सप्ताह 434 और चिकित्सकों के पदस्थापन का आदेश दे रहे हैं। उसमें रेवदर के पदों को भी भरने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हम यह भी निर्देश दे रहे हैं कि हर महीने में वाक-इन-इंटरव्यू, जो कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बना रखी है, वह इंटरव्यू ले और कोई भी चिकित्सक किसी भी जिले में अगर नौकरी करना चाहे तो, पहले तो, अध्यक्ष महोदय, इनको एडहाक बेसिस पर लगाया करते थे, इनका एक निश्चित मानदेय था 30 हजार रुपये, पर अब इनको स्थायी नियुक्ति मानते हुए, इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि वाक-इन-इंटरव्यू में भी कोई आये तो उसको स्थायी दें।

इसके अलावा, रेवदर उन जिलों में है जिनके अन्दर इंसेंटिव के तौर पर, अगर कोई डाक्टर काम करता है तो उसमें उसको उसके वेतन के अलावा 10 हजार से 35 हजार तक अतिरिक्त पैसे देने की व्यवस्था भी हम लोगों ने कर रखी है। हमने 13 ऐसे जिले उच्च प्राथमिकता के छांटे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, अगर इन 13 जिलों में, जिनमें सिरोही भी है, अगर अपनी सेवायें देगा तो उसको जितना सरकार वेतन दे रही है, उसके अलावा 30 हजार रुपये प्रति माह अतिरिक्त देने का, इंसेंटिव देने की हमने योजना बना रखी है। उसी में जो शहर के नजदीक हैं, उनको 15 हजार रुपये देंगे। इसी प्रकार जो चिकित्सा अधिकारी हैं, इन 13 जिलों में दूरस्थ काम करता है तो उसको 25 हजार रुपये, उसके कुल वेतन के अलावा, अतिरिक्त देंगे। इसी प्रकार जी एन एम को 10 हजार रुपये और एल एच वी को भी देंगे। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से पूरा एक पैकेज बनाया है।

अध्यक्ष महोदय, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। चिकित्सकों की राजस्थान में कमी है, 10 हजार से ज्यादा चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। हम हर प्रकार के प्रयास कर रहे हैं और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस बार इसी महीने में जो 484 और चिकित्सक हम नियुक्त कर रहे हैं, उसमें सिरोही जिले को प्राथमिकता देते हुए, उन पदों को हम भरने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अमृता मेघवाल, पर्ची के माध्यम से।

जालौर के ग्राम केशवाना में कृषि महाविद्यालय खोला जाना

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्बन्धित मंत्री साहब से निवेदन करूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

केशवाना में लगभग 400 बीघा जमीन पर कृषि विज्ञान केन्द्र व कृषि अनुसंधान क्षेत्र केन्द्र स्थित हैं। इस कृषि विज्ञान केन्द्र व कृषि अनुसंधान क्षेत्र केन्द्र में पर्याप्त भवन बने हुए हैं। इस केन्द्र में प्रयोगशाला है; कृषि अतिथि गृह है; मीटिंग हाल, कान्फ्रेंस हाल और बहुत सारे भवन हुए हैं। इस कृषि विज्ञान केन्द्र व कृषि अनुसंधान क्षेत्र केन्द्र में कृषि वैज्ञानिक, प्रोफेसर और बहुत सारा स्टाफ भी मौजूद है। अगर सरकार चाहे तो बिना किसी बजट के यहां कृषि महाविद्यालय खोलने की मान्यता प्रदान कर सकती है। इससे मेरे जालौर जिले के आस-पास के जिले, जिनमें सिरोही, बाड़मेर हैं, उन जिलों तथा जालौर जिले के किसानों को व छात्र-छात्राओं को बहुत सारा फायदा मिलेगा, क्योंकि मेरे आस-पास के सभी जिले कृषि क्षेत्र के जिले हैं। तो सरकार अगर केशवाना स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र व कृषि अनुसंधान क्षेत्र केन्द्र को कृषि महाविद्यालय खोलने की मान्यता देती है तो कई जिलों को फायदा होगा।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी से यह पूछना चाहती हूं कि जो मैंने मांग उठाई है, क्या उस पर वे थोड़ा-सा भी विचार करते हैं? क्योंकि सरकार बने हुए एक साल हो गया है, यह मेरा तीसरा मुद्दा है, यही मुद्दा मैंने तीसरी बार उठाया है। तो मंत्री महोदय से कहूंगी कि इस पर आप जवाब दीजिये। विचार रखते हैं तो जवाब दीजिये; नहीं रखते हैं तो वह भी मुझे जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्या ने केशवाना में कृषि महाविद्यालय खोलने के बारे में पर्ची के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया है, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के अधीनस्थ अभी छह जिले हैं, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, सिरोही। अभी हाल ही में माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा नागौर में नये कृषि महाविद्यालय की स्वीकृति भी जारी की गई है, बजट में घोषणा हुई है।

यह निश्चित रूप से सही है कि केशवाना में कृषि अनुसंधान केन्द्र भी संचालित है और यह भी बात सही है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, जालौर में भी अभी यूनिवर्सिटी का संचालन किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नया कृषि कालेज खोलने का सरकार का कोई विचार नहीं है। जब भी इस प्रकार का विषय होगा, निश्चित रूप से

(श्री प्रभू लाल सैनी)

प्राथमिकताओं से सारे पहलुओं पर ध्यान रखते हुए इस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। विशिष्ट सचिव।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमित से गत सत्र में पारित उस विधेयक का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिसे राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है :-

(1) शिक्षु राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री अध्यक्ष: श्री प्रभू लाल सैनी, कृषि मंत्री।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14)

(1) महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014,

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14)

(2) स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा-32(4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014,

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

(3) श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013

(श्री प्रभू लाल सैनी)

की धारा-46 के अन्तर्गत श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015,

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

(4) कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015, एवं

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

(5) कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015.

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। सुश्री कीर्ति कुमारी।

याचिका

माण्डलगढ़ में उप परिवहन कार्यालय खोला जाना

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में उप परिवहन कार्यालय खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

आहौर की ग्राम पंचायत बागरा को उप तहसील बनाया जाना

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, विधान सभा क्षेत्र आहौर की ग्राम पंचायत बागरा को उप तहसील बनाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंह।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नलिखित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

लोद्रवा ग्राम (जैसलमेर) के पास काक नदी व चुन्धी नदी पर पुलियाओं का निर्माण

(1) ग्राम लोद्रवा जिला जैसलमेर के पास काक नदी व चुन्धी नदी पर वर्षा के मौसम में बाधित आवागमन को सुगम बनाने के लिए पुलियाओं का निर्माण करने बाबत, एवं

(श्री छोटू सिंह)

जैसलमेर जिले की 500 से अधिक की आबादी वाली ढाणियों में सड़क सुविधा की उपलब्धि

(2) जैसलमेर जिले की 500 से अधिक की आबादी वाली ढाणियों में सड़क सुविधा उपलब्ध कराने बाबत।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब हम आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-2016 की प्रथम अवस्था के अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद पर चलेंगे। आज मैं आपको सूचित कर दूं कि अस्वस्थ होने के बावजूद माननीया मुख्य मंत्री और सदन की नेता पधारेंगी और वे सारी बहस का उत्तर भी देंगी। इसलिए मुझे कुछ विशेष कहने की जरूरत नहीं। जो भी वक्ता यहां आयें, वे स्वयं अपने ऊपर संयम करके अपनी बात कम से कम शब्दों में, या कम से कम समय में कहें। यही मेरा विशेष निवेदन है। कल का अधूरा भाषण गोरधनजी का रहा है। वे पांच मिनट में बोलेंगे। फिर बोलेंगे प्रहलादजी गुंजल। फिर अगली कार्रवाई लेंगे। पांच मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीया मुख्य मंत्रीजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए सवा चार बजे का समय अगर तय फरमा देते हैं, सवा चार बजे उनका उत्तर हो जाता और पांच बजे तक पूरा हो जाता, तो बड़ी कृपा है। 10-15 मिनट, जैसा और आप बढ़ाना चाहें, तो देख लें।

श्री अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, मैं सहमत हूं, मेरे से भी बात हुई है लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चास्सवा चार-साढ़े चार बजे तक अपन सब निपटा देंगे और उसमें 15 मिनट ज्यादा भी हो जायें तो सदस्यों को भी संतोष होगा। मानिकजी भी बोलने वाले हैं, किरोड़ी लालजी भी बोलने वाले हैं। तो इसलिए सवा चार बजे की बजाय साढ़े चार हो जायेगा, लेकिन आज अपन करवा लेंगे। मुझे इस बात का ध्यान है।

श्री गोरधन, पांच मिनट रहे हैं आपके। ज्यादा नहीं। बोल लिया था 6-7 मिनट। फिर प्रहलाद जी गुंजल।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री गोरधन (धोद): ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें समय दिया, दुबारा समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

(श्री गोरधन)

मैंने वैसे बजट भाषण पर कल बोल दिया था। मेरी मांग दो-चार-पांच हैं, वह मैं बोल देता हूं।

श्री अध्यक्ष: बस, बस, ठीक है।

श्री गोरधन (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2008-2009 में पंडित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना सीकर में की गई थी। उस समय माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी शिक्षा मंत्री थे। जो घोषणा की गई थी, उस घोषणा के अनुसार वहां पर वी.सी.

(13.16 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

लगा दिया था, लेकिन जब कांग्रेस का वापस राज आया, 2013 तक, उस पांच साल में उन्होंने एक ईंट भी उस विश्वविद्यालय के नाम से, या कोई स्टाफ के नाम से कुछ भी नहीं किया। मैं यह बताना चाहूंगा कि जो 6-7 साल का समय रहा है, एक बहुत बड़ा शिक्षा से जुड़ा हुआ, और मैं सोचता हूं कि राजस्थान में यदि शेखावाटी विश्वविद्यालय, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाद में श्री कल्याण महाविद्यालय, सीकर का नाम आता है और शेखावाटी विश्वविद्यालय का जो क्षेत्राधिकार अभी दिया गया है, मैं बताना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय में अभी तक जिस गति से चल रहा है, कोई विशेष प्रकार का उसमें योगदान नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह मेरा निवेदन है कि इस विश्वविद्यालय को सुचारु रूप से चालू किया जाये; उसमें स्टाफ की जो कमी है, उसको पूरा किया जाये; उसमें जो बजट की कमी है, वह यहां से माननीया वसुन्धराजी, मुख्य मंत्रीजी के द्वारा जारी किया जाये। तो मैं सोचता हूं कि हमारे युवाओं के लिए और शिक्षा के लिए एक अच्छा योगदान हो सकता है।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे वहां पर श्री कल्याण आरोग्य सदन, जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है, और सरकार की भी ऐसी मंशा है कि पी पी पी माडल पर मेडिकल कालेज खोली जा सकती है, तो उसमें उस संस्था के द्वारा अपनी जमीन, अपना भवन, अपना बहुत बड़ा अस्पताल दे सकते हैं। वे बिलकुल तैयार हैं। तो इसलिए माननीया मुख्य मंत्रीजी इस पर विचार करें।

तीसरा, मेरा यह कहना है कि सुराज संकल्प यात्रा के दौरान

(श्री गोरधन)

माननीया वसुन्धराजी के द्वारा धोद विधान सभा क्षेत्र में रशीदपुरा में प्याज मंडी की घोषणा की गई थी, लेकिन वह प्याज मंडी अभी तक चालू नहीं हुई है। तो हमारा पुन: निवेदन है कि उसको चालू किया जाये, उसका बजट दिया जाये और उसकी बजट में, जो पूरक बजट पेश होगा, उसमें उसकी घोषणा की जाये तो मैं सोचता हूं कि क्षेत्र के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। इस प्याज मंडी के साथ-साथ यदि वहां पर, क्योंकि प्याज का बहुत बड़ा हब है, तो प्याज अनुसंधान केन्द्र भी वहां पर उसके साथ में दिया जाये तो यह भी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात होगी।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आया हूं, वह क्षेत्र वैसे तो लगभग 60 सालों से विकास के नाम पर अधूरा ही रहा है लेकिन पिछले 20-25 सालों से तो वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां पर जिस प्रकार से, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे चिकित्सा के मामले में हो, चाहे सड़कों के मामले हो, उस पर थोड़ा विशेष बजट दिया जाय जिससे उस क्षेत्र का भला हो सके। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि वहां पर तहसील और एस.डी.एम. कार्यालय के लिए, क्योंकि अभी तक बजट आबंटन नहीं हुआ है, इसलिए इस बजट में इसकी घोषणा कर दी जाए तो यह भी हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा हो सकता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में नगरपालिका क्षेत्र लोसल एक ही है और वहां पर यदि सिटी डिस्पेंसरी की घोषणा कर दी जाए तो वहां के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। वहां पर एक सोढाणी हास्पिटल चल रहा है लेकिन उसको सिटी डिस्पेंसरी का दर्जा नहीं है।

दूसरा, हमारे वहां पर क्योंकि ज्यादातर ढाणियों में रहते हैं, छोटे-छोटे गांवों में रहते हैं और ज्यादातर खेतों में रहते हैं, वहां पर पानी का अभाव है और उस क्षेत्र को डार्क ज़ोन घोषित कर रखा है। मेरा छोटा-सा इसमें निवेदन यह है कि जो लोग खेतों में रहते हैं, जो ढाणियों में रहते हैं, वहां पर पीने के पानी की समस्या है। उसका मुख्य कारण यह है कि जो पुराने ट्यूबवेल थे, वे ट्यूबवैल खराब हो गये हैं। इसलिए वहां पर यदि पीने के पानी के लिए तीन एच.पी. या ज्यादा से ज्यादा पांच एच.पी. तक भी कनेक्शन दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि पीने के पानी के लिए उनकी दुविधा दूर हो सकती है।

(श्री गोरधन)

इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी मांगें हैं, यदि सब मांगें पूरी हो जाएं तो मैं सोचता हूं कि उस क्षेत्र का भला हो सकता है, लेकिन मैं दो-चार छोटी-मोटी बात और कहना चाहता हूं। वहां एक रीको की स्थापना हो जाए तो भी अच्छा हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र पर, क्योंकि पूरे राजस्थान में धोद विधान सभा क्षेत्र को राजस्थान के पश्चिम बंगाल के रूप में जाना जाता है, तो उस क्षेत्र में विशेष प्रकार का ध्यान दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पहली बार वहां कमल का फूल खिला है। इसलिए हमारी मुख्य मंत्रीजी और उसकी टीम के द्वारा इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए तो मेरे क्षेत्र का भला हो सकता है।

आपने मुझे पुन: समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, 9 मार्च को राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने 2015-16 का राज्य का बजट सदन में पेश किया। (व्यवधान) मन से ही बोलूंगा। पिछले तीन दिन से लगातार बजट पर चर्चा हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, इससे पहले केन्द्र का बजट आया। वैसे तो भारत के वित्त मंत्री ने, प्रधानमंत्रीजी ने टीम इंडिया की भावना से काम करने को दृष्टिगत रखते हुए, केन्द्रीय मदों में से देश के सभी प्रांतों को दस प्रतिशत अधिक राशि मुहैया कराने का एलान किया। राज्य के कुछ मदों में कटौती हुई; सेवा कर दो प्रतिशत बढ़ाया। राजस्थान का बजट आना था, राज्य के कुछ मदों की कटौती और सेवा कर को बढ़ाने के बाद कांग्रेस के लोग उत्साहित थे कि अब राजस्थान के बजट में राज्य की माली हालत को देखते हुए, जिसको हम बरबादी के कगार पर खड़ा करके चले गये थे। राज्य की मुख्य मंत्री करों का भार इस राजस्थान की जनता पर लादेंगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, 2015-16 के इस बजट में व्यापक स्तर पर करों का सरलीकरण किया गया है।

जब बजट पेश होता है, माननीय सभापति महोदय, राज्य के संसाधनों से आय कितनी होगी, पूंजीगत निवेश से आय कितनी होगी, केन्द्र से कितना

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पैसा मिलेगा और उस सारे धन का समुचित रूप से एक साल तक राज्य के आम जनजीवन के कल्याण के लिए किस प्रकार से उपयोग में लिया जाएगा, एक खाका बजट में मुख्य मंत्री वित्त मंत्री के नाते तैयार करती हैं। इसीलिए सारे राज्य का व्यापारी, उद्योगपति, किसान, बेरोजगार जब यह बजट का सत्र आहूत होता है तो एक उम्मीद लगाकर बैठा रहता है। व्यापारी, उद्योगपति राहत की उम्मीद करता है; बेरोजगार, किसान रोजगार की उम्मीद करता है; अगर इस दृष्टि से हम इस बजट पर विचार करेंगे तो, माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कुछ करों में सरलीकरण किया, कुछ कर बढ़ायें।

मैं अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहता हूं। मैं जिस हाड़ौती से आता हूं, विश्व में कोटा स्टोन वहां की पहचान है और कोटा स्टोन केवल एक व्यापार नहीं, हाड़ौती के लाखों लोगों की आजीविका का आधार है। पिछले दिनों कोटा स्टोन और मार्बल का मुकाबला टाइल्स के साथ हुआ। कोटा स्टोन का व्यापार रुग्णता के रास्ते पर चला गया। इससे केवल व्यापारी प्रभावित नहीं हो रहा था, पूरे हाड़ौती सम्भाग की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी। लाखों लोगों के सामने रोजगार की चुनौतियां खड़ी होने जैसा सवाल खड़ा होने लग गया था। एक संवेदनशील मुख्य मंत्री के नाते राज्य की मुख्य मंत्री ने फैसला किया कि राजस्थान का ट्रेड जिंदा रहना चाहिए, ट्रेड पर आधारित समुदाय जिंदा रहना चाहिए; उसके हितों में व्यापक फैसला करते हुए, कोटा स्टोन सहित कई पत्थरों पर टैक्स 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन इसके साथ ही एक ओर निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए, माननीय सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य एक दिन कह रहे थे, धर्म के मूल में अर्थ है; राज्य के मूल में धर्म, धर्म के मूल में अर्थ है, अर्थ के मूल में राज्य; अर्थ जुटाना राज्य का दायित्व है। अर्थ नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं चलेगी, लेकिन अर्थ जुटाते समय बहुत ईमानदारी के साथ हमको यह विचार करना पड़ेगा कि अर्थ जुटाने की परिकल्पना के साथ जो हम टैक्स लगा रहे हैं, कहीं किसी ट्रेड के लिए आत्मघाती रास्ता नहीं बन जाए।

2015-16 के बजट में मोबाइल, टैबलेट, पी.सी., आदि पर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत का टैक्स किया। माननीय सभापति महोदय, ई-लर्निंग के दौर में हम राष्ट्र को आधुनिकता की तकनीक की ओर ले जा रहे हैं; व्यावसायिक शिक्षा, आनलाइन ई-लर्निंग, आदि विधियों से जोड़ रहे हैं। आज

(श्री प्रहलाद गुंजल)

निजी व्यवसाय से लेकर राज कार्य, शिक्षा के क्षेत्र तक में मोबाइल, लैपटाप, पी.सी. का उपयोग दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है और यह सम्पूर्ण राष्ट्र में ही नहीं, विश्व स्तरीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में यह व्यवसाय शामिल हो गया है। जब प्रतिस्पर्धा विश्व स्तरीय बाजार की शामिल हो, हम मोबाइल और लैपटाप, पी.सी. के ऊपर 5 से बढ़ाकर 8 प्रतिशत का टैक्स कर लें, तो, माननीय सभापति महोदय, आज इस हिन्दुस्तान के गांव में घर-घर में लोगों के पास मोबाइल हैं, मोबाइल पर इंटरनेट है, मोबाइल पर वाट्स-एप है और जब आन-लाइन बाजार खरीद की व्यवस्था हो गयी तो आज गांव में बैठा हुआ व्यक्ति अन्तरराष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए जब मोबाइल, टैबलेट, पीसी की आन लाइन परचेजिंग करेगा तो आनलाइन परचेजिंग में दो प्रतिशत सीएसटी भारत सरकार को तो चली जाएगी लेकिन राजस्थान सरकार को एक रुपया आनलाइन परचेजिंग टैक्स का नहीं मिलने वाला।

हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। जो बाजार लेकर बैठा हुआ है टैबलेट का, पी सी का, कम्प्यूटर का, मोबाइल की जो दुकान लगा कर बैठा हुआ है यहां पर हमारा व्यापारी, अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में आनलाइन परचेजिंग के आधार पर जब वह प्रभावित होगा तो एक तरफ तो सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है आनलाइन परचेजिंग से दूसरी तरफ हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है और व्यापार प्रभावित होने के साथ-साथ उस ट्रेड से जुडे हुए तमाम व्यक्तियों के सामने रोजगार की बहुत बड़ी गम्भीर चुनौतियां पैदा हो रही हैं।

इसीलिए, माननीय सभापित महोदय, मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपके माध्यम से राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि व्यवसाय प्रभावित नहीं हों, टैक्सों के फैसलों से ट्रेड के सामने चुनौतियां खड़ी नहीं हों, ट्रेड जिन्दा रहे, ट्रेड से जुड़ा समुदाय जिन्दा रहे, व्यापार समृद्ध बना रहे, इसीलिए इन चीजों पर जो आठ प्रतिशत वैट किया गया है उसे आज घटाने की आवश्यकता है। अगर सरकार चाहती है, कि इनसे टैक्स वसूली हो तो आनलाइन परचेजिंग पर आपको एक मेकेनाइज्ड सिस्टम डवलप करना पड़ेगा, कि राज्य में आनलाइन परचेजिंग पर राजस्थान सरकार किस प्रकार से टैक्स वसूल कर सकती है, वरना उसके बिना आपका यह वैट बढ़ाया जाना निरर्थक हो जाएगा। न सरकार को टैक्स मिलेगा, बल्कि व्यापार जो इस राजस्थान में गली-गली में चल रहा है, सारा का सारा व्यापार प्रभावित हो

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जाएगा। आज गांव में बैठा हुआ पांचवीं पास बच्चा मोबाइल नेट खोलता है और आफर देखता है कि चाइना का मोबाइल जो हिन्दुस्तान के इस राजस्थान के बाजार में मुझे दस हजार का मिल रहा है, आनलाइन परचेजिंग में अगर वह पांच हजार का आ रहा है, तो उसकी प्राथमिकता पांच हजार की होगी। इस विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा के दौर में हमारे फैसले लोगों के कल्याण के लिए होने चाहिए, ट्रेड के कल्याण के लिए होने चाहिए, राजस्थान के हित में होने चाहिए। इसलिए मैं इस सदन की नेता से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बार इस फैसले पर इस ट्रेड को जिन्दा रखने के लिए पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है; वरना जिस मंशा के साथ इस ट्रेड पर टैक्स लगाया गया है, सरकार का बढ़ने वाला नहीं है, ट्रेड मर जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं। हमें टैक्स बचाना है तो मेकेनाइज्ड सिस्टम डवलप करो और ट्रेड को जिन्दा रखने के लिए आवश्यक कदम उठाओ। टैक्स लगाने मात्र से सरकार के खजाने में पैसा नहीं आने वाला।

माननीय सभापति महोदय, मैं साधुवाद देना चाहता हूं राज्य की मुख्य मंत्री को, विलासिता कर में छूट, सरलीकरण। विलासिता कर, नाम तो ऐसा है विलासिता; ऐसा लगता है कि समृद्ध लोगों के कल्याण के लिए कोई छूट दी होगी लेकिन आज शहर से लेकर गांव तक, सामुदायिक सेवाओं का उपयोग करके, इस राजस्थान का एक-एक व्यक्ति अपने बेटे और बेटी का ब्याह करता है सरकारी सामुदायिक केन्द्रों पर, उस पर टैक्स लगता है। उस टैक्स में पचास प्रतिशत की छूट दिया जाना राजस्थान के आम व्यक्ति के हित में कल्याणकारी कदम है। निश्चित रूप से महंगाई के दौर में यह जो एक बड़ी राहत राजस्थान की मुख्य मंत्री ने राजस्थान के आम व्यक्ति को दी है, मैं समझता हूं कि सारे राजस्थान में इसके लिए राजस्थान की मुख्य मंत्री को धन्यवाद दिया जाना चाहिए।

एक और बात, माननीय सभापति महोदय, आफ सीजन, विलासिता कर में तीन महीने आफ-सीजन छूट, ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है। आर आई पी एस 2014 के अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्र की होटलों को पचास प्रतिशत तक विलासिता कर में छूट प्रदान किया जाना, यह पर्यटक होटलों को जीवनदान देना है। पर्यटक होटलें विलासिता कर के कारण रेंग-रेंग कर चल रही थीं। रेंग-रेंग कर चलती हुई होटलें आज पुन: जीवनदान के रास्ते पर आगे बढ़ गईं। इसीलिए केवल पचास प्रतिशत टैक्स में कमी नहीं की, एक कंपोजिशन स्कीम

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लागू कर दी। आप एकमुश्त दे सकते हैं आप साल भर की किस्त कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार के इस फैसले के बाद राजस्थान में टूरिज्म बढ़ेगा, टैक्स आएगा, सब कुछ होगा, ट्रेड भी मजबूत होगा और टैक्स लगाते समय में यह भी विचार करना चाहिए।

लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी चर्चा में 2003 से लेकर 2014 तक के बीच के दो-तीन शासन के सारे आंकड़े पेश किये गये। 2003-04 में जब राज्य की व्यवस्था मुख्य मंत्रीजी के हाथों में आई तो क्या स्थिति राज्य की थी, 2008-09 में जब राजस्थान की सरकार छोड़ी तो किस स्थिति में राजस्थान था, और फिर जब सत्ता संभाली तो राजस्थान किन हालातों में आकर खड़ा हो गया। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, इस पर अभी बाद में चर्चा करूंगा लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज इस राजस्थान की विधान सभा में 67वां बजट होगा, 14वीं विधान सभा का दूसरा बजट, और 14वीं विधान सभा के दूसरे बजट के बाद हम आत्मचिन्तन करें, आजादी के 67 साल बाद, ये टैक्स, ये बजट, ये कर, जो राजस्थान के आम आदमी के हित के लिए, कल्याण के लिए लगाये जाते हैं ये लगाये जाने के बाद राजस्थान के आम जन-जीवन में क्या मौलिक सुधार आया है? इसकी चर्चा किये बगैर यह बेमाने होगा।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आजादी के 67 साल बाद अगर हम बहुत ईमानदारी से चर्चा करें, तो किसी भी विधान सभा क्षेत्र में चले जाइये, राजस्थान में जब 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो एक विकास का सपना राजस्थान को दिखाया; 1990 से 1998 तक भैरोंसिंहजी का फिर राज रहा। विकास का समान दृष्टिकोण राजस्थान के गांवों के साथ हुआ और 2003 से 2008 के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। सारा राजस्थान जानता है कि विकास की रफ्तार कितनी बढ़ी। लेकिन इन सब के बाद भी, आप राजस्थान के किसी भी विधान सभा क्षेत्र में चले जाएं, इस राजस्थान के लाखों गांवों में से एक गांव मुझे बता दें, माननीय सभापति महोदय, जहां का विधायक गांव में चला जाए और सारा का सारा गांव इकट्ठा होकर अपने विधायकजी से कह दे, 67 साल और तेरह एम एल ए आपके पहले, 14 सांसद, न जाने कितने सरपंच-पंच, सबने मिलकर ऐसा गांव का चहुंमुखी विकास कर दिया कि अब गांव में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बची।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आत्मचिंतन का विषय है। आजादी के 67 साल बाद हम एक भी गांव को पूरी तरीके से समस्याविहीन नहीं बना पाए। इसीलिए आज आजादी के 67 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री यह चर्चा करें कि एक सांसद एक पंचायत को आदर्श बनाये। अगर 67 साल में कांग्रेस ने यह कल्पना की होती कि राजस्थान की एक-एक पंचायत आदर्श होनी चाहिए, लगातार कमोबेश इस राजस्थान और हिन्दुस्तान की व्यवस्था पर साठ सालों तक कांग्रेस का राज रहा, आदर्श गांव और आदर्श पंचायत की परिकल्पना अगर हिन्दुस्तान में कांग्रेस करती तो आज आजादी के 67 साल बाद, हमारे बाद 1948 में चाइना आजाद हुआ, दुनिया के विकसित देशों में शुमार है, लेकिन आज हम विकास की रफ्तार पर आगे चलते हुए लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं।

आज हमको यह तय करना चाहिए था कि समूचा देश विकसित है, एक-एक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी विकसित है, लेकिन गांव-गांव में लगातार पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, एक विधायक, माननीय सभापति महोदय, इस सदन में बजट पर चर्चा करे और अपने क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं उठाये, अपने क्षेत्र में सड़कों के बारे में सवाल यहां तक खड़े होते हैं कि गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढा है। ये हालात हैं। इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन हैं? आज अगर ईमानदारी के साथ आत्मचिन्तन करेंगे और चर्चा करेंगे, माननीय सभापति महोदय, समस्या पुरानी है और समस्या की जड़ में कौन है, अगर इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक चर्चा होगी तो इस राजस्थान की जनता के सामने जो दोषी होंगे, कठघरे में खड़े हो जाएंगे। साठ साल तक इस देश और प्रदेश में राज करने वाली कांग्रेस और भ्रष्टाचार का एक पुराना रिश्ता रहा।

माननीय सभापति महोदय, मैं 2009 से 2013 में इस सदन का मेम्बर नहीं था। माननीय सभापति महोदय, इस 2004 से लेकर 2014 तक की दिल्ली की सरकार, इस हिन्दुस्तान के लिए एक कालिख भरा इतिहास बन गया। मैं 2011 में 31 दिसम्बर के रोज सेन्ट्रल हाल से जो कार्यक्रम आता है, वह टीवी पर देख रहा था। माननीय सभापति महोदय, चर्चा करते हुए ई टीवी पर जो चर्चा करने वाले थे, उन्होंने कहा कि 2011 का साल देश और दुनिया में हिन्दुस्तान में किस रूप में पहचाना जाएगा; उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार को इन दिनों बहुत अभूतपूर्व सफलता मिली है और भी गुजरात में नगरपालिकाओं के चुनाव में कई सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन वास्तव में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अगर 2011-12 और 2010 हिन्दुस्तान के ये साल दुनिया में अगर इतिहास में याद किये जायेंगे तो भ्रष्टाचार और घोटालों के रूप में याद किये जायेंगे।

सभापति महोदय, इस हिन्दुस्तान के इतिहास में इतने बड़े घोटाले और वह जो हिन्दुस्तान की आम जनता की जुबान पर आ जायें, 1 लाख 76 हजार करोड़, 1 लाख 86 हजार करोड़ इस हिन्दुस्तान के एक-एक व्यक्ति की जुबान पर आ गये। मैं आज राजस्थान के इस सदन में हिन्दुस्तान की सी ए जी को बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी आडिट रिपोर्ट में खुलासा किया कि इस देश की जनता का 1 लाख 76 हजार करोड रुपये टू-जी स्पेक्ट्रम का, 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपया कोल घोटाला; इस देश की राष्ट्रीय सम्पदा की मालिक सरकारें नहीं हो सकतीं, इस सम्पदा का मालिक हिन्दुस्तान का आम व्यक्ति है, जिसके लिए लोकतंत्र है, जिसके लिए व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बैठा हुआ प्रधान मंत्री इस व्यवस्था का ट्रस्टी हो सकता है, मालिक नहीं हो सकता, लेकिन मालिक बनकर जिस तरह से हिन्दुस्तान में लोकतंत्र का मजाक बनाया और भ्रष्टाचार किया, समूची लोकतंत्र की इस राजनीतिक व्यवस्था को हिन्दुस्तान की जनता के सामने भ्रष्टाचार के कारण कटघरे में खड़ा कर दिया और राजनेताओं को समाज में अंगुली उठा कर बेईमान और चोरों के रूप में देखा जाने लगा।

माननीय सभापति महोदय, सी ए जी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ।

मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, जब भारत के प्रधान मंत्रीजी से हिन्दुस्तान ने सवाल पूछे कि आप ईमानदार प्रधानमंत्री हो, देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है; भारत के प्रधानमंत्रीजी कहते हैं, गठबंधन की सरकार चलाने की मजबूरी में मैं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं कर सकता। लेकिन हिन्दुस्तान की कांग्रेस पार्टी, जो आजादी के पहले की पार्टी थी, जो गांधी के आदर्शों पर चलने का ढोंग रचने वाली पार्टी थी, कभी सवाल नहीं किया कि भारत के प्रधानमंत्रीजी को गठबंधन की सरकार चलाने का जनादेश नहीं दिया, जनादेश आपको दिया है, इस देश की जनता का कल्याण करने का, इस देश की जनता के हित में न्याय करने का।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात को अब आप समेटने का प्रयास करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, आप कहोगे तो मैं बैठ जाऊंगा। मैंने आसन से आग्रह किया था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मुख्य सचेतकजी ने जो सूची दी है और जो समय निर्धारित किया है, उसमें आपका वक्त अब समाप्त हो रहा है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ठीक है, मैं बैठ जाता हूं, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुडला।

श्री ओमप्रकाश (महुवा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं।

सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदया ने विषय परिस्थितियों में एक शानदार और जानदार बजट पेश करने का प्रयास किया है। उसमें गांव और ढाणी के प्रत्येक गरीब के दिल, दु:ख और दर्द को छूने का प्रयास किया है। खास तौर से ढाणियों में कनेक्शन की एक बहुत बड़ी समस्या थी, उस समस्या का समाधान इस बजट में किया गया और 5 लाख 40 हजार परिवारों को जो ढाणियों में बसे हुए हैं, उनको विद्युत कनेक्शन दिये गये जिन्हें ए ईएन और जे ईएन यह कहकर रिजेक्ट कर देते थे कि ये गैर-आबादी में हैं। 1 लाख 60 हजार बी पी एल परिवारों को इस योजना से विद्युत कनेक्शन मिलेगा। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान की मुख्य मंत्री, आदरणीया वसुंधरा राजेजी के दिल में उन गरीबों के लिए, उन मजदूरों के लिए जितनी जगह है, वह आज तक किसी नेता के दिल में उतनी जगह नहीं रही।

आदरणीय सभापति महोदय, इस बजट में 2,000 किलोमीटर की मिसिंग लिंक की घोषणा की, सहकारिता विभाग में जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की बात कही, 200 पशु चिकित्सालय खोलने की बात कही और 600 सब-सेंटर खोलने की बात भी इस बजट में कही है।

दौसा में जो डेढ़ सौ बेड का हास्पिटल था और दौसा जिले-वासियों की बहुत बड़ी मांग थी, उसे ढाई सौ बेड का कर दिया गया है, जिससे दौसा जिले

(श्री ओमप्रकाश)

के निवासियों को राहत मिलेगी, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री महोदया का और चिकित्सा मंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा।

परिवहन के क्षेत्र में भी 1,500 नये मार्ग खोलने की घोषणा की; सोलर बेस्ड बोरवेल स्थापित करने की भी पी एच ई डी विभाग ने घोषणा की। आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया ने इस बजट में सबसे बड़ी बात खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की भी बात कही है। भामाशाह कार्ड से जोड़ कर महिलाओं के सशक्तिकरण की जो बात इस बजट में कही है, वह तारीफे-ए-काबिल है। इस बजट में गौ-पालन पर भी विशेष ध्यान दिया गया और शहीदों के माता पिता के सम्मान पर जो एक मुश्त राशि डेढ़ लाख रुपये जमा कराई जाती थी, उसे बढ़ा कर आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया ने जो तीन लाख रुपये किया है वह भी तारीफे--काबिल है।

महोदय, इस बजट के संदर्भ में इतना बोलना चाहता हूं और साथ-के-साथ मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदया और शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि महुआ में 40 हजार की आबादी है और बहुत सारे लडके वहां प्राइवेट कालेजों में पढ़ते है। प्राइवेट कालेज वाले जो मालिक, संचालक हैं, वे मनमानी फीस वसूलते हैं। उनमें एस सी, एस टी के लड़के, गरीब परिवारों के लड़के, बी पी एल परिवारों के लड़के पढ़ नहीं पाते, वे फीस जमा नहीं करा सकते, उनको बीच में शिक्षा अधूरी छोड़ देनी पड़ती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, महुआ में सरकारी कालेज खुल जाये तो लोगों का भला होगा।

साथ-ही-साथ, मैं चाहूंगा कि 40 हजार की जब आबादी है तो नगरपालिका का वहां बनना ज्यादा सुखद रहेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान की विधान सभा में 200 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक पांच साल में होता है, 7 करोड़ की जनसंख्या हमें इसके लिए चुन कर भेजती है कि हम जनता के हितों की रक्षा कर सकें और हम में से ही 30 लोग, जो 15 प्रतिशत हैं वे मंत्रिमण्डल में शामिल होते हैं, मंत्रिमण्डल की जब शपथ लेते हैं तो उस शपथ में यह कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष से जुडा हुआ, किसी भी विषय पर स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से काम करूंगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे मंत्रीगण ही कई बार गलती कर देते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि कई वर्षों पूर्व एक राशन डीलर एक मंत्री महोदय, के

(श्री ओमप्रकाश)

पास पहुंचता है, मंत्री महोदय को यह निवेदन करता है कि मंत्री महोदय मैं गरीब प्रार्थी हूं, मुझे 2,000 लीटर अतिरिक्त केरोसीन का आबंटन दिया जाये। मंत्री महोदय ने यह नहीं सोचा कि यह सरकारी खजाने का पैसा है, यह उनके व्यक्ति की जेब का पैसा नहीं है, उसकी इस एप्लिकेशन पर मंत्री महोदय लिखते हैं कि डी एस ओ दौसा, इसको अतिरिक्त केरोसीन आबंटन कर दिया जाये। आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम सबको लोकतंत्र में समानता का अधिकार है, आम जनता को भी उतना ही अधिकार है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन दस्तावेजों को टेबल भी करना चाहूंगा, उसमें तत्कालीन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री महोदय लिखते हैं कि इसको 2,000 लीटर; तब से लेकर जहां तक मेरी जानकारी है, जो तथ्य मुझे मिले हैं लगातार उस डीलर को आबंटन होता आ रहा है। महोदय, जब उसको आवंटन होना ही नहीं चाहिये था तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह किस बात का मंत्री महोदय ने उपकार किया और सरकारी धन का दुरुपयोग किया।

इतना ही महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक डीलर जो सिकराय तहसील का है, उस डीलर को 532 राशन कार्डों की सामग्री हर महीने मिलनी चाहिये थी लेकिन उस डीलर को राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण डी एस ओ पर दबाव बनाकर 532 राशन कार्डों की जगह 1006 राशन कार्डो की सामग्री जुलाई 2006 से लगातार दी जा रही है। इन आंकडों से यह स्पष्ट होता है कि 532 राशन कार्डों के बदले अगर 1006 राशन कार्डों की सामग्री दी जा रही है तो साफ साफ स्पष्ट है कि 474 राशन कार्डों की सामग्री जो उसको मिलनी ही नहीं चाहिये थी तो वह उसको दे कैसे दी? उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं।

महोदय, आपको यह लग रहा होगा कि बहुत छोटी बात है, लेकिन इन तथ्यों के आधार पर अगर हम जायेंगे तो 1 करोड़ 88 लाख रुपये का गबन डीलर और वहां के जिला रसद अधिकारी और वहां प्रवर्तन निरीक्षक की गलतियों की वजह से यह काम हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक डीलर को सैम्पल के तौर पर उठाया गया है जिसमें 1 करोड 88 लाख रुपये का जो एक छोटा सा डीलर है, अगर इतना गबन कर रहा है तो दौसा में ही नहीं पूरे राजस्थान में, सभापति महोदय, मैं इस मुद्दे को समझता हूं, अगर ढंग से जांच कर ली जाये तो हजारों-करोड़ों रुपये का घोटाला मिलेगा। जो अनाज गरीब के पेट में जाना चाहिये वह राशन डीलरों के और सम्बन्धित अधिकारियों और राजनेताओं के पेट में जा रहा है।

(श्री ओमप्रकाश)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय के पास उसके बाद एक डीलर और आया, मंत्री महोदय ने उस पर लिख दिया, डू इट; डी एस ओ दौसा, डू इट। यह फोटो कापी मेरे पास उपलब्ध है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर मंत्री महोदय ने इस कागज पर लिख दिया डू इट तो डी एस ओ की क्या औकात है कि वह 'डू इट' को 'नहीं डू इट' करें। उस डी एस ओ ने भी लिख दिया, 'डू इट' और यह भी राशन सामग्री लगतार गलत तरीके से जा रही है।

महोदय, इतने से ही काम नहीं चला। मंत्रीजी के पी एस ओ, जिसका काम होता है निजी सुरक्षा उसने भी मंत्रीजी के नाम एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी लिखकर कर दिया। जो स्थिति पश्चिमी राजस्थान में होनी चाहिए, दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्र में होनी चाहिए, जो भ्रमणशील चल इकाई, उस चल इकाई को दौसा में लागू कर दिया, लागू करते समय तो लागू कर दिया लेकिन थोड़े दिन बाद 2008 में कलक्टर महोदय ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और इन्हीं कारणों को, जो मैंने आपको बताया है, इन कारणों को ध्यान में रखते हुए उन पांचों भ्रमणशील चल इकाइयों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह स्थिति कई वर्षों से चलती आ रही है, कांग्रेस के राज में भी यह चलती रही, उसमें किसी अधिकारी या कर्मचारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने एक साल हो गया, अगर यह समय निकलता गया तो सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं रुक पाएगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इसमें कम से कम, इसमें अधिकारियों का भी भ्रष्टाचार है, डीलरों का भी है, मैं मंत्री महोदय से सदन के बीच निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच कब तक पूरी करवाएंगे? मैं चाहूंगा कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से इसकी जांच सुनिश्चित करें।

इसके साथ-साथ ही, छात्रों को केरोसीन की बात भी इसमें आई। जब छात्रों को इन डीलरों के द्वारा बंटवाया गया तो प्रति महीने 12 हजार बंटता चला गया। ऐसे दो साल में सात लाख से लेकर आठ लाख तक केरोसीन बंटवा दिया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब इसका चार्ज के

(श्री ओमप्रकाश)

वी एस एस, दौसा को दिया गया, तब मात्र 3,800 लीटर ही पर-महीने बंटा। इससे स्पष्ट होता है कि छात्रों के केरोसीन में भी भारी हेरा-फेरी हुई है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के प्रत्येक जिले में, बात दौसा की नहीं है। लोक सभा, विधान सभा और पंचायत चुनाव आते हैं तो 5-5 हजार, 6-6 हजार लीटर केरोसीन का आबंटन पोलिंग पार्टियों के लिए किया जाता है। ना तो पोलिंग पार्टी का कोई अधिकारी जरीकेन लेकर आता है ना डीलर जरिकेन उपलब्ध करता है। आदणीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि फिर वह केरोसीन बंट कैसे जाता है।

इसके साथ-साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो ये विषय रखे हैं, राजस्थान की जनता एक-एक रुपया कलेक्ट करके हम लोगों को टैक्स देती है, उस टैक्स से हमारा बजट, बजट के माध्यम से हमारी सरकार चलती है। उस पैसे का दुरुपयोग ऐसे हो रहा है, यह अच्छी बात नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब मैंने चुनाव लड़ा तो हर जगह एक बात कही कि हम इस कालाबाजारी को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ गया और मैंने व्यक्तिगत रूप से वहां जाकर देखा, वहां एक प्रतिशत भी राशन की कालाबाजारी नहीं है। हम राजस्थान में लागू कर दें, जो योजना मैंने निजी रूप से बनाई है, वह मैं सदन की पटल पर रखना चाहूंगा, उसका मात्र 53 करोड़ रुपये का खर्चा है। अगर 53 करोड़ पर हमारी इस कालाबाजारी पर रोक लग जाए तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और सौभाग्य की बात राजस्थान की जनता के लिए नहीं हो सकती।

साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस मंत्रिमण्डल में एक आदिवासी मंत्री भाई हैं, उनके लिए एक बंगला अलाट कर दिया, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि वह विधायक जो मंत्रियों के बंगले में रह रहे हैं, सरकार से जवाब पूछना चाहता हूं, आदरणीय मंत्री महोदय से, वे उन विधायकों से कब तक ये बंगले खाली कराएंगे? या नहीं कराएंगे? आपने सब सरकारी अधिकारियों से बंगले खाली करा लिये हैं। या सरकार की कोई मजबूरी है? सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है? यह स्पष्ट जवाब दें।

आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, 2015-16 के आय-व्ययक अनुमान की प्रथम स्टेज पर आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। मैं तो आपसे अपेक्षा भी करता हूं कि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे ताकि जो बात कहनी है, वह मैं सदन में बात रख सकूं।

माननीय सभापति महोदय, हम प्रथम स्टेज पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी विधायिका में तीनों, चाहे हम बिल पेश करते हैं, चाहे हम बजट पेश करते हैं, उनकी तीन स्टेज होती हैं। बजट की यह पहली स्टेज है, जिस पर आम वाद-विवाद है। इसमें अपने सुझाव दे सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, इसमें कोई मतदान नहीं है, इसलिए सरकार का पक्ष-विपक्ष का सवाल नहीं है। इसमें हम हमारी राय प्रस्तुत करें, उसके बाद सैकण्ड स्टेज डिमांड्स की आती है, उस पर मतदान, थर्ड स्टेज एप्रोप्रिएशन बिल है। ये तीन वित्तीय व्यवस्थाएं हैं।

सभापति महोदय, विधान सभाओं का, केवल राजस्थान का नहीं, सभी विधान सभाओं का स्वरूप ऐसा हो गया है कि विधान सभाएं विधान सभाओं की बजाय बजट सभाएं हो रही हैं। मैं धन्यवाद दूंगा इस बार सत्ता पक्ष को और हमारे मुख्य सचेतक जी को कि उन्होंने कृपा करके इस बार जो बिल हैं, उनको बहस के लिए रखा है। हम लेजिस्लेटिव एसेंबली का स्वरूप भी ले रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आपको धन्यवाद।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय घनश्यामजी, आपने कहा कि मैंने रखवाई यह व्यवस्था, तो धन्यवाद उनको अकेले को क्यों?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दोनों बांट लो इसको, आप दोनों बांट लो लेकिन राजेन्द्रजी बंटवारा करते नहीं हैं। ध्यान रखना।

सभापति महोदय, हमारा बजट है, उसको मैं संतुलित बजट कहूंगा। क्योंकि 2014-15 और 2015-16 के ये अनुमान होते हैं। अनुमानों पर अगर हम चर्चा करें तो 2015-16 के जो अनुमान दिये हैं उनमें 1 लाख 11 हजार 361 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति है, राजस्व व्यय 1 लाख 10 हजार 814 करोड़ रुपये का है और राजस्व खाते में बचत 556 करोड़ रुपये की है। जिस सरकार के राजस्व खाते में बचत होती है, उस सरकार का वित्तीय प्रबंधन ठीक माना जाता है और जिस सरकार के राजस्व खाते में घाटा होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर से उसकी पूर्ति करते हैं, कैपिटल की बचत से, वह ठीक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माना जाता । यह कुल मिलाकर एक सामान्य सिद्धांत है लेकिन चर्चा करते समय ये सिद्धांत बदल रहे हैं।

सभापति महोदय, आज के पहले जब हम चर्चा करते थे तो बजट का स्वरूप अलग था। भारतीय बजट को और भारत के बजटों को वर्षा के साथ जुआ कहा जाता था कि बरसात के साथ जुंआ है। बरसात हो गई है, जी डी पी बढ़ गई है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है; अकाल पड़ गया है। वे परिस्थितियां बदल गईं। आज उन बदली हुई परिस्थितियों में हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, और जब बदली हुई परिस्थितियों पर बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो हमको मूलभूत इन बातों का ध्यान करना पड़ेगा कि 67 साल के बजटों से हम आज किस स्टेज पर पहुंचे हैं और हम किस स्थान पर खड़े हैं।

अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। श्रीमान अटल बिहारी वापजेयीजी को, मुरारजी देसाईजी को, कुछ समय चौधरी चरणसिंहजी को और चन्द्रशेखरजी को छोड़ दें तो सारा का सारा समय कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। राज करके जो देश की स्थिति बनाई, उस पर, सभापति महोदय, थोड़ा-सा आप चिंतन करें। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और महालनोबिस ने एक माडल हिन्दुस्तान में खड़ा किया। उस माडल ने हिन्दुस्तान में काला धन पैदा करने का काम शुरू किया। सारी दुनिया जानती है कि हिन्दुस्तान मोटर्स की एंबेसेडर के अलावा किसी मोटर को परमिशन नहीं दी गई। सब जानते हैं कि थोड़े दिनों बाद में फिएट कार का प्रोडक्शन शुरू हुआ, बजाज स्कूटर का प्रोडक्शन शुरू हुआ, सीमेंट का प्रोडक्शन हुआ, इनमें उत्पादन करने की सीमा तय कर दी थी कि इससे ज्यादा स्कूटर नहीं बनेंगे, इससे ज्यादा कार नहीं बनेंगी। उसकी जो कारें आती थीं, वे ब्लैक में बिकती थीं। काला धन वहां से शुरू हुआ। सीमेंट बनती थी, सीमेंट पर लेवी थी; इतना सीमेंट कंट्रोल के द्वारा जाएगा, इतना खुले बाजार के द्वारा। जितना खुले बाजार में गया, वह सारा ब्लैक मनी में गया। वह काला धन केवल ब्लैक मनी के रूप में नहीं, वह काला धन चुनाव के तंत्र में भी आया और काले धन का साम्राज्य आज शुरू हो गया। आज हम कह सकते हैं कि एक लाख करोड़ के करीब हमारा बजट है, राजस्थान का, इतने से दुगना काला धन राजस्थान में भी विद्यमान है। काला धन केवल बाहर का ही नहीं है।

(14.00 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि बजट पर चर्चा करते समय हम उन बातों को देखें। उन बातों को प्रवर्तित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम भारत सरकार ने किया है। इसलिए हमको आज भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए और माननीय श्री नरेन्द्र मोदीजी के प्रति इस सदन को धन्यवाद ज्ञापन करना है। बार-बार हम मांग करते थे कि हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, बार-बार हम किसी योजना को ले जाकर काम करते थे, आज उन सारी बातों का खण्डन किया है। आप देखिये, मैंने श्रीमान् मानिकजी का भाषण पढ़ा था कि चौदहवें वित्त आयोग के आधार पर, हमें जो राज्यों का सेण्ट्रल टैक्सेज से मिलने वाला हिस्सा था, जो इस साल हमने 22 हजार करोड़ के करीब माना है, वह कम से कम भी दस हजार से बारह हजार करोड़ रुपये हमको अधिक मिलेगा। उनको हमें किसी सी.एस.एस. स्कीम से जोड़ने की जरूरत नहीं है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं एक चौखट के ढांचें में थीं। सरकारें उनका लाभ नहीं उठा सकती थीं। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में कुछ योजनाएं ऐसी थीं, जिन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार को अपनी हिस्सा राशि देनी पड़ती थी और बहुत-सी राज्य सरकारें उसमें अपनी हिस्सा राशि दे नहीं पाती थीं। इसलिये केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिलता था। केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिए एक-सी होती थीं। इसलिए बहुत से प्रान्त उसका लाभ नहीं उठा पाते थे। इसलिये चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर जो राज्यों का हिस्सा 30 प्रतिशत था, उसे बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया। यह सबसे बड़ी सौगात प्रधान मंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदीजी ने राज्यों को दी है और जो कहा है, उसको उन्होंने कर के दिखाया है।

सभापति महोदय, 'मेक-इन-इंडिया' की सम्पूर्ण विश्व भर में सराहना हो रही है। यह क्रांतिकारी कदम है। हम भारत में इस प्रकार का काम करें, भारत में बनें और भारत के साथ फिर राजस्थान में बनें।

यह जो योजना आयोग था, योजना आयोग तो एक तरह से सफेद हाथी हो गया था। सुपर-मंत्रिमण्डल था यह, सभापति महोदय। हम जब पढ़ते थे, देखते थे कि हमारे मुख्य मंत्री और हमारा पूरा लवाजमा, एक उपाध्यक्ष, जो योजना आयोग का होता था, उसके साथ जाकर बैठते थे और हमारे राज्य की बात करते थे, हमको इतना दे दो, इतना दे दो। वे कहते, इतने प्रतिशत आपकी अधिक कर दी है और योजना इतनी बड़ी आ गई है, योजना का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विश्लेषण आ गया है। बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा होता था। आज वह बजट में चर्चा का मुद्दा समाप्त हो गया। आज उन्होंने कहा, यह 'नीति' आयोग जो बनाया है, यह 'नीति' आयोग का पूरा अर्थ समझिये। 'नीति' आयोग का मतलब है, 'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान'। भारत में परिवर्तन के लिए आयोग बनाया है। भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए आयोग बनाया है। उसका नाम है 'नेशनल इंस्टीट्यूट फोर ट्रांसफोर्मिंग इंडिया', 'नीति'। यह नीति आयोग है; यह पालिसी की 'नीति' नहीं है। वह 'NITI' आयोग है। उस नीति आयोग में राज्यों के मुख्य मंत्री भी शामिल हैं, उस नीति आयोग में अर्थ -शास्त्री भी शामिल हैं। वह नीति आयोग तय करेगा। लेकिन राज्यों को स्वायत्ता प्राप्त होगी कि राज्य अपना काम करें। राज्यों को उनका हिस्सा मिलेगा। यह बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके लिए हमको भारत सरकार के प्रति धन्यवाद-ज्ञापन करना चाहिए। यह जो राज्यों की स्वायत्ता है, वह योजना आयोग ने खतम कर दी थी। इसके कारण से राज्यों को आर्थिक स्वायत्ता मिलेगी और केन्द्रीय योजनाएं राज्यों पर थोपी नहीं जाएंगी।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, को-आपरेटिव फेडरलिज्म का जो नारा दिया और चौदहवें वित्त आयोग के कारण से माननीय प्रधानमंत्रीजी ने जो काम किया, उसके लिए हमको माननीय प्रधानमंत्रीजी को धन्यवाद-ज्ञापन करना चाहिए।

पांच और चीजें हैं, जिनके कारण से राज्यों को लाभ मिलेगा। वे हैं, मंहगाई कम हुई है, जी.डी.पी. में बढ़ोतरी हुई है।

अब एक छोटी-सी बात देखिये। दो चीजें ऐसी हैं, कोयला खानों की नीलामी और थ्री-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी, उनसे अब तक दो लाख चौरासी हजार करोड़ रुपया, करीब तीन लाख करोड़ रुपया भारत सरकार को प्राप्त हो गया है। तीन लाख करोड़ रुपया। यह मोदी मैजिक है। लोग कहते थे ना कि मोदीजी की हवा कम हो रही है, कम हो रही है। कहां कम हो रही है? कोयला खानों को तो खा गये थे। कौन-कौन खा गया, इसका तो न्यायालय फैसला करेगा, लेकिन उन्हीं कोयला खानों से, अभी तक केवल 30 ब्लाक्स की नीलामी हुई है, उसमें दो लाख करोड़ रुपया हमको मिला है। इसका सबसे बड़ा फायदा राजस्थान को भी मिलेगा, क्योंकि पावर सेक्टर को 96 प्रतिशत कोयला प्राप्त होगा। सस्ता कोयला हमको प्राप्त होगा, राजस्थान को फायदा मिलेगा।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

थ्री-जी का तो अभी शुरू हुआ है, 18 ब्लाक्स नीलाम हुए हैं, उसमें एक लाख करोड़ करीब हमको प्राप्त हो चुके हैं। यह बहुत बड़ा काम है।

दूसरा बड़ा काम था, सब्सिडी का, जो गैस पर है। मैं सभी माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं, आज सब्सिडी को जो डाइरेक्ट खाते में ट्रांसफर होती है और जो प्रधानमंत्रीजी का सीधा संदेश हमको प्राप्त होता है कि आपके खाते में इतने रुपये चले गये हैं, आधार कार्ड से जोड़कर जो काम किया है, अरबों रुपये की इसमें बचत हुई है। मैं कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, हमको पहल करनी चाहिए। हम लोग, आज क्या स्थिति है, जब हम पहले विधान सभा में थे तो, सभापति महोदय, विधान सभा में बहुत से माननीय सदस्य इसलिए बैठे रहते थे कि जो बस रवाना होती थी, वह बस विधान सभा के समाप्त होने के बाद रवाना होती थी और हमारे पास जाने के लिए दूसरे साधन नहीं हुआ करते थे। ग्यारह बजे तक चले, चाहे बारह बजे तक चले, जब विधान सभा समाप्त होती तो बस में बैठ कर आते थे। आज, सभापति महोदय, हम जब इधर से निकलते हैं तो फार्चूनर गाड़ियों की लाइन लग जाती है। एक फार्चूनर गाड़ी कम से कम 500-700 रुपये का पैट्रोल-डीजल तो रोज लेती होगी। तो जब हम फार्चूनर गाड़ी वहन करते हैं, हम इतना सारा काम कर रहे हैं; पहले तो दौड़ कर आते थे, सभापति महोदय, कि सौ रुपये मिलते थे, हमको उस समय कमेटी की मीटिंग में भाग लेने के लिये। तो दौड़कर पहुंचते थे कि कहीं हमारे सौ रुपये नहीं चले जाएं और एक दिन की एब्सेंट हो गई तो दो दिन पहले वाले और नहीं मिलेंगे। अब तो हजार रुपये रोज के देते हैं, फिर भी कोरम पूरा नहीं होता है, किसी कमेटी के अन्तर्गत। जब हमारी यह स्थिति हो गई है तो सब्सिडी का त्याग करना एम.एल.एज. के लिए बहुत आवश्यक है। हम एक हजार रुपया रोज गाड़ियों में खर्च करते हैं। मैंने तो सभापति महोदय, मेरे और मेरी पत्नी के नाम से दो थे, तो हमने तो सब्सिडी लेना बंद कर दी, क्योंकि थोड़ी शर्म-सी आने लग गई कि घूम तो फार्चूनर गाड़ी में रहे हो और घर में सब्सिडी ले रहे हो। तो मैं सभी माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि बेहतर होगा कि सारे के सारे हम लोग सब्सिडी समाप्त करें और मोदीजी के इस राष्ट्रीय योगदान में हम हमारा योगदान दें। तो यह बहुत बड़ा काम हमारे लिये होगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। रुपया मजबूत हुआ है भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इन सब बातों का, हमारे राजस्थान पर इसका असर पड़ेगा।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं कुछ बातें, जो वर्तमान बजट में हैं, उनके बारे में, और कुछ बातें कहना चाहूंगा। उसको भी थोड़ा-सा ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि विकास क्या है। संवर्धन, ग्रोथ; समृद्धि नाम नहीं ले रहा हूं मैं, संवर्धन नाम ले रहा हूं। केवल कांग्रेस पार्टी ने एक माडल दे दिया, जिसमें काला धन पैदा होता है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी यह विचार किया कि यह जो सारा माडल दे रहे हैं, उस माडल के अन्तर्गत हम किसका विकास कर रहे हैं? आज ईमानदारी से हम यह बात कहते हैं कि भारत की तरक्की हुई। जी.डी.पी. बढ़ी है, सम्पदा बढ़ी है, साधन बढ़े हैं, लेकिन जो मापदण्ड हैं, उन मापदण्डों का क्या हो रहा है।

सबसे पहले मापदण्ड है कि क्या विकास क्या है? एक विकास होता है, निष्ठुर विकास। धन सम्पदा देश की बढ़ती है लेकिन अभाव और दरिद्रता कायम रहती है। उदाहरण के लिए, भारत की 85 प्रतिशत सम्पदा आज 15 लोगों के हाथ में है और 15 को छोड़कर, बाकी सारे लोग 15 प्रतिशत सम्पदा पर हैं। यह रिजर्व बैंक जो नोट छापती है, वह पांच सौ रुपये से ऊपर का नोट 85 प्रतिशत है और 100 रुपये और उससे नीचे का नोट 15 प्रतिशत है। पांच सौ रुपये का नोट 85 प्रतिशत लोगों के, 80 प्रतिशत लोगों के काम नहीं आता है। तो हमारा रिजर्व बैंक, हमारा विकास और हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, उनमें जो याचिकाएं लगती हैं, वे केवल एक प्रतिशत लोगों को न्याय देती हैं। वे ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यह जो विकास आप कह रहे हैं, हम, 60 साल में कांग्रेस ने निष्ठुर विकास किया। आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिला। ज्यादातर सम्पन्न वर्ग को इसका लाभ मिला, उनकी धन सम्पदा बढ़ गयी।

एक है मूक विकास, भारतीय चिंतन की बात कर रहा हूं, उसमें दूसरा कहते हैं मूक विकास को, यह मूक विकास है। आर्थिक विकास के साथ लोक तंत्र का विकास नहीं होता। गरीब वर्ग सम्पत्ति के स्वामित्व के अधिकार नहीं ले पाते एवं अपना कौशल और अवसर का विकास नहीं कर पाते; भूमि-हीन श्रमिक भू-स्वामित्व के अधिकार से वंचित हो जाते हैं; शैक्षिक उपलब्धता में अंतर रहता है; कुपोषण, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी. या अन्य जो गरीब वर्ग हैं, उनमें और उनमें बड़ा फर्क रहता है। उदाहरण के लिए, आज आप जयपुर में ही जाएंगे तो एक लाख रुपये महीने की पहली क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाने की स्कूल है और उसमें पढ़ने वाले लोग हैं और उसमें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एडमिशन की मारा-मारी है। एक तरफ हम गांव के दस बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर स्कूल में बच्चे कम हैं, तो हम स्कूल को बंद करने की घोषणा करते हैं। फिर खोल दिया, वापस जोड़ दिया, कालीचरणजी को धन्यवाद। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इसको मूक विकास कहते हैं। यह मूक विकास है। एक आदमी को पढ़ने के इतने अधिकार और अवसर प्राप्त होते हैं और कुछ आदमी को पढ़ने का, विकास का अवसर नहीं प्राप्त होता है तो यह मूक विकास है। 67 साल में कांग्रेस ने देश को मूक विकास की ओर धकेला है। जड़ हीन विकास। जड़ हीन विकास संस्कृति की जड़ें काट देता है। उसको पता नहीं था कि हमको क्या करना है, संस्कृति को नष्ट कर देते हैं। वाह, यह जमीन पड़ी है न, इस मंदिर को उठाओ, वहां रख दो, क्या पड़ा है इसमें, एक हजार आदमी ढोक देने आते होंगे, यहां पर विकास करो। यह सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट करने वाला विकास, वह भी किसी काम का नहीं होता है और कांग्रेस पार्टी ने, सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट करने वाला विकास हुआ, नहीं तो जीतमलजी खांट को यहां पर खड़े होकर नहीं कहना पड़ता कि वह गोविंद गुरु जहां पर मरे, मानगढ़धाम में, कितना बड़ा बलिदान था उन लोगों का! वहां पर एक बड़ा राष्ट्रीय स्मारक नहीं बना सके। अगर संस्कृति का विकास होता तो वहां पर सबसे पहले स्मारक बनता। कितना बड़ा बलिदान कर दिया उन्होंने! आज भी हमको उसकी चर्चा करनी पड़ती है खड़े होकर। यह संस्कृतिविहीन विकास था।

और एक है, भविष्यहीन विकास, जिसमें मनुष्य के नैतिक एवं मानवीय मूल्यों में गिरावट होती है और वर्तमान पीढ़ी भावी पीढ़ी के आवश्यक संसाधनों को समाप्त कर देती है। हम उसी में लगे हैं। हमारे पूर्वजों ने पानी इकट्ठा किया, हमने खर्च करके ड्राई जोन्स बना दिये। हम पेड़ों को नष्ट करते हैं; हम वनों को नष्ट करते जा रहे हैं। यह भविष्यहीन विकास है। किसी को भी भावी पीढ़ी के भविष्य को समाप्त करने का अधिकार नहीं है और ऐसा विकास जो भविष्यहीन विकास हो, वह संस्कार-विहीन माना जाता है।

एक दूसरी बात और है जो बजट में देखने की है। आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास, ये दो अलग-अलग चीज हैं। आजकल इनको जोड़ दिया गया है। आर्थिक ग्रोथ, 'संवृद्धि' है। 'समृद्धि' नहीं बोल रहा हूं, मैं 'संवृद्धि' बोल रहा हूं, ग्रोथ। संवृद्धि और विकास अलग-अलग चीजें हैं। अब इसका भी आज-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कल बदल गया है। उदाहरण के लिए, प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो एक सी.ई.ओ. को एक करोड़ रुपया महीने का मिलता है और एक मास्टर को आप दस हजार रुपये महीने के देते हो, और जब एवरेज आय निकालते हैं तो तीन हजार करोड़ को और एक को जोड़कर उसमें सारी जनसंख्या का भाग देते हैं और भाग देकर कहते हैं कि हमारी एवरेज आय इतनी हो गयी। यह एवरेज आय विकास का माध्यम नहीं है। इसलिए हमको यह विभेद करना पड़ेगा कि आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास अलग-अलग चीज हैं। आर्थिक विकास है- गरीबी कितनी कम हुई, मध्यम वर्ग कितना बढ़ा, निम्न वर्ग कितना कम हुआ और उच्च वर्ग पर कितनी लगाम लगी। यह अपन जब तक नहीं कर सकते तब तक बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी।

इसलिए सिर्फ तीन मानदंड, माननीय सभापति महोदय, हैं, पहला, गरीबी कम हो रही है या नहीं; नम्बर दूसरा, बेरोजगारी कम हो रही है या नहीं; तीसरा, विषमता कम हो रही है या नहीं। ये तीन बातें अगर सही हो जाती हैं तो हम मानते हैं कि यह विकास है और अगर ये तीन बातें नहीं होती हैं तो विकास नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बजट के माध्यम से हम यह काम करने की कोशिश करेंगे।

एक बात मैं, माननीय सभापति महोदय, कहना चाहूंगा कि सामाजिक सुरक्षा में सब वर्गों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमारे माननीय गुलाबजी कटारिया, राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, राव राजेन्द्र सिंहजी और मैं, हम सब यहां पर बैठे हैं। हमने 'सुराज संकल्प' का हमारा वह पत्र जारी किया था, उसमें माननीया मुख्य मंत्रीजी की फोटो है, प्रधानमंत्रीजी की फोटो है; मुख्य मंत्रीजी की फोटो पुरानी है, प्रधानमंत्रीजी की फोटो वर्तमान की है; ये हमने फोटो जारी कीं। फिर हमने उसमें दो बात कही थीं, मैं उन दो बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। सामाजिक सुरक्षा। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज माननीय कैलाशजी मेघवाल हमारी विधान सभा के अध्यक्ष हैं, हमें गर्व है। आखिर, एक सामान्य मेघवाल परिवार में पैदा होकर, राजनीतिक संघर्ष करते हुए, रिजर्वेशन के आधार पर और रिजर्वेशन का लाभ लेकर वे इस पद तक पहुंचे। नारायणन भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। यह हमारा सौभाग्य है क्योंकि हमने उनको रिजर्वेशन दिया, अगर रिजर्वेशन नहीं देते तो यह काम नहीं होता।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उसी प्रकार से, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, नन्दलालजी मीणा बैठे हैं, जीतमलजी भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। किरोड़ी लालजी तो दूसरे उसमें हैं, मजबूत आदिवासियों में हैं। मजबूत आदिवासी बोल रहा हूं। (व्यवधान) हां, आदिवासी हैं। इनके लिए कोई कोटा नहीं है, साहब। इनके कोटा, बूंदी, सब बराबर हैं। तो यह ...(व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): ये जागीरदार मीणा कहलाते हैं, साहब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अच्छा, यह कहलाते हैं क्या! मेरा ज्ञान बढ़ाया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ये लोग यहां तक पहुंचे और राष्ट्र को योगदान किया। फिर हमने ओ.बी.सी. का आरक्षण किया। ओ.बी.सी. का आरक्षण किया, वह भी हमने ठीक किया और उसमें बहुत से लोगों को लाभ मिला।

लेकिन जब इन सबका आरक्षण हो गया तो उससे कुछ वर्ग, जो ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, बनिया हैं, कायस्थ हैं, सिंधी हैं, कुछ मुसलमान वर्ग के बचे हुए लोग हैं, इन वर्गों में हार्ट-बर्निंग्स हुईं। उनमें जो गरीब लोग हैं, अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, उनमें जो गरीब लोग हैं, उनको इकोनोमिकली बैकवर्ड मानकर रिजर्वेशन देने की बात हमने कही। हमने हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में भी कही, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव घोषणा-पत्र में भी आया और इसी विधान सभा में माननीय सभापति महोदय, हमने यहां बैठ कर यह बिल पास किया था जो हिंदुस्तान के इतिहास में एक जबरदस्त बिल था और उस बिल में हमने कहा था कि शिड्यूल्ड कास्ट का आरक्षण कायम रहना चाहिए; आज तक केवल वह नोटिफिकेशन के आधार पर है। उसको हमने कानून बनाकर पक्का किया। उसी बिल में हमने कहा कि यहां पर शिड्यूल्ड ट्राइब का आरक्षण भी कायम रहना चाहिए; उसी बिल में हमने कहा कि ओ.बी.सी. का आरक्षण भी कायम होना होना चाहिए। उसी बिल में हमने विशेष ओ.बी.सी. की भी बात भी की और उस बिल में इन ब्राह्मण, बनिये, वंचित वर्ग के लोगों की, ई.बी.सी. के लोगों के लिए भी 14 परसेंट आरक्षण देने की बात की और साथ-साथ यह भी पारित किया कि इसको हम लोक सभा में पारित करके नाइंथ शिड्यूल में डाल दें ताकि इस पर इनको अधिकार मिल सके। मुझे दु:ख

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है कि सदन में सब पार्टियों ने इसका समर्थन किया लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसमें राजनीति की और राजनीति करके उसको नाइंथ शिड्यूल में नहीं डलाया और 12 महीने बाद वह स्ट्रैट-डाउन हुआ। आज फिर राजस्थान में भिन्न-भिन्न स्थानों पर इसकी बात होती है।

इसलिए अगर सामाजिक समरसता कायम करनी है तो, गुलाबजी भाई साहब, वह समय आ गया जब हमको पहल करनी चाहिए। भारत सरकार को भी हमको निवेदन करना चाहिए। आयोग बनाया जाना चाहिए इकोनोमिकली बैकवर्ड कम्यूनिटीज के लिए। संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हो, तो किया जाना चाहिए। क्योंकि सभी दलों ने, यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी, सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया कि आर्थिक दृष्टि से जो गरीब लोग हैं, अन्याय नहीं किया उन्होंने।

किसी कारण से, अब कहते हैं अगड़े। हमें कहते हैं अगड़े। मैं कई बार मजाक में कहता हूं कि भाई, हमारे सारे जजमान तो पिछड़े, तो फिर हम अगड़े कैसे? अब जाट पिछड़े, गुर्जर भी पिछड़े, माली भी पिछड़े, यादव भी पिछड़े, तो फिर हम कैसे तगड़े? हम तो उनकी जजमानी पर ही अपना जीवन गुजारा करते थे। तो हमारे सारे के सारे जजमान ही पिछड़े हो गये तो फिर हमको अगड़े कैसे मान रखा है? इसलिए ये अगड़े हो सकते हैं पर तगड़े नहीं हैं। इसलिए हम लंगड़े नहीं हो जाएं और फिर हमारे लिए रिजर्वेशन नहीं करना पड़े, यह आज सोचने की बात है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में आप एक वर्ग को ऊपर उठाइये, लेकिन लोकतंत्र में दूसरे वर्ग को मारना ठीक नहीं। आज जो स्थिति बनी हुई है, इसलिए इकोनोमिकली बैकवर्ड कम्यूनिटीज के लिए और सारी जातियों के लिए एक सामाजिक समन्वय का जो फार्मूला हमारी पिछली सरकार ने दिया था, उस फार्मूले को हमको दुबारा रिपीट करना चाहिये और हमको एक बिल पास करके भारत सरकार को भेजना चाहिये और सामाजिक समरसता का सिद्धान्त राजस्थान में प्रतिपादित हो, हमको इस पर जाना चाहिये।

यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिजर्वेशन का हमने जो प्रस्ताव पास किया था, वह प्रिएम्बल आफ दी कांस्टिट्यूशन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह हमारे प्रिएम्बल में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिएम्बल संविधान की आत्मा है। इसलिए उस आत्मा के आधार पर हमको यह काम करना चाहिये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसमें कई लोग कहते हैं कि 50 परसेंट, इंदिरा साहनी का जजमेंट 9 जजों का अलग-अलग जजमेंट है। आज तक जितने भी कानून बने हैं, प्रगतिशील कह लो, या आरक्षण का कह लो, 1952 में सबसे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रिजर्वेशन का करा था और 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूनल अवार्ड कहकर उसको टर्न-डाउन कर दिया था। उसके बाद उसमें फिर संविधान संशोधन किया और माना गया।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समाज परिवर्तन का काम न्यायालय के माध्यम से नहीं होगा। समाज परिवर्तन का काम राजनीतिक इच्छा-शक्ति और राजनैतिक दलों के माध्यम से होगा और हमको इच्छा-शक्ति पैदा करके यह काम करना चाहिये। मेरा आपसे यह निवेदन है, यह मैं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, अब मैं जयपुर से जीतकर आता हूं, तो एक-दो बात जयपुर की भी निवेदन कर रहा हूं। जयपुर का यह सौभाग्य है कि हमारे तीन-तीन मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत उदार हैं। हम पंडित दीनदयालजी उपाध्याय, दत्तोपंतजी ठेंगड़ी, इनके एकात्म मानवतावाद की विरासत के आदमी हैं, उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन वह उदारता दिखाई और कल कह दिया, हम तो राजीव गांधी की इच्छा को भी पूरा कर रहे हैं। बोलो, अब इससे बड़ी क्या उदारता होगी? यह फालतू कांग्रेस वाले बाहर घूम रहे हैं। अब राजीव गांधी का, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा...(व्यवधान) राहुल गांधी या राजीव गांधी, कोई भी गांधी हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह जो जयपुर है, वह वर्ल्ड सिटी जन्म से है। ईश्वरी विलास महाकाव्य का अध्ययन करेंगे तो सारा एक मात्र हिन्दुस्तान का शहर है जो प्राण-प्रतिष्ठित शहर है। इसकी प्राण-प्रतिष्ठा करके बसाया गया है; अश्वमेघ यज्ञ करके बसाया गया है। विद्याधर और सवाई जयसिंह, ये दो हमारे आदर्श रहे हैं। इन्होंने जयपुर को बसाया। एक भी चौपड़, एक भी रास्ता, एक चौपड़ भी बिना यंत्र के नहीं है। यंत्र आधारित है। यंत्र का वर्णन है; उसका नाप का वर्णन है; सारे रास्तों का वर्णन है। इसलिए जयपुर आज तक बनने के बाद में कभी बिखरा नहीं और यह शहर एक माडल है। दुनिया देखती है, पिंक शहर तो बाद में बना, लेकिन दुनिया देखती है, इसके रास्ते, इसकी चौड़ाई-नपाई। एक इंच भी उन्होंने कभी व्यक्ति को महत्व नहीं दिया। बड़े से बड़े व्यक्ति के मकान का रास्ता भी उन्होंने किसी भी मेन रास्ते पर नहीं खोलने दिया। केवल मंदिरों के रास्ते वहां पर खुले हुए थे। यह महत्व दिया। यहां एक कहावत और है कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

'सांगानेर को सांगो बाबो, चांदपोल को हनुमान और आमेर की शिला देवी, ल्याओ राजा मान। हमारे यहां कोई मंदिर नहीं टूटा, किसी काल में नहीं टूटा, और यह मंदिरों का शहर है।

मुझे दु:ख है, मैं चाहता हूं, इसमें सुधार किया जाये। सड़क चौड़ी करिये; यातायात में अगर बाधा आती है तो मंदिरों विधि-विधान से आप दूसरी जगह ले जाइये, लेकिन इसको सब पर समान रूप से लागू करिये। आप ऐसी जे.सी.बी. से उसको मत उठाइये जिससे थोड़ी देर पहले तो हमारे सामने कचरा उठाकर सड़क पर डाला है और उसी समय शिवजी के शिवलिंग को उसी कचरे से आप उठाकर डाल रहे हों और फिर सारे को ले-जाकर डे.जी.ए. के गोदाम में आप रख देते हों। माफ करिये। कम से कम थोड़ा ख्याल तो करिये और अगर अब जो कर लिया है, तो उन मंदिरों की पुन: प्राण-प्रतिष्ठा कराइये। मूर्ति पूजा का पूरा शास्त्र है।

इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार कानून बनाये, सबके लिये समान बनाये। केवल शिव जी ने, हनुमानजी ने और गणेश जी ने तो बापजी कोई अन्याय नहीं किया। और मजारें भी और कई काम हैं, तो मार्ग में बाधा ही पैदा करते हैं तो समान व्यवहार तो करो, विशेष तो मत करो और जो कर लिया सो कर लिया, अब उनको पुन: प्राण-प्रतिष्ठित करायें। हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे तीन-तीन मंत्री हैं और मैं भी थोड़ा-बहुत उनके साथ रहता हूं। इसलिए, कृपा करके, जयपुर के लोगों के मन में जो हर्ट हुआ है, इस हर्ट-बर्निंग को आप समाप्त करने का प्रयत्न करें। यह मेरा आपसे आग्रह है। सरकार एक कानून बनाये कि कोई भी धार्मिक स्थान बिना सरकार के अधिकारियों की परमिशन के नहीं बनेगा तो आगे इस प्रकार की समस्या नहीं आयेगी। पाकिस्तान में मस्जिदें हटाई गई हैं। पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, मस्जिदें हटाईं; वहां रास्ते में आ रही थीं, हटा दीं। हमारे यहां पर भी रास्ते में मंदिर आते हैं तो हटाइये, लेकिन उनको विधि-विधान से हटाकर उसको इस प्रकार से काम करिये। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बात पर व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूं, वह यह है कि हम सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं और हमने जिस समय सुराज संकल्प पत्र जारी किया, उसके 23 नम्बर के पेज पर हमने लिखा, उसके अध्यक्ष थे गुलाबजी कटारिया,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सदस्य घनश्याम तिवाड़ी, ओंकार सिंह लखावत, राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, राव राजेन्द्र सिंहजी और राजपाल सिंह जी। ओंकार सिंहजी को छोड़कर बाकी हम सब यहां पर उपस्थित हैं; उसमें हमने लिखा कि देशी गौ-वंश और देशी सांड, इनकी नस्ल के संवर्धन के लिए और तीन महीने बरसात को छोड़कर, नौ महीने प्रति वर्ष उनको अनुदान दिया जायेगा। चुनाव घोषणा पत्र की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पांच साल में लागू करनी पड़ती हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिक किया कि हर साल हम तीन महीने छोड़कर उनको देंगे। मैंने एक प्रश्न पूछ लिया कि पिछले साल कितना अनुदान मिला था, किन-किन को मिला था, इस साल आपने अनुदान बंद कर दिया क्या। अब मुझे जवाब दिया गया, मैं उसका खंडन नहीं करना चाहता था, 'जी हां, पिछली साल दिया।' 'हां, इस साल बंद नहीं किया।' 'जी, गौशालाओं हेतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।' अरे, भाई, साली छोड़, सासुओं से ही मसखरी। थोड़ा बहुत संसदीय ज्ञान तो मुझे है। मुझे भी पता है कि मैंने क्या प्रश्न पूछा था और आपने क्या जवाब दिया है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो काम हमने गौ-संवर्धन और गौ-रक्षा के लिए उस हमारे घोषणा-पत्र में कहा, उतना अगर आप 9 महीने का भी नहीं कर पाते हैं आर्थिक दृष्टि से, तो कृपा करके तीन महीने का जो पिछली सरकार ने दिया था, वह तो दिलायें। उस पर कंट्रोल नहीं करें; उसको गौ-शालाओं से नहीं जोड़ें; उसे अकाल राहत से नहीं जोड़ें। हमने साफ-साफ उसमें लिखा कि हम प्रति वर्ष तीन महीने का काटकर नौ महीने तक उनको छोटी और बड़ी गाय का अनुदान देंगे सर्वसम्मति से देंगे। हमारी इस बार पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कि इतने लोग तो उसमें से मंत्रिमण्डल में बैठे हुए हैं। एक को छोड़कर बाकी विधान सभा में बैठे हैं। इसलिए गौ-संवर्धन और गौ-संरक्षण के लिए भी हमको यह काम करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूं, उसके पहले कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इस सारे काम को खराब किया है, उस काम को सुधारने की जरूरत है। प्रधानमंत्रीजी ने आदर्श ग्राम योजना शुरू की। कल यहां चर्चा हुई थी अलवर की। मैंने कल जब अलवर की चर्चा हो रही थी तो उस समय मैंने बताया था कि अलवर नाम कैसे आया। सिंघल साहब नहीं हैं, मैंने कागज भी दिया। उन्होंने कहा, अलवर का 'अ' काट देते हैं तो 'लवर' बन जाता है, और 'अल' काट देते हैं तो 'वर' बन जाता है। मैंने कहा, अगर 'वर' काट देंगे तो 'अल' बनेगा। यह नहीं है। अलवर का बड़ा इतिहास

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है। अलवर शब्द, अलवर है दस बड़े संतों के नाम, उनको अलवर कहते हैं। जैसे अपने यहां तुलसी, सूर, मीरा, कबीर और जो संत हुए हैं, उसी प्रकार तमिलनाडु में 12 संत हुए हैं, विष्णु और कृष्ण पर उन्होंने बहुत गीत और काव्य लिखे हैं। उनको अलवर कहते हैं। तो अलवर नाम का यही एक शहर ईरान में बसा हुआ है और वही अलवर यह है और उन 12 अलवरों की अलग-अलग मूर्तियां हैं। तो यह एक इसका अलवर का इतिहास है।

यह केवल अलवर का नहीं, राजस्थान के हर गांव और ढाणी का एक इतिहास है। त्याग का इतिहास है, बलिदान का इतिहास है, सेवा का इतिहास है। इसलिए राजस्थान सरकार को जो प्रधानमंत्रीजी ने आदर्श ग्राम योजना शुरू की है, उसके साथ में 'आपणी धरती आपणा लोग', जो पिछली बार हम करना चाहते थे, गांव-गांव में अगर यह योजना जायेगी तो भारतीय जनता पार्टी का शासन जड़ों तक पहुंच जायेगा। हमें चाहिए कि हर गांव के इतिहास को हम लाएं। कितना त्याग किया। महाराणा प्रताप को बहुत लोग जानते हैं, पूंजा भील को बहुत कम लोग जानते हैं; महाराजा सूरजमल को बहुत लोग जानते हैं, गोकुला जाट को नहीं जानते; डूंगजी जवाहरजी को जानते हैं लेकिन लोटजी जाट को नहीं जानते हैं। इन छोटे-छोटे लोगों ने इस समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए बहुत बड़ा बलिदान किया है। इसलिए मैं सरकार से अपील करूंगा कि भारत सरकार की तर्ज के आधार पर हम आदर्श ग्राम योजना के साथ-साथ 'आपणी धरती आपणा लोग', यह अपन काम करें।

पावर सेक्टर है। आज जब महंगाई की चर्चा करते हैं तो एक बात की बड़ी चर्चा होती है, महंगाई काहे की? परिस्थिति बड़ी बदल गयी। पहले कोई शादी की बात करने जाते थे तो, सभापति महोदय, पूछते थे कि भई, इस घर में 12 महीने का अनाज है, यहां बेटी दे दो। अब अनाज का तो सबसे कम खर्चा लगता है। अगर घर का कोई बिल है तो सबसे बड़ा खर्चा है बिजली का; दूसरा बड़ा खर्चा आता है डीजल और पैट्रोल का; फिर कास्मेटिक्स का; फिर चाय-पानी का, नाश्ते का; अंत में, अनाज का। इसलिए जो बिजली है, सरकार ने जो तीन बड़े-बड़े समझौते किये हैं, एम.ओ.यू. सोलर एनर्जी के, वह एक ऐतिहासिक कदम है। तो हम सोलर एनर्जी पर आधारित बिजली पैदा करके राजस्थान को बहुत अधिक उसमें कर सकते हैं और इस बजट में इस बात का प्रावधान है। इसके लिए मैं सरकार को और माननीया मुख्य मंत्रीजी को और संसदीय कार्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एक बात और कहूंगा, फिर मैं समाप्त कर दूंगा। क्योंकि आप मेरे पास जिस मीठे हिसाब से देख रहे हों, वह मैं देख रहा हूं, कि आप मुझे कहना, टोकना नहीं चाहते और आप चाहते हो कि मैं बैठ जाऊं। तो मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा।

मैं कहना चाहूंगा, यह बजट बहुत रेस्ट्रेंट में आया है। पिछली सरकार ने जितने काम किये, उन कामों का 12 महीने तक हमने बखान कर लिया। उन्होंने अपनी करनी का फल भी भोग लिया। अब आगे अपन नहीं भोगें, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इस काम को करें। इस काम को जब हम करें तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ध्यान में रखें, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की विचारधारा को ध्यान में रखें और हम सब लोगों को साथ लेकर विकास करें।

किसान का विकास आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैंने अनाज के मूल्य की बात इसलिए कही कि किसान को अनाज का उचित मूल्य नहीं मिलता। घाटे में है। वह बहुत बड़ा वर्ग है जो घाटे में है। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से 200 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देती है, राजस्थान में भी हमको किसानों को अनुदान की बात करनी चाहिए, ताकि एक बहुत बड़ा काम हमारा इसमें हो। (व्यवधान) हम इसको कर सकते हैं।

उसी प्रकार से, मेक-इन-इंडिया की जो बात आयी है, उसमें भी हम काम करें।

अब एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा कि हमको सुशासन देना है। हम बार-बार कह रहे हैं, कुशासन है। सुराज संकल्प यात्रा हमने की; अच्छा राज हो, अच्छा राज कब होगा? जिस राज में सबसे पहले काम, चाणक्य ने कहा, राजा का पहला काम सुरक्षा प्रदान करना है। कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। मैं धन्यवाद दूंगा, पिछले दिनों में जो बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई हैं, राजस्थान पुलिस उन सारी घटनाओं को खोज कर निकालने में कामयाब हुई है, लेकिन पुलिस को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। पुलिस को संसाधन देने की आवश्यकता है। एक।

दूसरी बात की, हमने कहा कि 15 लाख रोजगार देंगे। हमको डिफाइन करना चाहिए। 15 लाख रोजगार सरकारी स्तर पर नहीं, 15 लाख रोजगार के अवसर देंगे। लोगों को काम मिले, इंडस्ट्री में काम मिले, भारत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सरकार में काम मिले, और किसी को काम मिले। हमने बजट में कहा है कि एक लाख रोजगार हमने दिये हैं। मैं समझता हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी, आज नहीं, एप्रोप्रिएशन बिल के समय, जब भी जवाब दें, तो जो एक लाख रोजगार हमने दिये हैं उनको अपन को स्पेल-आउट करना चाहिए कि इस-इस सेक्टर में हमने दे दिये ताकि कांग्रेस का या विपक्षियों का मुह बंद हो जाए कि हमने एक भी आदमी को रोजगार नहीं दिया।

हमने पिछली बार शिक्षा में, पुलिस में और चिकित्सा में एक पारदर्शी तरीके से बहुत बड़ी नियुक्तियां की थीं, जिसमें हमारा नाम था और जिसके कारण से सब लोग, युवा लोग हमारे साथ आये थे। आज वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब शिक्षा में, पुलिस में, और इनमें इस बार तो उनके सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया है; मैं इसका स्वागत करता हूं कि जो व्यवस्था बनाएं उनको सुदृढ़ किया जाना चाहिए, लेकिन आगे जितनी कमी है उस कमी की पूर्ति करने के लिए हमको उसका भी काम करना चाहिए।

इस प्रकार यह सारा जो बजट है उस पर अपन चर्चा करेंगे तो हम आज एक ऐसे स्थान पर आकर खड़े हुए हैं कि हम लम्बी छलांग लगा सकते हैं। सभापति महोदय, हमारे को 160 एम.एल.एज. का समर्थन है, बाकी भी समर्थन प्राप्त है; सारी हमारी जिला परिषदें करीब-करीब हैं; हमको जनता ने सब-कुछ दिया है, अब जनता हम से अपेक्षा करती है कि हम उसकी अपेक्षा के अनुसार काम करें और जो काम करें वह काम हम ऐसा करें कि हम राज्य को वैभव पर ले जाएं और हम भारत को वैभव पर ले जाएं। इसके लिए गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी का विकास हो और मध्यम वर्ग बढ़े, लोगों को शिक्षा मिले, गरीबी कम हो और विकास में सब का अधिकार हो ताकि विकास का वास्तविक अर्थ आ सके। इसका भारतीय संस्कृति में एक ही मंत्र कहा गया है- 'सर्वे भवन्तु सुखिन:, सर्वे सन्तु निरामया:, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत।' इसलिए इस मंत्र के साथ हम चलें और राज्य का और राष्ट्र का विकास करें।

इसी के साथ, सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, आपने वर्ष 2015-16 के बजट पर मुझे मेरे विचार रखने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

यह बजट राजस्थान की वह जनता जो गांवों में रहती है, जिसका स्वयं का भी अपना सपना है कि मेरा बालक भी होनहार होकर अच्छा डाक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, देश का अच्छा नागरिक बने, उस गरीब के लिए समर्पित है; उस सैनिक को समर्पित है जिसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है; उस अन्नदाता किसान के लिए समर्पित है जो जमीन का सीना चीर कर अन्न उत्पादन कर के खाद्यान्न उपलब्ध कराता है।

सबसे पहले तो माननीया मुख्य मंत्रीजी को मैं मेरी किशनगढ़ बास की जनता की तरफ से बधाई देता हूं कि बहुत लम्बे समय से मेरे विधान सभा क्षेत्र के कोटकासिम में न्यायपालिका नहीं थी, इस बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कोटकासिम में मुंसिफ मजिस्ट्रेट खोलने की घोषणा की है। इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, अंग्रेजों के द्वारा जिस तरह से हमारी संस्कृति पर चोट की गयी और सारी शिक्षा को ऐसा तहस-नहस कर दिया गया; जो हमारा पौराणिक वैभव था, इतिहास का, उसको मिटाने का प्रयास किया गया। हमारी युवा पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से भ्रमित कर बेरोजगार की फौज पैदा करने का काम अंग्रेजों ने किया। स्वतंत्रता के बाद 50 साल से अधिक इस देश में कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस ने भी अंग्रेजों का अनुसरण कर हमारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट किया है। कुछ तथाकथित एन जी ओ के बहकावे में आकर हमारी शिक्षा व्यवस्था का जो मूल ढांचा है, उसको ही समाप्त कर दिया।

(14.40 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने हमारे गांव के गरीब को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए शिक्षा के लिए इस बजट में 21,788 करोड़ 97 लाख की जो व्यवस्था की है, वह पूर्ववर्ती बजट से 16 प्रतिशत अधिक है। जो गांव का गरीब है, झोंपड़ी में रहता है, जो सपने देखता है कि मेरा बेटा भी डाक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसकी शिक्षा के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च करने की

(श्री रामहेत सिंह यादव)

व्यवस्था की है। हमारी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। हमारी शिक्षा की जो दुर्दशा की है, आज आठवीं पास बालक तीसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। उसको अक्षर ज्ञान नहीं है। उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के लिए व्यवस्था की गयी है।

हर पंचायत हैडक्वार्टर पर सीनियर माध्यमिक विद्यालय हों, उचित शिक्षा की व्यवस्था उसकी हो और यही नहीं, आसपास के बालकों को उस विद्यालय में आने के लिए सरकार की तरफ से लाने और ले जाने की व्यवस्था हो, यह राशि उस काम के लिए खर्च होगी। यही नहीं, इस राशि में जो केन्द्र सरकार से माडल स्कूल बनाने के लिए जो राशि दी गई थी, वह कम थी। राजस्थान में गुणवत्ता-पूर्ण सेन्ट्रल स्कूल के पैटर्न पर माडल स्कूल बनें, उसके लिए भी आगामी 3 वर्षों में 237 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया है ताकि गांवों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो।

यही नहीं, जिस तरीके से गरीब बालक-बालिकाएं जो छात्रावास में रहते हैं, उनके लिए जिस तरह से कांग्रेस के राज में पूर्ववर्ती सरकार ने मात्र 850 रुपए की प्रति बालक के हिसाब से व्यवस्था की थी, पिछले बजट में उसको 1,350 और इस बार माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 1,500 रुपये किये, ताकि उनको अच्छा वातावरण मिले और अच्छे माहौल में वे शिक्षा ग्रहण करें।

(14.42 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

यही नहीं, जो आवासीय छात्रावास हैं बालिकाओं के, उनमें अगर बिजली चली जाये तो उनकी शिक्षा में कोई व्यवधान नहीं हो, इसलिए आवासीय विद्यालयों में सोलर सिस्टम की व्यवस्था करके पुण्य का काम किया है।

इसी तरह से, खेल में बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख, रजत पदक विजेता को 50 लाख और कांस्य विजेता को 30 लाख का प्रयोजन किया है। इसके साथ आवासीय भूखण्ड देने की घोषणा की है। इससे हमारी खेल प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा और राजस्थान खेलों में नई ऊंचाइयां छुएगा।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का इसके लिए भी आभार प्रकट करता हूं कि हमारे किसान को अन्य वित्तीय संस्थाओं से जो पैसे लेने पड़ते थे, अपनी

(श्री रामहेत सिंह यादव)

खेती के लिए, उनके लिए माननीया मुख्य मंत्री ने 17,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, कि शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को कृषि ऋण मिलेगा। यही नहीं, जिस तरह से यूरिया और डी ए पी की पिछले दिनों दिक्कत आई, उसको ध्यान में रखते हुए 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 1 लाख मीट्रिक टन डी ए पी के भंडारण करने की व्यवस्था की है।

हमारे एन सी आर क्षेत्र में आने वाले, जिसमें अलवर जिला भी एन सी आर में आता है; वह किसान चूंकि दिल्ली के नजदीक है, वह फल, सब्जी का ज्यादा कार्य करते हैं, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है ताकि और अच्छी गुणवत्ता-पूर्ण फसल पैदा करके उन्हें फायदा मिले।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का इस बात के लिए भी आभार प्रकट करता हूं कि गांव में किसान का कामर्शियल क्रोप के अलावा जो मूल बिजनेस रहता है, जो आर्थिक संसाधन है, वह उसका पशुपालन है। पशुपालन में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 200 उप-केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में और 600 नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों की इस बजट में घोषणा की है। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं सदन की नेता को इस अवसर पर एक बात से भी अवगत कराना चाहता हूं कि जिस तरह से शिक्षा में षड्यंत्र हुए उसी तरह से हमारे पशु धन में भी, विशेषकर गौ माता के विषय में हम जानते हैं कि अधिक दूध के लालच में नस्ल को खराब किया गया। होल्स्टीन और जर्सी गायों को प्रोत्साहन देकर के, हमारी जो गायें थीं, जिस पर हमारी कृषि व्यवस्था आधारित थी, उसकी नस्ल को खराब किया गया; जबकि हमारी सबसे श्रेष्ठ गाय, राठी गाय, जिसको हालैंड जैसे देश में दुग्ध उत्पादन के लिए काम में लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को अच्छी नस्ल की हमारी राठी गायों को संरक्षण देने के लिए भी इस बजट में और प्रावधान करने चाहिए।

कांग्रेस ने ग्रामीण सड़क योजना परिवहन सेवा की व्यवस्था की थी लेकिन वह सुचारु नहीं थी। जो रूट बनाये गये थे, उन पर बस चलती नहीं थी। फिर भी ग्रामीण लोगों को रोजगार मिले, आवागमन के अच्छे साधन हों; शहरों में जाकर रोजगार करने के लिए, व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए उनको सुगम साधन हों, इसके लिए माननीया

(श्री रामहेत सिंह यादव)

मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में 1,500 नये ग्रामीण मार्ग खोलने की जो घोषणा की है, उससे आम जन को आवागमन के साधन मिलेंगे। यही नहीं, इससे लगभग 30 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिलेगा। इससे हमारे यहां बेरोजगारी दूर होगी।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, जिस तरह से हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिक शहीद होते हैं, उनके परिवार जन को यहां आये दिन दिक्कत होती थी, उसको दूर करने के लिए, उनकी कम्प्लेंट को आनलाइन करके मानिटरिंग करने की व्यवस्था की है। जो शहीद हो जाते हैं उनके सम्मान में उनके माता-पिता को जो पहले डेढ़ लाख की एफ डी मिलती थी, उसको 3 लाख रुपये करने की घोषणा की है। ऐसे कल्याणकारी, सम्मानजनक कार्य माननीया वसुंधराजी ने इस बजट में किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, बिजली विभाग के बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत चर्चा की। कांग्रेस के राज में जहां हम पहले देखते थे कि 70-70 दिन जले हुए ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते थे, उनको 72 घंटे में बदलना, और 77 हजार करोड़ से अधिक घाटे में होते हुए भी अच्छी सुचारु व्यवस्था करने के लिए 200 जी एस एस 33 के वी ए के इस बजट में रखकर के, माननीया वसुंधरा जी ने किसानों को अच्छी बिजली मिले, पूरे समय बिजली मिले, सिंगल फेज की अलग व्यवस्था हो, इसको ठीक करने के लिए भी इस बजट में जो व्यवस्था की है, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं।

हमारा क्षेत्र अलवर इंडस्ट्रियल एरिया है, एन सी आर में आता है; नौजवानों को रोजगार के लिए उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था ताकि वे स्वयं रोजगार कर सकें, या रोजगार के अवसर उनको ज्यादा मिलें, इसके लिए जिस तरह से खुशखेड़ा, चौपानकी, कारौली, सिलारपुर आदि, औद्योगिक क्षेत्रों में जब यूनिटें लगेंगी तो उसको ध्यान में रखकर हमारे मेवात में भी एक नई आई टी आई का भवन जो 5 करोड़ का दिया है, उसके लिए भी मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं।

एक आग्रह करता हूं, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने हमको न्यायिक क्षेत्र में दिया है, हमारे यहां किशनगढ़ बास, जो हमारा मुख्यालय है, वहां आई टी आई तो है, लेकिन वहां राजकीय कालेज हो जाए। यह मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से चाहूंगा कि बजट का रिप्लाई देते समय जो सुराज संकल्प यात्रा के

(श्री रामहेत सिंह यादव)

समय और चुनावी सभाओं में भी घोषणा की थी, उस कालेज की अगर घोषणा करें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपाल कृष्ण जोशी।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

राजस्थान प्रदेश के बजट 2015-16 को देखकर कहना पड़ेगा कि तारीफ किस-किस चीज की की जाए, किस-किस बात का धन्यवाद दिया जाए। हरेक बात पर निकलती है कि वाह, क्या बात है; वाह क्या बात है! शुरुआत, प्रारम्भ, जैसा हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने किया कि इन्होंने छह आदर्शों जिनमें, ''A Healthy, Educated, Gender Sensitive, Prosperous, and Smiling Rajasthan, with a well-developed economic infrastructure' को आधार मानकर 20 दिसम्बर को विजन 2020 प्रस्तुत किया और आगे भी इस विजन के तहत ही इस प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का इन्होंने अपना एक प्रोग्राम रखा है। यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के नेतृत्व में दिसम्बर, 2013 में विधान सभा के चुनाव और बाद में पार्लियामेंट, निकाय, पंचायतों की जीत कर कड़ी से कड़ी मिलाते गये और जीत-दर-जीत दर्ज कर रिकार्ड कायम करते गये, रिकार्ड बनाने गये। आपका दृष्टिकोण, वैसे देखा जाए तो आर्थिक रूप से प्रगति करना, हर परिवार के व्यक्ति को रोजगार और विकास की मुख्य धारा से वंचित नहीं रहे, ऐसा काम करने के लिए उन्होंने अपना बजट तैयार किया है।

अब क्या फर्क है, दूसरों के बजट में और हमारी वसुन्धराजी ने जो यह बजट दिया, उसमें? मैं तो कहता हूं, गालिब का ही शेर है-

हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे,
कहते हैं कि गालिब का अंदाजे बयां और ।

तो हम भी कहते हैं कि हमारी वसुन्धराजी का भी अंदाजे बयां और है। तो इस अंदाजे बयां में इन्होंने अभी जो बजट पेश किया है, सभी के लिए हितकारी है, सभी के लिए लाभदायक है। ऐसा बजट इन्होंने पेश किया।

मैं पिछले वाली लिस्ट देख रहा था, उद्योग जगत में जन-आकांक्षाओं और प्रवेश कर पर कई अर्से से लोग कह रहे थे कि यह प्रवेश कर ठीक नहीं

(श्री गोपाल कृष्ण)

है, ज्यादा है; इन्होंने तुरन्त कुछ 18 वस्तुओं में प्रवेश दर में भारी कटौती की और 14 पर तुरन्त प्रवेश कर बिलकुल हटा भी दिया। थ्री-स्टार होटल और रेस्टोरेंट में कम श्रेणी वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनमें 15 परसेंट से जो वैट लगता था, उसको 5 परसेंट कर दिया। कुछ विशेष खाने की वस्तुओं पर भी रियायत दी। लेकिन कुछेक ऐसे छोटे-मोटे दुकानदार हैं जिन पर अभी तक वैट लग रहा है, टैक्स लग रहा है, जबकि कमाई बहुत कम हो रही है उन लोगों की। ऐसी छोटी-मोटी दुकान होती है, पूड़ी-सब्जी बेचते हैं, कोई और कुछ बेचते हैं। तो उन लोगों को भी छूट दें तो बहुत मेहरबानी होगी।

इन्होंने डी जी सेट, सोया मिल्क, कई वस्तुओं पर 14 परसेंट से 5 परसेंट भी कर दिया; आफ सीजन में विलासिता कर जो 50 परसेंट था, उसको कम किया करते थे, उसकी जगह पर 100 परसेंट की छूट दे दी। देखिए, किस तरह की छूट दी है। उसका विश्लेषण मैं नहीं कर सकता क्योंकि बोलने का अब समय भी कम रह गया और मेरे से पहले जो महानुभाव बोल गये, उनके सामने क्या बोलूं? कम आय वर्गों को भी पंजीयन के अन्दर छूट दी गई है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि पंजीयन में अपनी छूट लेते रहे हैं।

इस बजट में मैं क्या देखना चाहूंगा कि बीकानेर को आखिर क्या मिला? मैं जहां से आता हूं, वहां से उनको क्या मिला; हमारे सम्भाग को क्या मिला। सम्भाग को आपके 1,11,361 करोड़ 66 लाख राजस्व प्राप्तियों के अन्दर, फिर 1,10,804 करोड़ 80 लाख के खर्च, राजस्व खतम होने के बाद भी मैं बताऊं कि 1 परसेंट भी अगर मिल जाता तो मैं मान लेता कि बीकानेर को कुछ न कुछ मिला है। हालांकि बीकानेर में पिछले जून के अन्दर कैबिनेट के लोग गये थे, राजस्थान सरकार भी बीकानेर पहुंची थी तो वहां पर बहुत सी कुछ घोषणाएं भी की थीं, उन घोषणाओं पर कुछ अमल भी हुआ है और कुछ रिपीट भी हुई हैं। मैं इससे खुश हूं कि जरूर इसमें अच्छे बीकानेर के लिए प्रोग्राम दिये हैं और बीछवाल में बायोलोजिकल पार्क के लिए अब की इस बजट में दिया है। बायोलोजिकल पार्क बीकानेर के अन्दर बनाना, मैं इसके लिए उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं।

पी बी एम जनाना अस्पताल में 10 करोड़ की राशि भी दी है और संग्रहालय के लिए, करणी माता पैनोरमा के लिए, बीजों के उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने के लिए विस्तार केन्द्र, रायसिंह नगर-गंगानगर-बीकानेर

(श्री गोपाल कृष्ण)

227 किलोमीटर तक सड़क यह भी दी है। यह देने के बाद भी और भी कई चीजों में राहत तो दी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रीको द्वारा सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टिट्यूट, खुर्जा के सहयोग से, लेकिन उसके साथ में दूसरे लोगों को भी लगा रखा है, उदयपुर और अलवर को भी बीकानेर के साथ में, 500 कामगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षित लोग ही सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए प्रशिक्षित करना और फिर उसको रोजगार देना, यह बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। यह इसी ढंग से करना चाहिए।

नोखा में हालांकि उप पंजीयन कार्यालय खोला गया है लेकिन बीकानेर में सिरेमिक खनिज पदार्थ बहुत हैं, क्ले का है, फेल्सपार का है, लिग्नाइट का है, और कई चीजों का है। मेरा यह निवेदन है कि वहां पर जितने खनिज मिलते हैं, उन पर आधारित क्या-क्या उद्योग लग सकते हैं, उसके अनुसार कोई प्रोग्राम बनाया जाए तो निश्चित रूप से बीकानेर के लोगों को लाभ मिल सकता है। इसकी लेबोरेटरी का विस्तार किया जा सकता है। उसके बाद में इसमें क्या-क्या चीजें, गुजरात और दूसरी जगह क्ले, जो हमारे यहां से जाकर के दूसरी जगह पर क्ले लेकर के और चीजें बनाते हैं, अच्छी चीजें बनाते हैं, अच्छी फिनिश की बनाते हैं तो वे क्यों बनाते हैं? वह टेक्नोलोजी, हमारे यहां पर भी एक सिरेमिक हब बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। हम यह समझते हैं कि हमारे इस ढंग से होगा।

अभी जब पिछली बार सरकार बीकानेर गई थी तो हमारे माननीय श्री राजेन्द्र सिंहजी, चिकित्सा मंत्रीजी गये थे। उनसे भी हमने निवेदन किया था कि यहां गंगाशहर डिस्पेंसरी, बहुत अर्से से लोग ऐसे तड़फ रहे हैं, यूं समझ लीजिए, जान खा रहे हैं। इस बीकानेर की गंगाशहर डिस्पेंसरी को सैटेलाइट हास्पिटल के अन्दर तब्दील कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। इसको यह दर्जा दिया जाना चाहिए। मैंने पहले भी यहां क्वेश्चन उठाया था और आज फिर कहता हूं। यहां अभी रिणवा साहब भी बैठे हैं, उनको भी यही कहा गया है कि यह सैटेलाइट अस्पताल वहां खोल दिया जाए।

जिला अस्पताल में आई आपरेशन के लिए फेको मशीन की आवश्यकता है। जो अभी जो कुछ रुपये मेडिकल के लिए दिये हैं, उनमें से एक फेको मशीन भी दी जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।

कई विभागों में प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर, ये कुछ हैं ही नहीं। न्यूरो

(श्री गोपाल कृष्ण)

फिजिशियन के अन्दर हैं। सुपर स्पेशलिटी का तो नाम ही मत लीजिए। बीकानेर के अन्दर तो सुपर स्पेशलिटी के लोगों को वहां भेजना बहुत जरूरी है, नहीं तो गम्भीर अवस्था के अन्दर मरीजों को भाग कर जयपुर आना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। और कहीं जाना पड़ता है, उससे कहीं अच्छा हो कि यह वहीं पर उनको मिल जाए।

पैरा-मेडिकल स्टाफ की भी जरूरत है, वहां कमी है। फार्मासिस्ट भी जरूरी है।

बिजली चले जाने पर आल्टरनेटिव सोलर सिस्टम भी लग जाए तो भी वहां काम, कभी-कभी आपरेशन जो बीच में रुक जाते हैं, वे रुक नहीं सकेंगे। यह अच्छा होगा।

सड़क के बारे में मैं यही कहूंगा कि बीकानेर शहर पश्चिम, जहां से मैं आता हूं, एक छोटी-मोटी गलियों वाला, चक्कर लगाकर, एक काम्पेक्ट शहर है, छोटा सा शहर है। इसके अन्दर कोई बहुत बड़ा विस्तार किया हुआ जहां कोई गांव हो; हालांकि पास में कुछ छोटे-मोटे लगे हुए गांव भी उसमें जुड़े जरूर हैं लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम गाड़ी लेकर घूमें तो कुल मिलाकर हम पचास या पिचहत्तर किलोमीटर से ज्यादा नहीं घूमेंगे। तो सड़कें हमारी टोटल हैं ही इतनी। तो आप अगर इतनी ही सड़क नहीं बना पायेंगे तो ये सारी टूटी-फूटी सड़कों को लेकर लोग-बाग़ हमेशा हम लोगों को तंग करते हैं,

(समय : 15.00 बजे)

गालियां देते हैं, झिड़कियां लगाते हैं, लेकिन हम उसको सहन कर रहे हैं। न तो इसको पी डब्ल्यू डी बनाती है, न नगर निगम बनाता है, न यू आई टी बनाती है। पहले यह काम पी डब्ल्यू डी ने बीकानेर शहर का अपने हाथ में ले रखा था; पता नहीं, क्या बात हुई, वहां उन्होंने पी डब्ल्यू डी से हटाकर नगर निगम, यू आई टी को दे दिया। यू आई टी अपना ही काम नहीं कर रही और नगर निगम कहता है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, यह कभी नहीं हो सकता। मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी से कि कम से कम पी डब्ल्यू डी हमारी शहर की सड़कों को संभाल ले और वहां की सड़कों का, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 75 किलोमीटर, 100 किलोमीटर मैक्सिमम हैं जो दो-तीन-चार सालों के अन्दर एक दफे बनानी पड़ती हैं। एक दफे अगर 100 किलोमीटर आपने बना भी दी, 2-4 सालों के अन्दर, तो कोई बिगड़ने वाली बात नहीं है। पिछले टर्म में मैंने कहा कि पी डब्ल्यू डी इसको संभाल रही थी।

(श्री गोपाल कृष्ण)

मैं एक विशेष बात केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के लिए कहना चाहूंगा। वहां पर इसके लिए सभी परिस्थितियां माकूल हैं, पानी है, स्थान है, पूरा का पूरा डेजर्ट है, काफी जमीन है। इसमें कोई कमी नहीं है। वहां जैतून के तेलशोधक कारखाने का उद्‌घाटन हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किया है। इसलिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही माकूल अवसर, माकूल जगह है। हम चाहते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं, यहां वहां हो जाय। इसको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कृषि विश्वविद्यालय कर दिया है।

तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए हम बार-बार जोर दे रहे हैं। इसकी भी जगह हमारे पास है। आलरैडी इतने ज्यादा कालेजेज हैं, इंजीनियरिंग कालेजेज हैं, उन सबको मिलाकर किया जाय तो एक विश्वविद्यालय का रूप ले सकता है।

बीकानेर कोटगेट पर अभी रेलवे अण्डरब्रिज बनाने की बात की, हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि वहां पर पानी इस ढंग से आता है कि आर यू बी के अन्दर एक बार पानी भर गया, कोटगेट के अन्दर तेलीवाड़ा से पानी आता है, दूसरी जगह से पानी आता है, तीन-चार जगह से पानी आता है, वह पानी सीधा उस आर यू बी में जाता है। आर यू बी में निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक दफे अगर उस बहाव में कोई आदमी या जानवर फंस गया तो समझ लो, मरकर ही निकलेगा, वरना निकलने का नहीं है। इसलिए आर यू बी जो भी बनाने की कोई कोशिश करता है, उन सबका हम विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि या तो आप इसको बाइपास कीजिए। इस रेलवे फाटक के कारण लोग-बाग़ जबरदस्त तंग हैं। रिणवा साहब, आपने तो देखा है और आपको कहा भी गया था, आप प्रभारी हैं, आप हमारी इसके अन्दर मदद कीजिए। मैं अकेला या और कोई करने से कोई काम नहीं होता, आप भी कीजिएगा। या तो बाइपास, या ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो एलीवेटेड रोड हो सकती है।

कुछ दिन पहले हमारे विपक्ष के नेता कह रहे थे कि जो पानी की डिग्गियां थीं, उन डिग्गियों के लिए पहले तीन लाख रुपया सब्सिडी देते थे, अब डेढ लाख कर दी। मैं कहना चाहूंगा, यह डेढ़ लाख नहीं की, 2 लाख 45 हजार है, 2.50 लाख है। उन्होंने कहा कि आप तो कचोरी बेचने वाले आदमी हो।

(श्री गोपाल कृष्ण)

कचोरी बेचने वाला हूं तो क्या हुआ? मैं जो कहता हूं वह बात तो ठीक ही होती है। 2.50 लाख रुपये देते हैं। 55 हजार के लिए क्यों जबरदस्ती बात बनाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा सा तो रह गया है। 55 हजार रुपये के लिए अपन लोगों की बात सुनते हैं, यह अच्छा नहीं लगता है। उनको तो असत्य बोलना पड़ा, उन्होंने कहा कि 3 लाख की जगह डेढ़ लाख कर दिया। मैंने कहा कि दो लाख किया; वे कहते हैं, आप तो कचोरी बेचते हो। मैं कचोरी बेचता हूं। चाय वाला ही अगर देश का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है तो मैं कचोरी वाला हूं, मैं क्या बनूंगा?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने उनसे इतनी बात नहीं कही। मैं अभी फिनिश करता हूं।

सोलर इक्विपमेंट भी है, इसमें भी कुछ कमी की है, उसको पूरा कर दिया जाय। नरेगा को यदि कृषि से जोड़ दिया जाय तो अच्छा है। स्थायी काम किया जाय तो ज्यादा अच्छा है। (व्यवधान)

मैं एजुकेशन के बारे में थोड़ी बात कहना चाहूंगा। हमारी एजुकेशन के अन्दर प्राइमरी शिक्षा की जो नींव है, यह अगर पक्की नहीं हुई तो आगे चलकर वह लड़का कभी भी अच्छे ढंग से काम नहीं कर सकेगा, उसका दिमाग अच्छा काम नहीं करेगा। 21,788 करोड़ 90 लाख रुपया आपने दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आठवीं तक इम्तहान नहीं लेना भी, लोगों को बेकार करना है, उसका दिमाग विकसित नहीं होगा। अध्यापकों की कमी भी है। बालिकाओं के लिए साइकिलें देने का किया है।

खास तौर से, देखिए, इन्होंने शौचालय की बात कही है, वह बहुत अच्छी कही है। शौचालय सब जगह होने चाहिए। इसके कारण कई लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। शौचालय होने से वे जाना शुरू कर देंगी। शौचालय सब जगह होने चाहिए।

मुझे आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: आदरणीय डा. किरोड़ी लालजी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय सभापतिजी, आज आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं।

(डा. किरोड़ी लाल)

जितनी ट्रैजरी बेंचेज से बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है, बजट को राजस्थान के चहुंमुखी विकास का नायक बताया जा रहा है, राजस्थान प्रगति के पथ पर चलेगा, ऐसा नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जिस आशा के साथ राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 163 का प्रचण्ड बहुमत, मेरी समझ में ऐसा बहुमत राजस्थान की धरती पर कभी नहीं आया। उसके बाद वसुन्धराजी ने एक नारा लगाया मिशन 25 का। वह भी पूरा हुआ, राजस्थान की जनता ने पूरे 25 के 25 लोक सभा के सदस्य जिताकर भेज दिये। (व्यवधान) हां, मुझे भी नहीं बख्शा। मैं वहीं आ रहा हूं, क्योंकि अच्छे दिन के नारे लगाये थे... (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अगली बार तक तो बी जे पी में ही आ जाओगे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे, यह नारा लगाकर प्रचण्ड बहुमत से दिल्ली में भी बैठ गये, लेकिन अच्छे दिन न तो बेरोजगारों के आये। क्या बजट में घोषणा की है नौकरी की? 15 लाख का जो घोषणा-पत्र में इन्होंने वादा किया था राजस्थान के बेरोजगारों के साथ, बजट में इस प्रकार का कोई इंडिकेशन नहीं है कि कोई सरकारी नौकरी देंगे। किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिली। यह बजट पूरी तरह से बेरोजगार विरोधी है, किसान विरोधी है। बिजली मिली, वह भी महंगी। बजट भाषण से पहले बिजली की रेट और बढ़ा दी, बिजली के बिल में भी करंट आ गया। हालत यह हुई, सभापति महोदय, आपके क्षेत्र में भी, आपकी जानकारी में आया होगा, किसानों को खाद के लिए त्राहि-त्राहि मच गयी। जो कट्टा 285 का आता था, वह 600, 700, 800 का ब्लैक में हो गया। उसको देखने वाला सरकार की तरफ से कोई नहीं था कि ब्लैक को कैसे रोका जाय। किसान को खाद नहीं मिला। वी सी आर भरने के नाम पर पूरे राजस्थान में ऐसी लूट मची कि किसानों की जेब काटी जा रही है। किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। बिजली मिलना तो दूर की बात है, वी सी आर के नाम पर किसानों को मारा जा रहा है। महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, बजट में उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

अभी जोधपुर से आने वाले तीन विधायकों के बयान भी अखबारों में छपे थे कि लोग हमारे कपड़े फाड़ रहे हैं। कब आएंगे अच्छे दिन? भंसालीजी का बयान आया, सारा शहर सड़ रहा है। सूर्यकान्ता व्यास का बयान आया, बाबू सिंह राठौड़ का बयान आया, सबका बयान आया और ये अपनी पार्टी के नेताओं से पूछ रहे हैं कि आखिर अच्छे दिन कब आने वाले हैं? ये ऐसे अच्छे दिन के

(डा. किरोड़ी लाल)

नारे लगाकर प्रचण्ड बहुमत से आ गये। इनके तो अच्छे दिन आ गये क्योंकि ये तो एम एल ए हैं, मंत्री हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता के सबसे ज्यादा बुरे दिन आये हैं तो इस राज में आये हैं।

सभापति महोदय, पानी का बजट प्रस्तुत हुआ। पानी की हालत क्या है? राज्य में 38 हजार से अधिक गांव और ढाणियां हैं। (व्यवधान) मैं यही देख रहा था कि मंत्रीजी तो हैं ही नहीं। आप बैठे हों तो आप सुन लो। राज्य में 38 हजार से अधिक गांव-ढाणियां हैं जिनमें किसी न किसी रूप में पानी की गुणवत्ता ज्यादातर खराब है। मैंने आपके ही आंकड़ों के आधार पर बोला है। इनके सुधार और घरों तक पानी पहुंचाने के लिए 37 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। देश में जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रभावित गांव हैं। 74 फीसदी गांव प्राब्लेमेटिक हैं। सभापति महोदय, इसमें राज्य के 56 प्रतिशत गांव नाइट्रेट से, फ्लोराइड से और 46 प्रतिशत सेलाइन से, खारेपन से प्रभावित हैं। सभापति महोदय, मैं आपके जरिये सरकार से कहना चाहूंगा कि अब तो कड़ी से कड़ी जुड़ गई, पंचायत से लेकर दिल्ली तक कड़ी से कड़ी जुड़ गई, तो सरकार कम से कम यह कोशिश तो करे, बजट में यह इंडिकेशन तो देती कि राजस्थान राज्य को पानी की दृष्टि से विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिले।

मैं यहीं नहीं रुकना चाहता, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल पानी की दृष्टि से ही नहीं, राजस्थान की हालत बड़ी नाजुक है, जिसका मैं आपको विवरण बताना चाहूंगा कि राजस्थान भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विशेष राज्य का दर्जा पाने लायक राज्य है। यहां के हालात क्या हैं? भू-भाग की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का अधिकांश भू-भाग मरुस्थलीय है, राजस्थान के 12 जिले मरुस्थलीय हैं, जो रेगिस्तान का 60 प्रतिशत हिस्सा है। 12.6 प्रतिशत आबादी आदिवासी बहुल है। विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सेवाएं पहुंचाना बहुत टेढ़ा काम है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में बरसात बहुत कम होती है, जो सब जानते हैं। 60 साल में 55 बार राजस्थान में अकाल पड़ा है। 70 प्रतिशत किसान मानसून की अनिश्चितता का दंश झेलते हैं। राज्य का भू-भाग देश के कुल भू-भाग का 10.41 प्रतिशत है, यानी सबसे बड़ा है, जबकि पानी की उपलब्धता केवल एक प्रतिशत है। इस प्रकार से प्रदेश में पानी की भीषण

(डा. किरोड़ी लाल)

समस्या है। जब पानी की भीषण समस्या है तो पानी की दृष्टि से राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और राजस्थान की सरकार को केन्द्र से आग्रह करना चाहिए।

सभापति महोदय, राज्य में 237 ब्लाक हैं और उन 237 ब्लाकों में से 207 ब्लाक का पानी रसातल में चला गया है। राज्य में देश का सर्वाधिक 137 प्रतिशत पानी का दोहन हो रहा है। संचार साधन बहुत कम हैं। आवासहीन घुमक्कड़ जातियों की संख्या भारी तादाद में है, श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा है किन्तु रोजगार नहीं हैं। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि राजस्थान सीमांत प्रदेश है और पाकिस्तान से करीब 1,040 किलोमीटर लम्बी अन्तरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की लगती है जिस पर भारी खर्चा होता है और इसके कारण से कृषि, खनन, उद्योग एवं व्यापारिक गतिविधियां भी नगण्य-सी राजस्थान में चलती हैं। आम व्यक्ति की औसत आय भी अन्य राज्यों के मुकाबले में भारी कम है। देश में प्रति व्यक्ति औसत आय के मामले में राजस्थान 22वें पायदान पर है। जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, आबादी भी करीब 6 करोड़ से ज्यादा है और यह आंकड़ा पार कर चुका है। इतनी ही संख्या राजस्थान में पशुधन की है। हर साल प्राकृतिक आपदा के कहर के कारण, रोजी-रोटी के कारण पलायन हो जाता है, या पशुओं के पालन के लिए पशुपालक राजस्थान को छोड़कर पास के स्टेट में चले जाते हैं। सीमित आय और आर्थिक संसाधनों के कारण विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को खड़ा करना 60 साल से चुनौती बना हुआ है।

इसलिए मैं राज्य सरकार से, माननीया मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तो मैं चाहूंगा कि वे इस बात को इंडिकेट करें, राजस्थान को निश्चित रूप से विशेष राज्य के दर्जे के सम्बन्ध में बताएं। सभापति महोदय, राजस्थान हर मापदण्ड में खरा उतरता है, मैंने आपको इल्यूमरेट किया है। पिछड़ेपन की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, आदिवासियों की दृष्टि से, मरुस्थलीय क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान जब इतना पिछड़ा है तो, परनामीजी, अब तो कड़ी से कड़ी मिल गई, इसलिए राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की कोशिश आपको करनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह कड़ी भी मिलेगी, या नहीं मिलेगी?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं पुरानी कड़ी हूं जो टूटकर दूर हो जाती है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने बजट प्रस्तुत करने से पहले हर श्रेणी के बिजली के बिल महंगे कर डाले। बिजली का बिल करंट मारता है। घरेलू कनेक्शन में 50 से 95 पैसे, नान-डोमेस्टिक में 1.15 से 1.25 रुपये, इंडस्ट्रियल में 85 पैसे से एक रुपये तक प्रति यूनिट बढ़ा दिये। सभापति महोदय, इसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर सिस्टम को सुधारा जाता, उससे बिजली की एक रुपये तक की बचत की जा सकती थी। हर श्रेणी की बिजली महंगी हुई है और बजट से पहले यह करके सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात किया है।

माननीय सभापति महोदय, जैसे आंकड़े बताते हैं, प्रदेश की सरकारी बिजली वितरण कम्पनियों में बिजली छीजत 26 प्रतिशत है और इसमें से 16 प्रतिशत बिजली छीजत खस्ता हाल सिस्टम, लम्बी लाइनों, पुराने ट्रांसफार्मर और चोरी के कारण हो रही है। इस छीजत को अगर रोक लिया जाए तो आंकड़े बताते हैं कि 3 लाख 20 हजार यूनिट बिजली बचाई जा सकती है, जिसकी कीमत 4,600 करोड़ रुपये है। 4,600 करोड़ रुपये की बिजली का खस्ता हाल सिस्टम के कारण, लम्बी लाइनों के कारण, पुराने ट्रांसफार्मर और चोरी के कारण नुकसान हो रहा है। सभापति महोदय, जो नई टैरिफ बढ़ाई है, उससे सरकार को आय कितनी होगी? जिससे जनता की जेब कट गई, जनता बुरी तरह से परेशान है, त्रस्त है, कमर तोड़ने वाली महंगाई बिजली की हो गई, उससे आय होगी 4,500 करोड़ रुपये। नई टैरिफ से कम्पनियों को 4,500 करोड़ रुपये की कमाई होगी लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि छीजत, चोरी, कुप्रबन्धन, अनावश्यक खरीद, फिजूलखर्ची पर अगर रोक लगा दी जाए तो यह बिजली एक रुपये सस्ती की जा सकती है। ऐसी चुनौतीपूर्ण विशेषज्ञों की जानकारी है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के कुप्रबन्धन, मिस-मैनेजमेंट के कारण राजस्थान डिस्काम का घाटा 77 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया तथा इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक यह बढ़कर 90 हजार करोड़ रुपये हो जाने वाला है, आशंका इस प्रकार की जताई जा रही है। केन्द्र सरकार की योजना पर सब्सिडी का फायदा लेने के लिए बिजली वितरण कम्पनियां लोन ले रही हैं और हालत क्या है, बिजली कम्पनियां सरकार के

(डा. किरोड़ी लाल)

बराबर कर्जा ले रही हैं। सभापति महोदय, राज्य के लिए सालाना जितना कर्जा लिया जा रहा है, लगभग उतना ही कर्जा बिजली कम्पनियां अलग से ले रही हैं। बिजली कम्पनियों का यह कर्जा करीबन एक लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यह हालत है।

इसलिए मिस-मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए। जो चोरी चल रही है, या जो ये ऊटपटांग ऋण ले रहे हैं, उस दृष्टि से बजट में किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन नहीं दिया। मैं आपके द्वारा सरकार को कहना चाहूंगा, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो यह कुप्रबन्धन है, मिस-मैनेजमेंट है, लम्बी लाइनें हैं, पुराने ट्रांसफार्मर हैं, चोरी है, इन पर अगर प्रभावी नियंत्रण करेंगे तो निश्चित रूप से 45-46,000 करोड़ रुपये की बचत निगम को होगी।

सभापति महोदय, पिछले बजट में भी और इस बजट में भी सरकार ने कालीसिंध, साबरमती, ब्राह्मणी, चम्बल, मेज, पार्वती, परवन, गम्भीर, बनास, आदि नदियों को जोड़ने की घोषणा की है, इनको जोड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सरकार इनको जोड़े लेकिन, सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी 12 महीने बहने वाली, 12 मासी बहने वाली चम्बल नदी है, वह कोटा की डाउनस्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक बहकर बेकार चली जाती है। धौलपुर प्यासा है, भरतपुर प्यासा है, रास्ते में पड़ने वाले सवाई माधोपुर और करौली प्यासे हैं। उसको पहले हमने विधान सभा में उठाया था और लोक सभा में भी उठाया था। तो उस मामले का सर्वे हुआ और उस सर्वे के बाद एक योजना निकलकर आई, जिसका नाम था इन्दिरा लिफ्ट इर्रिगेशन प्रोजेक्ट। सभापति महोदय, वह इन्दिरा लिफ्ट इर्रिगेशन प्रोजेक्ट इस ढंग का बनाया था, जो सवाई माधोपुर के रामेश्वर घाट पर बनता और उसके पानी को लिफ्ट करते; लिफ्ट करके उसका पानी सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, धौलपुर तक को उपलब्ध कराया जाता, लेकिन वह सरकार के कागजों से गायब हो गया। मैं सरकार से मांग करूंगा, सभापति महोदय, आपके जरिये, जिस ढंग से ब्राह्मणी नदी, मेज नदी, इनको मिलाकर पानी जयपुर में लाये जाने की कोशिश की जा रही है, उसी ढंग से चम्बल नदी का पानी भी लिफ्ट किया जाना चाहिये और चम्बल नदी के पानी को लिफ्ट करके सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और दौसा के इन इलाकों में लाया जाना चाहिये और उस पर बजट में कुछ घोषणा की जानी चाहिये।

(डा. किरोड़ी लाल)

सभापति महोदय, सरकार में पिछले तीन दिन से गान गा रहे हैं कि हमने गौरव पथ दे दिया, हमने मिसिंग लिंक सड़क दे दीं, करोड़ों रुपयों की दे दीं, सैकड़ों गांवों को जोड़ने जा रहे हैं। माननीय मंत्रीजी ने यह प्रावधान रखा था कि कोई क्षेत्रीय विधायक लिखकर देगा, उसके हिसाब से पहले फेज में एक तिहाई सड़क देंगे और बाकी की अगले फेज में देंगे। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है, पिछली सरकार में भी यह नहीं हुआ और उससे पहले वसुन्धरा जी की सरकार में भी नहीं हुआ, कि केवल सत्ताधारी दल का विधायक लिखकर देगा, वह सड़क सैंक्शन करेंगे और हम लिखकर देंगे तो हमारे लिखकर देने से वह सड़क सैंक्शन नहीं करेंगे, न मिसिंग लिंक करेंगे। मेरे सामने जो बी जे पी का उम्मीदवार हारा है, वह लिखकर देगा तो सड़क होगी। डाक्टर किरोड़ी लाल, विधायक के रूप में लिखकर देगा तो उसकी अनुशंसा पर सड़क नहीं होगी। इस ढंग का भेदभाव, पक्षपात नहीं किया जाना चाहिये। इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसको मिटाया जाना चाहिये। हैं कितने से? हैं जो भी बाहर बैठे हैं। इसलिए...(व्यवधान)

इसी प्रकार से मैं आदिवासी क्षेत्र की दयनीय स्थिति के बारे में थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय,..

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): डाक्टर साहब, आदिवासियों के बारे में मैं आपको इंटरप्ट इसलिए करना चाहूंगा कि आपने उदयपुर सम्भाग में तीस या चालीस बार हैलिकाप्टर उड़ाये हैं, वहां सब जगह आपकी जमानत जब्त हुई। इसलिए आप आदिवासियों के नाम का दिखावा जो कर रहे हो, वह तो सब आपके लिए बेकार है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): वह तो आपकी भी जमानत जब्त हो जायेगी कभी, ऐसी। चिंता मत करो। आपका नम्बर भी आ जायेगा। जमानत तो जब्त होती रहती है। जीतते रहते हैं, हारते रहते हैं। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। वहां जगाया ही है आप लोगों को। और अब जाकर फिर जगाऊंगा। मुझे रोक थोड़े ही सकते हो आप। अब जगाऊंगा, अब जाऊंगा। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्र की स्थिति बड़ी दयनीय है, भारी बेरोजगारी है। क्या नहीं है बेरोजगारी? चलो, बोल जाओ। काहे में लगा दिया आपने? आपने नरेगा का काम चालू नहीं किया।

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): सारे आदिवासियों का हक तो छीनकर खा गये आप।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): काहे में खा लिया? फालतू की बात कर रहे हो। काहे का हक खा गये? हक खा लिया आपका? वह तो जो रिजर्वेशन दिया है, वहीं के खा रहे हैं। उसका कुछ करो ना। भारी बेरोजगारी की स्थिति है। भुखमरी बहुत ज्यादा है। (व्यवधान) नहीं, नहीं, गुस्से की बात नहीं है। काहे का खा गये? जो पांचवीं की परीक्षा पास नहीं कर सकते, वह आई ए एस की परीक्षा पास कर लेंगे? पढ़ाया तो है नहीं बेचारों को।

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): कई सारे पीएच.डी. और कई सारे बच्चे लाइन में आ रहे हैं हमारे उदयपुर सम्भाग के।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): शिक्षा तो दी नहीं, नहीं तो जीतकर आ जाते। उदयपुर, जयपुर, दिल्ली में बढ़ जाते। खैर, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं आपसे माफी चाहता हूं।

सभापति महोदय, स्थिति ठीक नहीं है, कुपोषण की स्थिति वहां पर है। पलायन वहां पर होता है। वहां नरेगा के काम कोई बड़े पैमाने पर चलते हों, ऐसे नहीं चल रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, पी डी एस सिस्टम तो पूरी तरह से वहां पर पहले ही पैरेलाइज्ड है। स्वास्थ्य सेवाएं भी ठीक-ठाक से वहां पर चल नहीं रहीं। वन अधिकारियों और आबकारी के अधिकारियों का अत्याचार भी वहां पर काफी बड़ी तादाद में होता है।

सभापति महोदय, अभी नन्दलालजी मीणा से मैंने जो सवाल किया था, तो इन्होंने भी स्वीकार किया था कि महाराष्ट्र प्रणाली उस क्षेत्र में लागू की है। वह लागू तो कर दी और लागू करते समय जो पत्र राजस्थान सरकार ने जारी किया है, उनका 21 दिसम्बर, 1999 का पत्र है, उसमें सरकार ने लिखा है ''जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग में महाराष्ट्र प्रणाली अपनाये जाने बाबत।'' ''जनजातीय क्षेत्रीय विकास हेतु जिन 14 विभागों...'' ये 14 विभाग दे रखे हैं, उनको बोलना ठीक नहीं है। ''...महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने का निर्णय किया गया। उन 14 विभागों की प्रत्येक की कुल आयोजना परिव्यय सीमा राशि के आठ प्रतिशत भाग के समतुल्य राशि ट्राइबल सबप्लान के लिए अलग से निर्धारित की जाये।'' और यह राशि एकमुश्त टी ए डी को दे दी जायेगी और इसका सारा नियंत्रण टी ए डी का होगा। माननीय मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, उस दिन भी माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार किया था कि राशि दे रहे हैं लेकिन राशि का एकमुश्त नियंत्रण टी ए डी का नहीं है। जब तक एकमुश्त नियंत्रण टी ए डी का नहीं होगा, तब तक उस इलाके का पिछड़ापन

(डा. किरोड़ी लाल)

दूर नहीं हो सकता। इसलिए, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी अपना जवाब दें तो यह जो राइडर इसमें लगा रखा है कि आबंटित राशि की सीमा के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग ही बजट में कितना प्रावधान किस कार्यक्रम हेतु किस विभाग को दिया जायेगा, इसके सम्बन्ध में निर्णय वित्त विभाग के साथ बैठकर करेगा; यह वित्त विभाग का राइडर हटना बहुत जरूरी है और पूरी तरह से टी ए डी को स्वतंत्र करना जरूरी है ताकि ये कार्यों का चयन करें, ये ही स्वीकृतियां जारी करें और ये ही उस पिछड़े इलाके को आगे ले जायें। ऐसी मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, पिछले घोषणा पत्र में सरकार ने घोषणा की थी कि किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाया जायेगा। (व्यवधान) की थी। घोषणा पत्र में भी की, संकल्प पत्र में भी की। आपके पड़ौस में मध्य प्रदेश सरकार है, लाभकारी मूल्य देने की कोशिश कर रही है। एक ही सरकार है, वह भी बी जे पी की सरकार है, यह भी बी जे पी की सरकार है। राठौड़ साहब, मैं चाहूंगा, आप मुख्य मंत्रीजी को कन्विंस करें कि आपने घोषणा पत्र में यह वादा किया है तो किसानों को लाभकारी मूल्य, ज्यादा नहीं तो जो मध्य प्रदेश के बराबर 200 रुपये का बोनस दिया जा रहा है, उतना बोनस तो कम से कम किसानों को दिया जाये।

सभापति महोदय, अभी हाल, फिलहाल में बड़ा तेज अंधड़ आया, बरसात आई, कई जगह ओलावृष्टि हुई, फसल नष्ट हो गई। हो सकता है, सरसरी तौर पर, ऊपरी-ऊपरी तौर पर सरकार उसका सर्वे करा लेगी, लेकिन फसल नष्ट हो जाने के कारण किसान बहुत परेशान हैं। क्योंकि गत बार भी ओलावृष्टि बड़े पैमाने पर हुई, किसानों की फसल नष्ट हो गई। अब की बार भी मौसम बिगड़ गया, भारी बरसात के कारण फसल टेढ़ी पड़ गई, सारी फसल खराब हो गई। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि फसल का जो खराबा हुआ है, उसका सर्वे बड़े पैमाने पर करवाये और सर्वे कराकर उनकी जो भरपाई है, वह भरपाई तो कराये लेकिन सदा की भांति, जैसे पिछले टेन्योर में वसुन्धराजी ने छह महीने के बिजली के बिल माफ किये थे और सबकी भरपाई की थी, उस ढंग से ये बिजली के बिल माफ किये जायें और इनका जो नुकसान है, उसकी भरपाई किसानों की की जाये।

सभापति महोदय, मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा, वैसे

(डा. किरोड़ी लाल)

शायद सरकार चिंतित है कि दिल्ली में, केन्द्र में बहुत सारे मुद्दे राज्य के पेंडिंग पड़े हैं; मंत्रीजी, आपकी जानकारी में हैं; चाहे ऊर्जा से सम्बन्धित हो, चाहे स्पेशल स्टेटस का हो, चाहे स्पेशल स्टेटस फोर ड्रिंकिंग वाटर का हो, रावी-व्यास का हो, यमुना का हो, भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट का हो, चाहे पंजाब-हरियाणा से पानी लेने का मामला हो, भरतपुर में यमुना का पानी लाने का मामला हो, सारे पेंडिंग मामले हैं। सभापति महोदय, अब इससे अच्छा कोई मौका नहीं है, यहां आपकी सरकार, दिल्ली में प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार है। पहले तो आप किसी दूसरे की तरफ देखते थे। पिछली सरकार नहीं कर पाई, जिसका परिणाम तो यह हुआ कि वे माइनोरिटी में, एक मिनी बस के बराबर, आकर के यहां पर बैठ गये। मैं कहना चाहूंगा कि आप उनकी लाइन पर नहीं चलें और चिंता करें इस बात की राजस्थान के जितने भी पेंडिंग मुद्दे हैं, जो भारत सरकार के अधीन हैं, पेंडिंग हैं, उनको निश्चित रूप से मुख्य मंत्रीजी अपने प्रभाव का सदुपयोग करके वहां से निस्तारित करायें। जिससे राजस्थान आगे बढ़े, राजस्थान प्रगति करे, राजस्थान प्रगति के पथ की ओर बढ़े। यही मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री डा. विश्वनाथ मेघवाल।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं एक जानकारी आपसे करना चाहूंगा कि बोलने के लिए जो सलाह दी जाती है, उसमें उलट-फेर आसन करता है, या किन्हीं प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? मैंने इसमें देखा है, माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी, प्रहलादजी गुंजल, रामहेत यादव जिनके नाम नीचे थे, तो इसका कम से कम कोई नियम तो बनाएंगे, या मनमानी ही चलेगी?

श्री सभापति: यह मैं आपकी जानकारी के लिए आप सबको निवेदन कर दूं, न तो आसन किसी से प्रभावित होता है, न आसन को कोई प्रभावित कर सकता है और आसन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, जो करता है, सही करता है।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): माननीय सभापतिजी, आपने ही बोला था कि जो नाम रह गये हैं, वहां से शुरुआत की जाएगी। तीन दिन हो गये हैं नाम काटते हुए।

श्री सभापति: विराज जाइए। मुख्य सचेतक महोदय, आप अपने-अपने सदस्यों को सचेत कर दीजिए कि आसन से किस प्रकार के प्रश्न किये जाने चाहिए और किस प्रकार के प्रश्न नहीं किये जाने चाहिए।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बजट 2015-16 पर बोलने का मुझे अवसर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, राज्य में विरासत में मिली एक जर्जर अर्थव्यवस्था के बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक अच्छा बजट पेश किया, इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने 2 लाख 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का जो कर्ज छोड़ा और उसके बावजूद ऐसा बजट माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है, यह बहुत शानदार और जानदार बजट है। हर जिले को, हर किसान, हर व्यापारी, मजदूर, बेरोजगार, सबको ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया गया है। 'स्वजन उत्थान और स्वजन विकास' के नारे को यथार्थ में बदलने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे बिजली, पेयजल, जल संसाधन, कृषि, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार को ध्यान में केन्द्रित कर यह बजट बनाया गया है।

सभापति महोदय, प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद, जी.एस.डी.पी. में वृद्धि हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय पर-कैपिटा इन्कम में वृद्धि हो।

सभापति महोदय, अभी मेरे से पूर्व माननीय डाक्टर साहब बोल रहे थे कि जो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, वे आपस में ऐसा कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि विपक्ष के लोग तो राज्य की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। सत्ता पक्ष ही एक ऐसा है जो आज पूरे राज्य की, कम से कम, चिंता कर रहा है और राज्य के जो भी विकास के काम हैं, उसके लिए तत्पर है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी दृढ़ संकल्पित हैं और उनका एक विजन भी है और उनका एक सुपरविजन भी है। सभापति महोदय, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति से, जिस तरीके से बीकानेर में एक बहुत बड़ी समस्या थी, सूरसागर, ऐसी समस्याओं को उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में पूरा किया। इस बार भी उन्होंने बीकानेर का पूरा ध्यान रखा है। बीकानेर में सरकार-आपके-द्वार गई, कई समस्याओं का समाधान हुआ। इस बार भी अब

(श्री विश्वनाथ)

इस बजट में करीब पौने छह सौ किलोमीटर रोड बीकानेर के लिए हमें दी हैं और बीकानेर के राजकीय संग्रहालय के लिए भी बजट दिया है। बीछवाल बायोलोजिकल पार्क हो या करणी माता, लक्ष्मी नारायण मंदिर हो, जनाना हास्पिटल हो, उप पंजीयन कार्यालय हो, सब क्षेत्र में माननीया वसुंधराजी, मुख्य मंत्रीजी ने बीकानेर का ख्याल किया है। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने आर्थिक आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए बड़े अच्छे कदम उठाये हैं। जिस तरीके से, मैं कहना चाहूंगा, जैसे सड़क के विकास के लिए 10 हजार किलोमीटर सड़क मार्ग का और ग्रामीण गौरव पथ हो, चाहे 2 हजार किलोमीटर मिसिंग लिंक हों, चाहे पी.एम.जी.एस.वाई. की 1100 ढाणियों के जोड़ने की बात हो, 4 हजार किलोमीटर की नान-पैचेबल सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य हो, और खनिज क्षेत्र में आवागमन के लिए जिस तरीके से उन्होंने 50 करोड़ रुपये दिये हैं, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया है। आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. के लिए भी इन्होंने बहुत सारा बजट दिया है। बीकानेर में एक बहुत बड़ी समस्या है, आर.ओ.बी. की बात हम नहीं करेंगे, आपका विरोध है, कोई बात नहीं, लेकिन यह बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है; जिस तरीके से सूरसागर की समस्या थी, वैसी की वैसी समस्या एक रेल लाइन की समस्या है। मैं चाहूंगा कि किसी भी तरीके से इसका समाधान हो। यह बहुत ही जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, हम सड़क परिवहन की बात करते हैं, दूरदराज के क्षेत्र में परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए 1 हजार 500 नये मार्ग खोलने की घोषणा की है। इससे छह हजार अतिरिक्त वाहन और 26 हजार लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। हवाई परिवहन सेवा में भी बढ़ाने की बात की है। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, बीकानेर में पिछली बार माननीया वसुंधराजी गईं, हवाई टर्मिनल का उन्होंने उद्घाटन किया। बीकानेर की जनता की और उद्योगपतियों की व पर्यटन की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से हम देखना चाहें, तो वह हवाई सेवा वहां पर सुचारु रूप से चालू करें। यह मैं माननीय वसुंधराजी से मांग करता हूं कि वे इस पर पूरा ध्यान दें।

(श्री विश्वनाथ)

सभापति महोदय, पेयजल की हम बात करें, 2006-2007 में प्रारम्भ की गई पेयजल योजना आज तक भी पूरी नहीं हुई है। करीब 67 पेयजल योजनाएं लम्बित चल रही हैं। पिछले बजट में भी 12 पेयजल योजनाओं के लिए 289 करोड़ रुपये दिये गये और इस बजट में भी 12 पेयजल योजनाओं को सम्पूर्ण करने के लिए 494 करोड़ रुपये दिये हैं। सभापति महोदय, ये कांग्रेस सरकार से जो लम्बित समस्याएं चल रही हैं, पेयजल परियोजनाओं की, इनको भी आज हमारी सरकार की माननीया मुख्य मंत्रीजी पूरा करने जा रही हैं। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में पेयजल के लिए एक वृहद् पेयजल योजना की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी इसकी ओर ध्यान दें और खाजूवाला के गांवों और ढाणियों को पेयजल की अच्छी सुविधा मिले, इसकी मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, सोलर एनर्जी बेस्ड 1,000 बोरवेल की घोषणा इस बजट में की है; फ्लोराइडयुक्त जो समस्या है उसके लिए 2 हजार आर.ओ. प्लांट की घोषणा की है; जनता जल योजना के लिए 139 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

मैं बीकानेर सम्भाग में सभापति महोदय, माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ साहब मंत्रीजी गए और मेरे क्षेत्र में भी गये। डिग्गियों में जिस तरीके की साफ सफाई की हो, मेंटीनेंस की हो; मेरा क्षेत्र पूर्णत: इंदिरा गांधी कैनाल के रा-वाटर पर डिपेण्ड है, मैं चाहूंगा कि उन डिग्गियों के रख-रखाव के लिए, माननीया वसुंधरा जी ने वैसे इस बजट में 90 करोड़ दिये हैं, तो मेरे क्षेत्र में भी उसका बेनिफिट मिले।

मैं बिजली के बारे में बात करना चाहूंगा कि बिजली के लिए जिस तरीके से माननीया वसुंधराजी ने, डाक्टर साहब अभी कह रहे थे कि बिजली के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ, 77 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्जा बिजली पर पूर्ववर्ती सरकार ने जो छोड़ा है, इसके बावजूद भी हमारे ट्रांसमिशन और प्रोडक्शन में जिस तरीके से सुधार हुआ है। मैं माननीया वसुंधराजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 400 के.वी. के 2 जी.एस.एस., 220 के वी के 6 जी.एस.एस., 132 के.वी. के 16 और 33 के.वी. के 200 जी.एस.एस. सब-

(श्री विश्वनाथ)

स्टेशन लगाने की जो बात कही है, बड़ा ही सराहनीय कार्य है। 34 हजार से अधिक एग्रीकल्चर कनेक्शन पिछली बार दिये जा चुके हैं, चालीस हजार कनेक्शन इस बार देने की बात कही है।

सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में छतरगढ़ में बिजली का भारी लोड है; बिजली की कुछ समस्याएं हैं। वहां पर 132 के वी जी एस एस स्वीकृत हुआ है। मैं चाहूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर गांववासियों को राहत मिले।

सौर ऊर्जा में भी 25 हजार मेगावाट की जो ये योजना लेकर आये हैं, मैं इसके लिए भी माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की एक-दो मांग और हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने बिना बजट प्रावधान के खाजूवाला में राजकीय महाविद्यालय खोल दिया; बीकानेर में टैक्निकल यूनिवर्सिटी बिना किसी बजट प्रावधान के खोल दी। इससे वहां की क्षेत्र की जनता काफी भ्रमित हुई है और आज यह मांग बहुत जोर से उठने लगी है। मैं चाहूंगा कि माननीया वसुन्धराजी, मुख्य मंत्रीजी मेरे इस खाजूवाला के महाविद्यालय की तरफ ध्यान दें और इसको खोला जाए।

सभापति महोदय, डिग्गियों के बारे में निवेदन है। अभी हमारे कृषि मंत्रीजी बैठे हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है, डिग्गियों और सौर ऊर्जा पर अनुदान राशि पहले जो दी जा रही थी, उसमें कुछ कटौती हुई है। मैं चाहूंगा कि इसमें पहले की तरह ही अनुदान राशि मिले, सब्सिडी मिले।

सभापति महोदय, मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब सरकार-आपके-द्वार बीकानेर गयी थी तो उन्होंने एक पी एच सी दंतोर में और पूगल में एक सी एच सी क्रमोन्नत करने की बात कही। मैं चाहूंगा कि इस बजट में हमें यह सुविधा उपलब्ध करायें, एक पी एच सी और सी एच सी की सौगात हमें दें, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद होगा।

सभापति महोदय, मैं इसके अलावा नहरों के सुदृढ़ीकरण के बारे में कहना चाहूंगा कि नहरों का रखरखाव और सुदृढ़ीकरण हो और अंतिम छोर तक पानी पहुंचे, यह मैं सरकार से आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

मैं इस मौके पर, जिस तरीके से अभी डाक्टर साहब ने कहा, यूरिया

(श्री विश्वनाथ)

और डी ए पी की किल्लत के बारे में बात की इन्होंने; सभापति महोदय, इस बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने तीन लाख मैट्रिक टन यूरिया और एक लाख मीट्रिक टन डी ए पी के अग्रिम संग्रहण, भण्डारण करने की बात कही है।

मैं आपको और ज्यादा कुछ न बोल कर धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: मुख्य सचेतक महोदय, आसन आपसे यह निवेदन करना चाह रहा है, क्योंकि आपकी सूची बहुत लम्बी है, अगर आपकी अनुशंसा में कोई खलल न हो तो जो माननीय सदस्य अभी तक नहीं बोल पाये हैं, अगर आप उनको प्राथमिकता देना चाहें तो आसन आपसे यह निवेदन करता है कि उनको प्राथमिकता दें, जिससे उनको भी अपनी बात कहने का अवसर मिल सके।

मैं, सम्माननीय लादूरामजी विश्नोई, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके ठीक सामने घड़ी है, दस मिनट के बाद में दस सेकंड के उपरांत मैं दूसरा नाम पुकार लूंगा।

श्री लादूराम (गुढामालानी): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए जो अनुमति दी है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

हमारी आदरणीया मुख्य मंत्री ने बजट के आइटम नंबर 43 में फागी और अन्ता में वोल्टेज की सबसे बड़ी इकाई 765 के वी प्रसार तंत्र की स्थापना का जिक्र किया है। देश में सबसे बढ़िया वोल्टेज की सबसे बड़ी इकाई अपने फागी और अन्ता राजस्थान में स्थापित की है। इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

जोधपुर से उदयपुर चार सौ के वी की प्रसारण की लाइन जो स्वीकृत की है, उसके पीछे आदरणीया मुख्य मंत्रीजी की यह थ्योरी है कि जितनी भी सौर ऊर्जा की बिजली सरकार पैदा करेगी, वह सारी जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले की जो पड़त जमीन है उनमें सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा और वह प्रसारण तंत्र के हिसाब से चार सौ के वी उदयपुर-जोधपुर जो लाइन है, वह बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन होगी। तो इसके लिए भी मैं आदरणीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आज से चार महीने पहले आदरणीया मुख्य मंत्रीजी से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जयपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, हनुमानगढ़ तथा बाड़मेर...

श्री सभापति: मुख्य सचेतक महोदय, यह सदन है, परामर्श का केन्द्र नहीं है।

श्री लादूराम (गुढ़ामालानी): जिले में विद्युतीकरण के बारे में उनको रिक्वेस्ट की थी। तो आइटम नंबर 46 पर आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने 1,864 ढाणियों का विद्युतीकरण 14,578 ढाणियों में सघन विद्युतीकरण और 5,40,000 विद्युत कनेक्शन तथा 1,60,000 बी पी एल कनेक्शन जो इन छह जिलों में दिये हैं, उसके लिए मैं आदरणीया मुख्य मंत्रीजी को और ऊर्जा राज्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इन बेकवर्ड जिलों में विद्युतीकरण का काम पहले कम हुआ, यह शिकायत हमने चार महीने पहले आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को की थी और पूरा का पूरा वह बजट में उन्होंने स्वीकृत कर दिया। इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

इसके अलावा, मैं आपको अर्ज कर दूं कि आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने 25 हजार मेगावाट का सोलर प्रोडक्शन का जो बजट में प्रोविजन किया है, उसका मतलब यह है कि अब राजस्थान की पूरी अवेलेबिलिटी और अपना जो कंजम्प्शन है, 2,200 एल यू के आसपास है, तो 2,200 एल यू में अपन दूसरी स्टेट से सारा परचेज करके ले रहे हैं और जब यह 25 हजार सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तो उसका टोटल एल यू है, वह करीब 5,000 एल यू होगा। 5,000 एल यू का मतलब यह है कि अपना राजस्थान सरप्लस स्टेट होगा और सरप्लस स्टेट होने के कारण अपन दूसरे राज्यों को यह बिजली बेचेंगे। मतलब, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट में जो प्रोविजन किया है और अपने पास राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले में पड़त जमीन, सरकारी जमीन खूब उपलब्ध है। यह बहुत बड़ा स्टेप है। इसकी मैं भूरि-भूरि तारीफ करूंगा।

इसके अलावा, मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में सिविल लाइबिलिटीज बिल, 2012 जो लागू किया था। वह बड़ा किसान विरोधी है। इसके लिए मैं आदरणीया मुख्य मंत्रीजी से 18 दिसम्बर को व्यक्तिगत मिला था कि इस सिविल लाइबिलिटीज बिल को विथड्रा किया जाए। कांग्रेस पार्टी इस बिल के पीछे हारी है और अपने लिए बड़ा घातक होगा। तो आदरणीया वसुन्धराजी से इसके बारे में मैं 3 मार्च को बोला भी हूं और वापस मैं निवेदन करूंगा कि सिविल लाइबिलिटीज बिल में जहां एक-एक हार्स पावर में 80-80 हजार का जुर्माना लगता है, इसको तुरन्त विथड्रा किया जाए।

(श्री लादूराम)

आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिए एग्री किया है। यह सिविल लाइबिलिटीज बिल, जहां गुजरात स्टेट में दो हजार रुपये प्रति एच.पी. के हिसाब से चार्जेज लेते हैं, आज गुजरात स्टेट की बिजली कंपनियां लाभ में चल रही हैं। गुजरात और पंजाब के पैटर्न पर अपने सिविल लाइबिलिटीज बिल को तुरन्त विथड्रा किया जाए यह मेरी आदरणीया मुख्य मंत्रीजी से रिक्वेस्ट है, जिसके लिए उन्होंने पहले एग्री किया है।

इसके अलावा, मैं आपको बताना चाहता हूं शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में आपको अर्ज कर रहा हूं कि जो सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल प्रति पंचायत डिक्लेयर किये हैं, उसके तहत गुढामालानी विधान सभा क्षेत्र में, मेरे अकेले क्षेत्र में 36 स्कूल तो पहले स्वीकृत हुए और नयी पंचायतों में 17 स्कूल और स्वीकृत होंगे। इसके लिए भी आदरणीया मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

पी एच ई डी के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं। पिछले साठ साल में पी एच ई डी की रूरल एरिया में सप्लाई पोजिशन ठीक नहीं है और पश्चिमी राजस्थान में जितना भी पी एच ई डी का तंत्र है वह बहुत कमजोर है। जहां-जहां डायरेक्ट फीडर पी एच ई डी ने खींचा है, वहां सारी लाइनों पर अनआथोराइज्ड कनेक्शन हो गये हैं। उसके कारण टेल एंड गांवों में पानी नहीं मिलता है। तो अभी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सोलर पंप पी एच ई डी के ट्यूबवैल में स्थापित करने का निर्णय लिया है, उसके कारण अपने पी एच ई डी की सप्लाई में गांवों में जबरदस्त सुधार होगा। इसके लिए मैं आदरणीया मुख्य मंत्रीजी को और श्रीमती किरण माहेश्वरीजी, जलदाय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

उच्च शिक्षा में हमारे गुढामालानी हैडक्वार्टर पर एक कालेज आलरैडी चल रहा है। धोरीमना में सब-डिविजन हैडक्वार्टर है, पंचायत समिति हैडक्वार्टर है और तहसील हैडक्वार्टर है। तो मैं आदरणीया मुख्य मंत्रीजी से और उच्च शिक्षा मंत्री, दोनों से निवेदन करता हूं कि धोरीमना में एक कालेज की स्थापना की जाये। सांचोर और धोरीमना में लड़के और लड़कियां इतने इंटेलिजेंट हैं कि आज हर यूनिवर्सिटी में धोरीमना का एक साधारण किसान परिवार का लड़का स्टैडी कर रहा है। धोरीमना में मैं एक कालेज की मांग करता हूं, उसको स्वीकृत किया जाये।

(श्री लादूराम)

डाक्टर रामप्रतापजी यहां विराजमान हैं, आदरणीया वसुंधराजी ने 2008 में जालौर और बाड़मेर जिले में नर्मदा नहर के पानी की शुरुआत की थी। उसमें मैं आपको अर्ज कर दूं, सरदार सरोवर बांध में 121 मीटर की जो हाइट है, उसके ऊपर से फालतू में पानी बह कर समुद्र में चला जाता है। इसके लिए आदरणीया मुख्य मंत्रीजी को हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने नर्मदा नहर, सांचौर के अधिकारी को यह आर्डर दिया कि आप इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस ढंग से तैयार करें कि जो पानी समुद्र में बहकर चला जाता है, उसको गुढामालानी की तरफ डाइवर्ट करके सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाय। मैं इस बारे में बता दूं कि मुख्य मंत्रीजी और पहले जो सांवर लालजी जाट, जो आपकी जगह थे, उनके आदेशानुसार 1,900 करोड़ रुपये की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई है। वह आपके कार्यालय में पहुंच गई, आदरणीया मुख्य मंत्रीजी की टेबल पर पहुंच गई है। मैं निवेदन करूंगा कि इस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप गुजरात के मुख्य मंत्रीजी और भारत सरकार में भेज कर इसका परीक्षण करा लें जिससे जो पानी फालतू में समुद्र में बहकर जा रहा है वह सिंचाई के लिए काम आ सके। इस पानी की बचत कितनी है, वह भी मैं आपको बता दूं। 28 मिलियन एकड़ फीट पानी नर्मदा वाटर डिस्ट्रिब्यूशन ट्रिब्यूनल के तहत चार स्टेट को मंजूर हुआ है। सबसे कम टेल एण्ड में राजस्थान को मिला है। जो पानी समुद्र में फालतू बहकर जायेगा, वह नर्मदा वाटर डिस्ट्रिब्यूशन ट्रिब्यूनल के स्कोप से बाहर है। जितना भी पानी आप उपलब्ध करायेंगे, वह अपने राजस्थान को मिलेगा। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और सीधा यह पानी अपने काम आयेगा। इसलिए आप मेहरबानी करके इस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भारत सरकार को भेजें और गुजरात के मुख्य मंत्रीजी को भेजें, यह मेरी रिक्वेस्ट है।

बिजली विभाग की तरफ से हमारे राज में कुल 74 हजार कनेक्शन मार्च, 2016 तक हो जायेंगे। इसका मतलब यह है कि 74 हजार कनेक्शन जो आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने डिक्लेयर किये हैं, उसमें 74 हजार नौकरियां इनडाइरेक्ट रूप से किसानों के परिवारों को मिलेंगी। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। 24 बाई 7 के पैटर्न पर जो आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, उसके अनुसार पिछले एक साल से किसानों को और ग्रामीण इलाकों में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है। उसके लिए आदरणीया मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(श्री लादूराम)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आधा मिनट और दीजिए।

सहकारी समितियों के बारे में, सहकारिता मंत्रीजी यहां विराजमान नहीं हैं, उसमें सोसाइटी मैनेजर एक ऐसी इकाई है जो राज्य सरकार की नहीं हैं। उसमें राजस्थान सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। उन पर अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है। मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी यह बात कही थी, दुबारा आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

जलग्रहण योजनाओं में बाड़मेर जिले में जितना भी स्टाफ है, वे कांग्रेस राज के पोस्टेड हैं। इसलिए मैं सुरेन्द्रजी गोयल, ग्रामीण विकास मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि जलग्रहण की जितनी भी योजनाएं हैं, उनका जो स्टाफ है, एस ई, एक्स ईएन और ए ईएन को आप तुरन्त बदले और अपने हिसाब से दूसरी जगह लगायें।

गुढामालानी सब-डिविजनल हैडक्वार्टर है, बाड़मेर से 100 किलोमीटर दूर है। इसलिए एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के लिए मैं आदरणीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए टाइम दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री विजय बंसल।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, 2015-16 का जो बजट राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, वह शानदार और जानदार बजट इस सदन में रखा गया है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उसके साथ 60 साल के कांग्रेस शासन में हमेशा पिछड़ता और सौतेलापन का व्यवहार होता रहा था। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वसुंधराजी इस सदन की नेता बनीं, तब पहली बार भरतपुर जिले और भरतपुर सम्भाग को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने का मौका मिला।

(श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा)

(15.56 बजे)

(श्री कैलाश मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं बताना चाहूंगा कि उस समय जो बीसों वर्ष पुरानी एक मांग उठती चली आ रही थी कि भरतपुर जिले को सम्भाग का दर्जा दिया जाये, मांग पर विचार कर भरतपुर को सम्भाग बनाया गया। विद्यार्थियों को टेक्निकल एजुकेशन के लिए दूर-दूर जाना पड़ता था; भरतपुर में सरकारी इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना उसी समय हुई। साथ-साथ विद्यार्थियों का जो एक आंदोलन था भरतपुर में यूनिवर्सिटी बनाने एवं मेडिकल कालेज खोलने के लिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वसुंधरा जी को, उन्होंने भरतपुर में महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय एवं मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की थी।

2008 में दुर्भाग्य से सरकार चली गई। हालांकि भरतपुर जिले में तो इस विकास के रथ को देखते हुए 7 में से 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुन कर आये थे। 2008 से 2013 तक पांच साल के कांग्रेस शासन में कोई भी नई योजना भरतपुर जिले के विकास के लिये कांगेस ने घोषित नहीं की। इसके बावजूद भी, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कालेज की जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी की थी, वह भी ठंडे बस्ते में डाल दी और सबसे बड़ी दु:ख की बात भरतपुर राज्य के संस्थापक महाराजा सूरजमल का नाम जो उस यूनिवर्सिटी में जोडा गया था उनका नाम भी उस यूनिवर्सिटी के नाम से हटा दिया गया।

2013 में चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुन: बनी। आदरणीया वसुंधराजी पुन: मुख्य मंत्री बनीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आते ही महाराजा सूरजमल का नाम जोड़ते हुए यूनिवर्सिटी और मेडिकल कालेज की जमीन अधिग्रहण कर काम शुरू कराया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरणजी सराफ को, जिन्होंने वादा किया है कि इसी सेशन से यूनिवर्सिटी अपना कार्य शुरू कर देगी। इसके लिए कालेज से सम्बन्ध स्थापित कर दिये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार बनने के पश्चात्, फरवरी, 2014 में मुख्य मंत्री, सारे मंत्री, सारे अधिकारी भरतपुर सम्भाग के दौरे पर रहे और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर वहां की समस्याओं, वहां की शिकायतों का अवलोकन किया और काफी शिकायतों का वहीं सुनकर निराकरण किया और जो बड़ी शिकायतें थीं, उनको जयपुर लाकर 90 परसेंट शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है।

(श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा)

साथ-साथ पिछले बजट में हमने जो मांग की थी कि कांग्रेस ने पांच साल में भरतपुर के साथ पुन: सौतेलापन का व्यवहार किया है, आवश्यकता है, भरतपुर नगर परिषद को नगर निगम बनाकर भरतपुर के विकास को आगे बढ़ाया जाये।

(16.00 बजे)

मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसी दिन उन्होंने घोषणा करके नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया। भरतपुर-मथुरा बाइपास 48 करोड़ रुपये से स्वीकृत हुआ। भरतपुर में पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हुई। एक साल के कार्यकाल में भरतपुर के लिए बहुत कुछ दिया गया।

नगर निगम के अलावा भरतपुर यू आई टी को भरतपुर विकास प्राधिकरण बनाये जाने का भी अनुरोध किया था। तब उन्होंने मेरे को यह विश्वास दिलाया था कि वित्तीय साधनों की कमी है, 2015-16 के बजट में इस मांग को पूरा किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब जवाब दें, उसमें भरतपुर यू आई टी को क्रमोन्नत कर भरतपुर विकास प्राधिकरण बनवाकर भरतपुर के विकास को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में गौरव पथ और मिसिंग लिंक की बात चली थी, उनमें साथ-साथ नाली निर्माण को भी शामिल करके ग्रामीण विकास में एक अनुकरणीय काम किया गया है।

किसी भी प्रदेश और देश के विकास के लिए आवश्यक होता है कि सड़क मार्ग मजबूत हो। किसान, व्यापारी अपने साधनों से अपनी-अपनी मण्डियों में पहुंच सकें, इसके लिए मिसिंग लिंक दस-दस किलोमीटर रखी गई है। यह विकास के लिए बहुत आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी पर्ची के माध्यम से भरतपुर एम एस जी कालेज से लेकर, चिकसाना होते हुए, यू पी बार्डर तक जो सड़क पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो चुकी है और पिछले पांच साल में लगातार प्रश्नों के जरिये इसे उठाया था और तत्कालीन पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर का यह जवाब था कि इसी वर्ष करा देंगे, इसी वर्ष करा देंगे। आज तक उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। मैंने पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर साहब को, 26 तारीख को पर्ची के माध्यम से जब मैं बोला था तो उन्होंने बताया कि इसका एस्टिमेट बना लिया गया है और 18 करोड़ रुपये की लागत से इसी वित्तीय वर्ष में उस सड़क को पूरा करा दिया जाएगा।

(श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। मेरे को 2013-14 का बजट ध्यान है, माननीय अशोकजी गहलोत जब बजट पढ़ रहे थे, तब उन्होंने 500 करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री सड़क योजना की घोषणा की थी। हमारे द्वारा पूछे जाने पर कि यह सड़क किस-किस हिसाब से बनेगी, उन्होंने इसी पवित्र सदन में यह घोषणा की थी कि सभी विधायकों को बराबर पैसे दिये जाएंगे। सरकार चली गई लेकिन उन्होंने पूर्वी राजस्थान में एक भी पैसा उस मुख्यमंत्री सड़क योजना से नहीं दिया। इसी तरह से, तत्कालीन पी एच ई डी मिनिस्टर डा. जितेन्द्रसिंहजी ने उसी बजट में 20 हजार हैण्डपम्प पूरे राजस्थान में, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 100-100 के हिसाब से देने की घोषणा की थी। जब हमने उनके चीफ इंजीनियर, वगैरह से बात की तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम पर वरर्बली आदेश है कि बी जे पी के विधायकों को एक भी हैण्डपम्प नहीं दिया जाय, सिर्फ कांग्रेस के विधायकों को दिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी इस तरह की बात नहीं करती है कि इस पवित्र सदन में घोषणा करें और कथनी और करनी में अंतर करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, जहां तक पेयजल की हम बात करें, 2001 में धौलपुर, भरतपुर, चम्बल परियोजना की शुरुआत हुई, इसका कार्य 2006 तक पूरा होना था लेकिन तत्कालीन सरकार ने, उस काम को हाई कोर्ट में ले जाकर उसकी लागत बढ़ाते रहे। तत्कालीन चीफ इंजीनियर रतनसिंह से जब बात की गई, मुख्य मंत्री ने उनको आदेश दिया कि एक योजना ढाई साल से एक स्टे की तरह कोर्ट में अटकती रहे, इससे अधिक दुर्भाग्य की कोई बात नहीं होगी। उनको एक्सटेंशन दिया और तुड़वाकर वह काम चालू किया गया। आज चम्बल का पानी भरतपुर तक तो आ चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पी एच ई डी मिनिस्टर यहां बैठी हुई हैं, मैं इनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि फर्स्ट फेज में सभी गांव उसमें हैं, लेकिन देर हो रही है। इसको जल्दी ही करवाकर, ग्रीष्म ऋतु आने से पहले गांवों को पानी उपलब्ध कराने का श्रम करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक यह गांवों तक पहुंचे, माननीया पेयजल मंत्रीजी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि गर्मियों को देखते हुए, पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैण्डपम्प, सिंगल फेज, टयूबवेल,

(श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा)

आदि खुदवाकर इस गर्मी में तो कम से कम पानी की समस्या से निजात दिलाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 200 33 के वी के सब-स्टेशन स्थापित करने का इस बजट में प्रावधान रखा गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज से 4-5 वर्ष पूर्व स्वीकृत स्टेशन 33 के वी के आज तक भी नहीं लग पाये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इतरन, भासी में 2009-2010 में स्वीकृत हुए थे। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इनको लगवाने के साथ-साथ, जो 200 स्वीकृत किये गये हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के जाटोली, रथवाग में एक 33 के वी का नया स्थापित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की बात, पहले बिजली का आना एक स्वप्न-सा लगता था, लेकिन पिछले एक साल के अन्दर जो फीडर सुधार योजना चली, इससे कम से कम, 24 घंटे नहीं तो 22 घंटे सिंगल फेज और साढ़े छह-सात घंटे थ्री फेज बिजली उपलब्ध हो पा रही है। मैं मांग करता हूं कि थ्री फेज बिजली कम से कम 8 घण्टे और सिंगल फेज 24 घण्टे उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, जो हमारे पार्टी के घोषणा-पत्र में था कि 24 घण्टे, 72 घण्टे के अन्दर जले हुए, खराब हुए, चोरी हुए ट्रांसफार्मर को बदल दिया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों की मनमानी के कारण एक-एक महीने तक ये ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति–सूचक-घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई-कोई एक घण्टा बोलता है, किसी को पांच मिनट का समय भी मिलना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन किसानों ने अपने खेत के पास अपना दो कमरों का मकान बना लिया, उनके लिए कनेक्शन लेने में बड़ी परेशानी आती है। कृषि-अकृषि, इस भूमि में उनको सिंगल फेज कनेक्शन के लिए परेशानी आती है। उस सिंगल फेज कनेक्शन से कोई खेती-बाड़ी का टयूबवेल तो चला नहीं सकता है। मेरा अनुरोध है कि ऐसा अंतर खतम कर कृषि कनेक्शन की जगह घरेलू कनेक्शन प्रायोरिटी पर दिये जाएं।

(श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा)

भरतपुर जिला पर्यटन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है। भरतपुर का पक्षी विहार पूरे संसार में अकेला पक्षी विहार है। इस जिले को अगर पर्यटन जिला घोषित करें, भरतपुर, डीग, कामां, बयाना, खानवा, आदि पर्यटन स्थल यहां मौजूद हैं। मैं पर्यटन मंत्री महोदय महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि कम से कम अपने गृह जिले का ध्यान रखते हुए भरतपुर को पर्यटन जिला घोषित कराएं।

साथ-साथ, भरतपुर की एक ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर, जो भरतपुर की जीवन-दायिनी कहलाती थी, वह नष्ट हो चुकी है; घाटों के टूटने से, गंदे पानी के आने से वह मृतप्राय हो चुकी है। पिछली बार जब मैंने यह प्रश्न लगाया था तो तत्कालीन मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि इसकी एक डी पी आर बनाकर आई आई टी, हैदराबाद को भिजवा दी गई है, वहां से सैंक्शन होते ही इसको तुरंत काम में लाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा, इस ऐतिहासिक सुजान गंगा का जीर्णोद्धार कर इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करें, तो घना देखने आने वाला जो भी पर्यटक है, एक दिन वहां भी घूमकर आ सकता है। मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार की झील संरक्षण योजना है, जिसमें बहुत पैसा है, जिससे उदयपुर और अजमेर में भी इस दिशा में काम हुआ है, उस झील संरक्षण की योजना में इस सुजान गंगा का जीर्णोद्धार कराया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पशु चिकित्सालय, उप-केन्द्र 200 खोलने की बात हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पंचायत हैडक्वार्टर पर उप पशु चिकित्सा केन्द्र खोले जाएं और पशु चिकित्सा का प्रबंध किया जाए। साथ-साथ, जिस तरह से मनुष्य के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता है, जानवर भी दूरदराज अपना इलाज कराने के लिए बिना किसी साधन के नहीं जा सकता। मेरा अनुरोध है कि पशु एम्बुलेंस की भी व्यवस्था हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खेलकूद की दृष्टि से भरतपुर अपना बहुत महत्व रखता है। पिछले 40 वर्ष से राजस्थान केसरी की बुर्ज हमेशा भरतपुर के पास रहती आई है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि भरतपुर में एक स्पोर्टस काउंसिल बनाई जाए।

अभी जो बात शिक्षा की आई थी कि केन्द्र सरकार ने राजस्थान में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है, माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा)

राजस्थान में भरतपुर बहुत बड़ा कृषि उत्पादन केन्द्र है। सरसों अनुसंधान केन्द्र वहां स्थित है। अनेक प्रकार से बहुत बड़ा राजस्थान में योगदान भरतपुर देता है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वह कृषि विश्वविद्यालय भरतपुर में ही खोला जाए।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। अब स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, अब आखिरी कर रहा हूं। (व्यवधान) आखिरी बार। एक मिनट।

जहां तक बात करें चिकित्सा क्षेत्र की, सम्भाग मुख्यालय पर 350 बेड का भरतपुर में हास्पिटल है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां सीनियर स्पेशलिस्ट के आधे पद, जूनियर स्पेशलिस्ट के आधे पद, सर्जन नाम की वहां चीज नहीं है, जिससे आपरेशन बंद पड़े हैं। आंखों का कोई डाक्टर नहीं है। वहां आंखों का अस्पताल बंद पड़ा है। सिटी स्कैन जो मशीन, पिछले कार्यकाल में तत्कालीन चिकित्सा मंत्री ने दी थी, वह खराब हो चुकी है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मशीन को नई बनवाया जाए, एम.आर.आई. मशीन लगाई जाए और डाक्टरों के रिक्त पद भरे जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी बात मैं यह कहकर खतम करुंगा कि भरतपुर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): पश्चिम विहार की वजह से जो बड़े-बड़े उद्योग थे, पर पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण वे बंद हो गये। इससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। ला एण्ड आर्डर बिगड़ रहा है। बेरोजगार युवक आपराधिक प्रवृत्तियों में जा रहे हैं। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि भरतपुर के आसपास भी कहीं एक बड़ा औद्योगिक हब बनवा कर, अभी नवम्बर में सम्मेलन होने जा रहा है, नये उद्योग खुलवाकर भरतपुर में बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए ...(व्यवधान) धन्यवाद देते हुए, इस बजट का समर्थन करता हूं। साथ-साथ धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि इसी बजट में उन्होंने नदबई में आर.ओ.बी. बनवाने की घोषणा की है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, चार दिन से जो बहस चल रही है, अध्यक्ष महोदय, करीब-करीब हम समापन की ओर हैं, सरकार उसका उत्तर देने की तैयारी की ओर है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने बजट है और मैं पहले कुछ आर्थिक पहलुओं की बात करूंगा और उसके बाद...

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे, तब बैठूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। संक्षेप में आप बोलिये। आपको अनुभव भी है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्योंकि मैं ऐसे वातावरण में ही बोल सकता हूं, जहां कोई सुनने को तैयार है। कोई सुनने को नहीं...

श्री अध्यक्ष: हम हैं तैयार।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा निवेदन है कि मैं संक्षेप में ही कहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014-15 में हमें यह बताया गया था कि 1 लाख 6 हजार करोड़ की आमदनी होगी, राजस्व प्राप्तियां 1 लाख 6 हजार करोड़। निश्चित रूप से, अध्यक्षजी, मैंने बधाई दी थी कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने लाख-करोड़ का आंकड़ा पार किया, राजस्व प्राप्तियों में, और यह पहली बार हुआ। इसके लिए मैंने बहुत बधाई दी थी। खैर, वे परिस्थितियां 1 लाख 6 हजार करोड़ की नहीं रहीं और अब संशोधित अनुमानों में हमें 96 हजार करोड़ की प्राप्तियां बताई गई हैं; यानी, 10 हजार करोड़ रुपये कम; 1 लाख 6 हजार से 10 हजार कम। मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया है कि 2,625 करोड़ तो केन्द्रीय करों से कम आये। निश्चित रूप से कम आये हैं, तभी तो मुख्य मंत्रीजी ने जो अनुमान दिये थे, उससे खुद ने ही यह अनुमान दिया है, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्व करों से भी 7,315 करोड़ की प्राप्तियां कम हुईं। तभी तो यह कुल मिलाकर 10 हजार करोड़ की प्राप्तियां कम हुई हैं। जो प्राप्तियां कम हुईं, नतीजा यह हुआ, अध्यक्ष महोदय, 2014-15 का बजट जो 737 करोड़ के सरप्लस में था, राजस्व सरप्लस में, वह बजट 4,219 के राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मानननीय अध्यक्षजी, आज दिन में सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य का बड़ा दूरदर्शी और ओजस्वी भाषण हुआ और उन्होंने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि राजस्व घाटा नहीं होना चाहिए और राजस्व घाटा जो 2015-16 में नहीं है और सरप्लस है, उसकी बड़ी तारीफ की। हमने भी बड़ी तारीफ की थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब यह तो राजस्व घाटे की चर्चा हुई जो 2014-15 का है, पूंजीगत प्राप्तियों में क्या हुआ? पूंजीगत प्राप्तियों में सदन को बताया गया था कि 22,151 करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्तियां होनी हैं और खर्च होना है, पूंजीगत खर्च भी उसी के मुकाबले कुछ होना था, पर प्राप्तियां बढ़कर हो गईं, अध्यक्ष महोदय, 22,151 करोड़ के मुकाबले 29,246 करोड़; यानी, 7,395 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां अधिक हो गईं। पूंजीगत व्यय जो दर्शाया गया था, उससे 777 करोड़ कम हुआ। अध्यक्ष महोदय, रिजल्ट यह है, कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि 2014-15 के 4,219 करोड़ के राजस्व घाटे को पूंजीगत खाते में 4,322 करोड़ के आधिक्य से 103 करोड़ के सरप्लस में परिवर्तित किया गया है।

बहुत स्पष्ट है, सदन से मेरा निवेदन होगा कि पूंजीगत खाते से राजस्व खर्चे 2014-15 में हमने चलाये हैं। ये आंकड़े बोलते हैं, मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पूंजीगत खाता, 7,395 करोड़ इसीलिए उगाहे गये कि कुल मिलाकर जो 4,219 करोड़ का घाटा है, वह पूंजीगत खाते के 4,322 करोड़ के आधिक्य से वह 103 करोड़ में बदल जाए।

अध्यक्ष महोदय, ये अर्थव्यवस्था के कुछ इंडिकेटर्स हैं। 2014-15 में हम इस बात में फेल हो गये कि राजस्व खर्चे की पूर्ति हम राजस्व प्राप्तियों से करते। कुल रिजल्ट यह है, अध्यक्ष महोदय, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारी पूंजीगत प्राप्तियां 29,246 करोड़ की हैं, पर हमारा पूंजीगत खर्च 19,152 करोड़ का है। करीब 10 हजार करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां अधिक हैं, लेकिन व्यय हमारा पूंजीगत खाते में 19,152 करोड़ ही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इसमें तो अब कोई संशय नहीं है कि 2014-15 में हमने राजस्व घाटे की पूर्ति राशि, जो 4,219 करोड़ थी, और अन्य राजस्व खर्चे, यह सब पूंजीगत खर्च से चलाएंगे।

दूसरा इंडिकेटर है अर्थव्यवस्था का कि हम ब्याज कितना दे रहे हैं। साल में, 2014-15 में हमने ब्याज 10,528 करोड़ का दिया, पूरे साल में। हमारी देयताएं तो बढ़ रही हैं, उसी का तो यह हर साल ब्याज है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ब्याज और लोन जो है, वह 51 प्रतिशत है, टोटल इन्कम का।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप 96 हजार करोड़ की प्राप्ति को देखें और 10 हजार करोड़ के चुकारे को देखें। दस प्रतिशत से अधिक तो हो ही रहा है। 9,600 करोड़ होता तो दस प्रतिशत होता। 10 प्रतिशत से अधिक, 10.3-10.4 के करीब यह बैठेगा।

अध्यक्ष महोदय, 2014-15 का जो बढ़िया पार्ट है, वह यह है कि इन्होंने, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, जो योजना कांग्रेस के राज में 40 हजार करोड़ की थी, 2013-14 में 40,500 करोड़, उस योजना को इन्होंने फरवरी में 46,990 करोड़ की घोषित की; जुलाई, 2014 को जो परिवर्तित बजट आया, उसमें इन्होंने इस योजना को 69,280 करोड़ की घोषित की। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना में, चूंकि पिछली योजना सिर्फ 40 हजार करोड़ रुपये की थी और उसमें भी मैंने आंकड़ा देखा है कि सिर्फ 34 हजार करोड़ रुपये ही खर्च हुए थे, तो 34 हजार करोड़ से 69 हजार करोड़, 72 परसेंट योजना व्यय में जो बढ़ोतरी हुई, राजस्थान की जो पर-कैपिटा इन्कम 2014-15 में 5 लाख करोड़ से जो 5 लाख 74 हजार करोड़ के करीब आयी है, उसका कारण यह भारी विनियोजन है, जो योजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था के अलग-अलग सेक्टर्स में हुआ है।

2013-14 के मुकाबले कुल खर्च हमारी योजना में 43.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इन वृद्धियों के फलस्वरूप जी.एस.डी.पी. की विकास दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रचलित मूल्यों पर 11.28 प्रतिशत और स्थिर मूल्यों पर करीब साढ़े पांच प्रतिशत में उसकी वृद्धि हुई है।

दूसरा इंडिकेटर, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकोषीय घाटा है। वर्ष 2014-15 में राजकोषीय घाटा 20,185 करोड़ दर्शाया और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में 23,165 करोड़ हुआ। वर्ष 2015-16 में राजकोषीय घाटा 20,609 करोड़ दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि राज्य का कर्ज दायित्व ऋण-भारों से आगे-से-आगे बढ़ रहा है।

कुल 1 लाख 11 हजार करोड़ की राजस्व प्राप्तियां विभिन्न विभागों के बजट प्रावधानों में झलक रही हैं, जिस पर बहुत चर्चा माननीय सदस्यों ने की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से 2015-16 में हमारी आमदनी में 15 हजार करोड़ का इजाफा राजस्व

(श्री मानिक चन्द सुराना)

प्राप्तियों में है, क्योंकि पहले 96 हजार करोड़ था और अब 1 लाख 11 हजार करोड़ है। कांग्रेस सरकार के समय ये प्राप्तियां 74 हजार करोड़ पर थीं, वर्ष 2013-14 में, और वर्ष 2013-14 की दृष्टि से देखें तो आज हम 1 लाख 11 हजार करोड़ पर खड़े हैं, यानी, 74 से सीधे 37; क्योंकि 96 में 20 बढ़े और अब फिर 15 बढ़ गये। तो 34-35 हजार करोड़ रुपये राजस्थान की आमदनी दो वर्षों में बढ़ी है। दो वर्षों में बढ़ने का कारण, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का सीधा लाभ वर्ष 2014-15 के बजट में सीधा इस निधि में मिलना और अब इस वर्ष 32 परसेंट की जगह 42 परसेंट केन्द्रीय करों में हमें हिस्सा मिलना, इन दो फैक्टर्स के कारण जो हमारी आमदनी बढ़ी है, निश्चित रूप से मैं सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य की राय से सहमत हूं कि आज हम एक बड़ी छलांग लगाने की स्थिति में हैं। बड़ी छलांग, दिल्ली में सरकार भाजपा की, जिला परिषद में भाजपा की, पंचायत समिति में भाजपा की और इसलिए बड़ी छलांग लगाने का निश्चित रूप से समय आ गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं अलग-अलग डिपार्टमेंट्स की बात को अभी कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि हर क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरियां की गईं; शिक्षा के क्षेत्र में 16 परसेंट बजट बढ़ा है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में 28 परसेंट की वृद्धि हुई है। 8 हजार करोड़ से अधिक का बजट है माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब का, चिकित्सा और स्वास्थ्य का, और 21 हजार करोड़ है शिक्षा मंत्रीजी का, स्कूली शिक्षा का।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि बिजली में टर्न-अराउंड अपनी सरकार नहीं कर पाएगी तो सारी उपलब्धियां फेल हो जाएंगी। इस बिजली के टर्न-अराउंड करने में, आखिर तो मुख्य मंत्रीजी ने ही कहा है कि 77 हजार करोड़ का घाटा है। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य और माननीय किरोड़ी लालजी मीणा, दोनों ने बिजली पर बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में भी घाटा होता रहा तो क्या हमारे राज में भी घाटा होता रहेगा? विद्युत मंत्रीजी ने जब बजट से पहले रेट्स बढ़ीं तो कहा कि नहीं, यह कांग्रेस के कुशासन का ही रिजल्ट है कि हमें रेट्स बढ़ानी पड़ीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वित्तीय पुनर्संगठन की बात माननीया मुख्य मंत्रीजी के भाषण में पिछले वर्ष भी थी और इस वर्ष भी है, उस वित्तीय पुनर्संगठन, जो भी हुआ 2012 में हुआ, 2013

(श्री मानिक चन्द सुराना)

में बाद में लागू हुआ, तो उसका बेसिक पार्ट ही यह है कि टैरिफ बढ़ाएंगे; बैंकों का कर्जा नहीं देंगे; और 36 हजार करोड़ रुपया का कर्ज नया लेंगे, शार्ट टर्म कर्ज और उस 36 हजार में 18 हजार राज्य सरकार को देना है और 18 हजार कम्पनियां भुगतेंगी। तो हमारा वह, चाहे उस वक्त कांग्रेस सरकार ने दिया, आखिर तो राजस्थान के राज पर भार पड़ा।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज भी विद्युत कम्पनियों की जो टैरिफ बढ़ी, मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 2012-13 में 19 परसेंट बढ़ी, 2013-14 में 14 प्रतिशत बढ़ी, 2014-15 में 15 प्रतिशत बढ़ी और 2015-16 में अभी 18 परसेंट रेट्स इंक्रीज हुई हैं। टैरिफ बढ़ गये, घाटे भी बढ़ गये। ऐसा नहीं है कि कोई, मतलब, घाटा कम होने की सम्भावना है। एफ.आर.पी. की योजना के अनुसार 2012-13 में कम्पनियों का घाटा कम होना था और वह घाटा 11,152 करोड़ पर था, जिसको मैं कम कह रहा हूं वह उनके खुद के आकड़ों से ही 11,152 था और वह घाटा 12351 हुआ। वर्ष 2013-14 में घाटा होना था 9913 और हुआ 15,645 ।

यह घाटा 77 हजार करोड़ 31.3.2014 का है, अब 31.3.2015 के निकट तो पहुंच ही गये हैं। माननीय विद्युत मंत्रीजी भी बैठे हैं। माननीया मुख्य मंत्रीजी भी हैं, अब यह 92 हजार करोड़ पर पहुंचा कि नहीं, श्रीमान्? यह 12 हजार, 13 हजार, 14 हजार, 15 हजार करोड़ पर पहुंचा कि नहीं?

और यह छीजत हमारे समय में हुई है। छीजत का आंकड़ा यह है कि छीजत, जिसको 26 परसेंट कहा जाता है, अपनी सरकार के आने के बाद में एनर्जी आडिट करवायी गयी और एनर्जी आडिट में जयपुर, 2013-14 में जयपुर का घाटा 28.13 था, वह 30 आया, 30.5; अजमेर का जो 21.3 था, वह 24.2 आया; जोधपुर का 21.88 था, वह 26.5 आया। यानी, कहीं पर 3 परसेंट बढ़ रहा है, कहीं पर 2 परसेंट, कहीं पर 5 परसेंट, और घाटा निरन्तर बढ़ रहा है।

कौनसी योजना है जिससे विद्युत कम्पनियों में टर्न-अराउंड हो जाए? माननीय विद्युत मंत्रीजी, आप पुरानी सारी योजना को देखें, यह टर्न-अराउंड वर्ष 2016-17 में होना था। टर्न-अराउंड के लिए 2015-16 में घाटा सिर्फ होना था 2,391 करोड़ और तब जाकर वर्ष 2016-17 में 2,273 करोड़ का सरप्लस होता। न तो कभी घाटा घटा और न कभी यह जो 2016-17, जो दिखाया है,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अगले साल आने वाला है, मैं नहीं समझता कि यह 2,273 करोड़ का सरप्लस, जो एफ.आर.पी. में दिखाया है, वह हो सकता है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं, साहब, अपनी सावधानी तो इतनी ही है न कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम का एम.डी. यदि जनवरी, 2015 से रिटायर हो गया, या पर्टिकुलर डेट से रिटायर हो गया, तो दो महीने में अपन एक एम.डी. को वहां पर नहीं लगा सके। किसी को फुर्सत नहीं है। आपके सब चेयरमेन बैठे हैं डिस्काम्स के, कोई संजय मल्होत्राजी हैं, तो कोई दूसरे साहब हैं। आपको तो फुर्सत ही नहीं है कि किसी एम.डी. को तो वहां पर लगा दें। और इस एक बात से क्या कहें, बातें पच्चीसों हैं।

जो भी सरकार के पास जानकारियां हैं, उन जानकारियों के आधार पर, गुजरात की बात बहुत कही गयी है, सरकार को भी खूब कही गयी है; सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि यदि गुजरात की विद्युत कम्पनी 13-14 परसेंट के घाटे में चल सकती है और 4 रुपये 96 पैसे प्रति यूनिट में बिजली प्रोड्यूस कर सकती है तो यह राजस्थान की बिजली 8 रुपये 87 पैसे कैसे है, प्रोडक्शन की कास्ट? हमारी कास्ट और उनकी कास्ट में 4 रुपये का फर्क है।

हमने अभी रेट्स बढ़ाईं, हम 6 रुपये प्रति यूनिट ले रहे हैं साधारण उपभोक्ता से, तो क्या हम आठ रुपये लेने के मूड में हैं? और नहीं हैं तो इसका जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा पिछले साल बजट भाषण में, मैं तीन लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं- हम भारत सरकार के सहयोग से विद्युत वितरण कम्पनियों के ऋण का, ब्याज का पुनर्गठन करेंगे और विद्युत वितरण कम्पनियों को अपने अगले तीन वर्षों में ही लघु अवधि ऋण की सीमा से पूरी तरह से मुक्त करने का प्रयास करेंगे; क्या हुआ? माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो यह कहा कि भारत सरकार से व्यापक पुनर्गठन करेंगे? इसको अंग्रेजी में एफ.आर.पी. कह दीजिये, फाइनेंशल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, उसका हुआ क्या? और वह नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? आखिर तो साल भर हो गया। आप यह बताइये, माननीया मुख्य मंत्रीजी बतायें कि यह बिजली में टर्न-अराउंड कब होगा? या ये रेटें बढ़ती रहेंगी और राजस्थान का गरीब आदमी इन बढ़ी हुई रेटों के बोझ से, सारा मध्यम वर्ग, सारा निम्न वर्ग पिसता रहेगा?

मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अभी कुछ और सब्ज-बाग़ दिखाये गये हैं, राजस्थान की सोलर पालिसी आयेगी और सोलर पालिसी में हिन्दुस्तान के

(श्री मानिक चन्द सुराना)

धन्ना-सेठ आयेंगे, जिनको मल्टीनेशनल कहा जा सके, वे आ रहे हैं; अम्बानी आ रहे हैं; अडाणी आ रहे हैं; टाटा आ रहे हैं। अख़बार में, 'भास्कर' में खबर थी कि एक तो 50 हजार करोड़ रुपये लगायेंगे, एक 40 लगायेंगे, एक 30 लगायेंगे...

श्री अध्यक्ष: सुराणा भी आ रहे हैं कि नहीं?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एक लाख 10 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है। बहुत खुशी की बात है। अंबानी बनायेंगे 25 हजार मेगावाट, अडाणी बनायेंगे कोई 15 हजार और कोई सात-आठ हजार किलोवाट बनायेंगे टाटा। मैं सोच रहा था, यह भाषण मैं केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी का पढ़ रहा हूं, कि राजस्थान का पढ़ रहा हूं? वहां तो चार हजार मेगावाट का प्रोडक्शन उन्होंने कुल हिन्दुस्तान के बजट में लिखा है और हमारे यहां तो प्रोडक्शन हो रहा है 40 हजार मेगावाट से ऊपर का। बहुत अच्छी बात है।

मुझे तो तीन प्रश्नों का जवाब चाहिये कि यह 40 हजार मेगावाट बिजली जो राजस्थान में पैदा होगी, वह किस-किस साल में, कितनी-कितनी मेगावाट पैदा होगी?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न एक।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): वह हमारी क्षमताओं में कौन से वर्ष में कितनी बिजली आ जायेगी? हमको यह बताया जाये। उस बिजली का ट्रांसमिशन कौन करेगा? राजस्थान की विद्युत कम्पनियों की क्षमता तो मात्र 10 हजार मेगावाट प्रसारण करने की है। यह 40 हजार मेगावाट पैदा होगा अंबानीजी के और अडाणीजी के, उसका ट्रांसमिशन कौन करेगा? मैंने यह भी पढ़ा है कि यह ज्वाइंट वेंचर में है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): भगवान भी कुछ करेगा कि नहीं करेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, भगवान तो करेगा ही। भगवान तो आपको, हमको, सबको सद्‌बुद्धि देगा और सरकार में जो बैठे हैं, उनको तो देगा ही देगा, निश्चित रूप से। अपनी ये शुभकामनाएं हैं।

यह कब तो आयेगी? किस साल में कितना प्रोडक्शन होगा? ट्रांसमिशन कौन करेगा? और यह बिजली राजस्थान में तो इतनी खपने की स्थिति में नहीं लग रही है, तो यह हिन्दुस्तान में जब खपेगी तो उसके लिए क्या ट्रांसमिशन

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लाइनें, कौनसी डिस्ट्रिब्यूशन लाइनें डाली जायेंगी? यह भी बताया जाये, ताकि स्पष्ट हो।

और सबसे महत्वपूर्ण यह बताया जाये, मुख्य मंत्रीजी ने अपने पैरा 35 में 2014-15 के बजट में कहा कि जो लोग हजार मेगावाट से ऊपर लगायेंगे, उनको 26 परसेंट इक्विटी दी जायेगी; मैं जानना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े धन्ना सेठ आये हैं, इनको इक्विटी 26 परसेंट दी जा रही है? नहीं दी जा रही है? या इनके साथ एम ओ यू कुछ अलग प्रकार के हैं? यह भी मैं जानना चाहता हूं।

मेरी मांग है कि एम ओ यूज राजस्थान सरकार यहां पेश करे और सदन के पटल पर रखे और इस पर सदन की बहस कराये और सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी हो कि इसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है; क्या टर्म्स हैं, क्या नहीं हैं।

मैं अर्ज करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह बिजली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर मैं व्हाइट पेपर की मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार, बिजली पर जो भी कांग्रेस सरकार के कबाड़े हैं, जो भी एफ आर पी उन्होंने लागू की 2012-13 में, उसमें क्या गैप्स रहे, क्या कमियां रहीं और कैसे सरकार को गच्चा दिया गया और अब कैसे हमारा टर्न-अराउंड होगा, इन सब पर राजस्थान की जनता को हिन्दी भाषा में व्हाइट पेपर जारी किया जाये, ताकि उस पेपर को माननीय सदस्य भी देखें और हम सब भी देखें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं कौशल विकास पर थोड़ी-सी बात अर्ज करूं, इस सरकार को?

श्री अध्यक्ष: दो मिनट में पूरी कर दीजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट में ही।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्षजी, मैं कौशल विकास का बहुत बड़ा हामी हूं और यह जो 15 हजार लोगों को ट्रेन करने का सवाल है, प्रशिक्षण देने का सवाल है, निश्चित रूप से राजस्थान के राज्य का रोजगार नहीं, प्राइवेट क्षेत्र में 15 लाख लोगों को रोजगार मिले, उनकी क्षमताएं बढ़े, उनकी दक्षता बढ़े और उनको अपने आप प्लेसमेंट मिले और हिन्दुस्तान बहुत बड़ा है, हम ट्रेंड करेंगे तो हमारे नवयुवक हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में, कश्मीर से जम्मू तक जायेंगे, कन्याकुमारी तक जायेंगे और...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): विदेश में चले जायेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, विदेश में चले जायेंगे; ट्रेनिंग तो हो। मुझे यह बताया गया राज्यपालजी के भाषण में, यह पैरा 87, 88, 89, 90, 91 में कि 47 हजार को ट्रेनिंग दी है। माननीय मंत्रीजी ने अभी कहा है। बहुत अच्छा है, आपने ट्रेनिंग दी। नीचे यह भी कहा गया है, मैं राजपाल सिंहजी की जानकारी के लिए कह रहा हूं, स्थानीय निकाय विभागों द्वारा शहरी बेरोजगार युवाओं के रोजगार-परक कौशल प्रशिक्षण, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से 66 करोड़ की लागत से 40 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। तो 47 वह हो गये, 40 हजार ये हो गये, 87 हजार तो प्रशिक्षित हो गये। मुझे खुशी है कि राज्यपाल जी ने ये कहा कि 173 ट्रेडों में कौशल पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया है। मुझे यह भी खुशी है कि यह कहा गया कि हम 200 प्रशिक्षण केन्द्र भारत सरकार और राजस्थान सरकार का जो जोइंटवेंचर है, पंडित दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजना, उसके तहत 200 केन्द्र और खोलने जा रहे हैं। अध्यक्षजी, मैं निवेदन करता हूं, कौन से तो 90 केन्द्र हैं? कौन से 200 केन्द्र प्रस्तावित हैं? आप इन केन्द्रों को सिर्फ प्रचार का माध्यम मत बनाइये। आप इन केन्द्रों को हकीकत में उतारिये और हर केन्द्र पर यदि 100-150-200 का तीन महीने में, चार महीने में प्रशिक्षण होगा, तो तीन गुणा लोग एक-एक केन्द्र में प्रशिक्षित होते रहेंगे। आपने जो कहा है न 173 ट्रेड, उसका हमने पाठ्यक्रम बनाया है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप इन ट्रेडों से सदन को अवगत करायें।

मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जो संस्थाएं आई हैं बाहर से, उनमें से बंद हो रही हैं। कइयों ने तो तीन-तीन बार ट्रेनिंग दे दी और संस्थाएं बंद हो रही हैं।

तो यह जो विषम स्थिति है कौशल विकास निगम की और कौशल विकास के कार्यक्रम की, इस पर भी मैं चाहता हूं, सरकार ज्यादा सतर्क बने और ज्यादा कारगर नतीजे इस सदन को और राजस्थान को देने की कृपा करें।

बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपका।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। श्री मंगलराम कोली।

श्री मंगलराम (कठूमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से 2015-16 का जो बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने राजस्थान की जनता को दिया है, वह बजट छत्तीसों कौमों को ध्यान में रखकर दिया है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं इस बजट के उपलक्ष्य में।

जल की राजस्थान में पूरी समस्या है और उस समस्या के लिए 1 लाख 21 हजार 133 गांव-ढाणियों में से अब तक 70 हजार 171 गांव व ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। शेष जो गांव हैं, उनको सरकार का मानना है कि वह प्राथमिकता से इन गांवों में पानी की योजना उपलब्ध करायेगी।

मेरा कठूमर विधान सभा क्षेत्र के बारे में निवेदन है कि 162 गांव ऐसे हैं जिनमें बिलकुल खारा पानी है और दूर-दूर तक खारा पानी है। कुछ टोडा, नहारखोहरा और जटवाड़ा, अरोली ये ऐसे गांव हैं जहां पहाड़ी इलाका है, वहां पर पानी का स्तर बहुत नीचा है। काफी गहराई पर ट्यूबवैल होने के बाद में वे डैड हो जाते हैं और कम चल पाते हैं। उन गांवों में पानी की बड़ी समस्या है और 62 गांवों में पानी बिलकुल मिलता नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आर.ओ. योजना मात्र हमारे कठूमर में 19 सैंक्शन हैं, इन खारे पानी के गांवों में; मेरा मंत्री महोदया से निवेदन है कि इन खारे पानी के गांवों को आर.ओ. से जोड़ा जाये। पहाड़ी इलाके में मैंने जो पंचायतें बतायी हैं, उनमें वहां ऐसे बड़े ट्यूबवेल बनाये जाएं जिनके माध्यम से उन गांवों में पानी की व्यवस्था हो सके, पीने को पानी मिल सके और जनता को लाभ मिले।

सड़क के सम्बन्ध में निवेदन है, सड़क का बजट बहुत अच्छा दिया। मैं सड़क के बारे में मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट हाइवे 144 सैंक्शन है, स्टेट हाइवे 144 नटणी के बारे से वाया लक्ष्मणगढ़, कठूमर और नन्दगांव तक है, यह लक्ष्मणगढ़ तक बिलकुल ठीक है और सात-आठ साल पहले यहां पर एक-एक घंटे में बसें चलती थीं लेकिन सात, आठ साल से यहां पर बिलकुल बसें नहीं चलती हैं। बसें तो क्या, कोई मोटरसाइकिल भी नहीं चलती; पैदल चलने में भी हाथ-पैर टूट जाते हैं। अब वहां पर लक्ष्मणगढ से कठूमर तक मात्र साढे तीन मीटर की सड़क है, उसमें भी आये दिन एक्सिडेंट होते रहते हैं। मेरा निवेदन है कि स्टेट हाइवे 144 है,

(श्री मंगलराम)

इसको नन्दगांव तक पूरा करना था। तो मेरे कठूमर विधान सभा क्षेत्र की 24 किलोमीटर सड़क है जिसमें कोई साधन नहीं चलते। इतने सारे गांव आते हैं। इसलिए उसको कब तक पूरी तरह से कम्प्लीट कर दिया जायेगा? यह मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं। एक मण्डावर से कठूमर तक है, उस सड़क की स्थिति भी बहुत खराब है।

दूसरा निवेदन शिक्षा विभाग के माध्यम से करना चाह रहा हूं कि हमारे यहां पर ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक खोले हैं, उनमें राजकीय माध्यमिक विद्यालय मात्र 19 थे और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अब 36 हुए हैं। पहले उच्च माध्यमिक विद्यालय 14 थे, अब 22 हो गये। यहां पर छात्रों की संख्या 5,634 है और छात्राओं की संख्या 7,218 है। मेरा आपसे निवेदन है कि यहां पर कोई महाविद्यालय नहीं है। गरीब लोगों को या तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाए। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए सबके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। या अलवर है, या भरतपुर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे उप-खण्ड में मैं महाविद्यालय खोलने का माननीय मुख्य मंत्री महोदया से, मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वहां पर एक महाविद्यालय की स्थापना की जाए, जिससे वहां के गरीब लोगों को पूरी शिक्षा मिल सके और वे लोग शिक्षा से वंचित न रह सकें। ऐसा मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदया से अनुरोध है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: वंचित नहीं रहें।

श्री मंगलराम (कठूमर): वंचित न रहें।

एक मेरा निवेदन था कि खेड़ली में दो रेलवे फाटक हैं। वहां पर बहुत सारे व्हिकल्स आते-जाते हैं, उनको आने-जाने में बड़ी परेशानी होती है। मेरा आपके माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां पर दो पुल बनाये जाएं ताकि आने जाने की समस्या न रहे। यह खेड़ली मण्डी राजस्थान में गिनी-चुनी ए-क्लास मण्डी में आती है, वहां पर बहुत सारे साधन और भीड़ होती है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि कठूमर विधान सभा क्षेत्र की ये जो समस्याएं हैं, उनको दूर किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री रतन लाल जलधारी।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बजट 2015-16 पर बोलना चाहता था। परन्तु समय की कमी के कारण, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें हैं, आप इजाजत दें तो मैं टेबल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप टेबल भी करिये और मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि फाइनेंस बिल भी बजट सेशन का ही भाग है और इसलिए जो सदस्यगण इस समय नहीं बोल सकेंगे, पांच-सात लोग, उनको मैं फाइनेंस बिल के वक्त में...। आपके चीफ व्हिप से भी ...

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): टेबल कर दें?

श्री अध्यक्ष: वह ले भी कर दो और उस समय मैं बोलने का पूरा अवसर दूंगा, फाइनेंस बिल पर। वह भी बजट का ही एक भाग है।

(श्री नारायण सिंह देवल के वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री रतन लाल जलधारीजी।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की मुख्य मंत्री एवं सदन की नेता, आदरणीया वसुन्धरा राजेजी ने 9 मार्च, 2015 को सदन में वर्ष 2015-16 का जो बजट भाषण पढ़ा, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बजट 2015-16 के समर्थन में अपने विचार रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की नेता एवं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धरा राजेजी ने राजस्थान के सुनियोजित विकास हेतु दूरदर्शिता दिखाते हुए जो बजट प्रस्तुत किया है, वह अपने आप में काफी शानदार एवं सराहनीय बजट है। ऐसा साहसिक एवं प्रशंसनीय बजट राजस्थान को विकास के नये आयामों तक पहुंचायेगा, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सारा सदन जानता है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने चुनावी वर्ष में मतदाताओं को लुभाने की खातिर अनेकों लोक-लुभावन घोषणाएं कर राज्य की आर्थिक स्थिति को पाताल में पहुंचा दिया था, परन्तु हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदया ने अपनी दूरदर्शिता एवं वित्तीय प्रबन्धन से प्रदेश के समग्र विकास के लिए पिछले बजट में ही निजी-जन-सहभागिता के आधार पर सड़कों का निर्माण एवं विकास कराये जाने की घोषणा की थी और इस वित्तीय वर्ष में मेरे सीकर क्षेत्र से भी लाड़नूं-नोखा की

(श्री रतन लाल जलधारी)

200 किलोमीटर सड़क देकर के स्टेट हाइवे पर काम शुरू करवा दिया है। इससे रोड ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा।

गांवों में सड़कों की जो खराब हालत है, उसको ठीक करने के उद्देश्य से ग्रामीण गौरव पथ योजना है, इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 2,154 ग्राम पंचायत और मुख्यालयों पर 2,119 किलोमीटर लम्बाई की सीमेंटेड सड़कों एवं नाली निर्माण के कार्य शुरू कराये जा चुके हैं। 250 और 499 तक की आबादी वाले छोटे-मोटे गांवों को भी सड़कों से जोड़ने का कार्य, 500 करोड़ रुपये की लागत से 1,440 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में 400 के.वी. का एक जी.एस.एस., 220 के.वी. के 6 जी.एस.एस., 132 के.वी. के 16 जी.एस.एस. और 33 के.वी. के 200 नये विद्युत सब-स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है तथा इस वित्तीय वर्ष में 40 हजार नये कृषि कनेक्शन दिये जाने की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजस्थान अपने गौरवपूर्ण इतिहास, संस्कृति एवं कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इससे प्रदेश में पर्यटन की विपुल सम्भावनाएं हैं, परन्तु पर्यटक स्थलों, हेरिटेज सम्पत्तियों के उचित रख-रखाव एवं समुचित विकास नहीं होने से पर्यटन के क्षेत्र में अभी काफी कार्य होना शेष है। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में प्रदेश के कई ऐतिहासिक एवं पर्यटक स्थलों का विकास करवाये जाने की घोषणा की है। इसमें शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों का संरक्षण एवं आधारभूत सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास भी शामिल है। प्रदेश की अमूल्य धरोहर का संरक्षण करने की दृष्टि से प्रदेश के कई राजकीय संग्रहालयों सहित सीकर संग्रहालय का भी विकास करवाये जाने की घोषणा की है। इसके लिए मैं आदरणीय माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार में हमने अखबारों में एवं टी.वी. चैनलों पर प्रदेश में उर्वरकों, खाद एवं बीज की कमी अथवा

(श्री रतन लाल जलधारी)

अनुपलब्धता के बारे में काफी पढ़ा-सुना था परन्तु हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करने के लिए गत वर्ष के बजट में इनके अग्रिम भण्डारण के लिए प्रावधान किया, जो इस बजट में भी लागू है और उसके तहत तीन लाख मैट्रिक टन यूरिया एवं एक लाख मैट्रिक टन डी.ए.पी. के अग्रिम भण्डारण के लिए 55 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। मैं प्रदेश के किसानों की ओर से माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के तीन किसानों को हर वर्ष राज्य स्तरीय अवार्ड देने की घोषणा एक अनुकरणीय उदाहरण है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे पड़ोस में सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। इसमें एक प्रमुख कारण राजकीय विद्यालय व संसाधनों का अभाव है। इसी दिशा में प्रयास करते हुए आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से शिक्षा के लिए 21,788 करोड़ 97 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया है। इसके साथ ही प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक स्तर का राजकीय विद्यालय शुरू करने की घोषणा की है। इससे बारहवीं कक्षा की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश के सभी जिलों के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा प्रभावी मानिटरिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की है, जिससे निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के 'स्वच्छ भारत अभियान' की भावना के अनुरूप माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने भी राजस्थान के शहरों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से 7 लाख 70 हजार से अधिक जल प्रवाही शौचालयों एवं 300 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की घोषणा की है। राज्य के कुछ नगर निकायों में सालिड वेस्ट कलेक्शन एवं प्रोसेसिंग का कार्य शुरू कराने की घोषणा की है। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्री का आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करता हूं कि सीकर शहर में, जो कि 4 लाख की आबादी वाला

(श्री रतन लाल जलधारी)

शहर है, वहां पर सीवरेज की अति आवश्यकता है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हमारे सीकर में सीवरेज लाइन पास करके सीकर के विकास को आगे गति देने में सहयोग करें। यही मेरी प्रार्थना है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश वर्मा।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मैं मेरा वक्तव्य टेबल करता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, टेबल कर दो।

(श्री नवनीत लाल के वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-3 पर देखें)

श्री कैलाश शर्मा। आपको 5 मिनट बोलना है।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): 5 मिनट।

श्री अध्यक्ष: हां ...(व्यवधान) आप बैठिए। आप बैठिए। सबको मौका मिलेगा। फाइनेंस बिल पर सबको मौका दूंगा। बैठिए। हां, कैलाश वर्मा जी।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान की गांव-ढाणी के युवाओं को, किसान वर्ग को, महिलाओं को, सबको छूने वाला बजट सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी ने दिया। उसके लिए मैं सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी का तहे-दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वाकई में इस राजस्थान की जनता के लिए एक बधाई के रूप में यह बजट पेश किया गया। इस बजट के स्वरूप को देखें, इसके मायने देखें तो आने वाले समय में, मुझे लगता है कि जो बातें इस बजट में सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पेश की हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए, आने वाले समय में राजस्थान आर्थिक स्थिति से ठीक होगा और हिन्दुस्तान के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान के लोगों ने देखा है और मुझे भी विश्वास है कि आने वाले समय में युवा वर्ग के लिए और समाज के सभी लोगों के लिए, राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से ठीक होगा, प्रशासनिक सेवाओं में अपनी सेवाएं देने के लिए

(श्री कैलाश वर्मा)

मजबूत होगा और राजनीति में अपना वर्चस्व निभा सकेगा। वह दिन भी दूर नहीं रहेगा जब मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में राजस्थान मजबूत होगा। राजस्थान का हर व्यक्ति जो मेहनत से काम करना चाहता है, जहां तक मेरी कल्पना है, वह यह है कि वह व्यक्ति राजस्थान से निकलकर हिन्दुस्तान की उन कुर्सियों पर जाकर के बैठेगा, जहां से हमारे विकास के रूपरेखा तय होती है, जहां पर हिन्दुस्तान के कानून बनते हैं।

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीया मुख्य मंत्रीजी के जवाब आने तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय माननीया मुख्य मंत्रीजी के जवाब आने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): मेरे बगरू विधान सभा क्षेत्र के बारे में मैं इस बजट के माध्यम से बात करूं तो पूरे बगरू विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक बहुत बड़ी मांग थी कि बीसलपुर लाइन से बगरू विधान सभा क्षेत्र को जोड़ा जाए। सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, जयपुर के नगर निगम के 7 वार्ड, जो शहर से जुडे हुए हैं, खोनागोरियान के अन्दर एक बड़ा डैम पानी का बनाकर इस बजट के अन्दर घोषणा कर दी कि आने वाले समय में शहर के सातों वार्डों को बीसलपुर का पानी मिलेगा, जिसका काम दिन-रात क्षेत्र में चल भी रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या थी कि जो हमारा एरिया था, गोनेर, जगदीश महाराज का मंदिर, जो धार्मिक स्थल के रूप में बहुत बड़ी जगह है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस एरिये पर ट्रैफिक के भारी दबाव को देखते हुए एक रेलवे का ओवरब्रिज

(श्री कैलाश वर्मा)

बनाने की दांतली, गोनेर रोड पर घोषणा की है। उसके लिए भी मैं सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं और तहे-दिल से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं।

यह बजट राजस्थान की महिलाओं, युवाओं, वृद्धों, सबके लिए कैसे अपने आपको अग्रणी राज्यों में सम्मिलित कर सके, उसके लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपने मुझे 5 मिनट के लिए बोला है। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि विपक्ष को यहां इस समय बैठना चाहिए था। वे यहां पर नहीं बैठते हैं। हमेशा तीखा प्रहार सत्ता पक्ष पर करते रहते हैं कि हम इस स्थिति में आये, आप सम्भल जाओ, नहीं तो मिनी बस में बैठकर आओगे। ऐसी-ऐसी बातें करते हैं।

मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि किसानों के साथ में जो दोहरा व्यवहार उन्होंने किया, रिंग रोड बनी 47 किलोमीटर की, सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान में यह मेसेज देने का प्रयास किया था कि वाकई में रिंग रोड बन जाएगी तो उसका फायदा जयपुर ही नहीं, अपितु पूरे राजस्थान को मिलेगा। यह उनका सपना था। ऐसी योजनाओं में किसानों के साथ कुठाराघात किया इस कांग्रेस सरकार ने।

जैसे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम बनाकर सबसे पहला काम किसान हित के अन्दर उनको मुआवजा देकर, दीपावली का समय था, लेकिन उनकी हर बात को ध्यान में रखकर, उनको डबल मुआवजा देकर रिंग रोड का काम करके राजस्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया। 47 किलोमीटर की यह रिंग रोड, जो काफी समय से अटकी हुई थी, उसे करके मेरे एरिये को एक सौगात दी है। इसके लिए भी मैं इनको बधाई देता हूं।

गोनेर जैसे धार्मिक स्थल पर जे डी ए के द्वारा 150 करोड़ रुपये की घोषणा कराई, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर युवाओं को ध्यान में रखते हुए एस ई जेड, स्पेशल इकोनोमिक जोन में जो कम्पनी है, जे सी बी की कम्पनी है, ऐसी-ऐसी कम्पनियां हैं।

(श्री कैलाश वर्मा)

हम सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में, विशेषकर, सभी सत्ता पक्ष के विधायक आने वाले समय में एक अच्छा कीर्तिमान, एक नये तरह के राज्य का कीर्तिमान खड़ा करेंगे।

अंत में, 4 लाइनें बोलकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा,

हजारों आंधियां आयें तो भी सम्भल जाएंगे,

हम कोई जुल्फ नहीं जो बिखर जाएंगे।

तुमसे बिछुड़े तो यह मत समझना कि हम कहां जाएंगे

हम सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता के सेवक हैं,

राजस्थान की जनता में समा जाएंगे'।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। राम-राम साहब।

(माननीय सदस्य श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) व श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-16 पर सामान्य वाद-विवाद के समय सदन पटल पर रखे गये अन्य वक्तव्यों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य गण, पिछले 4 दिन से माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया था, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अस्वस्थता के बावजूद उस चर्चा का जवाब देने के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी पधारी हैं, इस सदन की गरिमा और महिमा को ध्यान में रखते हुए। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 मार्च को मैंने इस पवित्र सदन में अपना बजट पेश किया था। जनता की जो आकांक्षाएं और आशाएं थीं, उनके सपनों को पूरा करने की जो बात थी, वह इस बजट के अन्दर लाने की मैंने कोशिश की थी। मुझे बहुत खुशी है कि जो बजट प्रस्तुत हुआ है और उस पर जो चर्चा हुई है, उसमें पक्ष के माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छी तरह से और खुलकर के भाग लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, करीबन 57 माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और अपने सुझाव दिये थे। उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने ईमानदारी के साथ यह प्रयास किया कि किसी तरीके से भी हम अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र की बात को सबके सामने रखें, इस बजट के वाद-विवाद में अपनी बात को रखने की बात को करें।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(17.00 बजे)

आपने देखा होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कोशिश की थी कि 36 की 36 कौम, सब वर्ग और सब मजहब इस बजट डाक्यूमेंट के अन्दर अपना स्थान पाएं। मुझे खुशी है कि हम लोग ज्यादातर सबको इसमें अकोमोडेट कर पाये हैं।

मुझे कई माननीय सदस्यों ने, हाउस में वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने कई बार यह बताया कि एक समय था जब सत्ता और प्रतिपक्ष चाहे एक स्वर से बोलते नहीं थे लेकिन राज्य के हित की जो बातें होती थीं, उसके लिए एक हो जाते थे। उन्होंने उदाहरण दिया फाइनेंस कमीशन का, बताया मुझे कि जब फाइनेंस कमीशन अपने दौरे पर राजस्थान आता था तो उस समय ज्ञापन लेता था दोनों पक्षों से, पक्ष और विपक्ष से। पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग दोनों मिलकर अलग-अलग ज्ञापन भले ही देते थे परन्तु यह कोशिश करते थे कि प्रदेश के हित की जो बातें हैं, वे सब तरीके से उस ज्ञापन में आ जाएं। तो एक्चुअली में अगर आप देखें तो दोनों ज्ञापन आलमोस्ट एक सरीखे हुआ करते थे, इसलिए कि प्रदेश की जो भी मुसीबतें थीं, चाहे वह पक्ष की हों या विपक्ष की, सबके लिए बहुत जरूरी थीं; जिनके लिए उनको काम करना था और उसको ध्यान में रखते हुए वे एक बात किया करते थे। राज्य हित की बात वे सबसे पहले ध्यान में रखा करते थे। मैं सबके ध्यान में लाना चाहूंगी कि जवाहर लाल नेहरू थे जिन्होंने वाजपेयी जी को यू एन जनरल असेम्बली के अन्दर हिन्दुस्तान को रिप्रजेंट करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए भेजा था। इस किस्म की बातें होती थीं, वह जमाना था। काश, अगर इसी तरीके से हम लोग फालो करते तो शायद राजस्थान की समस्याओं को हम सब लोग मिलकर बहुत ही जल्दी आज तक साल्व करने में पूरी तरह से सक्षम होते।

मैं प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का दिल से सम्मान करती हूं और मुझे आज बहुत वेदना है कि कांग्रेस दल के लोगों ने एक सो-काल्ड लाठी चार्ज के ऊपर बहस के अन्दर हिस्सा नहीं लिया। आखिर में उनके भी वोटर हैं और उनके इलाके के लोग भी मानते हैं कि हमारी बात इम्पोर्टेंट सेशन के थ्रू, विधान सभा के थ्रू रखी जाए। मैं यह कहना चाहती हूं कि उनके लोग भी आज इस बजट सेशन को देख रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वे भी यह सोच रहे हैं कि हमारे लोगों ने, काश, हमारी बात रखी होती, तो और कुछ नहीं,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सरकार उस चीज पर ध्यान देती और उसको आगे ले जाने की कोशिश भी करती, अगर ठीक होती बात, तो। मेरी पहले दिन से ही यह मंशा थी कि इस गतिरोध को हम लोग तोड़ें और हम सबने मिलकर प्रयास किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, हमारे सहयोगी मंत्री यहां बैठे हुए हैं, गृह मंत्रीजी, संसदीय कार्य मंत्रीजी, इन सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ यह कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से हम इस गतिरोध को तोड़ें। हम चाहते थे कि प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा दल, इस बजट के अन्दर आकर बहस जरूर करे। तो यह मुझे सुखद नहीं लगा है और मैं मानती हूं, मेरे दृष्टिकोण में उन्होंने जो किया है, वह संसदीय गरिमा और स्वस्थ लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है और वह होना नहीं चाहिए था।

मैंने अपने कार्यकाल का यह दूसरा बजट आपके सामने रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सब माननीय सदस्यों का धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने इसके अन्दर हिस्सा लिया और अपने अच्छे-अच्छे सुझाव आपके सामने, हम सबके सामने यहां प्रस्तुत किये। इनके ये सुझाव बहुत ही बहुमूल्य हैं और मैं समझती हूं कि वे हमारा आगे चलने में मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसमें राजेन्द्रजी भादू, तरुण रायजी कागा, रामलालजी शर्मा, झाबर सिंहजी खर्रा, भैरारामजी चौधरी, प्रहलादजी गुंजल, रामहेतसिंहजी, गोपालजी जोशी, किरोड़ीलालजी मीणा, घनश्यामजी तिवाड़ी, सब लोगों ने अपने अच्छे-अच्छे सुझाव दिये और मैं उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। कुछ माननीय सदस्य थे जिन्होंने कुछ-कुछ अपनी चिन्ताएं व्यक्त कीं। उन सबको मैं पूरा समझने की कोशिश करूंगी।

राजस्थान की यह जो विकास यात्रा है उसमें प्रदेश की जनता जो है, वह मैं मानती हूं कि हमारी भागीदार है, हमारी हमसफर है, साथ चलने वाला एक परिवार है। यहां न तो कोई देने वाला है, न कोई याचक है। यह माई-बाप का समय है, वह समय नहीं है। हम सब लोग मिलकर जनता को सशक्त करना चाहते हैं और सत्यता से उनको रूबरू करवाना चाहते हैं। यह इसलिए कि हम यह चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की आर्थिक हालत स्पेशली ठीक हो जाए और अगर हम लोग इस हालत से वाकिफ हो जाते हैं तो हो सकता है कि परिवार के रूप में एक सशक्त रूप में हम लोग मिलकर इसका सामना भी कर सकेंगे, इसका एक अच्छा उपाय भी कर सकेंगे और राजस्थान को एक सशक्त अग्रणी प्रदेश बनाने में पूरी तरह से सफल होंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

2013-14 के अन्दर हमारा जो कुल कर्ज था उसका भार 1,47,000 करोड़ का था। उसमें अगर आप विद्युत कम्पनियों और परिवहन निगम, इन दोनों को भी जोड़ लें तो 2,90,000 करोड़ रुपये हो जाता है। आज प्रदेश के हरेक व्यक्ति के सिर पर 42,000 का कर्ज है। बहुत सारी कठिनाइयां हैं और जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना कोई आसान काम नहीं होने वाला। हम लोगों ने हमेशा चुनौती स्वीकार की है और इस चुनौती को भी हम लोग स्वीकार करते हैं। मैं मानती हूं कि सबका साथ, सबका विश्वास अगर रहता है हम लोगों के साथ तो इस काम को हम लोग पूरा कर सकेंगे।

पहली बार बजट मेकिंग के अन्दर इन्क्लूसिवनेस हमने जोड़ा है। आनलाइन सुझाव लगातार दिसम्बर के महीने से हम लोगों ने अलग-अलग किस्म के ग्रुप्स और इंडिवीजुअल्स मांगें हैं। लीक से हट कर हम लोगों ने स्टेक-होल्डर्स के साथ गोष्ठियां की हैं, चर्चा की है, ताकि उनके जो सुझाव हैं उनको हम लोग समझ सकें और उनको अपने बजट डाक्यूमेंट में ला सकते हैं तो लाएं या उन पर अमल करने में पूरी तरह से अग्रणी रहें।

हम लोगों के लिए राजनीति जो है वह राजनीति नहीं है। जनता को जो लोग वोट मानते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग वह भी वोट नहीं मानते। हम तो समझते हैं कि वोट एक सेवा का माध्यम है। राजनीति भी राज धर्म का माध्यम है। कुछ लोग इसको वोट बैंक मानकर आगे बढ़ाते हैं लेकिन हम लोगों ने हमेशा सेवा का माध्यम इसको माना है। आपने देखा होगा, 2003 से लेकर 2008 तक और 2013 से जो हम लोगों ने बातचीत करना शुरू किया है और पब्लिक में जब भी हम लोग गये हैं, हमेशा हमने यही बात की है कि हमको यह मौका जनता ने दिया, एक जिम्मेदारी दी, एक प्यार दिया, एक अपनी आशा और जिम्मेदारी हमारे हाथों में सौंपी और इसको पूरी तरह से सम्भालने की हमने कोशिश की है, इसको सेवा के भाव में हमने बढ़ाने की कोशिश की है। हमने कभी भी इनको वोट का माध्यम नहीं माना है। इसलिए आपने यह भी देखा होगा कि जो भी योजनाएं हमारे बजट के अन्दर आई हैं, उनके अन्दर हम लोगों ने भेदभाव से अपने आपको दूर रखने की कोशिश की है। यह इसलिए कि सब सदस्य जो भी भी हों, किसी भी वर्ग के हों, कोई भी हों, वे अपने जीवन में कुछ खुशहाली ला सकें।

स्टेक-होल्डर्स से चर्चा हम लोगों ने राज्य स्तर पर की और सबसे

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बड़ी बात है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करने की हम लोगों ने एक बहुत, पहली बार एक सार्थक प्रयास किया है। सभी जिले, सभी विधान सभा क्षेत्र, सभी पंचायत, किसी न किसी योजना के साथ, चाहे रोड हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, किसी न किसी के साथ जोड़ने का हमने प्रयास किया है। आने वाले समय में भी इस डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसमें जो भी सुधार लाने की जरूरत लगती है, वह सुधार लाने की हम कोशिश करेंगे, और अधिक इसको हम मजबूत कर सकते हैं तो उसको और अधिक मजबूत करने की कोशिश आप सबके सुझावों से करने की हम कोशिश करेंगे।

अब पिछली सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया, उस पर हम ज्यादा समय निकालना भी नहीं चाहते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूं कि राजस्थान की जो डिरेल्ड इकोनोमी है उसको ट्रैक पर लाने का पूरा-पूरा प्रयास हम लोग करने की कोशिश में हैं।

अब शुरुआत में ही मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, इस बजट में मैंने कुछ शार्ट टर्म कल्याणकारी घोषणाओं की बात आपके सामने रखी थी, मैं उनको फिर से एक दफा सबको याद दिलाना चाहती हूं, चिह्नित करना चाहती हूं। स्कूटी योजना है; एन टी एस ई स्कालरशिप; बिजली शिकायत के लिए काल सेंटर्स; महिलाओं के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस दिया था, उसके जो पैसे थे, उसमें 50 परसेंट कट; transport vouchers, etc. हम लोगों ने यह तो शार्ट टर्म में दिया है।

राजस्थान के विकास की जो मजबूत नींव है, उसको रखने के लिए कुछ लोंग टर्म योजनाएं भी हमने चिह्नित की थीं, वहां कदम उठाये हैं। यह स्टेट हाइवे, सड़क, आर ओ बी, आर यू बी का निर्माण, प्रत्येक ग्राम पंचायत में आदर्श विद्यालय की स्थापना करने की बात है, डिस्ट्रिक्ट के स्कूल बोर्ड, यूनिवर्सलाइजेशन आफ हैल्थ केयर का जो अभियान हम लोग तीन महीने का निकालना चाहते हैं, सिंचाई, पेयजल, बिजली। नई बात जो हमने बतायीं, उनमें राजस्व लोक अदालत, नागौर के अन्दर कृषि विश्वविद्यालय, जीरो प्रतिशत ब्याज पर शार्ट टर्म क्राप लोन, फोर वाटर कंसेप्ट जो जल संरक्षण कार्य हैं, स्किल डवलपमेंट, पर्यटन, आदि में भी रोजगार हम लोगों को उपलब्ध करवा सकेंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पिछले कार्यकाल में आपने देखा होगा, 2007 के अन्दर हमने 'रिसर्जेंट राजस्थान' किया था। जिस बजट को अपन कहते हैं, वह सही सोच वाला, बहुत ही शानदार और अच्छा बजट 2007 के अन्दर हम लाये थे। लेट होने के कारण मैं मानती हूं, जो निवेश सही तरीके से जमीन पर आना चाहिए था, अभी बहुत कुछ हुआ, परन्तु वन-थर्ड से ज्यादा हम लोग जमीन पर ला पाये; परन्तु जाते-जाते सरकार सही तरीके से इसको जमीन पर नहीं ले पायी, बिकाज वह काफी लेट हो चुका था। इसी तरीके से बजट के जो नये आइडियाज थे 2007 के, उनको भी हम जमीन पर उस तरीके से नहीं ला पायें।

जो हमारे पीछे आने वाली सरकार थी, उनके लिए अच्छा होता कि जो अच्छी-अच्छी और सार्थक बातें हमने अपने बजट में लाये थे, उनको पकड़कर वे आगे ले जाते, तो मैं समझती हूं कि एक कंटिन्यूटी रहती और फायदा हमारे प्रदेश को होता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया।

इसी कारण से मैंने यह तय किया है कि इस बार हम लोग 'रिसर्जेंट राजस्थान' को इस दूसरे साल में लाएंगे। इसी तरीके से, बजट को आगामी वर्षों का एक रोडमैप बना देंगे। इसके बाद क्या होगा, कि इस बजट डाक्यूमेंट को सप्लीमेंट करने वाले अगले तीन बजट्स हो जाएंगे, ताकि स्कीम-पर-स्कीम, स्कीम-पर-स्कीम करने की बजाय नये आइडियाज को जमीन पर लाने का और उनको सुदृढ़ करने का काम अगले तीन साल के अन्दर हम लोग सब मिलकर करेंगे। एक सही दिशा, एक सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग सब जुटेंगे तो मैं समझती हूं कि आने वाले समय के अन्दर यह फायदा सबको दिखायी देगा।

मेट्रो और रिफाइनरी की बात तो बार-बार आती है। इस बजट के अन्दर मैंने उस चीज को इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं मानती हूं, इसके बारे में कई बार हाउस के अन्दर भी, हाउस के बाहर भी, बात हो चुकी है। परन्तु इस बजट के बाद भी मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आये कि आपने न मेट्रो की बात की है, न रिफाइनरी की बात की है। मैं तो कहती हूं कि इतना सब अन्दर, हाउस में रखने के बाद भी लोगों ने शायद इसलिए ध्यान नहीं दिया गया होगा क्योंकि ज्यादातर तो हाउस में बैठते भी नहीं हैं। मैं फिर से अब इस वास्तविकता को प्रदेश के सामने रखना चाहती हूं, उन सबके सामने रखना

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चाहती हूं, मैं एक दफे बता दूं कि हमारे साथ क्या हुआ हैं? यह रिफाइनरी एस्टेब्लिश करने के लिए 15 वर्ष तक कुल 56400 करोड़ का इंट्रेस्ट-फ्री लोन, इक्वल में इसका मतलब यह है कि 3,736 करोड़ पर-ईयर 15 साल के लिए हमें देना पड़ेगा, रिफाइनरी के लिए। मैं यह कहना चाहती हूं कि करीबन 3,500-3,800 करोड़ रुपये उससे मिलते थे; पेट्रोलियम की वजह से, आयल की आय जो थी, वह हमको मिलती थी। अब वह पूरा का पूरा इंट्रेस्ट-फ्री लोन के अन्दर चला जाएगा। 4,800 एकड़ भूमि, जो करोड़ों रुपये की थी, उसको 300 करोड़ रुपये के अन्दर, इतनी महंगी भूमि को, उस कम्पनी को दे दिया गया। पानी, सड़क, वगैरह की कास्ट को अगर हम लगा लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि कितना होगा। तेल भी अपना ही है। हमारा हिस्सा सिर्फ 26 प्रतिशत। 37,229 करोड़ की रिफाइनरी को 56,400 करोड़। यानी, गवर्नमेंट लागत से दुगना राशि दे रही है रिफाइनरी को। मुझे लगता है कि यह पहली रिफाइनरी की योजना ऐसी है जहां किसी भी राज्य सरकार ने इतनी ह्यूज सहायता राशि देने का कमिटमेंट किया है। मैं नहीं समझती कि कहीं और ऐसी बात देखने को मिली है।

ये बात करते हैं कुशल वित्तीय प्रबंधन की। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आपको पूछना चाह रही हूं कि यह कुशल वित्तीय प्रबंधन है या घाटे का सौदा? हमें समझ में नहीं आया। मैं तो समझती हूं कि इसमें समय निकालकर, समझ-बूझ कर स्टेप्स लेने की जरूरत थी। 37 हजार करोड़ प्लस का तो इन्वेस्टमेंट है। 30 घंटे में, मात्र 30 घंटे के अन्दर, बिना फाइनेंशियल एंड इकोनोमिक एनेलेसिस के तय कर दिया गया। 57 हजार एप्रोक्सिमेटली का जो कमिटमेंट है, इतनी जल्दी क्या थी, मुझे समझ में नहीं आया। फुल पेज के एडवर्टाइजमेंट देने का काम इन लोगों ने किया। हर अख़बार के अन्दर फुल पेज के एड आपको देखने को मिले। इंप्रेशन यह बनाने की कोशिश की कि आ ही गया। सोनिया गांधी को बुलाया, उसका शिलान्यास किया। होना-जाना कुछ नहीं था, उनको भी मालूम था, सबको मालूम था क्योंकि इतनी जल्दी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं सकता, परन्तु चुनाव आ रहा था, चुनाव के पहले सबको दिखाने की जरूरत थी कि हमने कितना बड़ा काम किया है। आप यह देखना चाहोगे, जो भी साधारण व्यक्ति होता है, छोटे से छोटा व्यक्ति होता है, वह भी अगर अपना घर बनाने जाता है तो बाजार में जाएगा, तीन दफा पूछेगा कि ईंट का कितना, सीमेंट का कितना, टाइल का कितना; यह सब पूछकर अपने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मन में, 10 दफा सब लोगों से डिस्कस करने के बाद पैसा खर्च करके अपना घर बनाएगा। यहां इतना बड़ा काम, राजस्थान की जनता के ऊपर, मैं तो समझती हूं कि असत्य, इतना बड़ा असत्य और इतने बड़ा फरेब के जाल में इनको फंसाने का काम जो किया है, जनता को गुमराह करने का काम किया है और इसीलिए चुनाव के अन्दर उनको यह परिस्थिति देखनी पड़ी।

अब हम क्या कर रहे हैं, यह पूछते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है? हम तो, अध्यक्ष महोदय, वह कर रहे हैं जो इनको पहले ही करना चाहिए था। एच पी सी एल जो कम्पनी है, राज्य सरकार से उनकी वार्ता अब चालू है। प्रोजेक्ट को लगाने से पहले तो वेलिडेशन करना ही पड़ता है, परन्तु नहीं किया गया था। अब प्रोजेक्ट का वेलिडेशन कर रहे हैं। प्राइसवाटरहाउस कूपर्स को कंसलटेंट बनाकर हमने लगाया है। अब आप यह देख लें कि एच पी सी एल ने अपना कंसलटेंट एस बी आई कैप्स को बनाकर पहले ही लगा लिया था। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने यह सही नहीं सोचा कंसलटेंट लगाने का। अकेले तो हम लोग इस चीज को समझ भी नहीं सकते हैं। इतना बड़ा काम है। लास्ट बैठक, अध्यक्ष महोदय, 20.02.15 को जयपुर में हुई थी, इसको अटेंड किया था, दो डाइरेक्टर्स एच पी सी एल के प्लस प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइंस गवर्नमेंट आफ इण्डिया के, इन लोगों ने भी किया।

अब रोजगार के बारे में जोरदार भ्रम फैलाया कि यहां दुबई खड़ा हो जाएगा और यहां तो ऐसा तेल मिलेगा और मालूम नहीं, कितने लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी। सच्चाई तो यह है और सबसे बड़ी रिफाइनरी अगर किसी को देखनी है तो सऊदी अरब या उधर चले जाएं। आजकल रिफाइनरीज आर आटोमेटेड। 10 हजार आदमी फैक्टरी में नहीं लगता है। 700 से, मुश्किल से, 800 तक अगर लग गया तो बहुत बड़ी बात है रिफाइनरी के अन्दर। चलो, इनडाइरेक्ट एम्प्लायमेंट की अपन बात कर लें तो इनडाइरेक्ट एम्प्लायमेंट थ्री या फोर-टाइम नोर्मली होता है। चलो, 10 गुना लगा दें अपन, तो भी 7 हजार या 8 हजार से ज्यादा नहीं है। उसका गणित अपन ही कर लें। मैं नहीं समझती हूं कि उससे ज्यादा होना है। परन्तु भ्रमित करने में कोई मौका नहीं छोड़ा। पूरी तरह से लोगों को गुमराह करने में लगे रहे।

मैं बताना चाहती हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को जमीन के ऊपर लाने का काम और राजस्थान के फेवर में लाने का काम, यह हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गयी है। इस जिम्मेदारी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

को हम पूरा करेंगे। चाहे वह कोई भी कितना जल्दी कराएं, हम जब तक वह हमारे स्टेट को सूट नहीं करता है, जब तक उसकी शर्तें हमारे स्टेट को फायदा नहीं देती हैं, मैं नहीं समझती कि उसके ऊपर उस जल्दी में हम लाएंगे। हम तब लाएंगे जब वह हमें सूट करेगा।

अभी, दूसरा, मेट्रो के बारे में आपने कुछ नहीं बोला, मेट्रो के बारे में आपने कुछ नहीं बोला। 2004-2005 में हम लोग जब सरकार में आये थे तो हम लोग भी गये मिस्टर श्रीधरन के पास।

आखिर में कौन नहीं जाएगा? इतना बड़ा प्रोग्राम है, हम भी चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में यह प्रोग्राम आये, परन्तु इसकी वायेबिलिटी देखना भी हमारा काम है। यह वायेबिलिटी तब देखेंगे। आपके बसों की वायेबिलिटी क्या है, आपकी जनता की वायेबिलिटी क्या है, क्या अगर हमने मेट्रो चलाया तो इतनी पब्लिक हमको मिल जाएगी कि उसकी वायेबिलिटी निकल आयेगी? तो श्रीधरनजी ने कहा, no, not viable. हमने उसको ड्राप कर दिया।

अब 11,732 करोड़ का प्रोजेक्ट पिछली सरकार ने सैंक्शन किया। फर्स्ट फेज के अन्दर सिर्फ 11 किलोमीटर, 3 हजार 400 करोड़ रुपया खर्च किया। इस राशि, यानी, 3,400-3,500 करोड़ जो भी थे, अगर इसको हमने इस्तेमाल किया होता तो करीबन 110-प्लस फ्लाई-ओवर्स बन जाते, या करीबन 5 हजार किलोमीटर रोड्स बन जातीं। अगर यह होता तो मैं समझती हूं कि हरेक जिला इससे लाभान्वित हो जाता और कितने लोगों को इसका फायदा हो जाता।

फेज वन में सिर्फ 20 परसेंट मनी हमको गवर्नमेंट आफ इण्डिया से मिली। राजस्थान सरकार ने 812 करोड़ एडिशनल इंटरेस्ट-फ्री लोन दिया और ये काम किये जो किसी भी सरकार को नहीं करने चाहिए, जे.डी.ए. को हाथ मारा-120 करोड़; हाउसिंग बोर्ड को हाथ मारा-100 करोड़, रीको को हाथ मारा-100 करोड़। जो प्रोफिटेबल कम्पनीज थीं उन प्रोफिटेबल कम्पनीज से पैसा निकालकर इस प्रोजेक्ट में डालने का काम किया और यह पहली बार ऐसा हुआ है। इससे क्या हाल हुआ कि जे.डी.ए. को बिलकुल कंगाल करके छोड़ दिया। जब हम लोग आये थे और जे.डी.ए. को अपने हाथ में लिया तो उनके बैंक के खाते में 4 करोड़ रुपये ही थे। उनकी ऐसी खराब हालत करके छोड़ दिया था। यही नहीं, इन्होंने 969 करोड़ ए.डी.बी. से लोंग टर्म लोन ले लिया। जो इंटरेस्ट रेट और फोरेन एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन था, वह गवर्नमेंट आफ इण्डिया ही वहन करने वाली है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अभी सबने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि फेज वन-बी को हमें एप्रूव करना ही पड़ा बिकाज इसको करने से और इसका कास्ट-बेनिफिट एनेलेसिस हमने जब किया तो हमें मालूम पड़ा कि अगर हम वन-बी करते हैं तो जो पहले वाला, फर्स्ट फेज वाला है, वह इसकी वजह से कुछ हद तक वायेबल हो सकता है, और यह रिस्क हम लोगों को लेना पड़ा। इसके बाद भी हम लोगों को एप्रोक्सिमेटली 50 करोड़ रुपया हर साल देना पड़ेगा, जस्ट एज एन आपरेशनल कोस्ट।

यानी, अपने को चुनाव में जिताने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं, वह आपको देखने को मिल सकता है। कुछ भी कर लो, हमें तो चुनाव जीतना है। चाहे यह प्रोजेक्ट वायेबल हो या नहीं हो, चाहे कोई हमको इसको एडवाइज करे या नहीं करे, हमें तो करना है क्योंकि हमको लगता है कि अगर हम राजस्थान के खजाने को इस तरीके से लुटाते हैं तो पब्लिक हमारे साथ लग जाएगी। पर पब्लिक किसी की बातों में आने वाली नहीं है।

मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि जे.डी.ए. का ऐसा पैसा लेने के बाद जयपुर शहर के आमजन की सुविधा का पैसा हमने ऐसे लगाया। वह तो अब मेहनत करने के बाद, जे.डी.ए. ने वापस अपना पैसा कमाकर, ऐसी परिस्थिति बनाकर, अब राजस्थान में जयपुर का काम करना शुरू किया है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि इसकी रिकवरी आलमोस्ट वन ईयर के अन्दर हम लोग कर पाये हैं।

अध्यक्ष महोदय, फाइनेंशल डिसिप्लिन ही नहीं है। विदाउट फाइनेंशल डिसिप्लिन हम प्रदेश को आगे बढ़ायेंगे कैसे? हरेक आदमी अगर अपनी मनमानी करेगा, मुझे भी यह चाहिए, मुझे भी यह चाहिए, और कहेगा, तो मैं मानती हूं कि यह काम आराम से नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसको आप कम्पीटिशन में डालते हैं। यह डी.एम.आर.सी. का पहला प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको नोमिनेशन बेसिस पर दे दिया। इतनी जल्दी थी। हमें तो कम्पीटिशन, वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है। किसको दिया, किसको नहीं दिया, किसी की बात ही नहीं और बस नोमिनेट कर दो, ताकि इलेक्शन के पहले जल्दी से जल्दी यह चालू हो जाए। वह चालू नहीं होने वाली, यह भी आपको मालूम है, सबको मालूम है, परन्तु आपने उसका रोलिंग स्टाक कब खरीद कर रख लिया कि अब वह रोलिंग स्टाक यार्ड के अन्दर पड़ा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

है। जब तक रेल तैयार नहीं होती है तब तक वह रोलिंग स्टाक यूज नहीं होगा। उसको खरीदने और यूज करने के बीच में समय निकलेगा और हो सकता है, अगर हमने सही टाइम पर खरीदा होता तो लेटेस्ट और माडर्न टेक्नोलाजी का हम लोगों को रोलिंग स्टाक मिल जाता। परन्तु इनकी वजह से और शार्ट-साइटेडनैस की वजह से हम लोगों को उस रोलिंग स्टाक के साथ काम करना पड़ेगा जिसको जब तक हम इस्तेमाल करेंगे it will be out of date. फिर आप ऐसे जल्दी-जल्दी में कर दो, इसलिए मैंने कहा कि इस पूरी लाइन की अच्छी तरह से सिक्योरिटी कर लेना, इसकी चैकिंग कर लेना। मैं नहीं चाहती हूं कि रेल चले और कुछ हादसा हो जाए।ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पूरी चैकिंग करने के बाद ही इस रेलवे लाइन को अपने को शुरू करना है। यह भी ध्यान हम लोगों ने उस पर पूरी तरह से दिया, जो इन्होंने अभी तक नहीं दिया था।

अध्यक्ष महोदय, ये दो बिन्दु तो ये लोग बार-बार उठाते हैं, पर बिजली के ऊपर मालूम नहीं, क्यों चुप्पी साध लेते हैं। पांच वर्षों में जो विद्युत कम्पनीज की गम्भीर स्थिति हुई है, उसके बारे में मैं फिर एक दफे आप लोगों को बताना चाहूंगी। पांच वर्षों में जो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है, वह 130 परसेंट बढ़ा है; 2008-09 में 6,774 करोड़ था और 2013-14 में यह बढ़कर 15,645 करोड़ हो गया। यानी, तमिलनाडु, यू.पी., हरियाणा, एम.पी., ए.पी., गुजरात, पंजाब का जो राजस्व घाटा है, उससे अधिक है। जो एकुमुलेटेड रेवेन्यू डेफिसिट था, वह 5 वर्षों में चार गुना बढ़ा है; 2008-09 में 15,643 था, 2013-14 में 77,453 हो गया। एकुमुलेटेड रेवेन्यू डेफिसिट तमिलनाडु, यू.पी., हरियाणा, एम.पी., ए.पी. से बहुत अधिक है। 2013 में जो आउटस्टैंडिंग लोन था, वह देश भर में सबसे ज्यादा था। यह पंजाब का था 19,790 करोड़, तमिलनाडु का था 42058 करोड़ और राजस्थान का था 64 हजार करोड़ रुपया। इतनी तो इन-डिसिप्लिन इसमें हुई है। Average rate of purchase of electricity, 26% higher than the national average. अब इसमें तो कोई एक्सक्यूज है नहीं। मैं तो समझती हूं कि इसके लिए तो if you pay attention, you work according to the rules which have been framed. यानी, यह गलती नहीं होनी चाहिये थी। 2005 -2008 में जो शोर्ट टर्म लोन था, वह 117 परसेंट बढ़ा था; 2009-2014 में यह शोर्ट टर्म लोन 400 प्रतिशत बढ़ा। 2005-2009 के अन्दर जो ए टी एण्ड सी लोसेज थे, 41 प्रतिशत से हम लोगों ने 13 प्रतिशत उसको घटाया है और 2009-2014 के अन्दर जो ए टी एण्ड सी लोसेज थे, वह 2 परसेंट से नीचे आया।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

रेवेन्यू डेफिसिट, क्यूमुलेटिव रेवेन्यू डेफिसिट, आउटस्टेंडिंग लोन, प्रपोर्शन आफ शोर्ट टर्म लोन, ड्यूरेशन आफ पेंडेंसी आफ द पेमेंट आफ द बिल्स एण्ड हाई लोसेज, यह सब इंडिकेट करता है पिछली सरकार का वेरी-वेरी पुअर मैनेजमेंट।

अब यह क्या हुआ कि बैंक्स और लेंडिंग एजेंसीज ने नैचुरली, जब इतना आपका फिस्कल इनडिसिप्लिन हुआ तो बैंक्स और लेंडिंग एजेंसीज ने दबाव बनाया। जब दबाव बनाया तो 19 अक्टूबर, 2011 को इन्होंने एक एम.ओ.यू. बनाया। इस एम.ओ.यू. के बारे में, मैं समझती हूं, सब लोगों को इसकी एक कापी भी देना जरूरी होगा कि एक दफा सब लोग देख लें कि क्या परिस्थितियों में हुआ है। सबसे पहले तो विद्युत दरों में संशोधन हेतु प्रति वर्ष विद्युत नियामक आयोग में याचिका दर्ज की जावेगी, बढ़ोतरी के लिए; विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार अर्द्ध-वार्षिक ईंधन मूल्य वृद्धि का विद्युत दरों में स्वत: समायोजन किया जायेगा; नम्बर-तीन, ए टी एण्ड सी लोसेज को प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की दर से कम करके आगामी तीन वर्षों में 15 प्रतिशत किया जायेगा। लोसेज तो दूर, पूरा तंत्र ही जर्जर होकर बैठ गया। आलमोस्ट यह हालत हो रही है अभी। प्रति वर्ष जारी होने वाले कृषि कनेक्शनों की संख्या का रेशनलाइजेशन किया जायेगा, अब रेशनलाइजेशन शब्द अच्छा है, किया जायेगा; नये कृषि कनेक्शन प्राप्त करने हेतु ली जाने वाली डिमांड राशि को भी रेशनलाइज किया जायेगा; और रि-स्ट्रक्चरिंग आफ लोन्स। रि-स्ट्रक्चरिंग समय पर नहीं होने से, क्योंकि करना चाहिये था जो समय दिया था; यह नहीं होने से एक साल से ज्यादा का समय पूरा बरबाद हो गया और उसका खामियाजा अब हम सबको और पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। यह तो एम ओ यू-जो 19 अक्टूबर का बना, करा तो यह सब खुद ही ने है, हालत बिजली की बिगाड़ी खुद ही ने, एम ओ यू किया खुद ही ने, उसके बाद पूरे प्रदेश के अन्दर घूमकर जो काम उन्होंने किया है, उसके ऊपर पूरे प्रदेश को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि यह कहां तक अच्छा है, अध्यक्ष महोदय?

रोजगार पर आ जाएं तो मैंने कई पेजेज इसके ऊपर दिये हैं और मैंने कहा कि हम लोगों को अब सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, परन्तु स्किल डवलपमेंट के साथ एक रोडमैप रोजगार का बनाना बहुत जरूरी है। हम लोगों

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ने एक नई सोच से इंटीग्रेशन आफ द डिपार्टमेंट किया है; राजस्थान मिशन आन लाइवलीहुड को फिर रि-स्ट्रक्चर किया है; ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया है; एम ओ यू ज को साइन किये हैं और मैं मानती हूं कि अब तो क्या है कि इस चीज के ऊपर हम सबको ध्यान देने की बहुत जरूरत है क्योंकि अब सरकारें छोटी होती जा रही हैं। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा है, वह पूरी दुनिया के अन्दर अब चल पड़ा है। सरकारी नौकरी भी, करीबन रोजगार की जो मांग होती है, उसका आठ से दस प्रतिशत हो गई है। 90 प्रतिशत रोजगार है, अब सरकार से बाहर लोग ढूंढते हैं। फिर भी आने वाले समय के अन्दर हमने यह तय किया है कि करीबन एक लाख सरकारी रोजगार के अवसर हम उपलब्ध करायेंगे और यह अलग-अलग स्टेजेज में चल पड़े हैं।

मैं मानती हूं कि यह सबसे बड़ी उपलब्धि, पिछले साल में जिसमें हमको सिर्फ 167 दिन मिले काम करने को, क्योंकि ज्यादातर समय इलेक्शन के अन्दर चला गया था, उसमें हमने स्किल डवलपमेंट की एक अच्छी और मजबूत नींव रखी है, जिसको पूरे देश ने सराहा है। 'एसोकेम' ने राजस्थान को बेस्ट स्टेट इन स्किल डवलपमेंट का अवार्ड भी दिया है। 'एसोकेम', आप जानते हों, यह बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप है। मैं समझती हूं कि यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।

कई लोग, मैं जिनसे भी मिली हूं और जब भी मीटिंग हुई है और प्रेस से भी मुलाकात होती है, अपोजिशन तो पूछता ही है, कि 15 लाख युवाओं को आप लोग रोजगार देंगे तो कैसे देंगे और कितना जल्दी देंगे? मैं तो यह बताना चाहती हूं, अध्यक्ष महोदय, पिछले साल के अन्दर हमने ठोस नींव स्किल डवलपमेंट की रखी है, क्योंकि स्किल डवलपमेंट के द्वारा हम लोग अवसर बना रहे हैं और जो अवसर बनते हैं, वह अवसर से जो बच्चे निकलकर जाते हैं, ट्रेनिंग से जो बच्चे निकलकर जाते हैं, उनको ज्यादातर, पूरे के पूरों को, ज्यादातर उनकी खपत हो जाती है। इंडस्ट्रीज उनको पिक-अप कर लेती हैं। जो एम ओ यूज हमने साइन किये हैं, चेन्नई से लेकर यहां तक अलग-अलग कम्पनी के साथ, उन सब कम्पनीज ने उनको अपने फ्लोर पर ट्रेनिंग देकर, ज्यादातर हम लोगों को कहा है कि जितने भी बच्चे हम ट्रेन करेंगे, उनकी हम अपनी-अपनी एजेंसीज के अन्दर, या कहीं और खपत करने का आपको वादा करते हैं, और ज्यादातर ने किया भी है। निजी क्षेत्र में इसलिए इस एक वर्ष में 1.45 लाख नौजवानों को रोजगार दिये गये हैं। करीब 20,000

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। इस वर्ष 1,65,551 युवाओं को रोजगार के लिए हम लोग प्रशिक्षित कर रहे है और 1,78,248 युवाओं को वर्तमान में रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा, और दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ एक लाख युवाओं को, जैसा मैंने अभी कहा, सरकारी नौकरी देने का काम चालू हो चुका है।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हम सब अपने हर वचन पर खरे उतरेंगे क्योंकि ''रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई''।

हमारे साथी लोग बहुत कुछ दुष्प्रचार करते हैं, कहते हैं कि बजट से महंगाई बढ़ेगी। मेरी समझ से तो परे है कि हमारे कौन से प्रस्ताव से, बजट के अन्दर जो भी हमने दिया, कौनसा प्रस्ताव ऐसा है जिससे महंगाई बढ़ेगी? क्या ease of doing buniess से बढ़ेगी? क्या रिनोवेशन, अपग्रेडेशन, क्रिएशन आफ ड्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर थ्रू पीपीपी, उनसे बढ़ेगी? सिम्प्लिफिकेशन एण्ड कम्प्यूटराइजेशन आफ फार्म्स से बढ़ेगी? एंट्री टैक्स हटाने से या कम करने से बढ़ेगी? इंवैस्टमेंट प्रमोट करने से या ट्यूरिज्म को इम्प्रूव करने से बढ़ेगी? जापानीज इंडस्ट्रियल जोन को बढ़ावा देने से या सी एस टी में उनको छूट देने से बढ़ेगी? हवन सामग्री पर वैट की छूट देने से होगी, या पत्थर उद्योग को वैट में छूट देने से महंगाई बढ़ेगी? या जैम एण्ड ज्वैलरी को कम्पोजिशन 0.25 से 0.75 प्रतिशत करने से बढ़ेगी? या मोबाइल फोन की दर 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत करने से होगी? इन सबसे महंगाई कैसे बढ़ेगी, यह मेरी समझ से बाहर है। हां, यह तो, अध्यक्ष महोदय, सही है कि वैट की दरें तर्कसंगत हुई हैं, उनकी बेटर टार्गेटिंग भी हुई है। वोलंटरी टैक्स कम्प्लायंस भी इसकी वजह से बढ़ेगा। इन कर प्रावधानों से गरीब कैसे प्रभावित हुए हैं? वह तो मैं समझती हूं कि कैस्केडिंग एफर्टस भले के लिए ही, बुरे के लिए नहीं होंगे।

राजनैतिक परम्परा तो ऐसी हो गई है, अध्यक्ष महोदय, बजट कैसा भी हो, प्रतिपक्ष तो उसकी आलोचना तो करेगा ही। पर अगर हमको साउथ कोरिया या सिंगापुर या जापान जैसा एक विकसित प्रदेश बनना है तो हमको, सबको अपनी सामूहिक शक्ति को विकास, विकास और विकास के अन्दर ही लगाना पड़ेगा। तभी एक स्वाभिमानी और एक सुदृढ़ राजस्थान बन सकेगा। यह मेरा मानना है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा यह बजट सिर्फ बजट ही नहीं था, विकास का

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हमने एक रोडमैप बनाने की कोशिश की है। आने वाले सभी बजट ये एक किस्म से इस बजट के सपोर्टिंग डाक्यूमेंट्स बनेंगे। अब भले ही सब लोग, प्रतिपक्ष के लोग इसकी आलोचना करें, परन्तु हम लोगों ने किसान को, महिलाओं को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, समाज के सब वर्गों को, इन सबके ऊपर अच्छा और समुचित ध्यान रखने का पूरा प्रयास किया है। हमारे प्रदेश की जो उन्नति है, वह हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर है। तो इसके ऊपर हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि वहां अगर कहीं भी कोई गड़बड़ हो जाती है तो कोई प्रदेश आगे नहीं निकल सकता है।

जो हालात पिछली सरकार ने यहां उत्पन्न किये हैं, ये आगे ले जाने की बजाय हमारे प्रदेश को बहुत पीछे धकेलने में कामयाब हुए हैं। मैं कुछ उदाहरण यहां पर देना चाहूंगी। सबसे पहला उदाहरण यह है कि जो 67 लार्ज ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स को स्वीकृत किया, कोई वित्तीय प्रबन्धन नहीं परन्तु कर दिया जाते-जाते। फिर भी हम लोगों ने 12 योजनाएं अभी पूरी की हैं 289 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पैसा उपलब्ध करवाकर। अब इस वर्ष 55 जो बाकी बच रहे हैं, उनमें से 15 योजनाएं 494 करोड़ रुपये के प्रावधान से हम लोग उनको आगे बढ़ाने की बात करेंगे। परन्तु, मेरा मानना यह है कि जो विकास की योजना होती है, अध्यक्ष महोदय, उसको राजनैतिक लाभ से प्रेरित नहीं होना चाहिये। अब कैसा वित्तीय प्रबन्धन है जब आप बड़ी-बड़ी योजनाओं को स्वीकृत कर दो और फिर आने वाली सरकार के ऊपर उसका वित्तीय प्रबन्धन जिम्मे कर दो? तो आपने क्या इसमें किया है? यह किस तरीके की बात है? मैं नहीं समझती हूं कि यह करना चाहिये।

मैं एक और मिसाल देना चाहूंगी और वह है उच्च शिक्षा में। लास्ट बजट में लास्ट गवर्नमेंट ने 15 नये महाविद्यालय स्वीकृत किये। फिर 27 अन्य महाविद्यालयों की घोषणा। टोटल 42 राजकीय महाविद्यालयों की घोषणा कर दी जाते-जाते।

इसी तरह, बिजली कम्पनी पर जाते-जाते 77,000 करोड़ रुपये का अधिक कर्जा; रोडवेज का घाटा बढ़ाया; जे डी ए जयपुर को कंगाल छोड़ दिया; जे डी ए जोधपुर को कंगाल भी छोड़ा, कर्ज भी उसके ऊपर छोड़ा और भ्रष्टाचार जमकर किया उसके अन्दर। यह सब हम लोगों को मालूम है।

तो इसलिए मैं बार-बार कहती हूं कि हम लोगों को यह डिसिप्लिन कायम करना पड़ेगा, नहीं तो कहां चलेंगे? ये कोई भी एक व्यक्ति या एक

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सरकार अकेले नहीं कर सकती है। इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है और मैं यह कह रही हूं बार-बार कि टीम राजस्थान ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और हम स्वाभिमान के साथ जी सकें, ऐसी परिस्थिति बनाने का हम लोगों ने अपने मन में संकल्प लिया है।

कुछ विशेष बिन्दुओं के ऊपर मैं आप सबका ध्यान फिर आकर्षित करूंगी, जो बजट के अन्दर हम लोगों ने आपके सामने रखे हैं। नम्बर एक, डिरेल्ड अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने की एक हम लोगों ने कोशिश की। जी एस डी पी को बूस्ट करने, रिसर्जेंट राजस्थान को सामने लाने, सोलर पालिसी-2014, राजस्थान इन्वेस्टमेंट पालिसी-2014 को सही ढंग से हमने क्रियान्वित किया है। इस साल माइनिंग, ट्यूरिज्म, आई.टी. की पालिसीज भी हम लोग लाएंगे।

स्किल डवलपमेंट; एम्प्लायमेंट जनरेशन; रिवर बेसिन अथोरिटी की स्थापना; एक इम्पोर्टेंट इश्यू इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम का हमने फोकस शिफ्ट किया है, पात्रता अब मेरिट है, यह डोल बेस्ड नहीं है।

राजस्व लोक अदालत के माध्यम से राजस्व विवादों का अब समाधान करने का एक प्रोग्राम हमने जारी किया है।

हमारे जवानों का सम्मान; डिजिटल राजस्थान; ई-गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का मतलब यह है कि पुराने जो नियम हैं उनकी समाप्ति की शुरुआत; मुख्य मंत्री जन आवास योजना; प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान; स्वच्छ और स्वस्थ राजस्थान पर जोर, मीडियम स्माल एण्ड माइक्रो एंटरप्राइजेजेज के ऊपर फोकस; ए एन एम एंड आशा इनको पी.सी. टैबलेट्स और वह पालयट बेसिस पर, और मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम अच्छा रहेगा तो इसको हम स्केल-अप करना चाहेंगे।

जो माडर्न टेक्नोलोजी है वह भी लाना प्रदेश के अन्दर जरूरी था, तो कैमल जेनेटिक्स एण्ड इम्यूनोलोजी, कहते हैं कि इसके ऊपर वे स्टेडी करना चाहते हैं, बायो-टेक्नोलोजी यूनिट आफ गवर्नमेंट आफ इंडिया हमारे साथ इसमें काम करना चाहती है और वह मानती है कि इसके थ्रू कैंसर एंड ट्यूमर्स को परास्त करने का हमको एक मौका मिलेगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

फिर बिग डैटा एंड एनेलेटिक्स; देन साइंस एण्ड ह्यूमेनिटीज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना; मदर्स मिल्क की स्थापना; माडर्न ई-लर्निंग एंड ई-ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान; एण्ड देन इनोवेशन के थ्रू इन्क्यूब्टर्स को लगाना है इंजीनियरिंग और एम बी ए कालेजेज के अन्दर और थ्री-डी प्रिंटिंग और रोबोटिक्स लैब इनकी स्थापना हम करना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि 480 करोड़ की ईसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना का टेण्डर 27 मार्च से आमंत्रित किया गया है। इसका लाभ प्रदेश के कई जिलों को मिलेगा। मैं चुनाव के अन्दर बहुत सारे जिलों में गई थी उस तरफ और बहुत सारे लोगों ने पीने के पानी की समस्या मेरे सामने रखी थी। मुझे लगता है कि ये कम्प्लीट होगा, एक डेढ़ साल के अन्दर अपने ही समय के अन्दर। इसलिए जो प्रोमिसेज हमने पीने के पानी के उन लोगों को किये थे, वे पूरे होंगे। यह मेरा विश्वास है।

अमेरिका के राष्ट्रपति जोन एफ कैनेडी ने कहा था "My fellow Americans, ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.'' हमारी सोच में कुछ तो बदलाव आना चाहिए। अपनों से पहले अपन देश और प्रदेश को रखें तो एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा और राजस्थान को भी इसका फायदा मिलेगा। आज राजस्थान एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर और एक ऐतिहासिक मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है। इस डिरेल्ड इकोनोमी को अगर हम ट्रैक पर ला सकते हैं, अध्यक्ष महोदय, तो उसके लिए हमको कई टफ डिसिजंस लेने पड़ेंगे और वे मिलकर के लेने पड़ेंगे। मैं सबको कहती हूं कि हम लोग बात तो करते हैं कि टफ डिसीजंश अपने को लेने हैं परन्तु जब समय आता है उस टफ डिसिजंस लेने का, तो सब उसको अपने से तो छिड़क देते हैं। पर मेरा मानना यह है कि इससे बहुत बड़ा स्टेट को नुकसान डालने की बात करते हैं। सबको साथ मिलकर के यह तय करना पड़ेगा कि हमें अब मिलकर के इस कठिनाई को फेस करना पड़ेगा और हम अगर इसको नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ा मौका हम छोड़ देंगे और आने वाली पीढ़ी फिर हमको किसी को भी माफ नहीं करेगी। इसलिए जरूरी है, आपको लगता होगा कि मेरा भी हो जाए, मेरा भी हो जाए, परन्तु मैं यह मानती हूं कि सबका होगा, अपने-अपने टाइम से होगा; एक को कुछ मिलेगा तो दूसरे को कुछ और मिलेगा परन्तु सबको फाइनेंशल डिसिप्लिन के अन्दर काम करना पड़ेगा। नहीं तो, जैसा मैने कहा है, मैं मानती हूं कि आने वाली पीढ़ी will not forgive us.

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

तो आखिर में, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेशवासियों को कहना चाहूंगी कि you must have a dream. क्योंकि सपना देखना जरूरी है Without dream, you cannot fly. सपने देखे बिना उड़ान भर नहीं सकते और फिर अगर उड़ान नहीं भर पाओगे तो ऊंचाइयों को कैसे छुओगे? चुनौती हैं, बहुत हैं, बाधाएं भी हैं, पर मैं मानती हूं कि हम सबके हौसले बुलंद हैं और हमारे इरादे भी नेक हैं और अगर जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है और अगर हम सब साथ मिलकर चलते हैं तो राजस्थान का नव-निर्माण होकर ही रहेगा। यह मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए मैं आपको सबको चार लाइन समर्पित करना चाहती हूं -

ताश के पत्तों से महल नहीं बनते,
रोको नदी तो समन्दर नहीं बनते।
देखो सपने और बढ़ो आगे तुम,
बिना सपनों के सिकन्दर नहीं बनते।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो हमारे सदन के आया जो गतिरोध है, उसको समाप्त करने के लिए सदन की नेता के रूप में आगे बढ़कर मैं यह मानना चाहती हूं कि सत्तारूढ़ दल की ओर से अगर आपको, यह निलम्बन जो हुआ है सबका, यह वापस लेने के लिए मुख्य सचेतक महोदय को सदन में प्रस्ताव लेने के लिए मैं निर्देश दे रही हूं। मुझे उम्मीद है, सब कुछ होने के बाद, हमने सब कुछ कोशिश कर ली है, तो अब मैं यह कह रही हूं मुझे उम्मीद है कि प्रतिपक्ष मतलब कांग्रेस पार्टी इसको पोजिटिव रूप में ले, हाउस में वापस आये, गतिरोध समाप्त करे और जनता के काम में लगे, तो मैं समझती हूं कि बहुत अच्छा रहेगा और बजट सत्र सार्थक हो जाएगा।

फिर से मैं आप सबको धन्यवाद देती हूं।

निलम्बन निरस्तीकरण

प्रतिपक्ष के 9 माननीय सदस्यों के निलम्बन का निरस्तीकरण

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 3 मार्च, 2015 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य, श्री अशोक चांदना, श्री श्रवण कुमार, श्री धीरज गुर्जर, श्री गोविन्द डोटासरा, श्री सुखराम विश्नोई, श्री रमेश, श्री बृजेन्द्र ओला, श्री गिरिराज सिंह एवं

(श्री कालू लाल गुर्जर)

निर्दलीय विधायक श्री हनुमान बेनीवाल को माननीय अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध आक्रामक भाषा का प्रयोग करने एवं माननीय अध्यक्ष के आदेशों की निरन्तर अवहेलना करने तथा सदन में अवरोध उत्पन्न करने के कृत्य के फलस्वरूप वर्तमान सत्र की अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित किया गया था।

इस सदन की, अध्यक्ष महोदय, उच्च एवं गौरवशाली परम्पराएं रही हैं। कई बार पूर्व में ऐसे अवसर आये हैं जब सदन में अनुशासन बनाये रखने एवं प्रक्रिया और नियमों की पालना कराने हेतु सदस्यों को निलम्बित करने सम्बन्धी कठोर निर्णय इस सदन द्वारा लिये गये हैं। लेकिन इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और यह सदन जन-आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करे तथा इस सदन की गौरवशाली परम्पराएं अक्षुण्ण बनी रहें, इस हेतु माननीय सदन की नेता ने जो अभी मुझे निर्देशित किया है, इनको सौहार्दपूर्ण और विशाल हृदय को देखते हुए पूर्व परम्पराओं को दोहराते हुए, मैं यह प्रस्ताव सदन की राय हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं- कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य, श्री अशोक चांदना, श्री श्रवण कुमार, श्री धीरज गुर्जर, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, श्री सुखराम विश्नोई, श्री रमेश, श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, श्री गिर्राज सिंह एवं निर्दलीय विधायक श्री हनुमान बेनीवाल के अब तक के निलम्बन को पर्याप्त मानते हुए, इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद शेष निलम्बन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उस प्रस्ताव को आपके विचार के लिए आपके सामने रखता हूं। क्या यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

मैं अपनी तरफ से, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो विशाल हृदय रख कर लोकतांत्रिक मान्यताओं के प्रति और लोकतंत्र के विश्वास को आगे बढ़ाते हुए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, शायद वह इस राजस्थान के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी; मैं अपनी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। यह प्रस्ताव पास हुआ।

आप कुछ कहेंगी क्या? मैं स्थगित कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह रहा था कि आपने पिछली बार भी माननीया मुख्य मंत्रीजी की बड़ाई की थी कि आप बहुत स्पीड से बोली हैं और उसका परिणाम हुआ कि उनको नजर लग गई और उनके खांसी हो गई। इस बार आपने फिर उनकी बड़ाई की है तो खांसी बढ़ रही है। कृपा करके आप अपनी नजरों से उनको बचने दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। ये पंडितों की नजरों से बची रहें, वही काफी है।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 16 मार्च 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.52 बजे सोमवार, दिनांक 16 मार्च 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत देय पेंशन

167. श्री मेवाराम जैन (बाडमेर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सामाजिक पेंशन योजना के तहत बाड़मेर जिले में कुल कितने परिवारों को पेंशन दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त जिले में गत एक वर्ष से कितने परिवारों की पेंशन बकाया चल रही है?

(3) क्या यह सही है कि जिला कोष कार्यालय, डाक घर व पटवारी वेरिफिकेशन के कार्यों में शिथिलता के कारण पेंशनरों को समय पर पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा पेंशनधारी को समय पर पेंशन उपलब्ध हो, इस हेतु क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वर्तमान में बाड़मेर जिले में लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	श्रेणी	राष्ट्रीय पेंशन योजना	राज्य पेंशन योजना
1.	वृद्धावस्था	42990	122816
2.	विधवा	5820	15143
3.	विशेष योग्यजन	1345	10179

(2) सामान्यत: पेंशनरों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का नियमित मासिक रूप से भुगतान किया जा रहा है। बाड़मेर जिले में पेंशन राशि के भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्रम सं.	कोष/उपकोष का नाम	पेंशनर्स की कुल संख्या	पेंशनर्स की स्थिति (माह जिसका अंतिम भुगतान किया गया)
1.	बाड़मेर	27816	जनवरी, 2015
2.	बायतू	26906	फरवरी, 2015
3.	चौहटन	36644	फरवरी, 2015
4.	गुढामलानी	36685	जनवरी, 2015
5.	पचपदरा	23995	जनवरी, 2015
6.	रामसर	9381	फरवरी, 2015
7.	शिव	16229	फरवरी, 2015
8.	सिवाना	20637	फरवरी, 2015

(3) जी नहीं। वर्तमान में जिले के सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के वार्षिक भौतिक सत्यापन (वेरिफिकेशन) के कारण पेंशन राशि के भुगतान में विलम्ब नहीं हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों का नियमानुसार भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण उनको पेंशन राशि के भुगतान में विलम्ब नहीं हो, को दृष्टिगत रखते हुए माह फरवरी, 2015 तक की देय पेंशन का भुगतान बिना भौतिक सत्यापन के किये जाने की शिथिलता प्रदान की गई है।

पेंशनधारियों को समय पर पेंशन भुगतान मिल सके, इसके लिए पात्र पेंशनधारियों के भामाशाह योजनान्तर्गत खोले गये बैंक बचत खातों के माध्यम से भुगतान कराये जाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

(4) वर्तमान में पेंशन राशि में वृद्धि किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोतर

नगर में सहकारी समितियों द्वारा वितरित ब्याज रहित ऋण

171. श्रीमती अनीता (नगर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भरतपुर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियां कहां-कहां गठित हैं व उक्त गठित समितियों में कितने-कितने सदस्य हैं? समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त समितियों द्वारा विधान सभा क्षेत्र नगर में कितने सदस्यों को कितना-कितना ब्याज-रहित ऋण दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समितियों द्वारा विधान सभा क्षेत्र नगर में गत दो वर्षों में कितने नये सदस्य बनाये गये व नये सदस्यों में से कितने सदस्यों को ब्याज-रहित ऋण दिये गये? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में गठित ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं उनकी सदस्य संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नगर में स्थित 37 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष 2014-15 में 15,193 कृषकों को रु. 3986.92 लाख का अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया गया है, जिसकी समितिवार विगत परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नगर में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा गत दो वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में बनाये गये नये सदस्यों एवं उनको किये गये ऋण वितरण का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में राशन डीलरों द्वारा ए.पी.एल. परिवारों को वितरित फोर्टीफाइड आटे में अनियमितता की जांच

172. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा मार्च, 2012 से सितम्बर, 2013 तक ए.पी.एल. परिवारों को फोर्टीफाइड आटे का वितरण प्रत्येक जिले में कितना-कितना किया गया? विवरण जिलावार सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार ए.पी.एल. परिवारों को बांटे गये फोर्टीफाइड आटे के वितरण में राशन डीलरों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम जोजावर, चौकड़िया व धनला के राशन डीलरों के आटा वितरण रजिस्टरों की मार्च, 2012 से सितम्बर, 2013 तक फोटो प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लि. से अनुमोदित आटा मिलों द्वारा माह मार्च, 2012 से सितम्बर, 2013 तक ए.पी.एल. परिवारों को वितरण हेतु कुल 13452116.39 क्विंटल फोर्टीफाइड आटे की उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति की गई। जिलावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। फोर्टीफाइड आटे के वितरण में राशन डीलरों के विरूद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा सतर्कता शाखा से करवाई जाती है। प्रारम्भिक जांच में गम्भीर अनियमितता प्रकट होने पर ही सक्षम स्तर से विस्तृत जांच करवाई जायेगी।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम जोजावर, चौकड़िया व धनला के राशन डीलरों के आटा वितरण रजिस्टर माह मार्च, 2012 से सितम्बर, 2013 तक की फोटोप्रतियां परिशिष्ट-2 (पृष्ठ 1 से 1524 तक) पर संलग्न हैं।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में नई पर्यटन नीति जारी किये जाने की कार्य योजना

173. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नई राजस्थान पर्यटन नीति जारी किये जाने के सम्बन्ध में ड्राफ्ट जारी किया गया था? यदि हां, तो ड्राफ्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त नई नीति के तहत टिप्पणी/सुझाव आमंत्रित किये गये थे? यदि हां, तो कितने टिप्पणी/सुझाव सरकार को प्राप्त हुए? प्राप्त टिप्पणी/सुझावों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा आमंत्रित टिप्पणी/सुझावों के उपरान्त नई राजस्थान पर्यटन नीति जारी की जा चुकी है? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा? जारी की गई नई राजस्थान पर्यटन इकाई नीति की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति का प्रारूप जारी किया गया था। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति का प्रथम प्रारूप दिनांक 13.12.2014 को एवं द्वितीय प्रारूप 21.1.2015 को पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी (अपलोड) किया गया था। (प्रतियां परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर संलग्न)

(2) जी हां। प्रथम प्रारूप पर विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं से 50 सुझाव प्राप्त हुए एवं द्वितीय प्रारूप पर 6 सुझाव जरिये ई-मेल प्राप्त हुए हैं। प्राप्त सुझावों की सूची परिशिष्ट 'स' पर मूल सुझावों की प्रति सहित संलग्न है।

(3) जी नहीं। नवीन राजस्थान पर्यटन इकाई नीति वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27 फरवरी, 2015)

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति के रिक्त पद

30. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(1) प्रदेश में सरकारी एवं गैर-सरकारी विश्वविद्यालय कितने हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकारी विश्वविद्यालयों में कितने शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में वर्तमान में कुलपतियों के कितने पद रिक्त हैं एवं इनको कब तक भर दिया जायेगा?

(4) सरकारी विश्वविद्यालयों में वर्तमान में पेंशन सम्बन्धी क्या प्रावधान हैं तथा उक्त प्रावधानों के तहत कितने कार्मिकों को पेंशन दी जा रही है?

(5) क्या यह सही है कि उक्त विश्वविद्यालयों में कार्यरत सभी कर्मिकों को पेंशन नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो उक्त सभी को पेंशन का भुगतान करने पर कितना वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 26 सरकारी एवं 40 निजी विश्वविद्यालय हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सरकारी विश्वविद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में संचालित 26 राजकीय विश्वविद्यालयों में से 6 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के पद रिक्त हैं। कुलपतियों के चयन हेतु 3 विश्वविद्यालयों में सर्च कमेटियां गठित कर दी गई हैं। रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थान होने के कारण समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों के पृथक-पृथक रूप से पेंशन नियम प्रभावी हैं। विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचनानुसार पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कार्मिकों का विश्वविद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-3 पर एवं विश्वविद्यालयवार पेंशन प्रावधानों का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(5) जी हां। पेंशन से वंचित सेवानिवृत्त कार्मिकों का विश्वविद्यालयवार विवरण मय वित्तीय भार के परिशिष्ट-3 के कालम संख्या 4 में अंकित है।

(सूची व विवरण पुस्कालय में रखे गये)

प्रदेश के प्रतिबंधित जिलों से शिक्षकों का स्थानान्तरण

174. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कौन-कौन से जिले स्थानान्तरण हेतु प्रतिबंधित हैं तथा गत 10 वर्ष (2004-05 से 2014-15) में प्रतिबंधित जिलों से कितने शिक्षक स्थानान्तरित किये गये हैं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नव नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति से पूर्व पदस्थापित शिक्षकों का प्रतिबंधित जिलों से स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा किस प्रकार?

(3) क्या सरकार जनजाति क्षेत्र की तर्ज पर प्रतिबंधित जिलों के लिए अलग से कैडर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, झालावाड़, सिरोही, बीकानेर, बारां एवं प्रतापगढ़ जिले प्रतिबंधित घोषित हैं । शिक्षा विभाग में विगत 10 वर्षो में प्रतिबंधित जिलों से स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट **"क"** तथा **"ख"** पर संलग्न है ।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट 'क'

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के प्रतिबंधित जिलों से स्थानान्तरित अध्यापकों का वर्ष 2004-05 से 2014-15 तक का संख्या विवरण :-

क्र.सं.	प्रतिबंधित जिले का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	जालौर	1	2	0	26	261	2	10	0	0	0	0
2	बीकानेर	0	0	11	14	18	0	1	0	1	0	0
3	बाड़मेर	0	0	281	126	0	0	0	0	0	0	0
4	बांसवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	प्रतापगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	जैसलमेर	0	9	1	49	233	0	1	1	0	0	0
7	बारां	1	1	1	11	47	0	0	0	0	1	0
8	डूंगरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	झालावाड़	0	0	0	10	179	0	0	0	0	0	0
10	सिरोही	0	0	0	8	87	0	0	0	0	0	0
	योग	**2**	**12**	**294**	**244**	**825**	**2**	**12**	**1**	**1**	**1**	**0**

परिशिष्ट–ख

माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रतिबंधित जिलों से स्थानान्तरित शिक्षकों का वर्षवार विवरण

वर्ष	व्याख्याता	व.अ.	अध्यापक
2004-05	33	30	3
2005-06	-	1	-
2006-07	1	-	-
2007-08	15	12	-
2008-09	18	30	3
2009-10	3	3	-
2010-11	25	1	-
2011-12	-	1	-
2012-13	-	4	-
2013-14	2	109	-
2014-15	-	8	-
योग	**97**	**199**	**6**

प्रदेश में संचालित सम्बल ग्राम योजना के तहत स्वीकृत कार्य

175. **श्री हीरालाल नागर** (सांगोद) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले में सम्बल ग्राम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008 -09 से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक किस-किस गांव में कौन-कौन से कार्य किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि से किस-किस एजेंसी को स्वीकृत किये गये? विधान सभा वार स्वीकृत कार्यों के आदेशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सम्बल ग्राम योजना में उक्त स्वीकृत कौन-कौनसा कार्य किस-किस दिनांक को पूर्ण हो चुका है एवं उस पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है? कार्य अनुसार एवं विधान सभा क्षेत्र वार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) सम्बल ग्राम योजना में उक्त स्वीकृत कौन-कौनसे कार्य किस-किस स्तर पर निर्माणाधीन हैं एवं किस-किस दिनांक तक पूर्ण होने सम्भावित हैं? कार्यानुसार एवं विधान सभा क्षेत्र वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सम्बल ग्राम योजना में उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य किस-किस कारण से आज तक प्रारम्भ नहीं हुए? इनको प्रारम्भ कराने की क्या कार्य योजना है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजना में कार्य स्वीकृति के लिए क्या नियम, शर्तें एवं मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? जारी आदेशों एवं परिपत्रों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सम्बल ग्राम योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा, सांगोद, पीपल्दा एवं रामगंजमण्डी में स्वीकृत कार्यों की सूचियां परिशिष्ट अ से द पर संलग्न हैं।

(2) सम्बल ग्राम योजना में उक्त स्वीकृत सभी कार्य (एक को छोडकर) पूर्ण हो चुके हैं। पूर्ण होने की दिनांक एवं व्यय की गई राशि विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत कार्यों की सूची में शामिल है।

(3) सम्बल ग्राम योजना में उक्त स्वीकृत सभी कार्य (एक को छोड़कर) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में क्रम संख्या 6 (अतिक्रमण होने के कारण) पूर्ण हो चुके हैं।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(4) जिले में ग्राम रामपुरिया उर्फ नया गांव, ग्राम पंचायत अमरपुरा में प्रशिक्षण कार्यशाला का कार्य अतिक्रमण होने के कारण नहीं करवाया गया है।

(5) विभाग द्वारा सम्बल ग्राम योजनान्तर्गत दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं। प्रतिलिपि परिशिष्ट य संलग्न है।

(सूचियां व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

बड़ी सादड़ी में संचालित सिंचाई परियोजनाएं

176. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में सिंचाई की कौन-कौनसी परियोजनाएं वर्तमान में संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी नवीन सिंचाई योजनाएं प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं व क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में सिंचाई विभाग की पारसोली बांध, वागन सिंचाई परियोजना एवं पिण्ड सिंचाई परियोजना (निर्माणाधीन) संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में कोई नवीन परियोजना प्रस्तावित नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र में दो पद कनिष्ठ अभियंताओं के रिक्त हैं। विभाग में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कनिष्ठ अभियंताओं की उपलब्धता कम होने से पद रिक्त हैं।

(4) जी हां, विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं की उपलब्धतानुसार पद भरे जाने प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र बडी सादडी में वर्तमान में संचालित सिंचाई परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	भराव क्षमता (एमसीएफटी में)	सिंचाई क्षेत्र (हैक्टेयर)	लाभान्वित ग्राम	अन्य विवरण
1	पिण्ड सिंचाई परियोजना (निर्माणाधीन)	320.000	809.00	6	परियोजना की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 9.7.2008 को राशि रुपये 2032.29 लाख की प्रदान की गई, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है।
2	वागन सिंचाई परियोजना	1327.00	8270.00	31	
3	पारसोली बांध	96.80	401.00	3	

ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में विधि संकाय प्रारम्भ करने की योजना

177. श्री शंकरसिंह (ब्यावर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर प्रदेश के सबसे पुराने महाविद्यालयों में से एक है तथा उक्त महाविद्यालय का भवन काफी वर्षो पुराना है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय में स्टाफ की कमी है? यदि हां, तो पदवार रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की जनता की मांग के मद्देनजर उक्त महाविद्यालय में विधि संकाय खोलने तथा रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। इस महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास 28 जनवरी, 1956 को हुआ था।

(2) उक्त महाविद्यालय में स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1, 2 व 3 पर संलग्न है।

(3) उक्त महाविद्यालय में विधि संकाय निर्धारित मानदण्ड पूरे होने और वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता के आधार पर खोलने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

व्याख्याताओं के 1118 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थना प्रेषित की जा चुकी है तथा आयोग ने इस विषय में विज्ञप्ति दिनांक 12 जनवरी, 2015 को प्रकाशित कर दी है। आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

परिशिष्ट-1

राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में प्राचार्य एवं उपाचार्य के पदों की स्थिति

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्राचार्य	1	1	0
2	उपाचार्य	2	2	0

परिशिष्ट-2

राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में व्याख्याताओं की स्थिति

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	विशेष विवरण
1	अर्थशास्त्र	5	5	0	
2	अंग्रेजी	2	2	0	
3	भूगोल	12	6	6	
4	हिन्दी	6	6	0	
5	इतिहास	9	6	3	
6	संगीत (कंठ)	1	1	0	
7	राजनीति विज्ञान	6	5	1	
8	संस्कृत	4	4	0	

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	विशेष विवरण
9	समाज शास्त्र	6	5	1	
10	वनस्पति शास्त्र	4	4	0	
11	रसायन शास्त्र	12	10	2	
12	गणित	2	2	0	
13	भौतिक शास्त्र	2	1	1	
14	प्राणी शास्त्र	7	5	2	
15	ए.बी.एस.टी.	6	4	2	
16	व्यावसायिक प्रशासन	6	3	3	
17	ई.ए.एफ.एम.	7	5	2	
	कुल	**97**	**74**	**23**	

परिशिष्ट-3

राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में कर्मचारियों की स्थिति

क्र. सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	विशेष विवरण
1	पी.टी.आई.	1	0	1	
2	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	0	
3	स्टेनोग्राफर	1	1	0	
4	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0	1	
5	तबला वादक	1	0	1	
6	कार्यालय अधीक्षक	1	1	0	
7	कार्यालय सहायक	1	1	0	
8	वरिष्ठ लिपिक	1	1		
9	कनिष्ठ लिपिक	4	2	1	1 प्रस्थगित
10	प्रयोगशाला सहायक	7	3	4	
11	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	11	1	1 प्रस्थगित
12	बुक लिफटर	3	0	1	2 प्रस्थगित
13	प्रयोगशाला वाहक	4	0	4	
14	मैकेनिक	1	0	1	

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	विशेष विवरण
15	जमादार	1	0	1	
16	दफतरी	1	0	1	
17	मशीन मैन	1	0	1	
18	गैस मैन	1	0	1	
	कुल योग	**44**	**21**	**19**	**04**

आर.एस.एम.एम. के सात कम्पनियों में विभाजन की योजना

178. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स को सात कम्पनियों में विभाजित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्यों एवं किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स को विभाजित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई है? सम्बन्धित निर्णयों/परिपत्रों/आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) उक्त राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स को विभाजित नहीं, वरन उसकी सात अनुषंगी कम्पनियों को लाने का प्रस्ताव अध्यक्ष तथा निदेशक मण्डल से अनुमोदन उपरान्त राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया । केन्द्र सरकार द्वारा एम एम डी आर एक्ट, 1957 में संशोधन हेतु जारी अध्यादेश दिनांक 12.1.2015 एवं आर एस एम एम एल की अंश पूंजी के विनिवेश की क्रिया, प्रक्रियाधीन होने से (परिवर्तित बजट 2014-15 की घोषणा संख्या 229 के तहत) प्रस्तावित सात अनुषंगी कम्पनियां बनाया जाना व्यावहारिक नहीं पाया गया । निर्णयों/आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

परिशिष्ट-1

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN ENTERPRISE)
4, MEERA MARG, UDAIPUR – 313 001
Registered office : 89-90, Janpath, Lal Kothi, Jaipur
CIN No. U 14109RJ949SGC00505

No : RSMM/CO/F&A/PS/F012/14/4860 Dated : 07.11.2014

The Principal Secretary to the Government,
Department of Mines,
Government of Rajasthan,
Secretariat,
Jaipur.

Sub : Approval for creation of Subsidiary Companies : Regarding

Sir,

In order to have future growth focus through Joint Ventures with Private Sector Companies of repute under Public Private Partnership (PPP) model, a note for imitating process for creation of subsidiary companies of RSMML was put up before the then Chairman, RSMML & Chief Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur. The Chairman had approved the same and desired that the matter may be put up to the Board for information & confirmation. A copy of approval by the Chairman is enclosed.

Accordingly, the requisite resolutions were passed by circulation and requisite documents were submitted to the Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India new Delhi for incorporation of seven subsidiary companies.

Now we are in receipt of communication (e-mails) from Registrar of Companies, Jaipur asking for furnishing of order of Govt. of Rajasthan for formation of all these seven companies as government companies. This is requied to be submitted by 21st Nov., 2014. It is, therefore, requested to accord approval of the state Government for creation of following subsidiary companies :

1. RSMML – Rock Phosphate Limited.
2. RSMML – Gypsum Limted.
3. RSMML – Lignite Limited.
4. RSMML – Limesone (Cement) Limited.
5. RSMML – SMS Limestone Limited.
6. RSMML – Multi Metal Limited.
7. RSMML – Renewable Energy Limited.

The earlier orders dated 19.01.2007 & 20.05.2008 b the Mines Department for incorporation of Rajasthan State Petroleum Corporation Limited (a subsidiary of RSMML) are also enclosed for ready reference.

Yours faithfully,
Managing Director

परिशिष्ट-2

Government of Rajasthan
Mines (Gr. I) Department

No.F.10(7)Mines/Gr.I/2014 Jaipur, dated 10 March, 2015

To,

The Managing Director,

RSMML, 4-Meera Marg,

Udaipur.

Sub : - Regarding approval for creation of subsidiary companies.

Sir,

I am directed to communicate in reference to your letter No. RSMM/CO/F&A/PS/F02/14/4860 dated 7.11.2014 that in view of recent amendment in the MMDR Act 1957 by GOI through an Ordinance dated 12th January, 2015 and the ongoing process of disinvestment of the companies equity in pursuance of the Budget announcement for 2014-15, the proposal of having mineral specific subsidiary companies is not feasible at this stage.

Yours faithfully,
(V.P. Singh)
Jt. Secretary to Govt.

अराई पंचायत समिति (अजमेर) में क्रय-विक्रय सहकारी समिति की स्थापना

179. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर जिले में वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियां बनाने के कितने-कितने एवं किन-किन स्थानों के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की पंचायत समिति सिलोरा एवं अराई के कौन-कौन से ग्राम पंचायत मुख्यालय ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित हैं या अन्य ग्राम पंचायतों के साथ जुड़े हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भागीरथ चौधरी)

(4) क्या पंचायत समिति अराई मुख्यालय पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति संचालित है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

प्रत्येक पंचायत समिति में एक क्रय-विक्रय सहकारी समिति के गठन के क्रम में विभागीय मापदण्डों (परिशिष्ट-2) के अनुसार नवीन समितियों की आर्थिक सक्षमता होने पर प्रत्येक पंचायत समिति में नई क्रय-विक्रय सहकारी समिति के गठन बाबत कार्यवाही की जायेगी।

(2) अजमेर जिले में गत वित्तीय वर्ष 2009 से 2014 तक 29 नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। (सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है)

अजमेर जिले में गत वित्तीय वर्ष 2009 से 2014 तक तीन नवीन क्रय विक्रय सहकारी समिति-पीसांगन, अराई (मुख्यालय सरवाड़) एवं भिनाय (मुख्यालय बांदनवाडा) में खोलने के प्राप्त हुए थे।

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) स्थित पं.स. सिलोरा (किशनगढ़) एवं पं.स. अराई की निम्नानुसार ग्राम पंचायत मुख्यालय ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वंचित हैं-

<u>पं.स. सिलोरा</u> : 1. बुहारू, 2. खातोली, 3. मालियों की बाडी, 4. रलावता, 5. सलेमाबाद, 6. काढा।

<u>पं.स. अराई</u> : 1. झिरोता, 2. कालानाडा, 3. कटसुरा, 4. सिरोज, 5. बोगादित 6. दादिया 7. आकोडिया।

(4) जी नहीं। पंचायत समिति अराई में नवीन क्रय विक्रय सहकारी समिति के गठन से सम्बन्धित विभागीय मापदण्डों की पूर्ति नहीं होने के कारण नवीन क्रय विक्रय सहकारी समिति का गठन नहीं किया गया है।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

(5) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-1 के अनुसार हैं।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जमवारामगढ़ में ए पी एल/बी पी एल परिवारों को गेहूं व आटे का वितरण

180. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा ए पी एल/बी पी एल परिवारों को आटा/गेहूं का वितरण किया जाता है? यदि हां, तो किस योजना के तहत? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गत दो वर्षों में उक्त कार्य हेतु कितना-कितना गेहूं किस-किस फर्म द्वारा कब-कब उपलब्ध करवाया गया? पंचायतवार उपलब्ध कराये गये गेहूं की मात्रा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक कितना गेहूं/आटा कितने परिवारों को वितरित किया गया? लाभार्थियों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत वर्ष सरकार द्वारा उक्त योजना के तहत किस-किस फर्म को कितनी राशि का भुगतान किया गया? फर्मवार किये गये भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों (बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल., अन्त्योदय सहित) को प्रति माह खाद्यान्न (गेहूं) वितरण करती है। योजना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वर्तमान में ए.पी.एल./बी.पी.एल. परिवारों को आटा वितरण नहीं किया जा रहा है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विगत दो वर्षो अर्थात् 2013 एवं 2014 में फर्मो द्वारा उपलब्ध कराये गये गेहूं व आटे का माहवार तथा पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विगत दो वर्षों अर्थात् 2013 एवं 2014 में उपलब्ध कराये गये गेहूं व आटे के लाभार्थियों को वितरण का माहवार तथा पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) फोर्टीफाइड आटे का वितरण माह जनवरी, 2013 से सितम्बर, 2013 तक किया गया है, जिसके पेटे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुसार 5.00 रुपये प्रति किलो की दर से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया। उक्त अवधि में विभिन्न फर्मों को कुल 1,105,135.20 रुपये का भुगतान किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। शेष अवधि में गेहूं का वितरण किया गया है, जिसके पेटे किसी फर्म को भुगतान नहीं किया गया है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मेवाड काम्प्लेक्स के तहत चिह्नित पर्यटक स्थलों का विकास

181. श्री अमृत लाल (सलूम्बर) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर सम्भाग में मेवाड़ काम्प्लेक्स के तहत चिह्नित पर्यटक स्थलों को जीर्ण-शीर्ण होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार महाराणा प्रताप की तृतीय राजधानी चावण्ड के ऐतिहासिक महल, प्रताप की मूर्ति तथा स्मारक स्थल पर पूर्ण सुरक्षा, साज-सज्जा व पर्यटन रूप में विकसित कर खण्डहर हो रहे ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियों, महलों व स्मारक को संरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उदयपुर सम्भाग में स्थित मेवाड़ काम्प्लेक्स के अन्तर्गत हल्दीघाटी, गोगुन्दा, दिवेर एवं छापली में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री)

परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की व्यवस्था विभिन्न संस्थाओं अथवा सम्बन्धित ग्राम पंचायत के माध्यम से निम्नानुसार करायी जा रही है:-

1. हल्दीघाटी - महाराणा प्रताप स्मृति संस्थान, हल्दीघाटी।
2. गोगुन्दा - स्व. नरेन्द्रसिंह झाला सेवा संस्थान, उदयपुर।
3. दिवेर - महाराणा प्रताप विजय स्मारक संस्थान, दिवेर
4. छापली - ग्राम पंचायत, छापली।

चावण्ड में जिला प्रशासन द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत वृक्षारोपण व विकास के अन्य कार्य कराये जा रहे हैं।

विभाग द्वारा उक्त स्थलों पर निर्मित करायी गयी परिसम्पत्तियों के भविष्य में रख-रखाव एवं संचालन के लिए उपयुक्त संस्थाओं के चयन हेतु रुचि-की-अभिव्यक्ति (EOI) हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है, जिसके प्रत्युत्तर में हल्दीघाटी एवं दिवेर के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो प्रक्रियाधीन हैं।

उदयपुर सम्भाग में स्थित मेवाड़ काम्प्लेक्स के अन्तर्गत हल्दीघाटी, गोगुन्दा, दीवेर, छापली व चावण्ड के पर्यटक स्थलों के संरक्षण एवं विकास हेतु राशि रु. 7.93 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार कर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 30.12.2014 को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है। परियोजना में प्रस्तावित कार्यों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। चावण्ड का ऐतिहासिक महल व प्रताप स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार के अधीन हैं। यहां पर उनके द्वारा वर्तमान में पर्यटकों के आवागमन के लिए मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा चावण्ड महल के अवशेषों के संरक्षण कार्य के लिए वर्ष 2015-16 हेतु योजना प्रक्रियाधीन है।

पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रेषित की गयी है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में प्रस्तावित कार्य सम्पादित कराये जा सकेंगे।

परिशिष्ट 'अ'

FORECAST ESTIMATE

NAME OF WORK : DEVELOPMENT WORKS AT MEWAR COMPLEX, RAJASTHAN

S. NO.	NAME OF WORK	ESTIMATED COST
1.	DEVELOPMENT WORKS AT HALDIGHATI	3,71,67,525.00
2.	DEVELOPMENT WORKS AT GOGUNDA	1,63,70,646.00
3.	DEVELOPMENT WORKS AT DEVAIR	1,39,24,600.00
4.	DEVELOPMENT WORKS AT CHAPPLI	53,39,866.00
5.	DEVELOPMENT WORKS AT CHAWAND (SMARAK)	65,33,862.00
	GRAND TOTAL	**7,933,99,239.00**
	SAY RS.	7.93 Crore

General Manager (Works)
Raj Tourisum Dep. Com. Ltd.

उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के पेरिफेरी के गांवों में आवासीय पट्टे देने की योजना

182. **श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के पेरिफेरी के गांवों में वर्षो से निवास कर रहे ग्रामीणों को पट्टा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्राम देईमाता, काया, टीटोडा, उमरडा, डाकण, कोटडा, जाडा, अडवा व सरूपलाइन को शहर से दूर होने पर भी पेरिफेरी में लिया गया है तथा ग्राम लेई, आमन्डी चणबोरा एवं फाता दरा को शहर के नजदीक होने पर भी पेरिफेरी में नहीं लिया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे?

(3) क्या सरकार शहर से दूर स्थित ग्रामों को पेरिफेरी से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पेरिफेरी गांव में निवास कर रहे ग्रामीणों को उनकी खातेदारी भूमि के पट्टे नियमानुसार जारी किये जा रहे हैं तथा राजकीय भूमि

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

के सम्बन्ध में भी वर्तमान में प्रचलित परिपत्र एवं भवन विनियमों के अनुसार पट्टे दिये जाने का प्रावधान है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। पूर्व में पेरिफेरी में सम्मिलित 100 ग्रामों में से 25 ग्रामों की कुल 84.81 हैक्टेयर न्यास भूमि एवं 17 ग्रामों में बिलानाम भूमि पर काबिज 92.80 हेक्टेयर, कुल 177.61 हेक्टेयर भूमि पर निवासरत व्यक्तियों को ग्राम पंचायतों द्वारा नियमानुसार पट्टे दिये जाने हेतु न्यास उदयपुर द्वारा जिला कलक्टर उदयपुर को वर्ष 2013 में अनापत्ति पत्र जारी किया गया था।

(2) जी हां। उदयपुर शहर के मास्टर प्लान-2031 हेतु अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में राजस्व ग्राम उमरडा, दईमाता, काया, किटोडा, डाकन कोटडा, झाडा अडुवा, सुरपलाया को सम्मिलित किया गया है तथा राजस्व ग्राम लई, आम्दरी, चणबोरा, फाटादरा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हैं।

उदयपुर मास्टर प्लान-2031 में राजस्व ग्राम उमरडा में औद्योगिक एवं शैक्षणिक इकाइयों के विकसित होने के कारण इस क्षेत्र को नियोजित विकास की दृष्टि से उमरडा ग्रोथ सेन्टर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अत: राजस्व ग्राम उमरडा को नगरीय क्षेत्र में शामिल किया गया है।

उदयपुर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, उदयपुर-जयसमन्द राज्य राजमार्ग संख्या 32 एवं प्रस्तावित बाइपास सड़क के दक्षिण में लगते हुए क्षेत्र में अनियोजित विकास को नियन्त्रित करने की दृष्टि से इनके मध्य स्थित एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से लगते हुए काया, किटोडा, डाकन कोटडा, झाडा, अडुवा, सुरपलाया, दाईमाता को अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।

राजस्व ग्राम लई, आम्दरी, चाणबोरा, फाटादरा नगरीयकरण योग्य क्षेत्र से दूर होने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से सीधे लगते हुए नहीं होने के कारण इनको अधिसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।

(3) उदयपुर शहर का मास्टर प्लान-2031 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 24.9.13 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। उदयपुर शहर के मास्टर प्लान-2031 के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों को हटाने एवं नहीं हटाने बाबत कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न संख्या-183

(स्थगित)

कोटड़ा (उदयपुर) के राजकीय महाविद्यालय के भवन का निर्माण

184. श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

आदिवासी बहुल क्षेत्र कोटड़ा में राजकीय महाविद्यालय के भवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ व वर्तमान में इस निर्माणाधीन भवन की स्थिति व इस भवन निर्माण हेतु स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

आदिवासी बहुल क्षेत्र कोटड़ा में राजकीय महाविद्यालय के भवन का निर्माण वर्ष 2006 में हुआ था। वर्तमान में इस निर्माणाधीन भवन की स्थिति और भवन निर्माण हेतु स्वीकृत और व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

1- भवन के सभी कक्षा कक्षों का निर्माण हो चुका है;

2- पुस्तकालय भवन का निर्माण नहीं हुआ है;

3- चारदीवारी (परकोटे) का कार्य पृष्ठ भाग में होने के कारण अपूर्ण है।

4- कालेज के निर्माण के लिए 185.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से 158.48 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। (परिशिष्ट 1 व 2 संलग्न)।

परिशिष्ट-1

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ4(261)लेखा/निकाशि/2005/2421-37 दिनांक 21 अक्टूबर, 2005

आदेश

वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 6636 दिनांक 3.10.2005 के तहत कोटडा (उदयपुर) में नवीन राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु 50.00 लाख रुपये की सहमति प्रदान की गई है, जिसको मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को डिपोजिट वर्क हेतु जमा करवाई जानी है।

उक्त राशि निम्नलिखित बजट मद से आहरित की जानी है-

4202- शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01- सामान्य शिक्षा

203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

(01)- भवन

(90)-निर्माण कार्य

17- वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)

राशि को आहरित कर मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के निम्नलिखित डिपोजिट मद में चालान द्वारा जमा करवाया जाना है-

8782- उसी लेखाधिकारी को लेखा भेजने वाली अधिकारी

102- लोक निर्माण प्रेषण

01- खजानों में प्रेषण

अधिशासी अभियंता, ए.डब्ल्यू. 002

सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-2 जयपुर

उक्त स्वीकृति उच्च शिक्षा विभाग की एम.आर. संख्या 3140 दिनांक 7.10.2005 की सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

(दामोदर शर्मा)

आयुक्त

कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट-2

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ4(267)लेखा/निकाशि/2005/90 दिनांक 17 जनवरी, 2006

आदेश

वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 3569 दिनांक 7.10.2005 के तहत कोटडा (उदयपुर) में एवं पोकरण (जैसलमेर) में नवीन राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रत्येक के लिए 1350.00 लाख रुपये (कुल 270 लाख रुपये) की सहमति प्रदान की गई है, जिसको मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को डिपोजिट वर्क हेतु जमा करवाई जानी है।

उक्त राशि निम्नलिखित बजट मद से आहरित की जानी है-

4202- शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01- सामान्य शिक्षा

203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

(01)- भवन

(90)-निर्माण कार्य

17- वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)

राशि को आहरित कर मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के निम्नलिखित डिपोजिट मद में चालान द्वारा जमा करवाया जाना है-

8782- उसी लेखाधिकारी को लेखा भेजने वाली अधिकारी

102- लोक निर्माण प्रेषण

01- खजानों में प्रेषण

अधिशासी अभियंता, ए.डब्ल्यू. 002

सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-2 जयपुर

उक्त स्वीकृति प्रशासनिक विभाग की एम.आर. संख्या 95 दिनांक 16.1.2006 की सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

ह.

(दामोदर शर्मा)

आयुक्त

कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

बगरू (जयपुर) में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही

185. श्री कैलाश वर्मा (बगरू) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू में पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कल-कारखाने कहां-कहां पर कितनी-कितनी संख्या में स्थित हैं और इनसे होने वाले प्रदूषण से स्थानीय नागरिकों को किस-किस तरह की हानि पहुंचती है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बगरू में गत पांच वर्षों में प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों के विरुद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विधान सभा क्षेत्र बगरू में प्रदूषण की सम्भावना वाले 406 उद्योग चिन्हित हैं जिनमें से रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू में 320 उद्योग, रीको औद्योगिक क्षेत्र, रामचन्द्रपुरा में 38 उद्योग व रीको औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर अन्य स्थानों पर 48 उद्योग स्थित हैं। सभी चिह्नित 406 उद्योगों की सूची, पते, उत्पाद एवं वर्गीकरण सम्बन्धी विवरण संलग्नक अ, ब एवं स पर उपलब्ध हैं।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रदूषक पदार्थों के लिये निर्धारित मानकों की पालना नहीं पाये जाने पर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु ही सक्षम है। रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू एवं रीको औद्योगिक क्षेत्र, रामचन्द्रपुरा में स्थित जिन उद्योगों द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में प्रदूषक पदार्थों के लिये निर्धारित मानकों की पालना नहीं पाई गई उनके विरुद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बगरू में पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने के कारण गत पांच वर्षों में प्रदूषण करने वाले 17 उद्योग चिह्नित किए गये हैं, जिनमें से तेरह टायर पायरोलिसिस उद्योग, एक प्लाइबोर्ड उद्योग, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग, एक आटोमोबाइल सर्विस स्टेशन एवं एक क्रैशिंग-ग्राइंडिंग-ड्राइमिक्सिंग उद्योग है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा इन 17 उद्योगों में से 15 उद्योगों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 (अ) व वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (अ) के अन्तर्गत उद्योग बन्द करने एवं विद्युत/जल सम्बन्ध विच्छेद करने तथा 1 उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में सुधार हेतु निर्देश जारी किये गये। अन्य 1 उद्योग की वायु (प्रदूषण निवारण एंव नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत संचालन सम्मति निरस्त की गई है। बन्द करे गये 15 उद्योगों में से 3 उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था स्थापित कर लेने के पश्चात्, दिये गये निर्देशों को प्रभावहीन करते हुए उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत तीनों उद्योगों को संचालन सम्मति जारी की

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

जा चुकी है। अन्य एक उद्योग ने निर्देशों की अनुपालना में प्रदूषण नियंत्रण में सुधार कर लिये हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले सत्रह उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण संलग्नक-द पर उपलब्ध है।

उक्त 17 प्रदूषक उद्योगों के अतिरिक्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अन्य 14 उद्योगों के जल अधिनियम, 1974/ वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत सम्मति आवेदन पत्र वांछित दस्तावेजों के अभाव में निरस्त किये गये तथा 1 उद्योग की सम्मति उद्योग बन्द होने के कारण निरस्त की गई है। इन 15 उद्योगों की सूची संलग्नक-य पर उपलब्ध है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

किशनगंज (बारां) में ब्याज-मुक्त ऋण वितरण में की गई अनियमितता पर कार्यवाही

186. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज, जिला बारां में किसानों को ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करने की एवज में राशि की वसूली की गई है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत?

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों में किसानों को ब्याज-मुक्त ऋण की एवज में राशि वसूलने के प्रकरण सरकार के ध्यान में आये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां के कितने-कितने प्रकरण और उन पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। विगत 3 वर्षों में से ब्याज-मुक्त फसली ऋण योजना वर्ष 2012-13 व वर्ष 2013-14 में लागू थी। उक्त दो वर्षों में केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बारां के सम्बन्ध में ब्याज-मुक्त ऋण की एवज में राशि वसूलने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

(3) ब्याज-मुक्त ऋण की एवज में राशि वसूलने के प्रकरण प्रकाश में नहीं आने के कारण इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रदेश में पर्यटकों हेतु संचालित रेलों की बुकिंग में अनियमितता

187. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में पर्यटकों हेतु संचालित पैलेस-आन-व्हील्स व रायल-पैलेस-आन-व्हील्स की बुकिंग की क्या प्रक्रिया है? गत एक वर्ष में कितनी बुकिंग हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गत वित्तीय वर्ष में हुई बुकिंग में कोई अनियमितता पाई गई है? यदि हां, तो क्या? क्या सरकार द्वारा इस हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पर्यटकों हेतु संचालित पैलेस-आन-व्हील्स व रायल-राजस्थान-आन-व्हील्स की बुकिंग राजस्थान पर्यटन विकास निगम की आरक्षण नीति (अनुलग्नक 'अ') के अनुसार की जाती है।

उक्त नीति के अनुसार बुकिंग निम्नानुसार की जाती है :-

1. आनलाइन बुकिंग प्रक्रिया द्वारा पर्यटक सीधे ही नेट सुविधा के द्वारा शाही गाड़ियों की बुकिंग करवा सकते हैं।
2. राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा अधिकृत जनरल सेल्स एजेन्ट एवं मार्केटिंग एजेन्टों द्वारा दोनों रेलगाड़ियों की बुकिंग निर्धारित नियमों के तहत की जा सकती है।
3. निगम के किसी भी केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय में पर्यटक स्वयं उपस्थित होकर बुकिंग करा सकते हैं।
4. 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि में पैलेस-आन व्हील्स में 2160 पर्यटकों द्वारा बुकिंग कराई गई। इसी अवधि में रायल- राजस्थान-आन-व्हील्स में 722 पर्यटकों द्वारा बुकिंग कराई गई।

(पर्यटन राज्य मंत्री)

(2) जी हां। पैलेस-आन-व्हील्स व रायल-राजस्थान-आन-व्हील्स की बुकिंग वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत मैसर्स लग्जरी होलीडेज/ट्रेन से रुपये 13.16 करोड़ के चैक अनादरित होने/प्राप्त होने पर बैंक में प्रस्तुत नहीं करने सम्बन्धित अनियमितताएं पाई गई हैं। फर्म के विरुद्ध नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट के अन्तर्गत माननीय जिला न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में न्यायिक प्रक्रिया चल रही है।

उक्त प्रकरण के संज्ञान में आने पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम कर्मचारी (आचरण, अनुशासन एवं अपीलीय) नियम 1980 के नियम 13 के अन्तर्गत केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय, नई दिल्ली के महाप्रबन्धक, लेखाकार एवं कैशियर, तीनों कार्मिकों को तुरन्त निलम्बित कर दिया गया एवं उनके स्थान पर अन्य अधिकारियों को पदस्थापित किया गया। साथ ही उनके विरुद्ध राजस्थान पर्यटन विकास निगम कर्मचारी (आचरण, अनुशासन एवं अपीलीय) नियम 1980 के जांच नियम 13 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध तिलक मार्ग, नई दिल्ली थाने में एफ.आई.आर. भी दर्ज करायी गई है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सादुलपुर में मान्यता प्राप्त बी.एड. कालेज

234. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :-

(1) प्रदेश में विगत 5 वर्षों में कितने राजकीय एवं निजी महाविद्यालय खोले गये? उक्त महाविद्यालयों के लिए कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निजी महाविद्यालय खोले जाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में कितने बी.एड. महाविद्यालय मान्यता प्राप्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) बी.एड. महाविद्यालय खोले जाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में विगत 5 वर्षों में खोले गये राजकीय महाविद्यालयों का विवरण परिशिष्ट-1 पर तथा निजी महाविद्यालयों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। उक्त राजकीय महाविद्यालय को आबंटित की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(2) निजी महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में वर्ष 2014-15 की नीति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में मान्यता प्राप्त बी.एड. महाविद्यालयों की सूची परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(4) जी हां। मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(विवरण, प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

संस्कृत शिक्षा को कालेज शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा में पृथक-पृथक किये जाने की योजना

235. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरिसिंह रावत)

क्या यह सही है कि सामान्य शिक्षा में कालेज शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा पृथक्-पृथक् हैं? यदि हां, तो क्या सरकार संस्कृत शिक्षा को भी उक्तानुसार पृथक किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां।

जी नहीं। संस्कृत शिक्षा विभाग को पृथक किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

संस्कृत शिक्षा में अध्यापकों की भर्ती की योजना

236. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2008 के बाद से अब तक संस्कृत शिक्षा में कोई शिक्षक भर्ती नहीं की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार संस्कृत शिक्षा में भर्ती करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि गत 15-20 वर्षों से प्राचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय पद पर पदोन्नति नहीं हुई है तथा जो प्राचार्य पद पर कार्यरत हैं, वे भी पातेय वेतन पा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर सम्भाग के कई विद्यालयों में एक भी प्रथम श्रेणी अध्यापक नहीं होने से पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों का आहरण-वितरण अधिकार स्वयं सम्भागीय शिक्षा अधिकारी जोधपुर देख रहे हैं, जिस कारण प्रशासनिक कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार विद्यालयों में प्रथम श्रेणी अध्यापक लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2008 में जारी विज्ञापन के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अभिशंसित शिक्षकों की भर्ती की गई।

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-I के 235 एवं अध्यापक ग्रेड-II के 755 सीधी भर्ती के पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लगाये गये आक्षेपों के कारण सेवा नियमों में (जिनमें इन पदों का नाम परिवर्तन होना है) संशोधन होने पर ही पद पूर्ति की जा सकेगी।

रीट परीक्षा के सम्बन्ध में निर्णय प्रक्रियाधीन है। रीट परीक्षा के निर्णयोपरान्त अध्यापक ग्रेड-III के पदों की पूर्ति की जा सकेगी।

(2) जी हां। संस्कृत शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण प्राचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय पदों पर पदोन्नति नहीं की जा सकी, जिसके फलस्वरूप विद्यालयों की व्यवस्था के संचालन के लिये पातेय वेतन पर ही प्राचार्य लगाये गये हैं। उक्त पदों पर नियमित पदोन्नति नहीं होने के कारण ये सभी पातेय वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

प्राचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों में प्राचार्य पातेय वेतन पर कार्यरत को हटाने के आदेश दिनांक 9.3.2015 को जारी कर दिये गये हैं।

(3) जी नहीं। जोधपुर सम्भाग में 16 वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालयों में से 8 वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक-I ग्रेड का शिक्षक कार्यरत नहीं है।

सम्भागीय शिक्षा अधिकारी, जोधपुर के पास केवल राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, झाडोली संस्था का ही आहरण-वितरण अधिकार है।

(4) विद्यालयों की क्रमोन्नति हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

श्रीगंगानगर में बरसात के पानी की निकासी हेतु कार्य योजना

237. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर शहर में चल रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से सद्भावना नगर में पानी के जमाव के कारण आबंटित आवासीय भूखण्ड बरबाद हो रहे हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या के निदान के लिये क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

(2) उक्त सद्भावना नगर व अन्य कालोनियों में गंदे पानी की निकासी हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का निर्माण कब तक पूर्ण हो जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या श्रीगंगानगर में बरसात के मौसम में जमा पानी व जल निकासी के लिए उक्त प्लांट पर्याप्त रहेगा अथवा जल निकासी के लिए सरकार की कोई पृथक योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा चक 1 एफ छोटी का मुरब्बा नम्बर 18 व 19 में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो कि सद्भावना नगर योजना से काफी दूरी पर स्थित है।

(2) चक 1 एफ छोटी का मुरब्बा नम्बर 18 व 19, शुगर मिल के पास, पुरानी आबादी, ईदगाह के पास सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का निर्माण कार्य जारी है, जो कि वित्तीय वर्ष 2015-16 तक पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है।

(3) श्रीगंगानगर शहर में प्रथम चरण में तीन एस टी पी का निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है, जो कि शहर की जल वर्षा से एकत्रित निकासी के लिये पर्याप्त रहेगा। साथ ही, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर यू आई डी पी) द्वारा तृतीय चरण में शहर में सीवरेज जल निकासी हेतु सीवर लाइन डाला जाना प्रस्तावित है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा टाउन प्लानिंग एवं डिजाइनिंग हेतु नामित वास्तुकारों का बकाया भुगतान

238. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2005 में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा टाउन प्लानिंग/आर्किटेक्चरल/अरबन डिजाइन हेतु वास्तुकारों का पैनल बनाया गया था? यदि हां, तो किन-किन वास्तुकारों का? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम)

(2) क्या यह भी सही है कि प्राधिकरण द्वारा उक्त अवधि में वास्तुकारों से फार्म हाऊस, आवासीय व व्यावसायिक योजनाएं बनवाई गई थीं? यदि हां, तो उनमें से कौन-कौनसी व कब-कब योजनाऐं प्राधिकरण की कमेटी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं?

(3) प्राधिकरण द्वारा वास्तुकारों से उक्त अवधि में बनवाई गई योजनाओं के भुगतान की क्या शर्तें निर्धारित की गई थीं? शर्तें/अनुबन्ध की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि प्राधिकरण द्वारा योजनाओं को अनुमोदित किये जाने के उपरान्त भी वास्तुकारों को बकाया का भुगतान अभी तक भी नहीं किया गया है? यदि हां, तो किन-किन वास्तुकारों को व क्यों तथा कौन-कौनसी योजनाओं का? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि कुछ वास्तुकारों द्वारा योजनाओं का कार्य पूर्ण कर देने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों का बेचान/नीलामी भी की जा चुकी है? यदि हां, तो किन-किन योजनाओं की व कब-कब?

(6) क्या यह भी सही है कि वास्तुकारों द्वारा योजनाओं का कार्य पूर्ण कर प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों की नीलामी कर देने के बाद भी वास्तुकारों को उनका पूर्ण भुगतान अभी तक भी नहीं किया गया है? यदि हां, तो किन-किन योजनाओं व वास्तुकारों का और क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या अब प्राधिकरण ऐसे वास्तुकारों के बकाया का भुगतान करने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वर्ष 2005 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा टाउन प्लानिंग/आर्किटेक्चरल/अरबन डिजाइन हेतु वास्तुकारों का पैनल बनाया गया था। इस सम्बन्ध में आज्ञा दिनांक 21.10.2005 (परिशिष्ट-1) एवं आज्ञा दिनांक 15.05.2006 (परिशिष्ट-2) जारी की गई थी।

(2) जी हां। उक्त अवधि में वास्तुकारों से निम्नांकित फार्म हाउस, आवासीय व व्यावसायिक योजनाएं बनवाई गई थी :-

(स्वायत्त शासन मंत्री)

क्र. सं.	वर्तमान जोन सं.	योजना का नाम	वास्तुकार फर्म का नाम	प्राधिकरण की कमेटी द्वारा अनुमोदन का दिनांक
1.	14	ग्रुप हाउसिंग योजना ग्राम रातल्या	ऐलीगेन्ट डिजाइन कन्सलटेंट	10.04.2006
2.	9	ग्रुप हाउसिंग योजना ग्राम गोनेर	ऐलीगेन्ट डिजाइन कन्सलटेंट	24.02.2006
3.	11	ग्रुप हाउसिंग योजना ग्राम अचरावाला	ऐलीगेन्ट डिजाइन कन्सलटेंट	10.04.2008
4.	11	ग्रुप हाउसिंग योजना दहमीखुर्द	ऐलीगेन्ट डिजाइन कन्सलटेंट	10.04.2008
5.	11	ग्रुप हाउसिंग योजना ग्राम छितरोली	ऐलीगेन्ट डिजाईन कन्सलटेंट	10.04.2008
6.	13	व्यावसायिक योजना ग्राम अचरोल	ऐलीगेन्ट डिजाइन कन्सलटेंट	08.01.2008
7.	13	संस्थानिक योजना ग्राम जैतपुरा	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	योजना अनुमोदित नहीं हुयी।
8.	14	ग्राम ग्वार/ब्राहम्णान/ जयचन्दपुरा सांगानेर	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	योजना में कुछ समस्या होने के कारण इसका अनुमोदन नहीं हुआ।
9.	13	आवासीय योजना ग्राम नटाटा	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	योजना निरस्त
10.	11	आवासीय योजना ग्राम देवलिया/ हरचन्दपुरा	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	19.08.2008
11.	12बी	योजना स्वप्नलोक	डिजाइन आर्किटेक्ट	31.08.2007

(स्वायत्त शासन मंत्री)

क्र. सं.	वर्तमान जोन सं.	योजना का नाम	वास्तुकार फर्म का नाम	प्राधिकरण की कमेटी द्वारा अनुमोदन का दिनांक
12.	12बी	योजना जाहोता (मूर्तिकार हेतु आवासीय, व्यावसायिक)	एक्सीस	31.08.2007
13.	13ए	योजना जमवारामगढ़	डिजाइन आर्किटेक्ट	20.06.2006
14.	9	योजना सिरोली दांतली	डिजाइन आर्किटेक्ट	24.02.2006
15.	12	योजना हरध्यानपुरा	एक्सीस	10.04.2006
16.	13	योजना गुणावता फार्म हाउस	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	योजना अनुमोदित नहीं हुयी।
17.	13	फार्म हाउस एकान्त विहार	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	24.02.2006
18.	14ए	योजना विमलपुरा व शालिगरामपुरा	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	08.05.2006
19.	12	घेंघा आवासीय योजना	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	10.04.2006
20.	14	योजना मोहब्बतपुरा, रोहिणी तृतीय	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	24.02.2006
21.	14	योजना वाटिका विश्राम विहार	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	दिनांक 24.02.2006 को अनुमोदन पश्चात योजना बाद में निरस्त कर दी गयी।
22.	13	योजना जैतपुरा फार्म हाउस	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	योजना अनुमोदित नहीं हुयी।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

क्र. सं.	वर्तमान जोन सं.	योजना का नाम	वास्तुकार फर्म का नाम	प्राधिकरण की कमेटी द्वारा अनुमोदन का दिनांक
23.	12बी	योजना टाटियावास (आनन्द लोक आवासीय)	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	08.05.2006
24.	13ए	योजना पिताम्बरा	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	06.03.2006
25.	14	अभिनव विहार (बाजडोली)	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	19.09.2008

(3) प्राधिकरण द्वारा वास्तुकारों से उक्त अवधि में बनवाई गई योजनाओं के भुगतान हेतु आज्ञा दिनांक 5.4.2006 द्वारा शर्तें निर्धारित की गई थीं। (परिशिष्ट-3)

(4) जी हां। वास्तुकारों एवं योजनाओं का विवरण जिनमें भुगतान नहीं किया गया है, कारण सहित स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	वर्तमान जोन सं.	योजना का नाम	वास्तुकार फर्म का नाम	भुगतान नहीं होने का कारण
1.	13	आवासीय योजना ग्राम नटाटा	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	योजना अनुमोदित नही होने के कारण 50 प्रतिशत भुगतान नहीं किया गया है।
2.	13	योजना गुणावता फार्म हाउस	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	योजना अनुमोदित नहीं होने के कारण 50 प्रतिशत भुगतान नहीं किया गया है।
3.	13	फार्म हाउस एकान्त विहार	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	योजना को वास्तविक क्षेत्रफल से ज्यादा क्षेत्रफल में सृजित किया गया। अत: 50 प्रतिशत भुगतान नहीं किया गया है।
4.	13	योजना जैतपुरा फार्म हाउस	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	योजना अनुमोदित नहीं होने के कारण 50 प्रतिशत भुगतान नहीं किया गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

क्र. सं.	वर्तमान जोन सं.	योजना का नाम	वास्तुकार फर्म का नाम	भुगतान नहीं होने का कारण
5.	11	ग्रुप हाउसिंग योजना ग्राम अचरावाला	ऐलीगेन्ट डिजाइन कन्सलटेंट	योजना निरस्त होने के कारण वास्तुकार को शेष राशि रुपये 26999/- का भुगतान नहीं किया गया है।
6.	11	ग्रुप हाउसिंग योजना दहमीकुखर्द	ऐलीगेन्ट डिजाइन कन्सलटेंट	योजना निरस्त होने के कारण वास्तुकार को शेष राशि रूपये 20737/- का भुगतान नहीं किया गया है।
7.	11	ग्रुप हाउसिंग योजना ग्राम छितरोली	ऐलीगेन्ट डिजाइन कन्सलटेंट	योजना निरस्त होने के कारण वास्तुकार को शेष राशि रूपये 22575/- का भुगतान नहीं किया गया है।
8.	12	योजना हरध्यानपुरा	एक्सीस	हरध्यानपुरा योजना में 50 प्रतिशत राशि का भुगतान मौका स्थिति में परिवर्तन आने से नहीं किया गया।
9.	13	संस्थानिक योजना ग्राम जैतपुरा	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	योजना अनुमोदित नहीं हुई, अनुमोदित नहीं होने के कारण 50 प्रतिशत राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(5) जी हां। प्राधिकरण द्वारा जिन योजनाओं में भूखण्डों की नीलामी की गई है, का विवरण परिशिष्ट-4 एवं बेचान तथा आबंटन का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(6) जी हां। प्राधिकरण द्वारा कुछ योजनाओं में भूखण्डों की नीलामी भी कर देने के बाद भी वास्तुकारों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, उसका विवरण निम्न प्रकार है:-

(स्वायत्त शासन मंत्री)

क्र. सं.	वर्तमान जोन सं.	योजना का नाम	वास्तुकार फर्म का नाम	भुगतान नहीं होने का कारण
1.	13	फार्म हाउस एकान्त विहार	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	योजना को वास्तविक क्षेत्रफल से ज्यादा क्षेत्रफल में सृजित किया गया। अत: 50 प्रतिशत भुगतान नहीं किया गया है।
2.	12	योजना हरध्यानपुरा	एक्सीस	हरध्यानपुरा योजना में 50 प्रतिशत राशि का भुगतान मौका स्थिति में परिवर्तन आने से नहीं किया गया। नीलामी निरस्त की गई।

(7) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आज्ञा दिनांक 5.4.2006 (परिशिष्ट-3) द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित किये जाने पर ही वास्तुकारों का बकाया भुगतान किया जा सकेगा।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों का नियमन

239. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान चलाकर कृषि भूमि पर बसी कालोनियों के नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी नहीं। फिलहाल प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान चलाकर कृषि भूमि पर बसी कालोनियों के नियमन करने का विचार नहीं है। कृषि भूमि पर बसी कालोनियों के नियमन बाबत सामान्य नियमों एवं प्रचलित परिपत्रों/आदेशों के तहत कार्यवाही की जाकर प्रकरण निस्तारित किये जा रहे हैं।

आमेर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों का निर्माण

240. श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गत 3 वर्षों में कितनी सड़कों का निर्माण व नवीनीकरण कराया गया व किन सड़कों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के गांव, ढाणियों में शेष रही सड़कों का निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विधान सभा क्षेत्र आमेर में गत 3 वर्षों में सड़क निर्माण, नवीनीकरण एवं प्रस्तावित कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के गांव-ढाणियों में शेष रही सड़कों का निर्माण भूमि की उपलब्धता, प्राथमिकता, तकनीकी परीक्षण, गुणावगुण एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर करवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पृथ्वीराज नगर (जयपुर) की विभिन्न कालोनियों का नियमन

241. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पृथ्वीराज नगर, जयपुर में कुल कितनी आवासीय कालोनियां हैं? उक्त आवासीय कालोनियों के नियमन हेतु गृह निर्माण सहकारी समितियों/ विकास समितियों द्वारा किन-किन कालोनियों का रिकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करवा दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जय माता वैष्णो नगर, गजसिंहपुरा, मोनिका विहार, ग्राम मान्यावास व जगदम्बा नगर-बी अजमेर रोड का रिकार्ड सम्बन्धित गृह निर्माण सहकारी समिति अथवा विकास समिति द्वारा जयपुर

(श्री पूरणमल सैनी)

विकास प्राधिकरण में जमा करवा दिया गया है? यदि हां, तो प्रस्तुत रिकार्ड मय नक्शा की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार मोनिका विहार, जय माता वैष्णो नगर व जगदम्बा नगर की कालोनियों को नियमित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? उक्त कालोनियों के नियमन हेतु अब तक की गई कार्यवाही सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनुमोदित एकीकृत मानचित्रानुसार पृथ्वीराज नगर में कुल 742 आवासीय कालोनियां हैं।

विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समिति/विकास समितियों द्वारा पृथ्वीराज नगर जोन-16, 17, 18 व 19 में जिन योजनाओं का रिकार्ड जमा कराया गया है, उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। पृथ्वीराज नगर में स्थित जय माता वैष्णो नगर, मोनिका विहार एवं जगदम्बा नगर-बी का प्रस्तुत रिकार्ड, मय नक्शे की प्रति, परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त योजनाएं नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक: प. 6 (15) नविवि/3/87/पार्ट जयपुर, दिनांक 20.9.2013 एवं दिनांक 30.9.2014 द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पायी जाने पर कैम्प लगाकर आबंटन/पट्टा वितरण की कार्यवाही की जावेगी। आदेशों की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(सूची व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर शहर में बहुमंजिला इमारतों का नियम-विरुद्ध निर्माण

242. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में निजी भवन निर्माता (बिल्डर्स) द्वारा तीस फीट की सड़क पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तीस फीट की सड़क पर जो आवासीय भूखण्ड आबंटित किये गये थे, उन पर बिना प्राधिकरण की अनुमति के बिल्डर्स द्वारा बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया

(श्री हीरालाल नागर)

जा रहा है? यदि हां, तो ऐसे बिल्डर्स के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार तीस फीट तथा चालीस फीट चौड़ी सड़क पर कितने फीट की ऊंचाई तक फ्लैटों का निर्माण किया जा सकता है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनिमय 2010 के अनुसार नियम 2.34 के अन्तर्गत बहुमंजिला भवन से आशय ऐसे भवन से है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो, अभिप्रेत है। नियम की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) 30 फीट चौड़ी सड़क पर फ्लैट्स का निर्माण भवन विनियमों के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है। 40 फीट चौड़ी सड़क पर अधिकतम 15 मीटर ऊंचाई के फ्लैट्स का निर्माण अनुज्ञेय है, बशर्ते भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर हो। विनियम 8.11 की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

विनियम 2.14 के अनुसार फ्लैट्स से तात्पर्य 12 मीटर एवं इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर 750 वर्गमीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्डों पर एक से अधिक निवास इकाइयों/आवास समूहों के निर्माण से है। विनियम 2.14 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

डग में एनिकट/बांध बनाने की कार्य योजना

243. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डग में बड़ी-बड़ी नदियां तथा पानी के प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदियों व प्राकृतिक स्रोतों पर बांध तथा बड़े एनिकट बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डग में पानी की अत्यधिक मात्रा को देखते हुए डोडी व मंगवालिया के पास बांध बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डग विधान सभा क्षेत्र में स्थित आहू एवं उसकी सहायक नदियों पर वर्तमान में तीन मध्यम एवं दो लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान दो बड़े एनिकट निर्माण के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। आहू सब बेसिन में फोरवाटर कन्सेप्ट अन्तर्गत 15 माइक्रो लघु सिंचाई परियोजनाए एवं 31 चैक डैम के कार्य निर्माणाधीन हैं। कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डग में डोडी व मंगवालिया के पास वर्तमान में कोई सिंचाई परियोजना प्रस्तावित नही है।

परिशिष्ट 'अ'

मध्यम/लघु/माईको परियोजना/एनिकट/चैक डैम की सूचना (आहू रिवर)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत लाखों में	भराव क्षमता (मि. क्यू. मी.)	सीसीए हैक्टेयर में	वर्तमान स्थिति
	मध्यम सिंचाई परियोजना				
1	पिपलाद	9120.65	24.14	4688.00	बांध व मुख्य नहरें पूर्ण कार्य प्रगति पर
2	गागरीन	18529.00	52.60	7943.00	बांध कार्य प्रगति पर
3	राजगढ	19212.00	58.29	6827.00	बांध कार्य प्रगति पर
	लघु सिंचाई परियोजना				
1	भीमनी	5173.00	12.10	1948.00	बांध कार्य पूर्ण, नहरों का कार्य प्रगति पर
2	रेवा	6830.00	12.00	1708.00	
	माइक्रो सिंचाई परियोजना				
1	लोलदा	230.07	0.1129	17.20	निर्माणाधीन
2	रतनपुरा	278.52	0.1578	23.50	निर्माणाधीन
3	ऐरीखेडा	242.70	0.0803	12.15	निर्माणाधीन
4	पडासली	261.53	0.0635	9.70	निर्माणाधीन
5	राजपुरा	332.33	0.952	14.42	निर्माणाधीन

(जल संसाधन मंत्री)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत लाखों में	भराव क्षमता (मि. क्यू. मी.)	सीसीए हेकटेयर में	वर्तमान स्थिति
6	गुराडियाकलां	391.63	0.0968	14.58	बांध कार्य पूर्ण
7	सरोद-I	245.36	0.0792	11.93	निर्माणाधीन
8	सरोद-II	781.87	0.3955	60.04	निर्माणाधीन
9	आक्याखेडी	203.00	0.0464	24.00	बांध कार्य पूर्ण नहर का कार्य प्रगति पर
10	रनायरा	342.70	0.0803	12.15	
11	हरनावदा	483.00	0.1561	81.00	
12	किशननगर	430.00	0.1575	80.00	बांध व नहर का कार्य प्रगति पर है
13	लुहारिया	299.00	0.1760	89.07	कार्य प्रगति पर
14	सालरिया	166.00	0.1410	60.73	कार्य प्रगति पर
15	गुराडियाकलां II	125.50	0.070	32.29	कार्य प्रगति पर
	एनिकट				
1	लालजी का खेडा एनिकट	213.52	0.42	अप्रत्यक्ष लाभ	तकनीकी तखमीने प्रस्तुत कर दिये गये हैं
2	पिपल्या एनिकट	261.80	0.149	अप्रत्यक्ष लाभ	
	चैक डैम				
3	गुराडियाकलां माइक्रो के डाउन स्ट्रीम में 6 नम्बर	377.78	0.03	अप्रत्यक्ष लाभ	5 कार्य पूर्ण 1 कार्य प्रगति पर
4	राजपुरा माइक्रो के डाउन स्ट्रीम में 9 नम्बर	652.57	2.78	अप्रत्यक्ष लाभ	2 पूर्ण 7 कार्य प्रगति पर
5	हरनावदा माइक्रो के डाउन स्ट्रीम में 5 नम्बर	338.61	1.08	अप्रत्यक्ष लाभ	4 पूर्ण 1 प्रगति पर

(जल संसाधन मंत्री)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत लाखों में	भराव क्षमता (मि. क्यू. मी.)	सीसीए हैकटेयर में	वर्तमान स्थिति
6	आकयाखेडी माइक्रो के डाउन स्ट्रीम में 4 नम्बर	333.76	0.98	अप्रत्यक्ष लाभ	कार्य पूर्ण
7	किशन नग माइक्रो के डाउन स्ट्रीम में 7 नम्बर	669.53	2.87	अप्रत्यक्ष लाभ	5 कार्य डैम पूर्ण 2 का कार्य प्रगति पर।

जमवारामगढ़ बांध में पानी लाने की कार्य योजना

244. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चम्बल नदी की सहायक मेज नदी से जमवारामगढ़ बांध में पानी लाने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है? यदि हां, तो कब? प्रस्तावित कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के टेण्डर जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब? टेण्डर की शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त योजना को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चम्बल नदी की सहायक मेज नदी में वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध जल को लिफ्ट कर रामगढ़ बांध में लाने हेतु प्रस्ताव वैचारिक रूप से परिकल्पित किया गया था। वर्ष 2013-14 के दौरान परिकल्पित प्रस्ताव से सम्बन्धित डी.पी.आर. कार्य की निविदा आमंत्रित की गयी थी परन्तु कोई भी एजेन्सी तकनीकी रूप से योग्य नहीं होने से क्रियान्विति नहीं हो सकी।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) जी नहीं। केवल डी.पी.आर. हेतु निविदा वर्ष 2013-14 के दौरान आमंत्रित की गयी थी।

(3) वर्तमान में बहुउद्देशीय परियोजना परिकल्पित की गई है, जिसमें पार्बती-कालीसिंध नदियों को बनास, गम्भीर एवं पार्वती नदियों से जोड़ने के प्रस्ताव की डी.पी.आर. तैयार करने हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस प्रस्ताव में रामगढ बांध में पानी लाने हेतु भी प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है। परियोजना techno-economically उपादेय पाये जाने पर अग्रिम कारवाई की जानी प्रस्तावित है।

जालौर जिले में पेंशन योजना में व्यय राशि

245. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जालौर जिले में अक्टूबर, 2013 में कितने लोगों को वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेंशन स्वीकृत की गई? पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में जनवरी, 2014 से सितम्बर, 2014 तक किस-किस माह में कितने लोगों को पेंशन दी गई एवं इसमें कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत जालौर जिले में माह अक्टूबर, 2013 में पेंशन की निम्न श्रेणियों (केन्द्र एवं राज्य की सम्मिलित) में स्वीकृत किये गये आवेदनों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	श्रेणी	स्वीकृत आवेदन
1.	वृद्धावस्था	3036
2.	विधवा	243
3.	विशेष योग्यजन	258

(2) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत जनवरी, 2014 से सितम्बर, 2014 तक पेंशन लाभार्थियों की संख्या एवं इस पर की गयी व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्रम सं.	श्रेणी	किस माह तक	लाभार्थियों की संख्या	व्यय राशि (लाखों में)
1.	वृद्धावस्था	सितम्बर, 2014	1,19,506	5,684.84
2.	विधवा	सितम्बर, 2014	16,846	676.68
3.	विशेष योग्यजन	सितम्बर, 2014	9,823	429.31

प्रश्न संख्या-246

(स्थगित)

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय हेतु संचालित योजनाएं

247. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या-क्या योजनाएं/ कार्यक्रम संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यक्रम/योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को किस-किस कार्यक्रम/योजना/मद के लिए सहायता राशि प्राप्त हुई और उसमें से राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त तीन वर्षों में आयोजना एवं गैर-आयोजना मद में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण व उत्थान हेतु किस-किस मद में कितनी – कितनी राशि का प्रावधान किया गया और उसमें में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण व उत्थान हेतु कौन-कौनसी योजनाएं/कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं? उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक किस-किस व्यक्ति/संस्था को किस प्रकार से लाभान्वित किया गया और उनको कितनी-कितनी राशि की सहायता/अनुदान का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए वर्तमान में निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं-

1. अल्पसंख्यक व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक ऋण व शिक्षा ऋण

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

2. अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृतियां
3. अल्पसंख्यक युवाओं हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण
4. अल्पसंख्यक छात्रावासों को संचालन करने वाली संस्थाओं (NGO) को आर्थिक सहायता
5. उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अनुप्रति योजना
6. राजस्थान के 10 ब्लाक तथा 3 अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरी क्षेत्रों हेतु बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
7. मदरसा आधुनिकीकरण योजना

(2) वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को विभिन्न कार्यक्रम/योजना में प्राप्त सहायता राशि एवं व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है -

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

(राशि लाखों में)

योजना/कार्यक्रम	वर्ष 2012-13			वर्ष 2013-14			वर्ष 2014-15		
	प्राप्त बजट	राज्य सरकार का हिस्सा	व्यय राशि	प्राप्त बजट	राज्य सरकार का हिस्सा	व्यय राशि	प्राप्त बजट	राज्य सरकार का हिस्सा	व्यय राशि
एमसीएम छात्रवृति	690.61	-	676.00	749.31	-	693.19	715.00*	-	679.00
पीएमएस छात्रवृति	1586.05	-	1547.11	2296.76	-	2250.07	2989.00*	-	2690.00
स्टेट MCM	0	400.88	400.88	0	240.76	240.76	0	0	0
एमएसडीपी प्रशासन	-	-	-	-	-	-	10.00	-	0.43
एमएसडीपी निर्माण कार्य	-	-	-	-	-	-	2015.46	200.00	550.40
मदरसा आधुनिकीकरण	-	-	-	335.21**	-	-	-	-	327.57
अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को ऋण	2500.00	250.00	2108.00	4000.00	-	2985.00	2000.00 (फरवरी 2015 तक)	250.00	1159.00

नोट - * वर्ष 2014-15 में दोनों प्रकार की छात्रवृति योजनाओं में राशि राज्य सरकार को आबंटित न की जाकर डी.बी.टी. योजनान्तर्गत सीधे छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में शेष छात्र-छात्राओं को भी राशि हस्तान्तरित की जा रही है।

नोट - ** मदरसा आधुनिकीकरण में वर्ष 2013-14 में 335.21 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जो वर्ष 2013-14 में व्यय नहीं हुए । तत्पश्चात 2014-15 में व्यय की पुर्नस्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि में से वर्ष 2014-15 में 327.57 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

(3) सरकार द्वारा उक्त तीन वर्ष में आयोजना मद में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण व उत्थान हेतु विभिन्न मदों में बजट प्रावधित राशि तथा व्यय की गई राशि का विवरण एनेक्सर अ व एनेक्सर ब पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण व उत्थान हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति मैरिट कम मीन्स छात्रव़त्ति स्टेट मेरिट कम मीन्स छात्रवृति एवं राज. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। मदरसों में दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा सहयोगी उपलब्ध करवाये हैं।

वर्ष 2014-15 में नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एसपीक्यूईएम योजना के अन्तर्गत लाभान्वित मदरसा व राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	मदरसे का नाम	राशि (रुपये)
1.	मदरसा अन्जुमन रजा ए मुस्तफा, अन्जुमन कालोनी, नवलगढ़	37,788.36
2.	मदरसा हिदायतुल उलूम, बिचला मो. नवलगढ़	37,788.36
3.	मदरसा इदारा तन्जिम मिल्लत, नवलगढ	37,788.36
4.	मदरसा इदारा इत्तेहादुल मुस्लिमिन, नवलगढ़	37,788.36
	कुल राशि	**1,51,153.44**

वर्ष 2012-13 में नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्वरोजगार ऋण से लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	वितीय वर्ष	ऋणी का नाम	पता	राशि
1.	2012-13	अब्दुल गनी पुत्र मदन खां	ग्राम परसरामपुरा	50,000
2.	2012-13	मो. शकील पुत्र फकरूदीन	नानसा गेट के पास, नवलगढ़	50,000
3.	2012-13	इम्तियाज अली पुत्र हाफीज धोबी	रामदेवरा के पास, नवलगढ़	1,00,000
4.	2013-14	इन्ताज अली पुत्र सदीक	ग्राम बाय	1,00,000
			कुल राशि	**3,00000**

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

वर्ष 2012-13 व 2013-14 में विभिन्न छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में लाभान्वित छात्र-छात्राओं व राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

योजना का नाम	2012-13		2013-14	
	लाभान्वित छात्र-छात्रा	राशि	लाभान्वित छात्र-छात्रा	राशि
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	179	14,47,805	152	11,13,735
मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति	10	2,44,000	15	3,66,000
स्टेट मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति	16	3,79,500	07	1,73,250

नोट - उपरोक्त वर्णित तालिका में छात्रवृत्ति योजनाओं में नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में लाभान्वित छात्र-छात्राओं की सूची एनेक्सर-स एवं एनेक्सर- द पर संलग्न है।

(विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में बाल कल्याण समितियों का गठन

248. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाल सुधार गृहों में अपराधों में लिप्त एवं निर्दोष अनाथ बालकों को साथ-साथ रखा जाता है? यदि हां, तो प्रदेश में कितने बाल सुधार गृह हैं व उनकी क्षमता कितनी है तथा उनमें कितने अनाथ बालक और कित्तने अपराधी हैं? पृथक-पृथक संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में उपरोक्त बाल सुधार गृहों से बालकों के भाग जाने के कितने प्रकरण सामने आये और भागे हुए बालकों में से कितनों को पकड़ा गया?

(3) क्या यह सही है कि नियमानुसार प्रदेश के सभी जिलों में बाल कल्याण समितियां होनी चाहिए? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के सभी जिलों में बाल कल्याण समितियां स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधि से संघर्षरत एवं उपेक्षित बच्चों को एक परिसर में पृथक-पृथक भवन (आवास) कक्षों में रखा जाता है। प्रदेश में वर्तमान में संचालित राजकीय गृहों की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त की सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्रदेश के सभी जिलों में बाल कल्याण समिति का गठन किया जा चुका है। समिति की जिलेवार सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(सूचनाएं पुस्तकालय में रखी गयीं)

जैसलमेर जिले में समर्थन मूल्य के स्थायी खरीद केन्द्र की स्थापना

249. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जैसलमेर जिले में नहरी एवं नलकूपों से विभिन्न फसलों यथा मूंगफली, रायड़ा, ईसबगोल, जीरा, चना तथा अरन्डी की प्रचुर फसल उत्पादन होने तथा विभिन्न आयुर्वेद औषधियों जैसे नींबू, आक, आंवला की पैदावार को देखते हुए क्या सरकार किसानों को उचित दाम उपलब्ध कराने हेतु समर्थन मूल्य (उचित मूल्य) पर स्थायी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भारत सरकार द्वारा 'कृषि मूल्य समर्थन योजना' के अन्तर्गत कृषि उत्पादों के लिए घोषित समर्थन मूल्य की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। प्रश्न में वर्णित कृषि उत्पादों में से चना, मूंगफली एवं रायड़ा (सरसों/रेपसीड) का ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित है। अन्य कृषि जिन्सों- ईसबगोल, जीरा, अरन्डी, नींबू, आक व आंवला का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं है।

भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बाबत मई, 2014 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बाजार मूल्य कम होने पर किसानों को लाभकारी एवं स्थायी मूल्य प्रदान करने हेतु, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा खरीद की जाती है। गैर-खाद्यान्न कृषि उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नैफेड के लिए राजफैड, तिलम संघ आदि संगठनों के मार्फत की जाती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु स्थायी केन्द्र स्थापित किये जाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

परिशिष्ट-1

Minimum Support Prices Recommended by CACP and Fixed by Government (Crop Year)

Commodity	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	Reco	Fixed	Reco	Fixed	Reco	Fixed	Reco	Fixed	Reco	Fixed	Reco	Fixed	Reco	Fixed	Reco	Fixed
KHARIF																
Paddy Common	645	645$	1000	850	950	1000	1000	1000	1080	1080	1250	1250	1310	1310	1360	1360
Paddy (F)/ Grade'A	675	645$	1050	880	980	1030	1030	1030	1110	1110		1280	1345	1345	1400	1400
Jowar-Hybrid	600	600	840	840	840	840	880	880	980	980	1500	1500	1500	1500	1530	1530
Jowar-Maldandi	620	620	860	860	860	860	900	900	1000	1000		1520	1520		1550	1550
Bajra	600	600	840	840	840	840	880	880	980	980	1175	1175	1175	1250	1250	1250
Ragi	600	600	915	915	915	915	965	965	1050	1050	1500	1500	1500	1500	1550	1550
Maize	620	620	840	840	840	840	880	880	980	980	1175	1175	1310	1310	1310	1310
Tur (Arhar)	1550%	1550	2000	2000	2300	2300	2800	3000*	3100	3200*	4000#	3850	3850	4300	4350	4350
Moong	1700%	1700	2520	2520	2760	2760	3170	3170*	3400	3500*	4500#	4400	4500	4500	4600	4600
Urad	1700%	1700	2520	2520	2520	2520	2900	2900*	3300	3300*	4300	4300	4300	4300	4350	4350
Groundnut	1550	1550	2100	2100	2100	2100	2300	2300	2700	2700	3700	3700	4000	4000	4000	4000
Sunflower Seed	1510	1510	2215	2215	2215	2215	2350	2350	2800	2800	3700	3700	3700	3700	3750	3750
Soyabean Black	910	910	1350	1350	1350	1350	1400	1400	1650	1650	2200	2200	2500	2500	2500	2500
Soyabean Yellow	1050	1050	1390	1390	1390	1390	1440	1440	1690	1690	2240		2560	2560	2560	2560
Sesamum	1580	1580	2750	2750	2850	2850	2900	2900	3400	3400	4200	4200	4500	4500	4600	4600
Nigerseed	1240	1240	2405	2405	2405	2405	2450	2450	2900	2900	3500	3500	3500	3500	3600	3600
Medium Staple Cotton	1800	1800	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2800	2800	3600	3600	3700	3700	3750	3750
Long Staple Cotton	2030	2030	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3900	3900	4000	4000	4050	4050
RABI (Marketing seson 2015-16																
Wheat	1000	1000	1080	1080	1100	1100	1120	1120 &	1285£	1285	1285$	1350	1400	1400	1450	1450

Commodity	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	Reco	Fixed	Reco	Fixed	Reco	Fixed	Reco	Fixed	Reco	Fixed	Reco	Fixed	Reco	Fixed	Reco	Fixed
Barley	650	650	680	680	750	750	780	780	980	980	980	980	1100	1100	1150	1150
Gram	1600	1600	1730	1730	1760	1760	2100	2100	2800	2800	3000	3000	3100	3100	3175	3175
Lentil (Masur)	1700	1700	1870	1870	1870	1870	2250	2250	2800	2800	2900	2900	2950	2950	3075	3075
Rapeseed/mustard	1800	1800	1830	1830	1830	1830	1850	1850	2500	2500	3000	3000	3050	3050	3100	3100
Safflower	1650	1650	1650	1650	1680	1680	1800	1800	2500	2500	2800	2800	3000	3000	3050	3050
OTHER COMMERCIAL CROPS																
Jute (TDS)	1250	1250	1375	1375	1575	1575	1675	1675	2200	2200	2300	2300	2400	2400	2700	2700
Sugarcane	81.18	81.18	129.84	129.84	139.12	139.12	145	145	170	170	210	210	220	220	230	230
Copra (Milling)	3660	3660	4450	4450	4450	4450	4525	4525	5100	5100	5100	5250	5250	5250	5550	5550
Copra (Ball)	3910	3910	4700	4700	4700	4700	4775	4775	5350	5350	5350	5500	5500	5500	5830	5830

$: Additional bonus of Rs 100 per quintal

#: Additional bonus of Rs 50 per quintal

$: Additional bonus of Rs 50 per quintal

%: Additional bonus of Rs 40 per quintal

@: Additional bonus of Rs 100 per quintal is subject to the condition that state Government fully exempt this bonus amount from all state taxes and levies

*: Additional Bonus of Rs 500 per quintal for market arrivals within the first two months of harvesting

^: Staple length (mm) of 24.5-25.5 and micromere value of 4.3-5.1

^^: Staple length (mm) of 29.5-30.5 and micromere value of 3.5.-4.3.1

&: Additional bonus of Rs 50 per quintal

$: 10 percent bonus if exports are banned and in a revised recommendation bouns of Rs 40 per quintal subject to liquidation of 15 million tones of Central Pool stocks

$: The nomenclature SMP has been changed to Fair and Remunerative Price (FRP) since 2009-10, based on 9.5 percent recovery ratio.

Revised later to Rs 3850 per quintal for tur and Rs 4400 per quintal for moong

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं वितरण में अनियमितता

250 श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलो गेहूं वितरित किया जा रहा है।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना का कई अपात्र व्यक्तियों द्वारा भी लाभ उठाया जा रहा है? यदि हां, तो इस पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2 रुपये किलो गेहूं प्राप्त कर रहे हैं और इसमें कितने प्रतिशत परिवार अपात्र होने के बावजूद भी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं? क्या सरकार जिन व्यक्तियों ने गलत रूप से गेहूं वितरित किया है अथवा सत्यापन किया है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलो गेहूं वितरित किया जा रहा है।

(2) जी हां। उक्त योजना में अपात्र लोगों के चयन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा पात्र का चयन एवं अपात्र का निष्कासन कर खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की सूचियों के शुद्धिकरण की कार्यवाही भामाशाह शिविरों के दौरान प्रदेश के जिला एवं पंचायत स्तर तक की जा रही है।

(3) प्रदेश में माह सितम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार 1,14,66,724 परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलो की दर से खाद्यान्न (गेहूं) प्राप्त कर रहे हैं। पात्र व्यक्तियों के सत्यापन एवं अपात्र व्यक्तियों के निष्कासन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अपात्र परिवारों की पहचान की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ही विवरण दिया जा सकता है।

प्रदेश में मूल्य नियामक आयोग का गठन

251. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

क्या सरकार प्रदेश में वस्तुओं के अस्थिर मूल्यों के निर्धारण हेतु मूल्य नियामक आयोग का गठन किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में प्रदेश में वस्तुओं के मूल्यों के विनियमन हेतु राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) अधिनियम, 2014 प्रभावी है। उक्त अधिनियम में वस्तुओं के अस्थिर मूल्य के निर्धारण हेतु मूल्यों नियामक आयोग के गठन सम्बन्धी प्रावधान नहीं हैं।

अनूपगढ़ में किसानों को फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा

252. श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों से फसल बीमा का पैसा वसूला जाता है?

(2) क्या फसल खराब होने पर उक्त बैंक किसानों को मुआवजा देते हैं? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(3) गत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में कितने किसानों को फसल बीमा के अन्तर्गत मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार फसल बीमा योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के शेष रहे किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सहकारी बैंक से ऋण लेने वाले किसानों से कृषि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार फसल बीमा हेतु निर्धारित प्रीमियम की राशि वसूल की जाती है।

(2) जी नहीं। बैंक द्वारा फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाता है। कृषि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों को फसल खराब होने पर मुआवजा दिया जा रहा है।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

(3) विगत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में किसानों को फसल बीमा के अन्तर्गत दिये गये मुआवजे की विगत परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) विगत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ में बीमा कम्पनी से प्राप्त बीमा क्लेम की राशि का भुगतान कर दिया गया है और बैंक स्तर से किसी भी किसान का मुआवजा दिया जाना शेष नहीं है।

परिशिष्ट-1

विगत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में किसानों को फसल बीमा के अन्तर्गत दिये गये मुआवजे की विगत राशि

क्रम संख्या	वर्ष	खरीफ		रबी	
		(कृषक संख्या)	राशि	(कृषक संख्या)	राशि
1	2009-10	2723	581903447	शून्य	शून्य
2	2010-11	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	2011-12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	2012-13	7261	2567873	120	156372
5	2013-14	3043	687002	137	1035000

ह.
संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)
सहकारी समितियां राजस्थान
जयपुर

जयपुर शहर में संचालित पर्यटन विकास निगम के रेस्टोरेंट

253. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के रेस्टोरेंट कहां-कहां पर कब से संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नाहरगढ़ कैफेटेरिया को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(3) क्या यह भी सही है कि हवामहल और सिसोदिया रानी बाग़ में रेस्टोरेंट खोलने हेतु कोई प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो क्या व उक्त स्थानों पर सरकार का कब तक रेस्टोरेंट खोलने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा निम्नलिखित होटल/रेस्टोरेंट संचालित हैं :-

1. होटल गणगौर, (एम.आई. रोड, जयपुर) में दिनांक 01.04.1979 से संचालित है;
2. होटल तीज, (बनीपार्क, जयपुर) में दिनांक 01.04.1979 से संचालित है;
3. होटल स्वागतम, (रेलवे स्टेशन के सामने, जयपुर) में दिनांक 01.04.1979 से संचालित है; एवं
4. कैफेटेरिया पडाव, (नाहरगढ़, जयपुर) में दिनांक 18.05.1982 से संचालित है।

(2) जी हां। नाहरगढ़ महल के मुख्य भवन के निकट राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा पुरातत्व विभाग की स्वीकृति से दुर्ग कैफेटेरिया संचालित था, जिसे पुरातत्व विभाग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 30.11.2014 से बंद कर दिया गया है।

(3) हवामहल एवं सिसोदिया रानी के बाग में रेस्टोरेंट खोलने हेतु पुरातत्व विभाग से प्रस्ताव उनके अनुरोध पत्र दिनांक 18.6.2013 से प्राप्त हुआ था। इन स्थानों पर रेस्टोरेंट संचालित करने की फीजिबिलिटी नहीं होने के कारण राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा रेस्टोरेंट संचालन की कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रदेश के संग्रहालयों से प्राप्त आय

254. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में म्यूजियम एवं पुरातात्विक महत्व के संग्रहालय कहां-कहां संचालित हैं? उक्त संग्रहालय, म्यूजियम कितने-कितने समय से संचालित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(2) प्रदेश में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2015 तक कितनी आय किस-किस म्यूजियम/संग्रहालय से प्राप्त हुई? म्यूजियमवार वर्षवार आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदेश के प्रत्येक म्यूजियम के रख-रखाव एवं अन्य सुविधाओं हेतु कितना-कितना बजट आबंटित किया गया एवं उक्त बजट का किस-किस मद में किस प्रकार से उपयोग किया गया? म्यूजियमवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुरातत्व विभाग द्वारा प्रदेश में पुरातात्विक महत्व के 18 संग्रहालय तथा 2 कला दीघाएं संचालित हैं, जिनकी जिलेवार सूची तथा स्थापना सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-1 पर है।

(2) विभाग द्वारा संचालित संग्रहालयों से जनवरी 2009 से जनवरी 2015 तक हुई आय का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर है।

(3) वर्ष 2014-15 में प्रदेश स्थित विभागाधीन संग्रहालयों के रखरखाव, संरक्षण, विकास कार्यों एवं अन्य सुविधाओं हेतु आबंटित बजट एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-3 पर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के छोटे शहरों के लिए नियमित विमान सेवा शुरू करने की योजना

255. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या नागरिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश के छोटे शहरों से नियमित विमान सेवा शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या जयपुर जिले के कोटपूतली एवं शाहपुरा को भी इसमें सम्मिलित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त सेवा प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या प्रगति हो चुकी है एवं क्या कार्य किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दिल्ली-जयपुर के बीच जारी उड़ानों की संख्या को बढ़ाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। फिलहाल जहां हवाई पट्टियां उपलब्ध हैं, वहीं विमान सेवा प्रारम्भ करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। वर्तमान में जयपुर से दिल्ली के बीच पर्याप्त हवाई सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

प्रश्न संख्या-256

(स्थगित)

रा.उ.प्रा. विद्यालय, खातीपुरा (सांगानेर) के शिक्षकों का बकाया मेडिकल बिलों का भुगतान

257. श्री कैलाश वर्मा (बगरू) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2012 से 31 जनवरी, 2015 तक ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सांगानेर, जयपुर को शिक्षकों के मेडिकल बिलों के भुगतान हेतु कितना-कितना बजट आबंटित किया गया? वर्षवार आबंटित राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि शिक्षकों के अनुपात में उक्त बजट कम पड़ता है? यदि हां, तो इस समस्या के निदान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

(3) क्या सरकार द्वारा मेडिकल बिलों के भुगतान हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो क्या?

(4) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खातीपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर के शिक्षकों के मेडिकल बिलों का भुगतान गत चार वर्षों से नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों व इसके क्या कारण रहे? क्या समय पर भुगतान न करने के लिये कोई अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(5) उक्त विद्यालय के किन-किन शिक्षकों के कितनी-कितनी राशि के बिल कब से बकाया हैं व सरकार द्वारा उक्त का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सांगानेर, जयपुर को चिकित्सा मद में आबंटित राशि का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	आबंटित राशि (सहस्र रुपयों में)
1	2012-13	748.00
2	2013-14	1002.67
3	2014-15	682.52

(2) शिक्षकों के अनुपात में चिकित्सा राशि हेतु बजट आबंटन का मानदण्ड निर्धारित नहीं है। अपितु उपलब्ध वित्तीय प्रावधान के तहत चिकित्सा राशि का बजट आबंटन किया जाता है।

(3) जी नहीं। चिकित्सा पुनर्भरण के दिनांक 16.9.2013 से पूर्व के प्रकरणों में राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008 तथा उक्त तिथि के बाद के प्रकरणों में राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 के अनुसार पुनर्भरण की कार्यवाही की जाती है।

(4) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खातीपुरा पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर के श्री दिनेश कुमार शर्मा अध्यापक का केवल 233/- रुपये के चिकित्सा पुनर्भरण बिल कालातीत होने के कारण वर्ष 2010-11 से भुगतान किया जाना शेष है। इस विलम्ब के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं है। कार्मिक द्वारा वांछित आक्षेप पूर्ति किये जाने पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानान्तर्गत चिकित्सा पुनर्भरण किया जा सकेगा।

(5) उक्त विद्यालय के श्री दिनेश कुमार शर्मा के वर्ष 2010-11 के 233/- रुपये तथा वर्ष 2014-15 के 20,934/- रुपये के चिकित्सा पुनर्भरण किये जाने बकाया हैं। विभाग द्वारा ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सांगानेर को बजट आबंटित करा दिया गया है।

बांदीकुई में खेल मैदान रहित विद्यालय

258. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती अलका सिंह)

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के किस-किस विद्यालय में किस-किस प्रकार के खेलों का संचालन किया जा रहा है एवं उक्त खेलों के संचालन हेतु सरकार द्वारा वर्तमान में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं? विद्यालयवार संचालित एवं उपलब्ध खेल सुविधाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जहां पर खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध है और कौन-कौन से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार द्वारा खेल मैदान-रहित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान उपलब्ध करवाने हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है एवं उक्त विद्यालयों में अब कब तक खेल मैदान उपलब्ध करवा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के विद्यालयों में संचालित खेलों एवं उपलब्ध सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध खेल मैदान का विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बसवा; राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बांदीकुई एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नांगल झामरवाड़ा के अतिरिक्त समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकतानुसार खेल मैदान उपलब्ध हैं। उपरोक्त तीन विद्यालयों हेतु खेल मैदान आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर जिले में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

259. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में शिक्षकों के कितने पद सृजित हैं एवं माध्यमिक शिक्षा अजमेर में कितने व किन-किन श्रेणियों के पद रिक्त हैं? उक्त पदों को भरने के लिए सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेश सिंह रावत)

(2) अजमेर जिले में गत 1 वर्ष में किन-किन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया व इनके क्रमोन्नत करने के मानदण्ड क्या हैं? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्वीकृत पद निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद
1	द्वितीय श्रेणी अध्यापक	30806
2	तृतीय श्रेणी अध्यापक	220020
3	शारीरिक शिक्षक	10706
4	प्रबोधक	24861

माध्यमिक शिक्षा :-

माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रदेश में शिक्षकों के सृजित पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद
1	प्रधानाचार्य समकक्ष	4586
2	प्रधानाध्यापक	9442
3	व्याख्याता	33028
4	शा. शिक्षक ग्रेड-I	265
5	अध्यापक ग्रेड-II	69884
6	शा. शिक्षक ग्रेड-II	3678
7	अध्यापक ग्रेड-III	12583
8	शा. शिक्षक ग्रेड-III	4511

जिला अजमेर में माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 20,000 के रिक्त पद पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्ति किये जाने पर ही भरे जा सकेंगे एवं माध्यमिक शिक्षा के

(शिक्षा मंत्री)

अन्तर्गत रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जा सकेगा।

(2) अजमेर जिले में विगत 1 वर्ष में किसी भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा :-

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत अजमेर जिले में विगत वर्ष में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है तथा मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(विवरण, सूची व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

निवाई के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

260. श्री हीरालाल निवाई (निवाई) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में किस-किस प्रकार के राजकीय विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कितने छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालयों में किस-किस प्रकार के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कौन-कौन से पद कहां-कहां व कब से रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 1 जनवरी, 2009 से 13 दिसम्बर, 2013 तक कितने नये राजकीय विद्यालय कहां-कहां खोले गये और किन-किन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) विधान सभा क्षेत्र निवाई में 13 दिसम्बर, 2013 के पश्चात् नये विद्यालय कहां-कहां खोले गये और किन-किन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में संचालित राजकीय विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(2) उक्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र -छात्राओं का विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है एवं माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) उक्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत, रिक्त एवं कब से रिक्त हैं, का विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत, रिक्त एवं कब से रिक्त हैं, का विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 20,000 के रिक्त पद पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्ति किये जाने पर ही भरे जा सकेंगे एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जा सकेगा।

(4) विधान सभा क्षेत्र निवाई में 1 जनवरी, 2009 से 13 दिसम्बर, 2013 तक कुल 16 राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गये तथा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया, जिनका विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत 1 जनवरी,2009 से 13 दिसम्बर, 2013 तक क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "घ" में सम्मिलित है।

(5) वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान नहीं होने से प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र निवाई में कोई भी नवीन प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गये एवं न ही प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया।

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र निवाई में 13 दिसम्बर,2013 के पश्चात् क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "ड" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बायतू के विद्यालयों में लैपटाप का वितरण

261. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कैलाश चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 8वीं कक्षा के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटाप तथा मेरिट क्रमांक 2 से 11 तक के छात्रों को टैबलेट हेतु राशि दी गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) विधान सभा क्षेत्र बायतू के प्रत्येक विद्यालय में वितरित किये गये लैपटाप व टैबलेट की सूची विद्यार्थियों के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) टैबलेट और लैपटाप बांटने में सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गई?

(4) क्या यह भी सही है कि लैपटाप व टैबलेट बांटने के बाद आगामी 9 वीं कक्षा के परिणाम पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण उन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम नकारात्मक रहा? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। सत्र 2011-12 एवं 2012-13 के लिए राजकीय विद्यालयों की कक्षा 8वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को नोडल अधिकारी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में लैपटाप वितरित किये गये तथा सत्र 2012-13 के लिए कक्षा 8वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को लैपटाप ही उपलब्ध करवाये गये हैं एवं दूसरे से ग्यारहवें स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में टैबलेट हेतु 6000/- प्रति विद्यार्थी की दर से स्कूल प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) के माध्यम से चैक वितरित किये गये।

(2) विधान सभा क्षेत्र बायतू के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में वितरित लैपटाप तथा टैबलेट हेतु चैक का विद्यालयवार एवं विद्यार्थीवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में लैपटाप एवं टैबलेट वितरण हेतु कुल 32,999.51 लाख रुपये व्यय हुए तथा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में लैपटाप पर 8,000.00 लाख रुपये का व्यय किया गया।

(4) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परबतसर की गोदारों की ढाणी में वन भूमि पर अतिक्रमण

262. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि परबतसर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम किनसरिया की गोदारों की ढाणी के पास वन भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं? यदि हां, तो किन-किन लोगों ने कितनी कितनी भूमि पर? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार अविलम्ब उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 24.10.1957 से वन खण्ड माण्डण किनसरिया ए की प्रथम विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें वनखण्ड की चारों सीमायें दी गई हैं, क्षेत्रफल नहीं दर्शाया गया है। (परिशिष्ट-1) तदुपरान्त वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा अन्तिम विज्ञप्ति के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा इस वनखण्ड की अन्तिम विज्ञप्ति दिनांक 26.4.1966 को जारी की गई (परिशिष्ट-2)। इस विज्ञप्ति में ग्राम किनसरिया के 6 खसरा नम्बरों में से 1 खसरा नम्बर 278 चारागाह होने के कारण बाहर निकाला गया एवं शेष पांच खसरा नम्बरों 270, 319, 327, 331 एवं 351 का पूरा रकबा शामिल नहीं कर उनका कुछ भाग छोड़ते हुए, अन्तिम रूप से 405 बीघा 15 बिस्वा या 162-3 एकड़ भूमि ही इस वन खण्ड में शामिल की गई (परिशिष्ट-3)। जिनका खसरा नम्बर व रकबा परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। इस प्रकार घोषित वन क्षेत्र में फेंसिंग की गई है एवं इस घोषित वन क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है।

इन पांच खसरा नम्बरों 270, 319, 327, 331 एवं 351 के वन खण्ड के बाहर रहे अवशेष रकबे को वन विभाग के नाम आबंटित करने हेतु राजस्व विभाग को नहीं लिखा गया एवं न ही राजस्व विभाग द्वारा इस खसरों के अवशेष रकबा का वन विभाग को आबंटन किया गया, परन्तु राजस्व विभाग द्वारा इस वन खण्ड में शामिल इन पांचों खसरा नम्बर का पूरा क्षेत्र वन विभाग के नाम अमल दरामद कर दिया गया। (परिशिष्ट-5) खसरा नम्बर 351 का कुल क्षेत्रफल 193 बीघा 4 बिस्वा वन विभाग के नाम दर्ज किया गया

(वन राज्य मंत्री)

है, जबकि उक्त खसरे का 172 बीघा 10 बिस्वा क्षेत्र ही अन्तिम विज्ञप्ति में घोषित वन क्षेत्र है। इस प्रकार, उक्त खसरे की शेष भूमि 20 बीघा 14 बिस्वा में अतिक्रमण होने के कारण राजस्व विभाग (तहसीलदार, परबतसर) को इस खसरा नम्बर का सीमाज्ञान करवाने हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, परबतसर द्वारा दिनांक 1.7.2014 को पत्र लिखा गया। (परिशिष्ट-6)। तहसीलदार परबतसर द्वारा उक्त खसरा नम्बर का सीमांकन नहीं करवाया गया है। राजस्व विभाग द्वारा विज्ञापित वनखण्ड के बाहर की शेष भूमि का सीमांकन कर वन विभाग को नहीं सम्भलाया गया है। इस कारण यह बताया जाना सम्भव नहीं है कि इस भूमि पर किन-किन लोगों ने कितनी-कितनी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है।

(2) जी हां। राजस्व विभाग द्वारा विज्ञापित वन भूमि के बाहर स्थित खसरों की अवशेष भूमि का सीमांकन कर वन विभाग को नहीं सम्भलाया है। अत: अतिक्रमणों का चिह्नीकरण सम्भव नहीं हुआ है। चिह्नीकरण उपरान्त अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही विधिक प्रक्रिया अनुरूप सम्भव है। अत: इन पक्के अतिक्रमणों को हटाने की समय सीमा बताया जाना युक्तियुक्त नहीं है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में दर्ज अवैध खनन के प्रकरण

263. श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गत दो वर्षों में अवैध खनन के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? उक्त में से कितने प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गयी है तथा कितने प्रकरणों में कितना जुर्माना वसूल किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में अरावली पर्वतमाला में खनन हेतु कितनी स्वीकृति जारी की गयी?

(3) प्रदेश में अवैध खनन को रोकने हेतु कितनी टीमें गठित की गई हैं तथा सरकार द्वारा उक्त टीमों को कितने प्रकरण दर्ज करने का लक्ष्य दिया गया? लक्ष्य व दर्ज प्रकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्रीमती सुशील कंवर)

(4) क्या सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए खनन नीति में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में गत दो वर्षों में अवैध खनन के 4063 प्रकरण दर्ज किये गये । इनमें से प्रकरणों में की गई कार्यवाही तथा वसूल की गई पेनल्टी राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(2) उक्त अवधि में अरावली पर्वतमाला में खनन हेतु स्वीकृतियां जारी नहीं की गईं।

(3) प्रदेश में अवैध खनन को रोकने हेतु 33 खनि अभियन्ता, 16 सहायक खनि अभियन्ता, 12 खनि अभियन्ता (सतर्कता) एवं 30 सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) हैं जिनमें पदस्थापित अधिकारियों एवं तकनीकी कर्मचारियों द्वारा अवैध खनन की रोकथाम की कार्यवाही की जाती है । उक्त टीमों को अवैध खनन की रोकथाम हेतु प्रकरणों की संख्या का कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है । जहां भी अवैध खनन पाया जाय, वहां तुरन्त नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं । उक्त टीमों द्वारा दर्ज प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(4) जी हां । अवैध खनन की रोकथाम हेतु खनिज नीति का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसके अनुसार अवैध खनन की रोकथाम हेतु कठोर प्रावधान लागू किये जाने प्रस्तावित हैं। खनिज नीति का प्रारूप परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है ।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

बहरोड़ में प्रदूषण फैलाने वाली कम्पनियों के विरुद्ध जांच

264. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में स्पिरिट व केमिकल्स की कितनी फैक्टरियां हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त फैक्टरियों में प्रदूषण रोधक संयंत्र लगे हुए हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा गत दो वर्षों में इनकी कब-कब जांच की गई है? फैक्टरीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. जसन्वत सिंह यादव)

(3) सरकार द्वारा की गई जांच के दौरान कितनी फैक्टरियों में अनियमितता पाई गई व दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में स्पिरिट का निर्माण करने वाली दो व केमिकल्स का निर्माण करने वाली दो फैक्टरियां संचालित हैं। उद्योगों का विवरण संलग्नक 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उक्त सभी उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित है । राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उक्त उद्योगों द्वारा की गई प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्थाओं की जांच का विवरण संलग्नक 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) उक्त उद्योगों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान एवं जांच परिणामों में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों/मानकों की पालना नहीं पाये जाने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्नक 'अ' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-166 का विवरण)

परिशिष्ट 'क'

अलवर जिले में निर्मित मेवात आवासीय विद्यालयों में सुविधाओं का विवरण

क्र. सं.	ब्लाक	मेवात आवासीय विद्यालय का नाम	सुविधाओं का विवरण			विशेष विवरण
			पानी	सुरक्षा दीवार	सुरक्षा प्रहरी भवन	
1	उमरैण	मेवात बा.आ.वि. चांदौली	हां	हां	हां	मेवात आवासीय विद्यालयों में निर्माण कार्य ग्रामीण विकास की राशि से जिला परिषद अलवर के माध्यम से कराये जाते है।
2	उमरैण	मेवात बा.आ.वि. महुवा खुर्द	हां	हां	हां	
3	रामगढ़	मेवात बा.आ.वि. सहजपुर	हां	अधूरी	अपूर्ण	
4	रामगढ़	मेवात बा.आ.वि. नंगला बनजीरका	हां	अधूरी	हां	
5	तिजारा	मेवात बा.आ.वि. जरौली	हां	हां	हां	
6	किशनगढ़ बास	मेवात बा.आ.वि. बाधोडा	हां	हां	हां	
7	किशनगढ़ बास	मेवात बा.आ.वि. खानपुर मेवान	हां	हां	अपूर्ण	
8	मुण्डावर	मेवात बा.आ.वि. मातौर	हां	हां	हां	
9	लक्ष्मणगढ़	मेवात बा.आ.वि. जमालपुर	हां (निजी बोरिंग में मोटर लगाकर)	अधूरी	हां	
10	कठूमर	मेवात बा.आ.वि. माणकपुर गोठडी	हां	अधूरी	नहीं	

परिशिष्ट-2

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) की नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना, जो पढ़ी हुई मानी गयी

महवा सहायक अभियंता उप खण्ड में हो रही अनियमितताओं की जांच

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि महवा क्षेत्र में अवैध रूप से ट्रांसफार्मरों को बेचे जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस ओर आपका ध्यानाकर्षित कर निवेदन है कि महवा के ग्राम बाडा बुजुर्ग में घम्मन पुत्र घीस्या के यहां एक 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो एक दलाल से खरीदा है। घम्मन को विद्युत विभाग की तरफ से कोई कनेक्शन स्वीकृत नहीं है। फिर भी एक दलाल ने 20 हजार रुपये लेकर यहं ट्रांसफार्मर दिया है।

इसी प्रकार इसी गांव की जाटव बस्ती में 17 के वी ए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो पैसे देकर खरीदा गया है। इसी गांव के हुकुम पुत्र सुलतान सिंह के चबूतरे पर 5 के वी ए के दो; बाबू मुंशी के मकान के सामने, तेलियों के यहां एक 5 के वी ए का, श्री पटेल के यहां 5 के वी ए का; नन्दकिशोर के मकान के यहां 5 के वी ए का; जगराम पुत्र मीठ्या के यहां 5 के वी ए का; महेश के यहां 5 के वी ए का; एवं दीपराम के यहां 5 के वी ए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो विद्युत विभाग महवा से खरीद कर लगा हुआ है। इसी प्रकार, ज्ञानसिंह गुर्जर पुत्र नवल गुर्जर, ग्राम खेड़ला बुजुर्ग के यहां 5 के वी ए का ट्रांसफार्मर दलालों द्वारा बेचा गया है।

यह पता लगने पर कि ट्रांसफार्मर कैसे बेचे जाते हैं इसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं। महवा क्षेत्र के ग्राम टीकरी किलानोत में पी एच ई डी विभाग द्वारा तीन सिंगल फेज ट्यूबवैल स्वीकृत हुए, जिनमें से दो सिंगल फेज ट्यूबवैल बैरवा बस्ती, टीकरी किलानोत में तथा एक सिंगल फेज ट्यूबवैल टीकरी किलानोत गांव के आई टी केन्द्र के पास 2012 में स्वीकृत हुआ। पूरण बैरवा की ढाणी, टीकरी किलानोत में स्वीकृत सिंगल फेज ट्यूबवैल के डिमांड नोटिस संख्या 7935 दिनांक 28.3.2012 की राशि करीब 80 हजार का डी.एन. कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, जे वी वी एन एल,

मण्डावर में जमा करा दी गई और इसका एस सी ओ भी जारी हो गया, ट्रांसफार्मर भी ठेकेदार को दे दिया गया लेकिन आज दिनांक तक इस सिंगल फेज ट्यूबवैल पर ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। यह ट्रांसफार्मर ठेकेदार ने विभागीय कर्मचारियों से मिलकर बेच दिया।

इसी प्रकार, आई टी केन्द्र, टीकरी किलानोत ट्रांसफार्मर का डी.एन. नंबर 56177/93 दिनांक 8.2.2013 को जमा हो गया, किन्तु आज तक ट्रांसफार्मर आई टी केन्द्र वाले सिंगल फेज ट्यूबवैल पर उपलब्ध नहीं कराया गया। आई टी केन्द्र के इस ट्यूबवैल की बिजली सप्लाई आई टी केन्द्र के ट्रांसफार्मर से की जा रही है तथा इसके लिए स्वीकृत ट्रांसफार्मर को माफियाओं द्वारा बेच दिया गया।

इस प्रकार एक माफिया महवा में विकसित हो गया, जो ट्रांसफार्मर को बेचने में लगा हुआ है। ऐसे लोगों को भी ट्रांसफार्मर दे दिये गये जिनके कनेक्शन नहीं हैं, जैसे ग्राम खोहरामुल्ला के रोशन मीणा पुत्र रामस्वरूप एवं मौजीराम मीणा को ट्रांसफार्मर दे दिये गये। जिस किसी का ट्रांसफार्मर जल जाता है, उनकी फेलयर रिपोर्ट के बाद ट्रांसफार्मर वरीयता के अनुसार दिये जाते हैं, किन्तु महवा में एक टेक्निकल हेल्पर ऋषिकुमार मीना को स्टोर कीपर बना रखा है जो वरीयता तोडकर किसी को ट्रांसफार्मर दे देता है तथा ट्रांसफार्मर बेचने का अवैध कारोबार करता है।

इस प्रकरण की विस्तृत जांच कराई जाए तो बड़ा घोटाला सामने आयेगा। वैसे भी एक टेक्निकल हेल्पर को स्टोरकीपर नहीं बनाया जा सकता। दो कनिष्ठ लिपिक एवं एक वरिष्ठ लिपिक होने के बावजूद भी एक टेक्निकल हेल्पर को स्टोरकीपर बनाया जाना समझ से बाहर है।

अतः उक्त प्रकरण की जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

परिशिष्ट-3

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-16 पर सामान्य वाद-विवाद पर सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

अध्यक्ष महोदय राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2015-16 का बजट पेश किया गया है। यह बजट राजस्थान के विकास को और आगे बढ़ायेगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में निम्न मांग करता हूं।

1. सड़क : रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा विरासत में टूटी हुई सड़कें मिली हैं। जालोर जिले के पांचों विधान सभा क्षेत्रों में रानीवाड़ा में सबसे ज्यादा सड़कें टूटी हुई हैं।

1. भीनमाल उपखण्ड से सांचोर उपखण्ड को जोडने वाली सडक एमडीआर में है, जिसको जन हित में बनाये जाने की आवश्यकता है। इसकी मांग करता हूं।
2. दूसरी सड़क करडा से कुड़ा की है, जिसकी लम्बाई 15 किमी है। यह सड़क रानीवाड़ा उपखण्ड को जोड़ती है।
3. रानीवाड़ा खुर्द से चाटवाड़ा सड़क नाम की रह गई है। यह सड़क माइनिंग क्षेत्र में आती है। यह सड़क रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के बड़े गांव मेडा, सिलासन व लाखावास को जोड़ती है।

2. शिक्षा : रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में एससी एवं एसटी जातियां 29.30 प्रतिशत हैं। जिला जालौर राजस्थान की अन्तरराज्यीय सीमा पर बसा हुआ है, जिला पिछड़ा हुआ है एवं जिले का साक्षरता प्रतिशत राजस्थान में सबसे कम है। राजस्थान राज्य में शिक्षा पर नजर डालें तो वह निम्न प्रकार है :-

राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत- 66.11 प्रतिशत

ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत- 61.44 प्रतिशत

सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला- कोटा 77.48 प्रतिशत

न्यूनतम साक्षरता वाला जिला- जालौर 55.58 प्रतिशत

आदिवासी जिलों में सम्पूर्ण साक्षर जिला- डूंगरपुर है,

महिला साक्षरता का जिले का प्रतिशत 38.73 प्रतिशत

जिले में एससी (अनुसूचित जाति) 19.53 प्रतिशत एवं एसटी (अनुसूचित जन जाति) 9.77 कुल 29.30 प्रतिशत

न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है जालोर, जहां 38.73 प्रतिशत है महिला साक्षरता।

जालौर जिले की भौगोलिक स्थिति एवं ग्रामीण परिवेश, साक्षरता प्रतिशत कम होने के कारण जिले को टी एस पी क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग है। जिले को पिछड़ा क्षेत्र (टी एस पी) घोषित किया जाकर विशेष पैकेज दिये जाने से इस जिले का विकास होगा। वर्तमान में जिला जालोर में शिक्षा का प्रतिशत कम होने से स्थानीय शिक्षित वर्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण सभी विभागों में कर्मचारी/अधिकारी के पद रिक्त पड़े हैं।

साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाये जाने हेतु जालोर जिले में आखर पाठशाला, ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय खोले जावें ताकि स्थानीय स्तर प्राथमिक एवं उच्च स्तरीय शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा। राज्य में 11 जिलों के लिये चलाये जा रहे सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतिम चरण को बढ़ाया जाकर जालौर जिले में विशेष साक्षरता के कार्यक्रम करवाये जावें।

महिला साक्षरता में भी जिला पिछड़ा हुआ है। इस कलंक को मिटाये जाने हेतु साक्षरता के विशेष पैकेज की आवश्यकता है। रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में जन हित में महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने की मांग करता हूं। रानीवाड़ा मुख्यालय पर महाविद्यालय स्वीकृत होने से इसका लाभ सांचोर व रेवदर विधान सभा क्षेत्रों के उच्च शिक्षा पाने वाले छात्रों को भी मिलेगा क्योंकि रानीवाड़ा दोनों स्थानों का मध्य स्थल है।

3. चिकित्सा

जालौर जिला सीमावर्ती जिला होने के कारण चिकित्सा सुविधाओं से महरूम है। मजबूरन पड़ौसी राज्य गुजरात की ओर रुख करना पड़ रहा है। इसके लिये जालौर जिले के लिये ग्रामीण चिकित्सा के लिए अलग ही कैडर निर्धारण किये जाने से जिले से बाहर जाने वाले चिकित्सकों की संख्या में कमी आयेगी।

विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा वर्तमान में चिकित्सा सुविधाओं की कमी महसूस कर रहा है। जसंवतपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अन्त रोगी शैय्या (बेडों) की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 किये जाने की मांग करता हूं। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहां नर्सिंग (ए एन एम) प्रशिक्षण केन्द्र नहीं होने के कारण रानीवाड़ा क्षेत्र एएनएम (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) के पद रिक्त रहते हैं। इसलिये रानीवाड़ा मुख्यालय पर नर्सिंग (ए एन एम) प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की मांग करता हूं।

पूर्ववती सरकार के द्वारा कुडा, जो एक छोटा सा गांव है, जिसमें राजनैतिक कारणों से पी एच सी को स्वीवकृत किया गया था, को सेवाड़ बड़ी ग्राम पंचायत में स्थानान्तरित किये जाने की भी मांग करता हूं। करडापूर्व में सी एच सी घोषित हो चुकी है। इसका भवन अभी तक नहीं बना है। इसके भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृत करवाये जाने की भी मांग करता हूं। रानीवाड़ा मुख्यालय पर शिशु स्वास्थ्य केन्द्र की कमी को देखते हुए शिशु स्वास्थ्य केन्द्र (एमसीएच) खोला जावे ताकि माता एवं शिशु की मृत्यु दर में गिरावट आयेगी। जसवंतपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मेरे द्वारा विधायक कोष से सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाई गई है।

4. नर्मदा- रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति सांचौर की 8 ग्राम पंचायतें (गुन्दाऊ, नैनोल, सरनाऊ, दांता, पूर, पांचला, सांकड, सुरावा) जहां नजदीक से ही नर्मदा नहर निकलती है, इन ग्राम पंचायतों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाये जाने से इन गांवों के किसानों को स्थानीय रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

5. पर्यटन : पश्चिम राजस्थान में मेरे विधान सभा क्षेत्र में श्री सुन्धा माता का मंदिर है, जिसको मिनी वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है और सीमावर्ती गुजरात राज्य में श्री अम्बाजी माता मंदिर है। इन दोनों स्थानों को जोड़कर पर्यटन सर्किट बनाया जावे।

6. एनिकट : विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में राजी का वास बांध स्थित है। यह बांध बहुत ही पुराना है। यह बांध 7 वर्ष पहले ओवरफ्लो होने के कारण फूट गया था। बरसात के दिनों में बांध के पानी से किसानों के खेतों का कटाव हो रहा है। किसानों की मांग को देखते हुए जन हित में राजी का वास की रिपयेरिंग करवाई जावे ताकि जल स्तर भी ऊपर हो सके।

विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा पहाडी क्षेत्र में बसा हुआ है जिसमें बरसात के दिनों में पहाड़ियों से पानी बहकर अन्य राज्यों में चला जाता है। जन हित में मेरी यह मांग है कि इस क्षेत्र में बांध, एनिकट, बेस फ्लो (Ease Flow) बनाये जावे तथा सही कार्य वन क्षेत्र में भी करवाया जावे ताकि खेतों का कटाव रुक जावे और भूमि का जल स्तर भी बढ़े।

7. जालौर जिले को टी एफ सी पिछडा क्षेत्र/टाडा माडा घोषित करना : जालौर जिले में एस सी (19.53 प्रतिशत) एवं एस टी (9.57 प्रतिशत), कुल 29.30 प्रतिशत एस सी व एस टी जातियां निवासी करती हैं।

जिला जालौर में इनकी जनसंख्या को देखते हुए जालोर जिले को टीएफसी/ टाडा-माडा घोषित कियो जावे ताकि इन एस सी एवं एस टी जातियों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। जिला सिरोही का आबू रोड टी एस पी क्षेत्र घोषित है, जो विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा से लगता क्षेत्र है। इसलिये रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र को टी एस पी क्षेत्र घोषित किये जाने से स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो पायेंगे।

9. समाज कल्याण छात्रावास : इस क्षेत्र में एस सी एवं एस टी जाति के छात्रों के लिये शिक्षा अध्ययन छात्रावास नहीं होने के कारण शिक्षा अध्ययन में परेशानी को देखते हुए, रानीवाड़ा मुख्यालय पर एस सी जाति के छात्रों एवं मालवाड़ा में एस टी जाति के छात्रों के लिए छात्रावास खोले जाने की मांग करता हूं।

10. पाऊआ जाति को आरक्षण : पश्चिमी राजस्थान में पाऊआ जाति के लोग रहते हैं। जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत गाना-बजाना है। इनके पास खेती के लिये जमीन नहीं हैं। अन्य राज्यों में पावड़ा जाति को आरक्षण दिया गया है। पाऊआ व पावड़ा एक ही समाज के लोग हैं। इनको आरक्षण का लाभ मिले, ऐसी मेरी मांग है ताकि इस जाति को भी आगे बढ़ने का मौका मिले।

11. जालौर जिले में खुलें लघु उद्योग : जिला जालौर पिछड़ा एवं सीमावर्ती जिला है। जिला डार्क जोन होने के कारण यहां के निवासी पड़ोसी राज्यों में रोजगार के लिये पलायन कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है, स्थानीय रोजगार उपलब्ध नहीं होना।

जालौर जिले में लघु उद्योग को बढ़ावा दिये जाने हेतु युवाओं को लघु ऋण शत-प्रतिशत सब्सिडी दी जावें ताकि स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ें और युवाओं का अन्य राज्यों में पलायन रुकेगा। स्किल डवपलमेंट कों बढ़ावा दिये जाने के लिये जालौर जिले के लिए विशेष योजनाएं दी जावें।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

मान्यवर, मेरा सानुरोध निवेदन है कि बांसवाड़ा जिले में पूर्व में कुल 8 पंचायत समितियां थीं परन्तु पंचायत राज के पुनर्गठन में 4 चार पंचायत समितियां नवसृजित करने हेतु माननीय जिला कलक्टर साहब द्वारा अनुमोदन किया गया था, जो कि पंचायत समितियां गनोड़ा, अरथूना, गांगड़तलाई, बांसवाड़ा थीं। अरथूना, गांगड़तलाई, बांसवाड़ा को पंचायत समिति का दर्जा दे

दिया गया लेकिन मेरी विधान सभा क्षेत्र घाटोल में जिला कलक्टर द्वारा अनुमोदित पंचायत समिति गनोड़ा को ही रोका गया। बांसवाड़ा जिले में सबसे बड़ी पंचायत समिति घाटोल है जिसकी तत्कालीन समय में भी 53 ग्राम पंचायतें थीं और वर्तमान में 3 ग्राम पंचायत नवसृजित की गईं। इस प्रकार घाटोल पंचायत समिति में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 56 हो गई। नियमानुसार 25 ग्राम पंचायतों पर पंचायत समिति बनाने का प्रावधान होने पर भी गनोड़ा तहसील को पंचायत समिति नहीं बनाकर जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है।

पूर्व में जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा की रिपोर्ट में भी घाटोल विधान सभा क्षेत्र में जनसंख्या व क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, तहसील गनोड़ा को पंचायत समिति दर्जा देने एवं निम्न ग्राम पंचायतें-1, सोनामगरी 2. डिण्डोरिया 3. नागवला, 4. दुकवाड़ा 5. दोलतसिंह का गढ़ा 6. ईसरवाला 7. बिजोर 8. कड़वा आमरी 9. देलवाड़ा रावणा की उक्त रिपोर्ट माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 11.8.2014 को राज्य सरकार को अनुमोदित हेतु प्रेषित की गयी थी। परन्तु मात्र गनोडा को पंचायत समिति नहीं बनाने के लिए, गनोड़ा तहसील में एक मात्र ग्राम पंचायत को नवसृजित किया गया जो सोनामगरी है तथा दो ग्राम पंचायतें घाटोल तहसील में नवसृजित की गईं, जो कड़वा आमरी व कानड़ा हैं। शेष अनुमोदित ग्राम पंचायतों को जनसंख्या व भौगोलिक स्थिति पूर्णतया पक्ष में होने पर भी ग्राम पंचायतों का दर्जा नहीं दिया गया, जो मात्र राजनैतिक कारणों किया गया है। अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या भी निम्नानुसार है- 1. सोनामगरी 3587 2. डिण्डोरिया 3841, 3. नागवला 3515, 4. दुकवाड़ा 3534, 5. दोलतसिंह का गढ़ा 4010, 6. ईसरवाला 3894, 7. बिजोर 4269, 8. कड़वाआमरी 4209, 9. कानड़ा 3600 ।

जनसंख्या व भौगोलिक स्थिति दोनों पक्ष में होने के बाद भी, मान्यवर, क्या कारण हैं कि गनोड़ा तहसील को पंचायत समिति नहीं बनाया गया तथा ना ही अनुमोदित ग्राम पंचायतों को नवसृजित किया गया? इसके कारण, मान्यवर सरकार से मंगवाये जावें।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

दिनांक 9.3.2015 को इस पवित्र सदन में माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा राजस्थान का वर्ष 2015-16 का बजट प्रस्तुत किया गया। इस

बजट में सबसे ज्यादा फोकस आधारभूत आवश्यकताओं, शिक्षा व स्वास्थ्य पर रहा है एवं तीनों क्षेत्रों में सबसे अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। पहली बार राज्य के बजट में जिला स्तर से जन भावनाओं को एकत्रित कर उनका समावेश किया गया है। इस बजट में धार्मिक स्थलों, पर्यटन व उद्योग और इन सुविधाओं के मद्देनजर विकास योजनाओं को भी महत्व दिया गया है।

राजस्थान में पहली बार चिकित्सा के क्षेत्र में पिछली बार के बजट से 9 प्रतिशत राशि अधिक दी गई है। राजस्थान में शिक्षा के प्रभावी व गुणात्मक विकास के लिये पिछले बजट से 12 प्रतिशत राशि अधिक दी गई है। इस बजट में राजस्थान के विद्युत तंत्र के सुधार के लिये 21 प्रतिशत अधिक राशि को दिया जाना एक साहसिक कदम रहा है। वहीं सड़क के लिये भी बजट में पूर्ववर्ती बजट से बढ़ाकर राशि दी गई है।

राजस्थान में 33 के.वी. के 200 नये सब-स्टेशन का बनाना, राजस्थान में परिवहन सेवा की बढ़ोत्तरी के लिये 155 नये मार्ग खोले जाने की घोषणा करना, जहां गत बजट में राजस्थान में पंचायत मुख्यालय में गौरव पथ की की गई घोषणा से 2,000 गांवों में सी सी रोड का निर्माण कर 600 नये गांव को सड़कों से जोड़ा जाना, बीपीएल परिवारों के लिये पक्के मकानों के लिये राशि 70,000/- करना, दीनदयाल भामाशाह योजना में 50-100 करोड़ रुपये, वह 40,000 किसानों को कृषि कनेक्शन की योजना, सहकारी समितियों के गोदाम के निर्माण के लिये राशि 20 करोड़ का प्रावधान सार्वजनिक जलाशयों के लिये जीर्णोद्धार के लिये राशि 71 करोड़ का प्रावधान करना, 59 पंचायत समितियों में 1,410 ग्राम पंचायतों में राशि 5.22 करोड़ से किसान सेवा केन्द्र का निर्माण व 5.22 करोड़ की राशि का प्रावधान फर्नीचर, आदि व्यवस्था के लिये करना साहसिक कदम है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र पूर्णरूपेण ग्रामीण पृष्ठभूमि का है और वह बारां, बूंन्दी व मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। साथ ही, चम्बल, कालीसिंध व पार्वती नदियां मेरे क्षेत्र में बहती हैं जिसके कारण से काफी बढ़े भू-भाग में रेवाइंस हैं व एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिये सड़कों की बडी महत्वपूर्ण कमी है। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा इसके अतिरिक्त 250 व इससे अधिक आबादी के एक हजार 100 ढाणी-मजरों को सड़कों से जोड़ने के लिये राशि 960 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में बारां जिले को जोड़ने वाली अयाना-गणेशगंज

रोड की स्थिति बड़ी दयनीय है। इसी प्रकार, इटावा से खातौली तक की सड़क व खातौली से कैथूदा तक की सड़क की काफी दयनीय है।, जिनका सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। चम्बल घड़ियाल अभयारण्य होने के कारण एक लम्बे समय से गैंता माखीदा की पुलिया का निर्माण रुका हुआ था, जिसके कारण मेरे क्षेत्र के लोगों को रेलवे सेवा के लिये लगभग 100 कि.मी. तक जाना पड़ता था। माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा चम्बल माखीदा के मध्य 102 करोड़ की लागत से पुलिया बनाये जाने के लिये की गई घोषणा मेरे विधान सभा क्षेत्र के किवास के लिये सराहनीय कदम है।

मेरे क्षेत्र के शहर से दूर होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में जो गुणात्मक विकास होना चाहिये, वह कर्मचारियों की कमी व ठहराव नहीं होने के कारण नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र की जनता के कोटा महानगर से दूर होने के कारण इस क्षेत्र में महाविद्यालय की मांग लगातार चली आ रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से आग्रह करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में किये गये प्रयासों से यदि क्षेत्र में महाविद्यालय की मांग को पूरा किया जाता है तो यह हमारे लिये गौरव की बात होगी (सुल्तानपुर व इटावा में)।

मेरा विधान सभा क्षेत्र अधिकतम सिंचित क्षेत्र होने के कारण कृषि क्षेत्र में उर्वरक की किल्लत का सामना करना पड़ता है। इस बजट में राशि 55 करोड़ यूरिया व डी ए पी के भण्डारण के लिये दिया जाना महत्वपूर्ण योगदान हैं। वहीं उन्नतशील खेती, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना व कृषि क्षेत्र में अच्छा योगदान वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की योजनाएं हैं। तालाबों के जीर्णोद्धार के लिये 35 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जाना, इनके रखरखाव के लिये अच्छा साहसिक योगदान है।

ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण पशु धन की बहुतायत है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा इस बजट में 200 उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाना, साथ ही 600 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र स्थापित किये जाने की पहल, पशुधन चल आरोग्य इकाइयां, नये निर्माण व क्रमोन्नति के लिये प्रावधान रखा जाना, बहुत ही साहसिक कार्य है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बूढादीत में प्राचीन सूर्य मंदिर व हरिपुरा में हाण्डी पालेश्वर महादेव मंदिर पुरामहत्व के मंदिर हैं। उनके विकास

के लिये इस बजट में राशि 20 करोड़ का प्रावधान किया जाना एक साहसिक निर्णय है।

मेरे से पूर्व वर्तमान बजट पर सभी माननीय सदस्यों द्वारा बजट प्रावधानों की सराहना की गई है। मैं इस बजट पर माननीया मुख्य मंत्रीजी के बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) :

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 9 मार्च को यहां सदन में प्रदेश की मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धरा राजेजी ने वर्ष 2015-16 का बजट रखा है, जिस पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

जन-जन की हृदय साम्राज्ञी, चमत्कारी व्यक्तित्व की धनी हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धराजी ने जो बजट पेश किया है, उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और प्रदेश की जनता को बहुआयामी सौगातें दी गयी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा राजस्थान में सुराज संकल्प यात्रा एवं उसके बाद सम्भागों के गांव-ढाणियों की यात्रा करने एवं वहां की मूलभूत समस्याओं की वास्तविक स्थिति देखकर तथा जिलेवार फीडबैक के अनुसार बजट में प्रावधान किये हैं, जो पहली बार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003 से 2008 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय वसुंधरा राजेजी के नेतृत्व में प्रदेश में रही। उसके बाद 2008 से 2013 तक कांग्रेस की सरकार रही। 2008 से 2013 तक जो कांग्रेस की सरकार रही, उस सरकार ने जनता के हित में कोई काम नहीं किये, जिसके कारण से 2013 में कांग्रेस की सरकार को प्रदेश की जनता ने नकारा और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़कों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी राज्य के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए एक सड़क एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने 20 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को निजी-जन सहभागिता के आधार पर विकसित किये जाने की घोषणा पिछले बजट में की थी। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो छोटे-छोटे गांव-ढाणियों में बसे हुए हैं, जिनका ध्यान रखते

हुए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश में 250 से 499 तक की आबादी वाले 600 गांवों को 500 करोड़ रुपये की लागत से एक हजार 440 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रारम्भ कर रखा है जो दिसम्बर 2015 तक पूर्ण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, 250 व इससे अधिक आबादी के एक हजार 100 ढाणी-मजरों को सड़कों से जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों में पानी के निकास की व्यवस्था सही नहीं होती थी, जिससे सड़कें बार-बार टूट जाती थीं। हमारी सरकार ने इस समस्या को समझा और गांवों में उच्च क्वालिटी की सी.सी. सड़कें बनाने का निर्णिय किया। इन सी.सी. सड़कों के साथ-साथ नालियों का निर्माण भी कराया जा रहा है जिससे गांवों में सड़कों पर पानी नहीं भरेगा, गांव स्वच्छ रहेंगे और अच्छी गुणवत्ता की सड़कें गांवों की जनता को उपलब्ध होंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत एवं नई सड़कों के निर्माण कराने हेतु भी अपनी मांग आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से करना चाहूंगा कि निम्न सड़कों को स्वीकृति प्रदान करें :-

1. करकेड़ी से रूपनगढ़ 2. सलेमाबाद से रूपनगढ़ वाया सिंघला 3. लाल दरवाजा रूपनगढ़ से कासियों की ढाणी 4. रूपनगढ़ से झाग वाया पनेर 5. तिलोरा से बस्सी 6. सेदरिया से पालरा 7. नारेली से भूडोल 8. नांद से रामपुरा 10. नांद से भगवानपुरा।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्रीजी इन सड़कों को अपने प्रस्ताव में लेते हुए जनता को राहत देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में वैधानिक व सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 1500 नये मार्ग खोलने की घोषणा की है। नये मार्गों पर लगभग 6 हजार अतिरिक्त वाहन चलेंगे तथा 26 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं मेरे क्षेत्र में परिवहन सुविधा से जनता को जोड़ने हेतु अपने क्षेत्र की मांग भी माननीय परिवहन मंत्रीजी से करना चाहूंगा। मेरे पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में अजमेर से बस्सी वाया पुष्कर, अजमेर से परबतसर वाया भिलावट, अजमेर से किशनगढ़ वाया खोड़ा गणेश जी, अजमेर से नसीराबाद वाया मायापुर, अजमेर से कानस वाया माकड़वाली के रूट पर नई परिवहन सेवाएं अथवा ग्रामीण बस सेवाएं शुरू

करने की मांग रखता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान देकर कार्यवाही करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी और पेयजल मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में अजमेर से पुष्कर शहरी सुदृढ़ीकरण पेयजल योजना की घोषणा की। इसकी स्वीकृति वर्ष 2007 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस की सरकार ने पांच साल तक इस सम्बन्ध में कोई काम नहीं किया और इस योजना को ठण्डे बस्ते में डालकर जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया।

पेयजल के सम्बन्ध में मेरे क्षेत्र में अभी भी जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के रूपनगढ़ उप खण्ड में पानी की भयंकर समस्या है। अजमेर उप खण्ड और पुष्कर उप खण्ड में बीसलपुर परियोजना का कार्य अतिशीघ्र पूरा किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन के सम्बन्ध में आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से राजस्थान अपने आप में विश्व विख्यात है। इसकी विरासत की महत्ता का दुनिया में द्वितीय उदाहरण नहीं है। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इसका भरपूर ध्यान रखा है।

अजमेर सदियों से भारत की सामरिक सत्ता का केन्द्र रहा है। चाहे मुगल काल की बात करें, चाहे भारत के रियासतकालीन सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात करें जो अजमेर में ही जन्मे थे और दिल्ली में रहकर पूरे भारतवर्ष पर शासन किया था और चाहे ब्रिटिशकालीन शासन की बात हो, अंग्रेजों ने भी शुरुआत अजमेर से ही की।

अजमेर का विशेष स्थान रहा है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह विश्व विख्यात है तथा तीर्थों का गुरु तीर्थराज पुष्कर है। हमारी सरकार ने इन सभी का ध्यान रखते हुए अजमेर में हेरिटेज वाक बनाने की घोषणा की है। साथ ही, अजमेर में राजकीय संग्रहालय के विकास की भी बात की है। इसके अलावा अजमेर और पुष्कर को हेरिटेज सिटी व स्मार्ट सिटी में शामिल कराने के लिए भी माननीया मुख्य मंत्रीजी का विशेष योगदान रहा है।

हमारे प्रदेश के श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु 20 करोड़ की लागत से विभिन्न मंदिरों की मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों को कराने का प्रावधान भी बजट में रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह देवभूमि है; तीर्थराज पुष्कर तपोभूमि है। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जयपुर से पुष्कर बाइपास मुख्य मार्ग पर 20 हेक्टेयर भूमि में हर्बल गार्डन विकसित करने की घोषणा की है। साथ ही, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने तीर्थराज पुष्कर के पौराणिक एवं आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए अजमेर-पुष्कर के विकास एवं संरक्षण हेतु हेरिटेज सिटी डवलपमेंअ एण्ड आग्मेंटेशन योजना के अन्तर्गत हेरिटेज वाक वेज, साइकिल ट्रैक, पेडेस्ट्रीयन पाथ-वे विकसित किये जाने की घोषणा की है और नये साइनेज एण्ड, अंडरग्राउण्ड वायरिंग के कार्य भी कराने की घोषणा करने के साथ ही, 50 करोड़ रुपये का प्रावधान भी बजट में करके इन दोनों शहरों का विशेष ध्यान रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीर्थराज पुष्कर एवं ब्रह्माजी के मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए, पुष्कर थाने की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए थानों में सी.सी. टी.वी. कैमरे लगाकर आधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित करने की भी घोषणा की गई है।

साथ ही, अजमेर जेल में बन्दियों से मुलाकात के लिए आधुनिक कक्ष के निर्माण हेतु 2 करोड़ 40 लाख रुपये का भी बजट में प्रावधान किया गया है, जो भी सराहनीय है। इसके अतिरिक्त, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर के साथ ही अन्य जिलों की जेलों को सम्बन्धित न्यायालयों से वीडियो कांफ्रेंसिंग से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, आमजन की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए, चैक अनादरण मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु वर्ष 2015-16 में अजमेर सहित अन्य जिलों में विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना करने की भी घोषणा की गई है।

साथ ही, तीर्थराज पुष्कर में एल.ई.डी. लाइटें और मुख्य मार्ग तथा बाजरों में सुरक्षा के लिए सी.सी. टी.वी. कैमरे लगाने की घोषणा के लिए भी मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग भी करता हूं कि तीर्थराज पुष्कर को टेम्पल टाउन बनाने की घोषणा तथा मुख्य मंत्री की अध्यक्षता वाले पुष्कर विकास बोर्ड, 1972 का पुनर्गठन कर नया बोर्ड बनाने की भी मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले बजट में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन

स्कीम, 2014 लागू करने की घोषणा की। इस योजना में राज्य के पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, अजमेर में एक सिरेमिक हब बनाने की घोषणा करने से अजमेर ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के खनन व्यवसायियों को फायदा होगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस सम्बन्ध में मेरी माननीया मुख्य मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी से मांग रहेगी कि रूपनगढ़, करकेड़ी, नरवर और बीर, आदि कस्बों में उद्योगों का विकास कर इन कस्बों को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में विशेष प्रयास किये गये हैं जिससे खिलाड़ियों के मनोबल में वृद्धि होगी और प्रदेश खेलों में उच्च स्थान प्राप्त करेगा। इस सम्बन्ध में मेरी मांग है कि रूपनगढ़, करकेड़ी, पुष्कर, गगवाना, बीर, भूडोल, आदि कस्बों में खेल मैदान, स्टेडियम बनाने की कृपा करें।